सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2012-2013

कार्यालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

निःशक्तता कार्य विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

एक उत्तम वक्तव्य के बारे में

कृपया निःशक्त व्यक्ति को सम्बोधित करने के लिए उपयुक्त तरीके/भाषा का प्रयोग करते समय इसे ध्यान में रखें :–

इसके बदले में या कथन	वचन.....
निःशक्त या विकलांग बच्चा	निःशक्तता ग्रस्त बच्चा
अंगघातित या सी.पी. या स्पास्टिक	सेरिब्रल पाल्सी ग्रस्त व्यक्ति
..... से दुखी, पीड़ित, आपद्ग्रस्त व्यक्ति	व्यक्ति जो.....से ग्रस्त है।
मूक या गूंगा	वाणी विहीन अबोला
धीमा	देरी से विकसित
विक्षिप्त या पागल	संवेदात्मक विकार या मानसिक रूग्णता
बहरा व गूंगा	बहरा या श्रवणबाधित या इशारों से बात करने वाला
मंदता ग्रस्त	अवरोध ग्रस्त व्यक्ति
मंगोल मूढ़	निम्न संलक्षणयुक्त
सुस्त, मूर्ख	सीखने की अक्षमता वाला
अपंग	शारीरिक अक्षमता वाला
जन्मदोष	सहज अक्षमता वाला
अपस्मार	(बीमारी का) दौरा
लंगड़ा	चलन बाधित
रोगी या लकवाग्रस्त	अशक्त, पंगु
बौना या ठिगना	लघु आकृति वाला
नेत्रहीन	दृष्टिबाधित

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

कार्यालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

निःशक्तता कार्य विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1
2.	कार्य योजना तथा पहलें	7
3.	केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा निःशक्तजन अधिनियम का कार्यान्वयन	13
4.	राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा निःशक्तजन अधिनियम का कार्यान्वयन	24
5.	शिकायतों का निवारण	118
6.	धन के उपयोग की मानीटरिंग	128
7.	संस्तुतियाँ	129

परिशिष्ट

I	राज्यों/संघ क्षेत्रों में निःशक्तजन अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति	132
II	राज्यों/संघ क्षेत्रों में निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने की स्थिति	164
III	राज्यों/संघ क्षेत्रों में निःशक्तता पेंशन योजनाएं	166
IV	राज्यों/संघ क्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता योजनाएं	171
V	विशिष्ट विश्वविद्यालयों में निःशक्तता अध्ययन के लिए विभाग/केंद्र	175
VI	निःशक्तता के क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संगठन/संस्थान	176
VII	राज्यों/संघ क्षेत्रों के निःशक्तजनों के लिए आयुक्तों की सूची	187
VIII	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य–सचिवों की सूची	193
IX	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की सूची	199
X	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सूची	201
XI	संगठनात्मक चार्ट	203

अध्याय

1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 एशियाई और प्रशांत क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा 1 से 5 दिसम्बर, 1992 तक आयोजित बैठक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी तथा समानता संबंधी स्वीकृत उद्घोषणा को लागू करने के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों पर विकलांग व्यक्तियों की निःशक्तता की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने शिक्षा, रोजगार, सहायता–उपकरणों तथा उपस्करों के प्रावधान, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी पहुंच को सुगम बनाने तथा वाहन सुविधा आदि के लिए विशेष उपाय करने का निश्चित दायित्व सौंपता है। इस अधिनियम में विकलांगजनों के बारे में अनुसंधान, जनशक्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिकायतों के निवारण तंत्र, निधियों के उपयोग की मानीटरिंग के प्रावधान भी शामिल हैं। इस अधिनियम में दिए गए प्रावधान केन्द्र में केन्द्रीय समन्वय तथा केन्द्रीय कार्यपालक समिति तथा इसी प्रकार राज्यों में राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यपालक समिति द्वारा कार्य किए जाने निहित हैं।

1.2 निःशक्त व्यक्तियों की परिभाषा

1.2.1 अधिनियम के अनुसार, "निःशक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा एक व्यक्ति, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता से 40 प्रतिशत से कम ग्रस्त न है। 'निःशक्तता' जैसा कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है, से तात्पर्य है। (i) अंधता; (ii) कम दृष्टि; (iii) कुष्ट रोग मुक्त; (iv) श्रवण शक्ति का ह्रास; (v) चलन निःशक्तता; (vi) मानसिक मंदता; (vii) मानसिक रुग्णता। निःशक्तता की परिभाषा निम्नलिखित हैं–

(i) अंधता–दृष्टि का पूर्ण अभाव; या सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो; या दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बेहतर है;

(ii) कम दृष्टि–कम दृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय है, जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है, किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है;

(iii) कुष्ट रोग मुक्त–कुष्ट रोग मुक्त ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो कुष्ट रोग से मुक्त हो गया है; परन्तु हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्त है, किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नहीं है; प्रकट विरूपता और आंशिक घात से ग्रस्त है, किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य आर्थिक क्रिया–कलाप कर सकता है; अत्यन्त शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है, जो उसे कोई भी लाभपूर्ण व्यवसाय करने से रोकती है, तथा "कुष्ट रोग मुक्त" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(iv) श्रवण शक्ति का ह्रास–से अभिप्रेत है, संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबेल या अधिक की हानि;

(v) चलन निःशक्तता–से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिसमें अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो;

(vi) मानसिक मंदता–से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति के चित्त की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था, जो विशेष रूप से वृद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है;

(vii) मानसिक रुग्णता–से तात्पर्य है, मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार, निःशक्तजन अधिनियम, 1995 आटिज्म, पाल्सी तथा विविध निःशक्तताओं नामक निःशक्तताओं से भी अधिक के लिए उपाय करता है। सेरिब्रल पाल्सी चलन निःशक्तता के अन्तर्गत आती है तथा विविध निःशक्तताएं दो या दो से अधिक निःशक्तताओं का संयोजन है। यद्यपि आटिज्म निःशक्तजन अधिनियम, 1995 में निःशक्तता की अलग श्रेणी में परिभाषित नहीं की गई है, मानसिक रुग्णता की परिभाषा में मानसिक मंदता के अलावा मानसिक विकार सहित निःशक्तताएं परिवेष्टित हैं।

1.3 निःशक्त व्यक्तियों की जनसंख्या

1.3.1 2011 की जनगणना के अनुसार विक्लांगता पर व्यापक डेटा इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के दौरान उपलब्ध हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न विक्लांग व्यक्तियों की आबादी इस प्रकार है–

निःशक्तता	जनगणना (लाखों में) (प्रतिशत)
दृश्य	50.32 (18.8 प्रतिशत)
श्रवण	50.71 (18.9 प्रतिशत)
वाक्	19.98 (7.5 प्रतिशत)
चलन	54.36 (20.3 प्रतिशत)
मानसिक मंदता	15.05 (5.6 प्रतिशत)
मानसिक रुग्णता	7.22 (2.7 प्रतिशत)
कोई अन्य	49.27 (18.4 प्रतिशत)
विविध निःशक्तता	21.16 (7.9 प्रतिशत)
कुल	268.10 (100 प्रतिशत)

स्त्रोत : जनगणना–2011

1.4 निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (सी.सी.पी.डी.) तथा आयुक्त (एस.सी.डी.)

1.4.1 अधिनिमय, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा अधिनियम के कार्यान्वयन को मोनीटर करने के संबंध में कदम उठाने के लिए केन्द्र में एक मुख्य आयुक्त निःशक्तजन (सी.सी.पी.डी.) तथा प्रत्येक राज्य में एक आयुक्त (एस.सी.डी.) की नियुक्ति की व्यवस्था करता हैं यद्यपि निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस अधिनियम की धारा 57 (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा

मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और अधिनियम की धारा 60 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न सरकारों द्वारा अपने–अपने राज्य में आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं।

1.5 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन (सी.सी.पी.डी.) का कार्यालय

1.5.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय 01.09.1998 को प्रथम मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के साथ अस्तित्व में आया। मुख्य आयुक्त (सी.सी.पी.डी.) के कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट अनुलंग्नक XI पर है।

1.6 मुख्य आयुक्त के कार्य

1.6.1 धारा 58 के अधीन मुख्य आयुक्त–

क. आयुक्तों के कार्य का समन्वय करेंगे।

ख. केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मोनीटर करेंगे।

ग. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनको उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।

घ. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को, ऐसे अन्तरालों पर, जो कि सरकार निर्धारित करे, रिपोर्ट करेगा।

1.6.2 धारा 59–धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा किसी शिकायत के संबंध में–

क. निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करना।

ख. उपयुक्त सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई विधियों, नियमों, उपनियमों, विनियमों, जारी किए गए, कार्यपालक आदेशों, मार्ग दर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों को कार्यान्वित न किए जाने से संबंधित मामलों के बारे में शिकायतों की जांच कर सकेगा और मामले को समुचित प्राधिकारियों के सामने उठाएगा।

1.7 राज्य में निःशक्तजन आयुक्तों के कार्य–

1.7.1 धारा 61 के अधीन राज्यों में आयुक्त–

क. निःशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

ख. राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मोनीटर करना।

ग. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनको उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।

घ. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को ऐसे अन्तरालों पर, जो वह सरकार निर्धारित करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति मुख्य आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

1.7.2 धारा 62–धारा 61 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयुक्त स्वःप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या किसी शिकायत के संबंध में अन्यथा–

क. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने पर

ख. समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाये गए कानूनों, नियमों, उपविधियों, विनियमों, जारी किए गए कार्यालय आदेशों, दिशा–निर्देशों या अनुदेशों को कार्यान्वित न किए जाने संबंधित मामलों के बारे में परिवादों की जांच कर सकेगा और मामले को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा सकेगा।

1.8 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन (सी.सी.पी.डी.) तथा राज्य आयुक्त–निःशक्तजन (एस.सी.डी.) की शक्तियां।

1.8.1 मुख्य आुयक्त तथा राज्य आयुक्त–निःशक्तजन को, अधिनियम की धारा 63 के अर्न्तगत उनके कार्यो के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की निश्चित शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो नीचे दी गई हैं–

धारा 63(1) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को, इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, किसी न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्–

क. साक्षियों को समन करना तथा हाजिर करना;

ख. किसी दस्तावेज के स्पष्टीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

ग. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

घ. शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, और

ङ. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(2) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही होगी और मुख्य आयुक्त, आयुक्त, सक्षम अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय गगअप के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1.9 राज्य आयुक्त–निःशक्तता (एस.सी.डी.) की नियुक्ति।

1.9.1 यद्यपि आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल सरकार पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति कर चुकी है, अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों में प्रतिवेदित वर्ष के दौरान राज्य आयुक्त का कार्य अतिरिक्त प्रभार के रूप में अन्य अधिकारी को सुपुर्द रहा। मुख्य आयुक्त ने पूर्णकालिक राज्य आयुक्त की नियुक्ति का मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ उच्च स्तर पर उठाया है। उनमें से कुछ राज्यों ने बताया है कि छोटा राज्य होने के कारण निःशक्तता आयुक्त का प्रभार अन्य अधिकारी को दिया गया है।

1.10 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन (सी.सी.पी.डी.) के कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप के क्षेत्रों का एक संक्षिप्त विवरण।

1.10.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय बहुविध समक्ष व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए केन्द्रीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता हैं जैसे ही किसी सरकारी निकाय द्वारा पीड़ित के

अधिकारों का हनन होता है, मामला चाहे केन्द्र सरकार से संबंधित हो या विविध राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों व निजी से संबंधित हो, बड़े पैमाने पर निःशक्तजन इस कार्यालय में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं।

1.10.2 प्रेस, मीडिया व निःशक्तता के क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा उचित वर्णन में प्रतिवेदित निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध रोजगार, दाखिले, भेदभाव की घटनाओं जैसे अधिनियम के अनुपालन न करने के मामले में अपने संज्ञान में आने पर यह कार्यालय स्वयं भी कार्यवाही करता है और मामले संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है। इस तरह की दूरगामी पहलों से न केवल निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, बल्कि संवेदनशील विभिन्न स्टेक होल्डर्स तथा निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता भी पैदा हुई।

1.10.3 निधि के उपयोग की मानीटरिंग की दृष्टि से मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय ए.डी. आई.पी., डी.डी.आर.एस. इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता अनुदान पाने वाले संगठनों का निरीक्षण करता है। लाभार्थियों की वास्तविक जांच की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

1.10.4 राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में निःशक्तजनों के लिए आयुक्तों के कार्य का समन्वय करना मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के प्रमुख कार्यों में से एक है। राज्य आयुक्तगण निःशक्तजनों के लाभ के लिए कार्यक्रमों तथा योजनाओं हेतु राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। मुख्य आयुक्त निःशक्तजन का कार्यालय आयुक्तों के साथ बैठकों तथा परस्पर क्रिया के माध्यम से राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा अधिनियम की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों और प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करता है।

1.10.5 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय की ओर से आयुक्तों के कार्य के समन्वय तथा निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से आयुक्तों की वार्षिक रूप से एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जाती है। इसमें राज्य आयुक्त गण वर्ष के दौरान निःशक्तता के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य तथा उनके द्वारा की गई पहलों तथा उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। आयुक्तगण स्वयं भी बैठक के दौरान सूचना तथा विचारों के आदान–प्रदान का अवसर प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें अधिनियम तथा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से योगदान करने में भी सहायता मिलती है। विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में जो अच्छे कार्य होते हैं, उन्हें दूसरे क्षेत्रों द्वारा अनुसरण के लिए बैठक में परिचालित किया जाता है।

1.10.6 राज्य आयुक्तों की 12वीं वार्षिक बैठक, 28 तथा 29 जून, 2013 को आयोजित की गई थी।

1.10.7 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निःशक्तता पर अलग से अध्याय जोड़ने के लिए प्रेरित किया। लगातार प्रयासों

के परिणामस्वरूप, 18 मंत्रालयों/विभागों, जैसे–नागरिक विमानन मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण, मानव संसाधन विकास अल्पसंख्यक मामले, विद्युत, सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग, ग्रामीण विकास, वस्त्र, जनजातिय मामले, शहरी विकास, जल संसाधन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, डाक, इलैक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, संचार, उपभोक्ता मामले तथा आयुष विभागों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निःशक्तजनों पर अलग अध्याय जोड़ा है। वर्ष, 2011–12 तक केवल 16 मंत्रालयों/विभागों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अलग अध्याय जोड़ा था।

1.10.8 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने कार्यशाला, सेमिनार तथा बैठकें आयोजित करके निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खुलेपन का वातावरण बनाने पर विशेष फोकस करने सहित विभिन्न निःशक्तता मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजित करने में भी पहल की।

1.10.9 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सरकारी कार्यालयों, भवनों, अस्पतालों, स्टेडियम, विपणन केन्द्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टापों, धार्मिक स्थलों आदि की जांच की भी पहल की और अपेक्षित संशोधन कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित किया।

अध्याय

2

कार्य योजना तथा पहलें

2.1 कार्य योजना तथा पहलें

2.1.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष, 2012–13 के लिए निम्नलिखित कार्य योजना निर्मित की। कार्य योजना गतिविधियों के उन व्यापक क्षेत्रों की ओर संकेत करती है, जो वर्ष के दौरान फोकस के लिए प्रस्तावित किए और उन पर कार्यवाही की गई।

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
	अप्रैल–जून, 2012		
अधिनियम, योजनाओं आदि के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए बैठक।	निःशक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षण के लिए राज्य आयुक्तगण निःशक्तजन की वार्षिक बैठक की जाएगी।	नई दिल्ली	11वीं राष्ट्रीय पुनरीक्षा बैठक 13 तथा 14 जून, 2012 को आयोजित की गई।
निःशक्तजनों की आजीविका पर कार्यशाला	निःशक्तजनों की आजीविका पर एक कार्यशाला लियोनार्ड चेशायर में निःशक्तता से समन्वयन करके आयोजित की जाएगी।	नई दिल्ली	25 मई, 2012 को आयोजित की गई।
वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी	वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 का मुद्रण। वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 की तैयारी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा और पहला प्रारूप तैयार किया जाएगा।	–	उचित कार्यवाही की गई।
एक्सेस आडिट	दिल्ली में एक सार्वजनिक स्थान/संगठन की सुगम पहुंच या आडिट रिपोर्ट का कार्यान्वयन। इस उद्देश्य के लिए निधि के उपयोग की जांच की जाएगी।	–	उप मुख्य आयुक्त का एक पद खाली होने की वजह से ऑडिट नहीं किया जा सका।
केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में अलग अध्याय	केन्द्रीय मंत्रालयों से निःशक्तजनों को प्रदत्त लाभों को प्रदर्शित करते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा।	–	उचित कार्यवाही की गई

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
	जुलाई–सितम्बर, 2012		
निधि के उपयोग की मानीटरिंग	दो राज्यों/संगठनों में डी.डी.आर.एस., ए.डी.आई.पी, डी.डी. आर.सी, एस.एस.ए, आई.ई.डी. एस.एस. जैसी योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि के उपयोग को मानीटर किया जाएगा।	रोहतक, हरियाणा	एम.आर. के लिए अर्पण संस्थान, रोहतक के लाभार्थियों की भौतिक जांच 17–05–2012 को हाथ में ली गई।
वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी	वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 का प्रारूपण	–	उचित कार्यवाही की गई
एक्सेस आडिट	सुगम पहुंच के लिए एक सार्वजनिक स्थान/संगठन की जांच की जाएगी	–	उप मुख्य आयुक्त का एक पद खाली होने की वजह से ऑडिट नहीं किया जा सका।
निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा	दो राज्यों में निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी।	पश्चिम बंगाल/महाराष्ट्र/राजस्थान/उत्तर प्रदेश	निम्न राज्यों की स्थिति की पुनरीक्षा की गई : पश्चिम बंगाल– 13 जुलाई, 2012 महाराष्ट्र– 27 अगस्त, 2012 राजस्थान– 6 सितम्बर, 2012 उत्तर प्रदेश– 20–21 सितम्बर, 2012
निःशक्तता मुद्दों पर कार्यशाला सेमिनार तथा अभिसरण	निःशक्तता मुद्दों पर एक सेमिनार/कार्यशाला पी.डब्ल्यू.डी.एस./आर.सी.आई./एन.आई.एस. के लिए राज्य आयुक्त के सहयोग से की जाएगी।	–	डी.सी.सी. का पद खाली होने कारण कार्यशाला आयोजन नहीं की जा सकी।
मोबाइल कोर्ट तथा समन्वय के माध्यम से शिकायत निवारण	दो मोबाइल कोर्ट लगाई जाएगी।	जबलपुर, मध्यप्रदेश	जबलपुर, मध्यप्रदेश में 27–09–2012 को संयुक्त मोबाइल कोर्ट आयोजित की गई।
रोजगार	निःशक्तजनों को रोजगार के लिए फिक्की, सी.आई.आई, पी.एच.डी. चैम्बर आफ कामर्स, एसोचेम आदि के माध्यम से कारपोरेट सैक्टर को अभिप्रेरित किया जाएगा। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु डी.ओ.पी. एण्ड टी के अनुदेशों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जाएगा।	–	सी.सी.डी./डी.सी.सी. ने समीक्ष के लिए राज्य का दौरा करने के दौरान आवश्यक कारवाई किया।

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
	अक्टूबर–दिसम्बर, 2012		
निधि के उपयोग की मानीटरिंग	दो राज्यों/संगठनों में डी.डी.आर.एस., ए.डी.आई.पी., डी.डी.आर.सी., एस.एस.ए., आई.ई.डी.एस.एस. आदि के अन्तर्गत एम एस.जे. एण्ड ई. जैसी योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि के उपयोग को मानीटर किया जाएगा।	–	अपर्याप्त स्टाफ के कारण आयोजित नहीं किया जा सका
वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी	वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 मुद्रित की जाएगी और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेसित की जाएगी।	–	सितम्बर, 2013 में मुद्रित
एक्सेस आडिट	एक सार्वजनिक स्थान/संगठन के सुगम पहुंच बारे में जांच की जाएगी	–	अपर्याप्त स्टाफ के कारण जांच नहीं की जा सकी।
निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा	दो राज्यों में निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी।	असम/उत्तराखंड	पुनरीक्षा बैठक निम्न लिखित स्थानों पर हुई : असम– 8 नवम्बर, 2012 उधमसिंह नगर, उत्तराखंड– 30 नवम्बर, 2012
बाधायुक्त वातावरण पर कार्यशाला	एक सेमिनार/कार्यशाला निःशक्तों/आर. सी. आई./एन. आई. एस. के लिए राज्य आयुक्त के सहयोग से की जाएगी।	गोआ	निःशक्तजनों के अधिकारों तथा पात्रताओ पर एक कार्यशाला गोआ में 14 तथा 15 दिसम्बर, 2012 को आयोजित की गई।
	जनवरी–मार्च–2013		
निधि के उपयोग की मानीटरिंग	दो राज्यों/संगठनों में डी.डी.आर.एस., ए.डी.आई.पी., डी.डी.आर.सी., एस.एस.ए., आई.ई.डी.एस.एस. आदि के अर्न्तगत एम.एस. जे एण्ड ई. जैसी योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि के उपयोग को मानीटर किया जाएगा।	–	अपर्याप्त स्टाफ होने के कारण आयोजित नहीं किया जा सका।
एक्सेस आडिट	सुगम पहुंच के लिए एक सार्वजनिक स्थान/संगठन की जांच की जाएगी।	–	अपर्याप्त स्टाफ के कारण आयोजित नहीं किया जा सका।
निःशक्तता मुद्दों पर कार्यशाला/सेमिनार तथा आभिसरण	निःशक्तजनों/आर.सी.आई./एन.आई.एस. के लिए निःशक्तता मुद्दों पर एक सेमिनार/कार्यशाला राज्य आयुक्त के सहयोग से की जाएगी।	पैराम्बलुर, तमिलनाडु	पैराम्बलुर, तमिलनाडु में 23–02–2013 को जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
मोबाइल कोर्ट तथा समन्वय के माध्यम से शिकायत निवारण	दो मोबाइल कोर्ट लगाई जाएंगी।	–	ओ.ए.ई. के अन्तर्गत अपर्याप्त बजट।
निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा।	–	बिहार	बिहार में 19–20 मार्च, 2013 की पुनरीक्षण बैठक की गई।

2.1.2 पिछले वर्षों के दौरान निःशक्तजन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में और सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों से निःशक्तजनों की पात्रता के प्रति उनमें, उनके अभिभावकों, परिवारों, सिविल सोसायटी, निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों में जागरूकता बढ़ी है। मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने विभिन्न तरीके अपनाकर समस्त देश के स्टेक होल्डरों के बीच ऐसी जागरूकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिकायतों, प्रतिवदेनों, सूचना प्राप्त करने के बारे में मुख्य आयुक्त कार्यालय के सीमित संसाधनों पर दावा विविध रूप से बढ़ा है। निःशक्तता संबंधी मुद्दों पर गठित विभिन्न समितियों, सरकारी एवं कारपोरेट/गैर सरकारी क्षेत्र के सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजनों से मुख्य आयुक्तजन तथा विविध शेयर धारकों के बीच संवाद भी बढ़ा है।

2.1.3 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने सीमित संसाधनों से ही अपने विधिक दायित्वों का निष्पादन करने का प्रयास किया है। वर्ष, 1998 में इस कार्यालय में मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए 02 उप मुख्य आयुक्तों, 02 डैक्स अधिकारियों, 13 सचिवालीय/लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, 01 ड्राइवर तथा 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृति हुई थी। परंतु पिछले 15 वर्षों से अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई, जबकि कार्य बहुत बढ़ गया है। इसी कारण केंद्र सरकार द्वारा संवितरित निधि के उपयोग की मानीटरिंग, मोबाइल कोर्ट लगाने तथा सुगम पहुंच की जांच का कार्य बहुत सीमित स्तर पर ही हो सका। इस कार्यालय को वर्ष, 2012–13 के लिए 'गैर योजना शीर्ष' के अंतर्गत रु. 2.17 करोड़ आबंटित किए गए, जो रु. 1.64 करोड़ से संशोधित था।

2.1.4 मुख्य आयुक्त–कार्यालय के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण रूपेण मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मानव तथा अन्य संसाधन नितांत आवश्यक है, जिससे यह अपने विधिक कार्यों का निष्पादन करने में समक्ष हो सके और देश में निःशक्त व्यक्तियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार राज्यों में निःशक्तजन आयुक्तों के कार्यालयों को भी मानवोचित तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराते हुए सशक्त बनाने की जरूरत है।

2.2 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय द्वारा गृहीत प्रमुख गतिविधियां–

2.2.1 आयुक्तों के कार्य का समन्वयन तथा निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा–

राज्यों/संघ क्षेत्रों में निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए राज्य आयुक्तों की 12वीं वार्षिक का बैठक 28 तथा 29 जून, 2013 को आयोजित की गई।

2.2.2 अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन तथा उप मुख्य आयुक्त राज्य निरीक्षण।

मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन तथा उप मुख्य आयुक्त ने असम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर–प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की। आयुक्त तथा सचिव/प्रधान सचिव तथा समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति का पता लगाने के लिए अनुवर्ती फारमेट अपनाया। इसके बाद एक संयुक्त बैठक में प्रत्येक के संबंध में स्थिति की पुनरीक्षा की गई। इसके साथ मुख्य आयुक्त निःशक्तजन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जो उच्च स्तर पर अन्तर विभाग समन्वय तथा हस्तक्षेप में शामिल है, विचार–विमर्श के लिए मुख्य सचिव से मिले हैं और कुछ मामलों में मुख्यमंत्री से भी मिले, ताकि उच्च स्तर पर ध्यान आकर्षित हो सके। प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही और कई राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का हल निकाला गया। तत्पश्चात मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन ने राज्य आयुक्तों सहित निःशक्तजनों, उनकी देखभाल करने वाले माता–पिता तथा निःशक्तता के क्षेत्र के स्वयं सेवी संगठनों के साथ परस्पर प्रभावों के बारे में प्रेस मीटिंग द्वारा अभिप्राय स्पष्ट किया। यह फारमेट जागरूकता के सृजन, कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सूचना के प्रसार तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा बेहतर कार्यान्वयन के लिए उचित कार्यवाही में बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ।

मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन ने 13 जुलाई, 2012 को पश्चिम बंगाल, 27 अगस्त, 2012 को महाराष्ट्र, 6 सितम्बर, 2012 को राजस्थान, 20 सितम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश, 8 नवम्बर, 2012 को असम, 30 नवम्बर, 2012 को उत्तराखण्ड तथा 19 फरवरी, 2013 को बिहार का निरीक्षण किया।

2.2.3 निधियों के उपयोग की मानीटरिंग :

मुख्य आयुक्तः निःशक्तजन के कार्यालय ने हरियाणा राज्य में एक संगठन के लाभार्थियों का वस्तुगत निरीक्षण संपादित किया, जिसने निधियों के उपयोग की मानीटरिंग के लिए डी.डी.आर.एस. के अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त किया था। मानीटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट उचित कार्यवाही के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को भेज दी।

2.2.4 जागरूकता बढ़ाना :

(i) मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने लियोनार्ड चौशायर निःशक्तता (एल.सी.डी.) के सहयोग से निःशक्तजनों की आजीविका पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 25 मई, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया। सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र से सामाजिक न्याय तथा

अधिकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, कारपोरेट एजेंसियां, जैसे–फिक्की, एस्सेंटर इंडिया, आई.टी.सी. होटल्स, नास्काम फाउंडेशन, पिज्जाहट, गीतांजली ज्वैलर्स तथा सिविल सोसाइटी संगठन जैसे चैशायर डिसएबिलिटी ट्रस्ट, समर्थम, डीफ वे, फेमिली ऑफ डिसएबल्ड एण्ड सी.बी.एम., इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

(ii) एक संयुक्त जागरूकता तथा शिकायत निवारण शिविर निःशक्तजनों के लिए, राज्य आयुक्त–निःशक्तजन, मध्य प्रदेश, के सहयोग से जबलपुर जिले में 27.09.2012 को आयोजित किया गया। राज्य सरकार विभागों तथा केन्द्र सरकार के संगठनों से सम्बन्धित 12 शिकायतों का निवारण किया गया।

(iii) मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन कार्यालय ने गोआ सरकार के सहयोग से निःशक्तजनों के अधिकारों तथा पात्रताओं पर एक क्षेत्रीय सेमिनार 14 तथा 15 दिसम्बर, 2012 को गोआ में आयोजित किया।

(iv) मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन कार्यालय ने परमाबलुर, तमिलनाडु में 23 फरवरी, 2013 को आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लिया।

(v) परोपकारी प्रयास के प्रथम चरण में कार्यालय ने निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के स्टाफ का निरीक्षण आयोजित किया, ताकि वे निःशक्तजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्थापना, पुनर्वास जैसे मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करने में समक्ष हो सकें।

2.2.5 मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय की पहलों के कुछ परिणाम :

(i) मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन की कोर्ट द्वारा जारी 12–11–2012 के आदेश, सामाजिक तथा अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16–110/2003–डी.डी. III के आधार पर निःशक्तजनों हेतु परीक्षा संचालन के लिए समान तथा समाविष्ट दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निःशक्तजनों हेतु परीक्षा संचालन के लिए सभी विश्वविद्यालयों को दिशा–निर्देश परिचालित किए और उन्हें अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में कार्यान्वित करने का अनुरोध किया।

(iii) नागालैण्ड राज्य ने निःशक्तजनों के लिए 'विकलांग' शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी और उसके स्थान पर विविध रूप से सक्षम शब्द के प्रयोग के अनुदेश दिए।

अध्याय

3

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन का कार्यालय लगातार केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की अपने विभागों में निःशक्तजन अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा अपने विभागों द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग अध्याय जोड़ने के लिए अभिप्रेरित कर रहा है। इसके अनुपालन में 18 मंत्रालय/विभाग, जैसे–नागरिक विमानन मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग, सूचना तथा प्रसारण, मानव संसाधन विकास, अल्पसंख्यक मामले, विद्युत, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, ग्रामीण विकास जन, जनजातीय मामले, शहरी विकास, जल संसाधन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, डाक, संचार, उपभोक्ता मामले तथा आयुष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निःशक्तजनों पर अलग अध्याय जोड़ा है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निःशक्तजनों को प्रदान की गई विभिन्न सुविधाएं नीचे दर्शित की गई हैं :

3.1 संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी

3.1.1 इलैक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए गतिविधियां तथा लिए गए नीतिगत निर्णय।

- ❒ डी.ओ.पी. एण्ड टी. द्वारा निर्धारित नियमों/अनुदेशों के अनुसरण में सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा गैर राजपत्रित कैडर में निःशक्तजनों के पदो ंके आरक्षण के लिए उचित महत्व दिया गया है।
- ❒ अनुसंधान और विकास परियोजना को, डिजिटल प्रोग्रामेबिल हीयरिंग एड (डी.एच.ए.) के लिए सी–डेक, तिरुवनन्तपुरम में विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 130 नेनो मीटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक एप्लिकेशन स्पेसिफिक चिप डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया। इस चिप का प्रयोग करते हुए एक सघन बोडी वर्न प्रकार का श्रवण यंत्र, श्रवण बाधा को दूर करने के लिए विकसित किया और आई.एस. : 10775–1984 के अनुसार वातावरण की अनुरूप टैस्ट किया गया। इन मोड्युलों पर ए.आई.आई.एस.एच. मैसूर, एम्स, दिल्ली, ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच., मुम्बई, आदि में सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया गया। उक्त चिप का प्रयोग करते हुए बी.टी.ई. प्रकार का श्रवण यंत्र जोड़ा गया तथा टैस्ट किया गया। वातावरण के अनुसार टैस्ट पूरा हो गया और फील्ड परीक्षण ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. मुम्बई में प्रक्रिया में है। प्रौद्योगिकी की सी–डेक से उत्पादन यूनिट में स्थानान्तरण करने के लिए कार्यवाही

आरंभ कर दी गई हैं इस परियोजना पर चार वर्षों में 20.96 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

- ऑफ–दि–शैल्फ आई.सी. को बदलने के लिए डी.पी.एच.ए. में प्रयुक्त किया जा रहा है तथा डिजिटली प्रोगामेबल हीयरिंग एड्स के लिए लोवर पावर कोडेक के डिजाइन तथा विकास के लिए मजबूत तथा लागत प्रभावी वन चिप सोल्यूशन की एक आर एण्ड टी परियोजना आईआईटी, मद्रास में प्रारंभ की गई है जिसका डिजिटल प्रोगामेबिल हीयरिंग एड के लिए सीमांत अग्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। संपूर्ण अंगभूत आई सी सभी ब्लाक्स को शामिल करते हुए अपेक्षित पिन विन्यास हित एक क्यू. एफ.एन. 32 के पैकेज में डिजाइन निर्मित तथा पैक किया गया है। लक्षण वर्णन के बाद बग्स हटाए गए हैं और एक समुन्नत डिजाइन निर्माण के लिए भेजा जा रहा है। इस परियोजना पर तीन वर्ष की अवधि में 12,54,900/– रुपये व्यय हुए हैं।
- नेशनल वेब पोर्टल, 'डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू.पुनर्भवा.इन' एक प्लेट फार्म पर निःशक्तत्तता से संबंधित मुद्दों पर सूचना उपलब्ध करा रहा है, उसे बनाए रखा जा रहा है और उसे नियमित रूप से अद्यतन रखा जा रहा है।
- मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आई.सी.टी. आधारित समग्र मूल्यांकन टूल–'पुन्नारजनी' इंटरनेट के द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है। इस टूल पर 8 प्रशिक्षण सत्र, जिनमें दिल्ली (2), अहमदाबाद (1), कोच्चिन (2), मुंबई (1), कोलकाता (1) तथा भोपाल (1) संचालित किए गए, जिनके माध्यम से 16 राज्यों/संघ क्षेत्रों से 75 संस्थान प्रशिक्षित किए गए और टूल के लिए पहुंच प्रदान की गई।
- स्नातकोत्तर स्तर के दृष्टि बाधित छात्रों के लिए ह्यूमैन रिकार्डेड वायस (256 घंटों की सीमा तक) तथा सिन्थेसाइज्ड वायस (283 घंटों की सीमा तक) डेजी फोरमेट में आडियो बुक्स निर्मित की गई। निःशक्तता के क्षेत्र में विशेष शिक्षकों तथा स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टुडियों सहित सेटेलाइट आधारित चेनल 'नवशिखर' भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। यहां विभिन्न निःशक्तता संबंधी मुद्दों पर सोमवार से शुक्रवार तक 10.00 से 17.00 आवर्स तक नियमित प्रसारण होता है। आर.सी.आई. से स्वीकृत केन्द्रों पर 473 डायरेक्ट रिसेप्शन सिस्टम संपूर्ण देश में स्थापित किए गए हैं। सारे भारत में 200 और अधिक केन्द्र तथा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 40 केन्द्र स्थापित करने का काम हाथ में लिया हुआ है।
- वेब पोर्टल तथा प्रबंध सूचना तन्त्र राष्ट्रीय न्यास (सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत एक निकाय) के लिए विकसित को, अनुरक्षित किया जा रहा है।
- मीडिया लेब एशिया ने 41.62 लाख रुपये निःशक्तजनों के लाभ के लिए गतिविधियों पर व्यय किए हैं।
- वर्ष, 2012–13 के दौरान, मीडिया लेब, एसिया योजना के अन्तर्गत लगभग कुल 2.05 लाख लाभार्थियों की संख्या में से 1.30 लाख (63 प्रतिशत) अनुमानतः निःशक्त लाभार्थी रहे।
- शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए फेज–1 में स्थापित 20 आई'सी. व्यावसायिक केन्द्रों के अतिरिक्त 100 आई.सी.टी. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों में कम सुविधा प्राप्त बच्चे आई.सी.टी. कौशल प्राप्त करते हैं और रोजगार तथा आजीविका अर्जित

करने के योग्य बनते हैं। स्कूलों में अवसंरचना लान तथा इंटरनेट से संबंधित है। फेज–3 में, अरनेट इंडिया के माध्यम से कार्यान्वयन के अन्तर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों के परामर्श से 100 अतिरिक्त आई.सी.टी. केन्द्रों की पहचान करने की जरूरत है।

- विशेष शिक्षकों, अभिभावकों, मानसिक मंदता ग्रस्त बच्चों के अध्यापकों को दूरस्थ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक आई.सी.टी. तथा सेटेलाइट आधारित दूरस्थ प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है।

3.2 वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

- मंत्रालय के अधीन सभी विभागों में निःशक्तजनों को आरक्षण दिया जा रहा है। मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों में निःशक्तजनों का प्रतिनिधित्व **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

3.3 विद्युत मंत्रालय

- विद्युत मंत्रालय डी.आई.पी. एण्ड टी./सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में निःशक्तजनों को आरक्षण प्रदान कर रहा है और समय समय पर जारी विभिन्न सरकारी निर्देशों का भी पालन करता है। मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में निःशक्तजनों का प्रतिनिधित्व **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।
- जो सेवा के दौरान निःशक्त होते हैं, उन व्यक्तियों को व्यावसयिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- नेत्रहीन तथा ओ.एच. कर्मचारियों के लिए मासिक वाहन भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाति है।
- कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को श्रवण यंत्र खरीदने के लिए प्रभारों की प्रति पूर्ति की जाती है।
- कृत्रिम अंगों की लागत तथा इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण की प्रति पूर्ति की जाती है।
- उनके तथा उनके आश्रित पर विचार करने के लिए शारीरिक रूप से/मंदताग्रस्त बच्चों के सम्बन्ध में आयु की पाबंदी लागू नहीं है।
- श्री रणधीर सिंह तूर, जो एक निःशक्त व्यक्ति हैं, ने विभिन्न रेसलिंग तथा एथेलिटिक कार्यकलापों में भाग लिया और विशेष सम्मान तथा मेडल प्राप्त किए।

3.4 ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को ''निःशक्तजन अधिनियम, 1995'' के कार्यान्वयन में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों का पालन करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख गरीबी उनमूलन कार्यक्रमों में निःशक्तों की 3 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे नया नाम 'आजीविका'' दिया गया है, इंदिरा आवास योजना सम्मिलित हैं। निःशक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

- मनरेगा किसी ग्रामीण गृहस्वामी को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है,

▼ तालिका 3.1

क्र.सं.	विभाग/संगठन का नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या (31 दिसम्बर, 2012 की)	नि:शक्त कर्मचारी	नि:शक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
1	वाणिज्य विभाग	485	7	1.44
2	डी.जी.एफ.टी. का कार्यालय, नई दिल्ली	1465	19	1.30
3	डी.जी.एस. एण्ड डी.	338	4	1.18
4	डी.जी.सी. एण्ड एस. कोलकाता	382	7	1.83
5	सी.एस.ई.जैड, कोचिन	58	2	3.45
6	एम.ई.पी.जैड.एस.ई.जैड, चैन्नई	99	–	–
7	के.ए.एस.ई.जैड., कांडला	69	1	1.45
8	वी.एस.ई.जैड, विशाखापतनम	32	–	–
9	एफ.ए.एल.टी.ए.एस.ई.जैड, कोलकाता	44	1	2.27
10	एस.ई.ई.पी.जैड.एस.ई.जैड, मुंबई	69	–	–
11	इन्दौर एस.ई.जैड, इन्दौर	18	–	–
12	नौएडा एस.ई.जैड, नोएडा	77	–	–
13	वेतन तथा लेखा कार्यालय (वाणिज्य), नई दिल्ली	165	4	2.42
14	कॉफी बोर्ड, मंगलौर	950	9	0.9
15	स्पाईस बोर्ड, कोचीन	489	2	0.4
16	रबर बोर्ड, कोट्टायम	1835	24	1.3
17	टोबाको बोर्ड, गुंटुर	690	18	2.6
18	टी. बोर्ड, कोलकाता	576	5	0.9
19	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, मुंबई	83	–	–
20	एम.पी.ई.डी.ए. कोचीन	351	2	0.6
21	ए.पी.ई.डी.ए., नई दिल्ली	83	1	1.20
22	आई.आई.एफ.टी., नई दिल्ली तथा कोलकाता	164	4	2.4
23	ई.आई.सी. ऑफ इंडिया	443	6	1.35
24	एस.टी.सी. लि., नई दिल्ली	832	18	2.16
25	एम.एम.टी.सी. लि., नई दिल्ली	1656	35	2.11
26	आई.टी.पी.ओ., नई दिल्ली	1019	13	1.28
27	पी.ई.सी. लि., नई दिल्ली	205	4	1.95
28	ई.सी.जी.सी. आफ इंडिया लि., दिल्ली	589	13	2.21
29	एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर	54	1	1.85

▼ तालिका 3.2

क्र. सं.	विभाग का नाम	कर्मचारियों की कुल सं.	निःशक्त कर्मचारी	निःशक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
1	विद्युत मंत्रालय	299	4	1.33
2	सी.ई.ए.	823	7	0.85
3	एन.टी.पी.सी.	25712	451	1.75
4	एन.एच.पी.सी.	10624	86	0.8
5	पावर ग्रिड	9487	144	1.52
6	पी.एफ.सी.	410	10	2.43
7	आर.ई.सी.	662	10	1.51
8	एन.ई.ई.पी.सी.ओ.	2790	32	1.14
9	एस.जे.वी.एन.एल.	1322	13	0.98
10	टी.एच.डी.सी.	2137	29	1.36
11	डी.वी.सी.	10699	78	0.73
12	बी.बी.एम.सी.	10210	80	0.78
13	सी.पी.आर.ई.	586	13	2.12
14	एन.पी.टी.आई.	352	8	2.27
15	बी.ई.ई.	20	1	5.00
16	एन.एम.ई.ई.ई.	09	–	–

जिसका सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहता है। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 चयनित जिलों में लागू हो चुका है। अप्रैल, 2008 से सभी जिले इसकी परिधि में लाए गए हैं। मनरेगा मांग पर आधारित योजना है, इसके लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से रोजगार/संसाधन चिन्हित नहीं किए गए हैं।

- प्रत्येक राज्य सरकार विशेष कार्य चिन्हित करेगी, जो निःशक्त तथा आघातग्रस्त व्यक्तियों द्वारा कराए जा सकते हैं। गांवों में विभिन्न श्रेणियों के लिए निःशक्त व्यक्तियों की एक निर्धारित समूह के रूप में साथ आने के लिए संगठित किया जाएगा, ताकि वे योजना के अन्तर्गत अपनी सामर्थ के अनुसार कार्य कर सके। किसी भी आधार पर मनरेगा कार्यों में अन्य नियोजित व्यक्तियों की तुलना में निःशक्त तथा आघात ग्रस्त व्यक्तियों की कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। वर्ष 2012–13 के दौरान (दिसंबर, 2012 तक) 3,16,692 विक्लांग व्यक्तियों को मनरेगा के तहत कवर किया गया।

(ii) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो अब ''आजीविका'' के रूप में जाना जाता है।

- आजीविका के दिशा निर्देशों में निश्चित है कि कुल स्वरोजगारियों में 3 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति होंगे। जहां तक संभव हो, निःशक्त–विशेष के समूह बनाए जाने चाहिए। तथापि ऐसे मामले में, जहां समूह में निःशक्त–विशेष व्यक्ति पर्याप्त संख्या में न हों, वहां ऐसे समूह में विविध निःशक्त व्यक्तियों को शामिल करें या गरीबी रेखा से नीचे वाले निःशक्त तथा अनिशक्त व्यक्तियों को शामिल करें।
- वर्ष, 2012–13 के दौरान एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत आवंटन 3915 करोड़ रुपये था।
- ऐसे मामलों में जहां राज्य/संघ क्षेत्र एस.जी. एस.वाई. से एन.आर.एल.एम. में पारगमन करना चाहते हैं, वहां निम्नलिखित तीन नियम पूरे करने अपेक्षित हैं–

(क) राज्य या तो एक सोसायटी गठित करे या पुनः नामित करे और विद्यमान सोसायटी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप हो तथा प्रमुख के रूप मे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई. ओ.) रखें।

(ख) राज्य सोसायटी में विशेषज्ञों की एक बहुविधि प्रशासनिक टीम होनी चाहिए तथा जिला एवं ब्लाक में प्रथम दौर में विभिन्न स्तर हों।

(ग) एक सप्त वर्षीय राज्य संदर्श कार्यान्वयन योजना (एस.पी.आई.एल.) तथा एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करें।

- वर्ष, 2012–13 के दौरान एस.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत सहायता पाने वाले रोजगारियों की कुल संख्या 5,99,912 थी, जिसमें से निःशक्त स्वरोजगारी 7,466 (1.31 प्रतिशत) थे।

(iii) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

- इंदिरा आवास योजना सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत एक बी.पी.एल. परिवार को नया मकान बनाने के लिए समतल क्षेत्र में 45,000/– रुपये तथा पहाड़ी कठिन क्षेत्रों में 48,000/– रुपये का अनुदान दिया जाता है मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय किया गया है कि यह सहायता पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों/आई. ए.पी. जिलों में 45,000/– रुपये से बढ़ाकर 75,000/– रुपये कर दी जाए, जो अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा। आई.ए.वाई. दिशा निर्देशों के अनुसार आवंटित निधि का 3 प्रतिशत शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मकान बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाए।
- वर्ष, 2012–13 के दौरान 11,075.00 करोड़ रुपये ग्रामीण भवनों के लिए आवंटित किए गए। तथापि निःशक्तजनों के लिए कोई अलग से आवंटन नहीं किया गया।
- वर्ष, 2012–13 के दौरान कुल स्वीकृत 25. 34,812 मकानों में से, जनवरी, 2013 तक 42,142 मकान निःशक्तजनों के लिए स्वीकृत किए गए।
- आई.ए.वाई. के दिशा निर्देशों में आई.ए.पी. जिलों के छूट दी गई है। 82 आई.ए.पी. जिलों में जिला प्रशासन को वृद्धों, विधवाओं तथा निःशक्तजनों के लिए मकान बनाने की अनुमति दी गई है, यदि वे ऐसा चाहते हैं।

(iv) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है, इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने

वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह में गम्भीर बीमार या विविध रूप से निःशक्त व्यक्तियों को रु. 300/– प्रतिमाह की दरे से पेंशन दी जाती है।

- दिसम्बर, 2012 तक की पिछली रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 7.44 लाख लाभार्थी शामिल हुए, जिस पर 111.66 करोड़ रुपये व्यय हुए।

3.5 वस्त्र मंत्रालय

मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी विभाग/कार्यालय निःशक्तजनों की आरक्षण मंत्रालय प्रदान कर रहे हैं। मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में निःशक्तजनों का प्रतिनिधित्व **तालिका 3.3** मे दर्शाया गया है।

▼ तालिका 3.3

क्र. स.	विभाग/संगठन का नाम	कुल स्वीकृत सं.	निःशक्त कर्मचारी	निःशक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
1	विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय	1164	7	0.60
2	विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय	1717	2	0.11
3	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	629	6	0.95
4	जूट आयुक्त का कार्यालय	91	0	0.00
5	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	26	0	0.00
6	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलोजी (निफ्ट)	1597	2	0.12
7	सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टैक्सटाईल्स एण्ड मैनेजमेंट	15	0	0.00
8	नैशनल जूट बोर्ड	56	0	0.00
9	टैक्स टाइल कमेटी	516	3	0.58
10	सैंट्रल सिल्क बोर्ड	4241	64	1.50
11	दि हैंडलूम एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्टर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया	214	3	1.40
12	नैशनल हैण्डलूम डवलपमैंट कार्पोरेशन लि.	191	4	2.09
13	सैन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	751	8	1.06
14	दि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1113	20	1.79
15	नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन	–	133	–
16	दि जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	793	13	1.63
	कुल	13114	265	2.02

▼ तालिका 3.4

क्र. सं.	समूह	स्वीकृत सं.	नि:शक्त कर्मचारी	नि:शक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
1	क	224	2	0.89
2	ख	389	7	1.79
3	ग	631	13	2.06
	कुल	1244	22	1.76

3.6 उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय :

उपभोक्ता मामले विभाग

❒ विभाग में नि:शक्तजनों का प्रतिनिधित्व **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

3.7 जनजातीय मामले मंत्रालय

मंत्रालय अनुसूचित जनजाति नि:शक्त छात्रों को पूर्व मैट्रिक तथा पश्च मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही हैं शारीरिक तथा दृष्टि बाधित नि:शक्त छात्रों को राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के अन्तर्गत रु. 2000/– प्रतिमास की दर से सहायत भत्ता दिया जा रहा है।

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

❒ इंक्लुसिव एजुकेशन आफ दि डिसएबल्ड एट सैकेन्ड्री स्टेज (आई.ई.डी.एस.एस.) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नि:शक्त छात्रों को उज्ज्वल अवयव के अन्तर्गत रु. 3000/– प्रतिवर्ष की दर से सहायता पहले ही दी जा रही है।

❒ गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र निम्नानुसार भत्ते प्राप्त कर रहे हैं–

✓ नेत्रहीन छात्रों के लिए रु. 160/– प्रतिमास पठन भत्ता।

✓ नि:शक्त छात्रों की रु. 160/– प्रतिमास वाहन भत्ता।

✓ गम्भीर रूप से नि:शक्त को रु. 160/– प्रतिमास सहायक भत्ता।

✓ छात्रावास के उस कर्मचारी को सहायक भत्ता देय है, जो गम्भीर रूप से नि:शक्त ओ.एच. छात्रों की सहायता करना चाहते हैं।

✓ मानसिक मंदता ग्रस्त तथा मानसिक रूप से से बीमार छात्रों को रु. 240/– कोचिंग भत्ता

पश्च मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ

❒ नि:शक्त छात्रों को निम्नानुसार अध्ययन भत्ता दिया जाता है–

पाठ्यक्रम का स्तर	रु. (प्रतिमास)
1. समूह I तथा II	240/–
2. समूह III	200/–
3. समूह IV	160/–

❒ नि:शक्त छात्रों के लिए रु. 160/– प्रतिमाह वाहन भत्ते का प्रावधान है।

❒ उच्च स्तर की नि:शक्तता सहित गम्भीर रूप से विकलांग दिन में पढ़ने वाले छात्रों को रु. 160/– प्रतिमास सहायक भत्ता।

- शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले गम्भीर रूप से ओ.एच. छात्रों की सहायता करने की भावना रखने वाले छात्रावास के कर्मचारियों को रु. 160/– प्रतिमास का विशेष वेतन देय है, जिन्हें सहायक की सहायता की जरूरत है।
- मानसिक मंदता ग्रस्त तथा मानसिक रूप से बीमार छात्रों की अतिरिक्त कोचिंग के समक्ष रु. 240/– प्रतिमास का भत्ता।

3.8 योजना आयोग

निःशक्तों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बारहवीं योजना में किंचित सामाजिक, शैक्षिक तथा रोजगार प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। योजना में प्रस्तावित है कि गम्भीर तथा निःशक्त छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, पश्च मैट्रिक छात्रावृत्तियां, निःशुल्क कोचिंग, विशेष आवास स्कूल सुविधा दी जाएगी। उन जिलों में जहां सरकारी विशेष, स्कूल नहीं हैं, जहां सरकारी विशेष स्कूलों में छात्रावास नहीं हैं तथा सरकारी विशेष स्कूलों में स्थान कम हैं उन्हें बढ़ाना, स्थापना का समर्थन/आधुनिकीकरण/ब्रेल प्रेस की क्षमता बढ़ाना, ''उच्च श्रेणी'' शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ, राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप, नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप देना, देश के 5 क्षेत्रों में प्रत्येक में बहरों के लिए एक कालेज की स्थापना तथा नेशनल एसेसिबिल लाइब्रेरी की स्थापना। रु. 500/– करोड़ का एक प्रारूप निःशक्तता मामले विभाग को निःशक्तजनों की अधिकारिता के लिए मुहैया कराया गया है।

3.9 महिला मंत्रालय तथा बाल विकास मंत्रालय

मंत्रालय तथा इसके अधीन संगठनों में निःशक्तजनों के समूह 'क', 'ख', 'ग' के पदों में प्रतिनिधित्व दिया गया हैं समूह 'क' के लिए ओ.एच. श्रेणी में एक पद भरा गया है, वर्ष, 2012 के दौरान समूह 'ख' में चार भर्ती की गई है, तथा निःशक्तजनों द्वारा समूह 'ग' में 7 पद भरे गए हैं।

3.10 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मंत्रालय तथा इससे संबद्ध कार्यालयों के अधीन पदों में निःशक्तजनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तीन निःशक्तजनों को सीधी भर्ती में नियुक्त किया गया है, जिनमें 2 ओ.एच. तथा 1 वी.एच. श्रेणी में हैं।

3.11 खान मंत्रालय

मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में निःशक्तजनों को निम्नानुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है–

(i) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आई.बी.एम.)
31 दिसम्बर, 2012 की तिथि को आई.बी.एम. में 19 निःशक्तजन कार्य कर रहे हैं, जिनमें 4 वी. एच., 2 एच.आई., 13 ओ.एच. हैं।

(ii) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (नाल्को)
30 दिसम्बर, 2011 की तिथि को 9 निःशक्तजन कार्यपालक के रूप में कार्य कर रहे हैं, 62 निःशक्तजन गैर–कार्यपालक के रूप में कार्य कर रहे हैं और संगठन में 7 निःशक्त प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(iii) हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एच.सी.एल.)
समूह 'क' पदों के समक्ष 2 निःशक्तजन नियोजित किए गए हैं, 32 निःशक्त समूह 'ग' में हैं और 17 निःशक्तजन कर्मचारी समूह 'घ' के समक्ष कार्य कर रहे हैं, 'समूह 'ख' के पद पर कोई निःशक्तजन नियुक्त नहीं हैं।

3.12 जल संसाधन मंत्रालय

मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में निःशक्तजनों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है–

- मंत्रालय : समूह 'ख' तथा 'ग' में 11 निःशक्तजन हैं, ऐसी अवस्था में वर्ष, 2012 के दौरान समूह 'ख' में 01 ओ.एच. की सीधी भर्ती की गई है।
- फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट : समूह 'ख', 'ग' और 'घ' में 8 निःशक्तजन कार्य कर रहे हैं।
- नर्मदा कन्ट्रोल अथारिटी, इन्दौर : समूह 6ग' में 3 निःशक्तजन कार्यरत हैं।
- केन्द्रीय जल आयोग :

क्र. सं.	समूह	स्वीकृत सं.	निःशक्त कर्मचारी	निःशक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
1	क	503	6	1.19
2	ख	702	13	1.85
3	ग	1224	7	0.57
	कुल	**2429**	**26**	**1.07**

- सैन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड : प्रत्यक्ष कोटे के अन्तर्गत 6 निःशक्तजन नियुक्त किए गए हैं, ऐसी स्थिति में वर्ष के दौरान पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत 11 निःशक्तजन नियुक्त किए गए हैं।
- सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन :

क्र. सं.	समूह	स्वीकृत सं.	निःशक्त कर्मचारी	निःशक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
1	क	198	2	1.01
2	ख	342	7	2.04
3	ग	639	23	3.59
	कुल	**1179**	**32**	**2.71**

3.13 नागर विमानन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सुविधएं/रियायतें दी जाती हैं–

- नागर विमानन महानिदेशालय ने निःशक्तजनों की हवाई यात्रा परिवहन के संबंध में एक सिविल एविएशन रिक्वायरमैंट (सी.ए.आर.) जारी की है। इस प्रावधान के अनुसार कोई भी एयर लाइन निःशक्तजनों को ले जाने से मना नहीं करेगी।
- व्हील चेयर, रैम्प, सुगमनीय शोचालय, लिफ्टें हवाई अड्डों में निःशक्तजनों के लिए उपलब्ध हैं। कोमिसरी ट्रक में व्हील चेयर लाने–ले जाने के लिए एयर लाइन पर सैपरेट रैम्प तथा लोडिंग डॉक हैं।
- निःशक्तजनों के लिए पी.सी.ओ. बूथ आवंटित हैं और हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग स्लाट हैं, जो विशेष रूप से शारीरिक विकलांग यात्रियों के अपने वाहन संचालन के लिए सुरक्षित है।
- बाधामुक्त बुकिंग सुविधाएं तथा हवाई अड्डों पर सुरक्षित जांच में व्हील चेयर लाने ले जाने की अनुमति के लिए सुरक्षा जांच अनुलग्नक डिजाइन किए गए हैं।
- सुविधा प्रदान करने के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशक्तों के अनुकूल इमिग्रेशन काउण्टर डिजाइन किए जा रहे हैं।
- पूर्ण अंधेपन से ग्रस्त व्यक्ति तथा चलन निःशक्तता 80 प्रतिशत की सीमा तक तथा अधिक हो और इसके लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र हो, ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को एयर इंडिया, घरेलू नेटवर्क पर

नार्मल इकोनामी क्लास में 50 प्रतिशत की छूट देती है।

3.14 गृह मामले मंत्रालय

- गृह मामले मंत्रालय के अनतर्गत 15 वी.एच., 01 एच.एच. तथा 15 ओ.एच. व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।
- कार्य की प्रकृति के कारण केन्द्रीय सशस्त्र बलों के 'सामरिक कार्मिकों के पदों की सभी श्रेणियों निशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्राप्त है।

3.15 विदेश मामले मंत्रालय

समूह 'क' में दो निःशक्तजनों को नियुक्त किया गया है, जबकि 7 निःशक्तजन समूह 'ख' तथा 'ग' के अन्तर्गत नियुक्त किए गए हैं।

3.16 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय

तकनीकी साइड में कुल स्वीकृत संख्या 315 में से एक निःशक्त व्यक्ति समूह 'ख' पद के समक्ष कार्यरत हैं। गैर तकनीकी साइड में कुल स्वीकृत संख्या 676 में से 8 निःशक्त व्यक्ति समूह 'ख' तथा 'ग' पदो के समक्ष कार्यरत हैं।

अध्याय

4

राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा नि:शक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

4.1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह

4.1.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- नि:शक्तजन अधिनिमय, 1995 की धारा 13 (3) के अनुसार संघ क्षेत्रों के लिए राज्य समन्वय समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

4.1.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है।

4.1.3 नि:शक्ताताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा–25)

- नि:शक्तताओ को पैदा करने वाले कारणों की रोकथाम के लिए परा–चिकित्सा कर्मचारियों के माध्यम से सभी तीन जिलों के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया है।
- जोखिम मामलों में सभी बच्चों की पहचान की गई है। तीन जिलों में 22000 बच्चे लाभान्वित हुए।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सिद्धान्त तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है।
- नि:शक्ताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित किया गया है।
- माता तथा बच्चों की पूर्व प्रसव तथा पश्च प्रसव देखभाल के लिए माता तथा बच्चे को प्रतिरक्षण दिया जा रहा है।

4.1.4 शिक्षा (धारा 26–31) :

- नि:शक्त बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध है। विभिन्न स्कूलों में 733 नि:शक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। नि:शक्तता वार विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।
- 152 स्कूलों में नि:शक्त तथा सामान्य दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा पद्धति भी उपलब्ध है। तीनों जिलों के नार्मल स्कूल नि:शक्त बच्चों के लिए सुविधाओं से सुज्जित हैं।

▼ तालिका 4.1

श्रेणी	नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन नि:शक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधिता	कुल
नि:शक्त बच्चों की संख्या	56	288	258	151	733

- सभी तकनीकी तथा गैरतकनीकी संस्थानों में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।
- सभी शैक्षिक संस्थानों को निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- दो स्कूल तथा दो कालिज वास्तुविद् की दृष्टि से बाधामुक्त है।
- संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा 520 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें, सामग्री, वर्दी आदि निःशुल्क दी गई। नए सहायक साधन, शिक्षण सहायता, विद्या सामग्री आदि विकसित करने के लिए एक संस्थान कार्यरत है।
- सामान्य स्कूल में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। एचआई के लिए एक भाषा का विकल्प लागू किया गया है। दृष्टि बाधित या निम्न दृष्टि बच्चे के लिए लेखक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्कूल/विश्वविद्यालय परीक्षा में लिखने के लिए एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वाहन भत्ता/सहायता भत्ता दिया गया है तथा निःशुल्क बस पास दिए गए हैं।

4.1.5 रोजगार (धारा 32–41)

- संघ क्षेत्र ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों की केन्द्रीय सूची अपनाई है तथा निःशक्तजन अधिनियम की धारा 33 के अनुसार न्यूनतम 3 प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वित करने के लिए सभी विभागों को अधिसूचना जारी की गई है। पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में स्थिति **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।
- सभी विशेष रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित कर रहे है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

4.1.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- 253 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क उपस्कर तथा उपकरण प्रदान किए गए।
- सभी राज्य परिवहन बसें निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं। निःशक्तजन निःशुल्क शिक्षा द्वारा मुख्य भूभाग में यात्रा कर सकते हैं।

4.1.7 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55) :

- निर्देशक (समाज कल्याण), समाज कल्याण निदेशालय, गोलघर, पोर्ट ब्लेफर, दक्षिण अंडमान–74401, फोन : 03192–23356, फैक्स : 03192–243817, को निःशक्तजनों के लिए संस्थानों के पंजीकरण के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक एक संस्थान पंजीकृत किया गया है।

▼ तालिका 4.2

समूह	कुल स्वीकृत संख्या	निःशक्तजनों के लिए पद आरक्षित	निःशक्तजनों द्वारा भरे गए पद	रिक्त पड़े पद
क	06	02	01	01
ख	524	14	11	03
ग	6072	164	155	09
योग	**6602**	**180**	**167**	**13**

▼ तालिका 4.3

क्रम सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1	छात्रवृत्ति : शैक्षिक	–	–
2	निःशक्तता पेंशन	रु. 2000/– प्रति माह की दर से	–
3.	उपस्कर तथा उपकरण	–	253
4	वाहन सहायता	–	–
5	बेरोजगारी भत्ता	–	–

4.1.8 निःशक्तजनों के लिए राज्य आयुक्त (धारा 60) :

❒ यहाँ अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले राज्य आयुक्त–निःशक्तजन हैं।

4.1.9 शिकायतों का निवारण (धारा 62) :

❒ वर्ष, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान निःशक्तजनों की शिकायतों का निवारण किया गया :

दर्ज की गई कुल शिकायतें	:	45
निपटाए गए मामले	:	45
लम्बित मामले	:	00

4.1.10 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68) :

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं संबंधी सूचना **तालिका 4.3** में दिया गया है।

4.1.1 विविध

❒ राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, (एनआईओएच), कोलकत्ता के सहयोग से एक जिला पुनर्वास केन्द्र काम कर रहा है।

❒ समाज कल्याण विभाग ने निःशक्तजनों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है।

4.2 आन्ध्र प्रदेश

4.2.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

❒ महिला बल विकास तथा निःशक्तता मंत्री की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति पुनर्गठित की गई थी। समिति कार्यरत है।

4.2.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (19–21)

❒ जीओएमएस दिनांक 23–02–2011 के द्वारा राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई। समिति कार्यरत है।

4.2.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25) :

❒ निःशक्तताओं को पैदा करने वाले कारणों की पहचान के लिए चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग अनेक कार्यक्रम चला रहा है।

❒ सरकार ने जवाहर बाला आरोग्य रक्षा कार्यक्रम के नाम से स्कूल स्वास्थ्य मजबूत बनाने का एक कार्यक्रम आरंभ किया है। यह राज्य में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त 46, 823 स्कूलों में पढ़ रहे 85,32,635 बच्चों तक पहुँचेगा। चालू शैक्षिक वर्ष के समापन से पहले सभी छात्रों तथा

जो पहले बीमार है, उनकी स्क्रीनिंग पूरी कर ली जाएगी।

- राजीव विद्या मिशन (एसएसए) के अन्तर्गत शारीरिक तथा बौद्धिक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए सभी 23 जिलों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्क्रीनिंग प्रतिवर्ष की जाती है। बच्चों की चिकित्सीय जाँच तथा शीघ्र हस्तक्षेप के लिए विशेश आवश्यकताओं के मामलों की पहचान की जा रही है, जिससे उन्हें कार्यरत, थैरेपेटिक तथा शैक्षिक आकांक्षा को बल मिलता है।
- राज्य सरकार एसएडीएआरईएस कैम्प, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम, पूरक पोष्टिकता कार्यक्रम, समग्र बाल विकास सेवाएँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों का ओरियंटेशन कार्यक्रम, निःशक्तता पैदा करने के कारणों से सम्बन्धित, सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अनुसंधान, निःशक्तता की रोकथाम के उन्नत तरीके, पीएचसी के स्टाफ का प्रशिक्षण, सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान पर जागरूकता अभियान, स्वास्थ तथा सफाई, स्कूलों द्वारा जागरूकता सृजन, पी–एच.सी., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रिंट तथा इलैक्टौनिक मीडिया द्वारा निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए, निःशक्तता के पैदा करने के कारणों की रोकथाम के लिए प्रो–एक्टिव उपाय कर रही है।

4.2.4 शिक्षा (धारा 26–31) :

- विशेष स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्त बच्चों की संख्या **तालिका 4.4** में दिया गया है।
- व्यापक शिक्षा पद्धति द्वारा विशेष स्कूलों, समाकालित स्कूलों तथा नार्मल स्कूलों के माध्यम से सरकार द्वारा निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई गई।
- नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। निःशक्त बच्चे को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यापक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई गई।
- आन्ध्र प्रदेश सरकार सभी शिक्षण संस्थानों, जैसे कालिजों, व्यावसायिक कालिजों, विश्वविद्यालयों आदि में निःशक्तों के पक्ष में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर रही है।
- राज्य में कुल 210 विशेष स्कूल जैसे कि सरकारी–22, सरकारी सहायता प्राप्त (एनजीओ) 140, तथा प्राइवेट–48 हैं।
- 27,485 सरकारी स्कूलों में निःशक्त तथा सामान्य दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं।
- सभी जिलों में, विशेष स्कूल कार्य कर रहे हैं, ये या तो सरकार के अन्तर्गत या केन्द्रीय सहायता प्राप्त एनजीओ द्वारा संचालित हैं। 11 आवासीय स्कूल, 5 वीएच स्कूल तथा 6 एचएच स्कूल भी हैं। शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 2 आवासीय जूनियर कालिज चल रहे हैं।
- सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन दोनों में 166 विशेष स्कूल निःशक्तजनों के व्यावसायिक सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- 37,917 स्कूल वास्तुविद् की दृष्टि से बाधा मुक्त हैं।
- 39 में से 26 विश्वविद्यालय की आसान सुगमनीयता की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

▼ तालिका 4.4

श्रेणी	नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधिता	अन्य निःशक्तताएँ	कुल
संख्या	34,178	26,053	35,118	44,419	41,893	1,81,661

▼ तालिका 4.5

कक्षा	छात्रवृत्ति	अन्य भत्ते प्रतिमाह		
		वाहन भत्ता (एचएच के लिए) (रु. में)	प्रोस्थेटिक/ आथोपेडिक सहायता का अनुरक्षण	पठन भत्ता (केवल वीएच के लिए) (रु. में)
1 से V	70/=	50/=	25/=	25/=
VI से VIII	100/=	50/=	25/=	25/=
IX से X	182/=	50/=	25/=	25/=

- राज्य सरकार ने निःशक्त बच्चों की, जिनकी संख्या–12,723 है, और जिनके माता–पिता की आय एक लाख रुपये वार्षिक से कम है, उनकी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति निम्नलिखित दर पर बढ़ाई है, जिस पर कुल खर्च रु. 148.86 लाख हुआ (**तालिका 4.5**)।
- राज्य सरकार ने वर्ष, 2012–13 के दौरान एस.सी. छात्र सहित 2800 निःशक्त छात्रों की पश्च–मैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ाई, छात्रों की शुल्क की प्रतिपूर्ति को, जिनके माता–पिता की आय एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है। इस पर 360.83 लाख रुपये खर्च हुए (**तालिका 4.6**)।
- दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, देहरादून के संयुक्त प्रयास के अन्तर्गत चलाया जा रहा है और राज्य सरकार हैदराबाद स्थित केन्द्र में दो वर्ष की अवधि का आवश्यकता प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिवर्ष 20 उम्मीदवार (5 सेवारत, 5 दृष्टिगत विकलांग तथा 10 मुक्त श्रेणी से) चयनित करती है। 15 एनजीओ भी श्रवण बाधिता तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
- निःशक्त तथा वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग के नियंत्राणाधीन 11 आवासीय स्कूलों में 160 (85 श्रवण वाधिताएं तथा 75 दृष्टि विकलांगता में) विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं तथा राजीव गांधी मिशन (एसएसए) के अन्तर्गत 1495 विशेष शिक्षा कार्यरत है।

▼ तालिका 4.6

समूह	आन्ध्र प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार विद्यमान दरें		
	आवासीय (सम्बद्ध छात्रावास–सीएएच/डीएएच)	छात्र प्रबंधित छात्रावास (एसएमएच)	दिवस छात्र (डीएच)
1	962/=	442/=	429/=
2	682/=	442/=	249/=
3	520/=	325/=	240/=
4	520/=	325/=	182/=

- राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क विशेष पुस्तकें, सामग्री वर्दी आदि प्रदान की गई।
- नार्मल स्कूलों में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है।
- श्रवण बाधित छात्रों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, इन्टरमीडिएट सार्वजनिक परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है, सभी विषयों में कक्षा VII तथा X की कक्षाओं के लिए 20 से 25 की कमी पासिंग अंकों में की गई है, भाग I या II के अंतर्गत एक भाषा की छूट है। सरकार ने निःशक्त छात्रों (एचआई, ओएच तथा वीआई) के पक्ष में परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट तथा पास अंकों को 10 प्रतिशत तक की कमी का लाभ सभी डिग्री कोर्सों में भी बढ़ाया है। दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को लेखक की सुविधा भी दी गई है।

4.2.5 रोजगार (धारा 32–41) :

- सरकार ने निःशक्तजनों के लिए चिन्हित नौकरियों को अधिसूचित किया है। प्रत्येक निःशक्तता के लिए श्रेणीवार चिन्हित पदों की संख्या नीचे दी गई है :

श्रेणी	ओएच	नेत्रहीन	कम दृष्टि	एचएच	कुल
समूह 'क'	17	17	–	17	51
समूह 'ख'	6	5	–	6	17
समूह 'ग'	78	20	33	56	187
समूह 'घ'	174	51	127	159	511
कूल	**275**	**93**	**160**	**238**	**766**

- रोजगार में निःशक्तों के पक्ष में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तथा आरक्षण दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित तथा अस्थि वाधित विकलांगों के लिए 1:1:1 के अनुपात में तीन भागों में बांटा गया है।
- सामान्य प्रशासन विभाग ने रिक्तियों को भरने के लिए निःशक्तता की श्रेणी में परिवर्तन हेतु निःशक्तजनों से संबंधित धारा 22 के संशोधन के लिए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने निःशक्तों के पक्ष में सीधी भर्ती में, 10 वर्षों की छूट प्रदान की है।
- जिला चयन समिति के माध्यम से समूह IV से सेवा के पदों को भरने के लिए समिति भर्ती में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से छूट देने के आदेश जारी किए गए हैं।
- सरकार ने जीओएमएस दिनांक 19.10.2011 द्वारा निःशक्त कर्मचारियों की पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किए हैं तथा जीओएमएस दिनांक 25.07.2011 द्वारा भर्ती के उद्देश्य के लिए आयु में 10 वर्ष को छूट तथा अगले 10 वर्षों के लिए एपीपीएससी द्वारा आवेदन के भुगतान की भुगतान की छूट दी है।
- सरकार ने कल्याण विभाग के सभी अध्ययन सर्कलों में निःशक्तजनों के लिए कोचिंग तथा प्रशिक्षण सुविधाओं में 3 प्रतिशत स्थान प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।
- राज्य में निःशक्तों के लिए 01 विशेष रोजगार कार्यालय आईटीआई कैम्पास, मैलापल्ली, हैदराबाद में स्थित है तथा इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 23 जिला मुख्यालयों में रोजगार कार्यालय चल रहे हैं।
- राज्य में कुल 2,98,238 निःशक्त व्यक्ति कार्यरत है।
- निःशक्तजनों के जिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया

जा रहा है तथा विभिन्न ट्रेडों/क्षेत्रों में एनजीओ भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आगे वीआई तथा वीएच के लिए आवासीय स्कूलों में कक्षा VIII से कथा V में पढ़ने वाले छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध है।

- आन्ध्र प्रदेश नगर योजना नियमावली में भवन उपनियम संशोधित किए गए हैं। ये उपनियम भवनों, मनोरंजन क्षेत्रों; सार्वजनिक स्थानों जैसे शॉपिंग माल्स, सिनेमा, थियेटर, पार्क तथा अन्य मनोरंजन स्थानों; तथा बस अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर भी लागू होंगे।
- वर्ष, 2012–13 के दौरान रोजगार पाने वाले निःशक्तजनों की कुल संख्या–

वीएच	एचएच	ओएच	कुल
205	112	76	393

- सभी जिलों में, सभी सामान्य रोजगार कार्यालयों में निःशक्तजनों के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया है।
- निःशक्तजनों के लाभ के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 03 प्रतिशत निधि आरक्षित है।

4.2.6 सकारात्मक कार्यवही (धारा 42.43)

- कुल 21,933 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की सहायता सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध कराए हैं–
- केवल भवनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रियाती दर पर भूमि आवंटित करने की योजना है। इस योजना के प्रारंभ में इंदिराम्मा भवन योजना के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए भवन विभाग ने 59929 मकान बनाए हैं।
- एपीएस आरटीसी ने 1005 सेमी निम्न तल बसें तथा 100 निम्न तल वातानुकूलित बसें चलाई हैं जो निःशक्तनों के लिए सुगमनीय है।

4.2.7 अनुसंधान तथा जनशक्ति विकास (धारा 48–49) :

- राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थान निःशक्तताओं की सेवा के लिए अनुसंधान तथा जनशक्ति प्रशिक्षण चला रहे हैं। कुछ एनजीओ विविध प्रशासनिक पहुँच सहित समाविष्ट सेवाएं दे रहे हैं।
- नेल्लोर टाउन में स्पास्टिक केन्द्र स्थापित है।

4.2.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55) :

- संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से जिले के सहायक निदेशक, निःशक्तता कल्याण को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है तथा निदेशक–निःशक्त कल्याण को राज्य में अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है। अभी तक राज्य के 23 जिलों में 159 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं।

4.2.9 गंभीर निःशक्तवाले व्यक्ति के लिए संस्थान (धारा 56) :

- निःशक्तता कल्याण विभाग 40 हास्टलों तथा 4215 छात्रवासियों के लिए 3 घरों, 1850 सहवासियों के लिए 11 आवासीय स्कूलों, 120 सहवासियों के लिए 02 आवासीय जूनियर कालिजों, श्रवण बाधित तथा दृष्टि वाधितों के लिए एक एक तथा 46 केजीबीवी स्कूलों का अनुरक्षण कर रहा है।

4.2.10 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)–

❒ राज्य में अतिरिक्त प्रभार से राज्य आयुक्त–निःशक्तजन कार्य कर रहा है।

4.2.11 शिकायतों का निवारण (धारा 62) :

वर्ष के दौरान दर्ज मामलों की संख्या : 4
निपटाए गए मामले : 4
लम्बित मामले : 19
(बैकलाग मामले)

4.2.12 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएँ

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.7** में दिया गया है।

4.2.13 विविध

❒ जीओ सं. 82, दिनांक 1.09.1997 द्वारा आंध्रप्रदेश सरकार ने निःशक्तजन नियमावली बनाई है।

❒ ग्रामीण क्षेत्रों में जिला साधारण, एक्सप्रेस तथा डीलक्स बसों में यात्रा करने वाले निःशक्तजनों

▼ तालिका 4.7

क्र. सं.	योजनाएँ	निधि आवंटित (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1	छात्रवृत्ति, शैक्षणिक क. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति ख. पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति	 148.86 लाख 368.83 लाख	 12,723 2800
2	सहायता : शैक्षणिक सहायता सामग्री	सर्वशिक्षा अभियान द्वारा कुलराशि 1, 21,05,565/–	1640
3.	आर्थिक पुनर्वास	71.26 लाख	238
4	वैवाहिक प्रोत्साहन पुरस्कार	130.30 लाख	1210
5	निःशक्तता पेंशन	530.00 करोड़	8,84,246
6.	साधन तथा उपकरण	–	21,933
7	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	24.60 करोड़	17,779
8	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा क. ए.पी.जी.एल.आई. योजना ख. ए.पी.जी.आई.एस. योजना	राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार	43.91
9	वाहन आर्थिक सहायता	ग्रामीण क्षेत्रों में जिला/ साधारण/ एक्सप्रेस/ डिलक्स बसों में पीएच व्यक्तियों के यात्री किराए में 50 रियायत 225/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी (रु. 6.51 करोड़) नगरीय साधारण सेवाओं में पीएच व्यक्तियों के यात्री किराए में 100 प्रतिशत रियायत 550/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी (रु. 4.77 करोड़)	2.89.689 86,733
10	कोई अन्य योजना	पैट्रोल/डीजल के लिए आर्थिक सहायता क. 2 एचपी तथा नीचे के वाहन 15 लीटर प्रतिमाह ख. 2 एचपी से अधिक वाले वाहन 25 लीटर प्रतिमाह	80

को यात्री किराए में 50 प्रतिशत रियायत, इसके लाभार्थियों की सं. 2,89,689 रही।

- नगरीय साधारण बस सेवाओं में निःशक्तजनों की निःशुल्क यात्रा, इसके लाभार्थियों की सं. 86,733 रही।

4.2.14 मुख्य उपलब्धियाँ–

- वैवाहिक प्रोत्साहन अवार्ड योजना के अन्तर्गत 1210 जोड़ों ने लाभ उठाया, जिस पर रु. 154.00 लाख व्यय हुए।
- सरकार ने निःशक्तजनों के लिए पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वित करने के निदेश जारी किए।
- सरकार ने आर्थिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की दर रु. 3000/– से बढ़ाकर रु. 30,000/– की और निःशक्तों की आय सीमा रु. 11000/– से बढ़ाकर रु. 1,00,000/– की। वर्ष के दौरान रु. 75.00 लाख के साथ 268 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- वर्ष के दौरान 205 वीआई, 76 एचआई तथा 393 ओएच व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।
- निःशक्तजनों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए राज्य के सभी 18 डिवीजनों में शिविर आयोजित किए गए, जिन्हें सहायता तथा उपकरणों की आवश्यकता थी। कुल 48,661 निःशक्तजन तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गई, जिनसे 37,498 निःशक्तजन तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहायता तथा उपकरण ों के पात्र और 9593 एसएडीआरईएम प्रमाण पत्र जारी करने के पात्र थे। 21,881 निःशक्तजन तथा 10,838 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता तथा उपकरणों की आपूर्ति की गई।
- सरकार ने हैदराबाद में स्टडी सर्कल स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की।

4.3 अरुणाचल प्रदेश

4.3.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18) :

- राज्य समन्वय समिति गठित हो गई है तथा कार्यरत है।

4.3.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–51)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित हो गई है, तथा कार्यरत है।

4.3.3 निःशक्तता की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25) :

- राज्य के 9 जिलों में निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में राज्य निःशक्तकरण पुर्नवास केन्द्र से प्रशिक्षित समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं तथा बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं द्वारा निःशक्तजनों का समुदाय

तथा ब्लाक स्तर पर घर–घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है।

- समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्त्ता (सीआरबीडब्ल्यू) तथा बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता (एमआरडब्ल्यू) घर–घर सर्वेक्षण के दौरान पोस्टर, बैनर तथा होर्डिंग लगाते हैं, जमीनी स्तर तथा ब्लाक स्तर पर जागरूकता, शिविर तथा समुदायिक बैठकें संचालित करते हैं, निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए चिकित्सा शिविर, कार्यशाला तथा सेमिनार आयोजित करते हैं, विश्वदिवस मनाते हैं।
- समुदाय अधारित पुनर्वास कार्यकर्त्ता सभी बच्चों के जोखिम मामलों की पहचान करने के लिए एनपीआरपीडी योजना के अन्तर्गत नियमित सामुदायिक बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करते हैं।
- समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सक, उपलब्ध कराए जाते हैं।
- समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्त्ता घर–घर सर्वेक्षण के दौरान गर्भवती महिला को प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद की जननी तथा बच्चे की देखभाल के बारे में जागरूक करते हैं।

4.3.4 शिक्षा (धारा 26–31) :

- निःशक्तजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- सभी संबंधित विभाग तथा एसएसए राज्य मिशन को निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना न करने के संबंध में अनुदेश दिए गए हैं।
- जिला पापुमेपर में विशेष स्कूल चल रहा है। राज्य में 10 विशेष शिक्षक उपलब्ध है।
- राज्य में एमआर बच्चों के लिए एक स्कूल की आवश्यकता है।
- निःशक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें, साधन सामग्री, वर्दी आदि निःशुल्क दी जाती है।
- श्रवणबाधित बच्चे के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू किया गया है।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि बच्चों की लेखक प्रदन करने के अनुदेश दिए गए हैं।

4.3.5 रोजगार (धारा 32–41) :

- राज्य ने निःशक्तजनों के लिए चिन्हित पदों की केन्द्रीय सूची अपनाई है तथा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को अधिसूचना जारी की गई है। निजी क्षेत्र में भी निःशक्तजनों को कुछ नौकरियाँ दी गई है।
- निःशक्त व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए नहर लगुन स्थित रोजगार केन्द्र को सेवा विस्तार दिया जा रहा है। इसके पास 10 निःशक्तजन पंजीकृत हैं।
- विभाग विशेष रोजगार केन्द्र को रिक्तियाँ अधिसूचित कर रहे हैं।
- धारा 38 के अन्तर्गत निःशक्तजनों के प्रशिक्षण तथा कल्याण की व्यवस्था के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय, कार्यस्थल पर बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए आदेश/योजनाएँ जारी की गई हैं।
- सामाजिक पुनर्वास के लिए अनुग्रहपूर्वक सहायता के तरीके से निःशक्तजनों को जीवन में एक बार रु. 10,000/– तक की सहायता दी जाती है।

4.3.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- राज्य के पास निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी) के अन्तर्गत चल रही केन्द्र सरकार की योजनाओं के अलावा सभी निःशक्तजनों को सहायता तथा उपकरण प्रदान करने की योजना है।
- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना तथा निःशक्त उद्यमियों द्वारा फैक्टरी की स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है। जो व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे निदेशक–भूप्रबंधन, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर से संपर्क करना चाहिए।

4.3.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47) :

- 244 बाधायुक्त भवन बनाए गए हैं। कुछ सरकारी भवन तथा कार्यालय भी बाधायुक्त बनाए गए हैं।

4.3.8 अनुसंधान तथा जन शक्ति विकास (धारा 48–49) :

- राज्य निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र (एसडीआरसी), नहर लगुन एन.पी.आर.पी.डी. योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में समय–समय पर जागरूकता तथा चिकित्सा शिविर आयोजित करता है।
- पंजीकृत संस्था डोनी पोली मिशन, ईटा नगर तथा आर.के. मिशन हास्पिटल, ईटानगर निःशक्तनों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में सक्रियता से लगे हैं। इन संगठनों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा भी सहायता अनुदान दिया जाता है।

4.3.9 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55) :

- निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत श्री बेलाटी परटिन, आयुक्त–निःशक्तजन, समाज कल्याण तथा अधिकारिता एवं जन जातीय मामले, अरुणाचल प्रदेश सरकार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 3 संस्थान पंजीकृत हुए हैं।
- तीन संस्थान राज्य के प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

4.3.10 गम्भीर निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थान (धारा 56) :

- श्रवणबाधितों के लिए डोनी पोलो मिशन स्कूल, चिम्पू, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ने गम्भीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में स्वीकृत किया है।

4.3.11 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65) :

- अतिरिक्त प्रभार सहित आयुक्त–निःशक्तजन नियुक्त किया गया है।

4.3.12 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएँ (धारा 66–68) :

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.8** में दिया गया है।

▼ तालिका 4.8

क्र. सं.	योजना	आवंटित निधि	लाभार्थियों की संख्या
1	छात्रवृत्ति, शैक्षणिक रु. 360/– प्रतिमाह की दर से रु. 3000/– प्रतिमाह की दर से	–	 90 9
2	आर्थिक पुनर्वास	12.00 (लाखों में)	122
3	निःशक्तता पेंशन	चालू वित्तीय वर्ष से 100 प्रतिशत निःशक्तजनों के लिए रु. 1000/– प्रतिमाह की दर से अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री निःशक्तता योजना कार्यान्वित की गई है।	–
4	निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा	केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए	
5	साधन तथा उपकरण	27,88,836	141
6	अवसंरचना का सुगमनीय विकास	10.00 लाख	2 यूनिट
7	यात्रा में मुफ्त रियायत	निःशक्त छात्रों को अरुणाचल प्रदेश, सरकार द्वारा 80 प्रतिशत वाहन सहायता दी जा रही है	–
8	कोई अन्य योजना (एनपीआरपीडी)	100.00 (लाख में)	9 अधिसूचित जिले में कार्यान्वित

4.4 आसाम

4.4.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (13–18) :

- ❒ राज्य समन्वय समिति पहले से ही गठित की हुई है और कार्यरत है।

4.4.2 राज्य कार्यपालक समिति (धारा 19–24) :

- ❒ राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है और कार्यरत है।
- ❒ पिछली बैठक 30–07–2012 को हुई।

4.4.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25) :

- ❒ सभी 27 जिलों में निःशक्तकता पैदा होने के कारणों की पहचान के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया है।
- ❒ निःशक्तताओं की रोकथाम के तरीके : प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कुष्ट रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, समग्र बाल विकास सेवाएँ, संपूरक पौष्टिकता कार्यक्रम निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए हाथ में लिए गए हैं तथा पूर्व प्रसव माताओं की स्वास्थ्य जांच भी की गई है।
- ❒ आठ जिलों में श्रवणबाधितों, दृष्टिबाधितों तथा अस्थिबाधित बच्चों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन तथा वितरण शिविर आयोजित किए गए।
- ❒ जागरूकता सृजित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय

अंधता नियंत्रण कार्यक्रम तथा ग्रामीण स्वास्थ्य पोष्टिकता दिवस आयोजित किए गए।

- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा पश्च प्रसव, माता की देखभाल के लिए एनआरएचएस के अन्तर्गत 'ममोनी', 'मेजोनी' जैसी कई योजनाएँ हाथ में ली गई हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा पीएचसी के मध्यम से भी माता और बच्चे की देखभाल की जाती है।

4.4.4 शिक्षा (धारा 26–31) –

- स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्त बच्चों की संख्या–

नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधित
11,356	13,825	6,119	22,771

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशक्त बच्चों सहित 6–14 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- राज्य में पांच सरकारी तथा पांच सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल हैं। राज्य के आठ जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। सरकारी क्षेत्र में पांच स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधायुक्त है।
- एसएसए की रिपोर्ट के अनुसार 32,421 स्कूलों में कैम्प लगे हैं तथा 6712 स्कूलों में सुगमनीय शौचालय हैं।
- यहाँ निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में रु. 2,400/– प्रतिवर्ष का प्रावधान है।
- कुल 2463 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए चार प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।
- निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण, वर्दी आदि दी जा रही है।
- परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है तथा नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों के लाभ के लिए रेखागणित से छूट दी गई है।
- श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प लागू किया गया है।
- नेत्रहीन/कम दृष्टि निःशक्त बच्चों के लेखक की सेवा प्रदान करने के अनुदेश दिए गए हैं तथा निःशक्त बच्चे के आवेदन पर लेखक दिया जाता है।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में श्रवणबाधितों के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय का प्रावधान है।
- नेत्रहीन तथा कम दृष्टि बच्चों की रेखागणित विषय से छूट प्राप्त है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प प्रभावी है। दृष्टि बाधित तथा कम दृष्टि छात्रों को लेखक प्रदान किया जा रहा है।
- 03 स्कूल निःशक्त बच्चों की निःशुल्क वाहन सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सरकारी स्कूल मुख्य तथा आवासीय है। विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन), जो अपनी गम्भीर निःशक्तता के कारण नियमित रूप से स्कूल नहीं आ पाते, उन्हें वाहन भत्ता तथा अनुरक्षक भत्ता दिया जाता है।

4.4.5 रोजगार (धारा 32–41) :

- आसाम सरकार ने आधिसूचना सं. एसडब्ल्यू डी 39/99/पीटी 288, दिनांक 10.05.2005 तथा एस.डब्ल्यूडी 212/2000 पीटी 11/2, दिनांक 19.9.2011 द्वारा नि:शक्तजनों के लिए 'क' तथा 'ख' समूह के पद चिन्हित किए गए हैं।
- समूह 'ग' तथा 'घ' के पद अधिसूचना सं. एसपी 67/91/52 दिनांक 27.07.1995 तथा एबीपी 144/95/1, दिनांक 18.08.1995 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
- राज्य सरकार ने सभी 04 समूहों पदों की 506 संख्या चिन्हित की है, जिसका विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है :
- सरकार ने पत्र सं. एसडब्ल्यूडी 212/94 पीटी/5, दिनांक 8.10.96 द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियाँ कार्यान्वित करने के लिए निर्णय सूचित किया है।
- सरकारी नौकरियों में 516 नि:शक्त व्यक्तियों ने नियुक्ति प्राप्त की है।
- राज्य में 23 विशेष रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। राज्य के 041 जिलों में कोई विशेष रोजगार कार्यालय नहीं है। विशेष रोजगार कार्यालयों में 5460 नि:शक्तजन पंजीकृत हैं।
- उच्च आयु सीमा में छूट देने के संबंध में अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन के संबंध में सभी संबंधित को अधिसूचना जारी तथा परिचालित की गई है।

4.4.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय तथा सर्वशिक्षा अभियान की एडीआईपी योजना के अन्तर्गत सहायता या उपकरण प्रदान किए गए।
- राजस्व तथा डीएम विभाग ने अपने परिपत्र सं. आरएसएस–860/2005/57, दिनांक 04.01.2010 के द्वारा प्रीमियम की रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन स्वीकृत किया है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नि:शक्तजनों को संबंधित जिला कलक्टर से संपर्क करना चाहिए।

4.4.7 विभेदका न किया जाना (धारा 44–47) :

- गुवाहाटी शहर में नगर बस के रूप में 04 निम्न तल बसें चल रही है।
- सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, जीएमसी, हाउसफेड तथा कई अन्य विभागों ने अपने

▼ तालिका 4.9

समूह	ओएच	वीएच	एचएच	1 से अधिक या सभी श्रेणी सं.	कुल
समूह 'क'	18	4	–	–	22
समूह 'ख'	79	3	12	–	94
समूह 'ग'	189	–	–	96	285
समूह 'घ'	18	–	–	87	105
कुल	304	7	11	183	506

▼ तालिका 4.10

क्र. सं.	योजना	प्रति लाभार्थी राशि	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति, शैक्षणिक	2400/– प्रतिवर्ष	2395
2	आर्थिक पुनर्वास	10,000/– प्रतिवर्ष	380
3	बेरोजगारी भत्ता	6000/– प्रतिवर्ष	5460
4	सहायता तथा उपकरण	–	–
5	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	76.00 (लाख में)	18 संख्या
6	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	391.73 (लाख में)	4 संख्या

अधीनस्थ कार्यालयों को बाधामुक्त आकार के बिना भवन की अनुमति न देने का परिपत्र जारी किया है।

- अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल, बेड कुची को बाधामुक्त बनाया गया है, 150 से अधिक निम्न तल बसे गुवाहाटी शहरी क्षेत्र तथा गुवाहाटी के पड़ोसी जिलों में भी चल रही है।

4.4.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55) :

- निदेशक, समाज कल्याण, उजन बाजार, गुवाहाटी को निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- राज्य के प्राधिकरण के अन्तर्गत 118 संस्थान पंजीकृत किए गए हैं।

4.4.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65) :

- एक पूर्ण कालिक आयुक्त–निःशक्तजन नियुक्त किया गया है।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निधि की मानीटरिंग के लिए 16 निरीक्षण किए गए।

4.4.10 शिकायतों का निवारण (धारा 62) :

दर्ज मामलों की कुल संख्या : 48
निपटाए गए मामले : 35
लम्बित मामले : 13

4.4.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएँ (धारा 66–68) :

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

4.4.12 विविध

- पी–डब्ल्यू डी नियम अधिसूचित किए गए हैं।
- केवल दृष्टिगत विकलांगों को निःशुल्क/रियायती बस पासों की अनुमति दी गई है।
- राज्य सरकार ने राज्य निःशक्तता नीति बनाई है तथा पत्र सं. सीओएम (डी) 30/2007–8/36, दिनांक 13–03 2012 द्वारा पुनः प्रस्तुत की है।

4.5 बिहार

4.5.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18) :

- राज्य समन्वय समिति पुनर्गठित की गई है, परन्तु उसकी कोई बैठक नहीं हुई।

4.5.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–24) :

- राज्य कार्यपालक समिति पुनर्गठित की गई है, परन्तु उसकी कोई बैठक नहीं हुई।

4.5.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25) :

- जोखिम मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रतिरक्षण तथा टीकाकरण के माध्यम से निःशक्तता की रोकथाम के उपाय अंगीकार किए गए हैं।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, आदि की प्रोन्नति के लिए प्रेस, एनजीओ तथा प्रशासनिक संस्थान जैसे विभिन्न प्रचार माध्यम प्रयुक्त किए गए हैं तथा निःशक्तताओं की रोकथाम तथ शीघ्र पहचान के लिए माता और बच्चे की पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद देख–भाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र पर स्थित स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है।

4.5.4 शिक्षा (धारा 26–31) :

- राज्य के निःशक्त बच्चों की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। 24662 निःशक्त बच्चों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, वर्दी तथा अन्य सामग्री प्रदान की गई है।
- मुख्य धारा के स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना करने के विरुद्ध अनुदेश जारी किए गए हैं।
- विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं जहाँ निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं (नेत्रहीन/कम दृष्टि–37,621, चलन निःशक्ताग्रस्त–1,07,954, मानसिक मंदताग्रस्त 22938, वाक् तथा श्रवणबाधित–52,905, अन्य निःशक्तग्रस्त 29,511)।
- नियमित स्कूलों में 3,29,297 निःशक्त बच्चे पढ़ रही है।
- राज्य में 08 विशेष स्कूल सरकारी, 03 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 25 निजी क्षेत्र में चल रहे हैं।
- राज्य के पाँच जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- राज्य में 33,000 संस्थान वास्तुविद् की दृष्टि से बाधामुक्त है।
- 22,000 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- राज्य में निःशक्तताओं के प्रबंधन में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण हेतु एक सरकारी संस्थान तथा नौ निजी संस्थान चल रहे हैं।
- निःशक्त बच्चे के लिए अनौपचारिकता शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नेत्रहीन तथा अस्थिबाधित निःशक्त बच्चों को अनुरक्षक भत्ता दिया जाता है।
- 6 से 14 के आयु वर्ग के बच्चों को पुस्तक, सहायता तथा उपकरण निःशुल्क दिए जा रहे हैं।
- 8 विशेष स्कूल गंभीर रूप से निःशक्त बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

4.5.5 रोजगार (धारा 32–41) :

- अधिसूचना, दिनांक 05.01.2007 द्वारा 62 पद (समूह 'ग' तथा 'घ') चिन्हित किए गए हैं।
- बेली रोड, पर पटना में विशेष रोजगार कार्यालय स्थित है।
- 2255 निःशक्त बच्चे विशेष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत किए गए और 265 रिक्तियाँ विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा अधिसूचित की गई।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।
- रोजगार में उच्च आयु सीमा की छूट उपलब्ध है।

4.5.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- मुख्यमंत्री समर्थ योजना के अन्तर्गत 9068 निःशक्त व्यक्तियों को सहायता तथा उपकरण प्रदान किए गए।
- गृह निर्माण, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना निःशक्त उद्यमियों के लिए फैक्टरियों की स्थापना के लिए रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग से संपर्क करना चाहिए।

4.5.7 अनुसंधान तथा जनशक्ति विकास (धारा 48–49) :

- राज्य सरकार ने जन शक्ति अनुसंधान के लिए एनजीओ को गैर आपत्ति प्रमाण–पत्र दिया है।

4.5.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थान की मान्यता (धारा 50–55) :

- संस्थानों को पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त, निःशक्तजन को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अब तक 142 संस्थान पंजीकृत किए जा चुके हैं।

4.5.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65) :

- अतिरिक्त प्रभार सहित आयुक्त–निःशक्तजन नियुक्त किया गया है।
- निधियों की मानीटरिंग की गई। 20 निरीक्षण निष्पादित किए गए।
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के सफल कार्यान्वयन के लिए, सभी जिला कलक्टरों को अतिरिक्त आयुक्त, निःशक्तता के रूप में अधिसूचित किया गया है। उन्हें ट्राइसाइकिल, कृत्रिम अंग, तथा निःशक्तजनों की आवश्यकता की दूसरी चीजें खरीदने की लिए निधि की स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
- निःशक्तजन अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत वर्ष, 2012–13 के दौरान व्यवस्थित मामले नीचे दिए गए हैं :–

कुल दर्ज मामले	:	305
निपटाए गए मामले	:	300
लम्बित मामले	:	05

4.5.10 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएँ (धारा 66–68)–

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

4.5.11 विविध

- पी डब्ल्यू डी नियम अधिसूचित किए गए हैं।
- निःशक्तजनों के लिए बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क/रियायती यात्रा की अनुमति है।

▼ तालिका 4.11

क्र. सं.	योजना	निधि आवंटित (लाख में)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	550	22000
2	सहायता : शैक्षणिक सहायक सामग्री	240	110
3.	आर्थिक पुनर्वास	260	170
4	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5	निःशक्तता पेंशन	5278	4,92,000
6	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8	सहायता तथ उपकरण	500	12000
9	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	–	–
10	मानव संसाधन विकास	–	–
11	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–
13	वाहन आर्थिक सहायता	–	–
14	कोई अन्य योजना (सर्वेक्षण)	80	9.15 लाख

4.6 चंडीगढ़

4.6.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18) :

- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 13(3) के अनुसार संघ क्षेत्र में समन्वय समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

4.6.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–24) :

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है।

4.6.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा–25) :

- निःशक्तताओं के कारणों की रोकथाम के लिए, रोकथाम उपाय, जैसे–प्रतिरक्षण तथा बालस्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ 5 अस्पतालों में उपलब्ध हैं तथा शहर में 44 औषधालय भी कार्यरत है।
- राज्य संसाधन केन्द्र तथा जिला पुनर्वास केन्द्र सरकारी मेडिकल कालिज तथा अस्पताल, सैक्टर–32, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है।

- राज्य संसाधन केन्द्र ने 5 निःशक्तता पहचान शिविर संचालित किए हैं और उनमें अनेक बीमारियों वाले 577 रोगियों का उपचार किया है।
- 500 आंगनवाड़ी केंद्र स्लम तथा चंडीगढ़ संघ क्षेत्र की बस्तियों में कार्य कर रहे हैं तथा इस नेटवर्क से समाज के उपेक्षित वर्ग के लक्षित समूह के बीच जागरूकता पैदा की है।

4.6.4 शिक्षा (धारा 26–61) :

- शिक्षा बालिकाओं के लिए 10+2 स्तर तक तथा बालकों के लिए 8वीं कक्षा तक निःशुल्क है। इसके साथ साथ अन्य सामान्य छात्र, अस्थि बाधित विकलांग छात्र इन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
- सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को अनुदेश दिए गए हैं कि किसी भी शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिले से मना न किया जाए। निःशक्त बच्चे के नामांकन के बाद स्कूलों के प्रमुख उसकी समुचित प्रगति, विकास तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।
- कई संस्थान निःशक्त बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
- कम बुद्धिवाले बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकारी स्कूलों में मुख्यधारा अनुभागों में समायोजित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (धारा 27) :

- मानसिक मंदता के लिए सरकारी संस्थान, सैक्टर–22, चंडीगढ़, दैनिक जीवन की शिक्षण गतिविधियाँ (जैसे–शौचालय प्रशिक्षण, खान–पान, सज्जा–सज्जा आदि) अंगीकार कर रहा है। मोमबत्ती बनाना, चाक बनाना, कुकिंग तथ बेकरी, कुर्सियों की बुनाई, जिल्द साजी, फाइल बनाना, सिलाई–कटाई, फोटो स्टेट आदि में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ताकि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, सक्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त कर सके।
- चडीगढ़ बाल तथा महिला विकास निगम द्वारा कम्प्यूटर, ब्यूटी कल्चर, स्टेनोग्राफी जैसे ट्रेडों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- चंडीगढ़ प्रशासन ने, सैक्टर–46 चंडीगढ़ में एक दो मंजिले भवन में निःशक्तजनों के लिए 'आशा किरण' नाम से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित किया है।

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान का गठन (धारा 29) :

- मानसिक मंदताग्रस्त सरकारी संस्थान, सैक्टर–22, चंडीगढ़ मानसिक विकलांग बच्चों को संभालने के लिए सभी प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिए पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- शिक्षा तथा वाहन सुविधा, छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों की आपूर्ति के लिए समग्र योजना (धारा 30) :
- चंडीगढ़ प्रशासन निःशक्त छात्रों के, अध्ययन की कक्षा पर आधारित कक्षा 1 से आगे रु. 50 से रु. 500/– की रेंज में छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान 82 निःशक्त छात्रों की छात्रवृत्ति पर रु. 3,10,950/– खर्च हुए।

▼ तालिका 4.12

समूह	स्वीकृत पदों की सं. चिन्हित	1996 से (चिन्हित) भरी गई रिक्तियों की सं.	रिक्तियों का बैकलाग	बैकलाग भरने के लिए कार्य योजना
क	21	6	15	चंडीगढ़ प्रशासन अपने विभागों में बैकलाग भरने की प्रक्रिया में है।
ख	14	7	7	
ग	284	186	98	
घ	164	68	96	
कुल	483	267	216	

- निःशक्तजनों के मुक्त आवागमन के लिए 4 कालेजों तथा 61 स्कूल भवनों भी रैम्प लगाए गए हैं। सभी संस्थानों को बाधा मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.6.5 रोजगार (धारा 32–41) :

निःशक्तजनों के लिए नौकरियों की पहचान (धारा 32) :

- भारत सरकार ने पहले से नौकरियों चिन्हित की हुई है, जो निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती है तथा कार्मिक विभाग ने पत्र सं. 28/22/94/आईएच (7)–2000/1 1515 दिनांक 13.02.2000 द्वारा तथा इस विभाग द्वारा अपने पत्र सं. एसडब्ल्यू–21582, दिनांक 25.02.2002 द्वारा सभी विभागों को इन सभी पदों में देय 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के अनुदेश दिए गए हैं।

पदों के सभी समूहों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (धारा 33) :

- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने के अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। भर्ती की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले विभागाध्यक्ष को आरईसी के लिए पहले रोस्टर की जांच करनी चाहिए और यदि निःशक्त व्यक्तियों बैकलाग होता है, तब पहले उपलब्ध पद निःशक्तजनों को दिए जाएंगे।
- चंडीगढ़ प्रशासन में नियोजित 31.12.2012 की तिथि को निःशक्तजनों का विवरण **तालिका 4.12** में दर्शाया गया है।

विशेष रोजगार कार्यालय (धारा 34) :

- चंडीगढ़ प्रशासन ने निःशक्तजनों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किया है, जो क्षेत्रीय रोजगार केन्द्र, संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ में कार्यरत है। 58 नेत्रहीन, 489 अस्थिबाधित, 66 गूंगे तथा बहरों सहित 1695 निःशक्त आवेदक 31.12.2012 की तिथि को रजिस्टर में दर्ज रोजगार की प्रतीक्षा में है।

निःशक्तजनों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं (धारा–38) :

- चंडीगढ़ बाल तथा महिला विकास निगम की राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम की

चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। यह निगम शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को स्व–रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराती है।

सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण (धारा 39) :

- सरकारी शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने सभी शैक्षणिक तथा तकनीकी संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए है कि कोई भी पात्र निःशक्त छात्र दाखिले से वंचित न रहे।

गरीबी उन्मूलन योजना में आरक्षण (धारा 42) :

- सभी विभागों/कार्यालयों/बोर्ड तथा निगम के प्रमुखों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

4.6.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42) : निःशक्तजनों के लिए साधन तथा उपकरण (धारा–42) :

- समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, गोगल्स, फोल्डिंग स्टिक, क्रेचेज तथा क्लिपर, कृत्रिम अंग आदि जैसे साधन तथा उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। 31.06.2011 तक 2733 निःशक्तजन पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जो 31.03.2013 को बढ़कर 3045 हो गए, जो कि रु. 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

भूमि का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन (धारा 43) :

- चंडीगढ़ प्रशासन ने एसटीडी बूथ, जूस बार आदि स्थापित करने के लिए रियायती दर पर निःशक्तजनों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि के आवंटन की एक योजना अधिसूचित की है। ''निःशक्तजनों के लिए खाली बूथ, स्थान/बूथ बनाने की लाइसेंस, योजना–2009'' के नाम से अधिसूचित करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अधिसूचना सं. 3370–यूटीएफआई (3)–2009/166, दिनांक 2.3.2009 द्वारा जारी की है।

4.6.7 परिवहन में विभेद का न किया जाना (धारा–44) :

- चंडीगढ़ परिवहन, उपक्रम ने पैडी की ऊँचाई को कम करके बसों को संशोधित किया है, ताकि बस से चढ़ना उतरना आसान हो सके। सी.टी.यू. में निःशक्तजनों को निःशुल्क यात्री रियायत दी गई है।

4.6.8 सड़क तथा सार्वजनिक भवनों में बाधायुक्त वातावरण (धारा 45–46) :

- नए सार्वजनिक भवन डिजाइन किए जा रहे हैं तथा उनमें रैम्प तथा लिफ्टों के प्रावधान किए गए है, ताकि सभी स्तरों/तलों पर पहुँच सुगम हो सके तथा प्रथम तल स्तर पर विकलांगजनों के लिए शौचालय का प्रावधान अनिवार्य किया जा रहा है।
- निजी सार्वजनिक भवनों की भवन योजना स्वीकृत करते समय यह अनिवार्य किया जाए कि उसमें निःशक्तजनों की पहुँचना आसान है, रैम्प लगे हों और व्हीलचेयर प्रयोक्ताओं को लिए

प्रथम तल पर मानको के अनुसार शौचालय की व्यवस्था हो।

4.6.9 सरकारी रोजगार में विभेद का किया जाना (धारा–47) :

- कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को अधिनियम की धारा 47 के कार्यान्वयन के अनुदेश दिए गए हैं।

4.6.10 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55) :

- निदेशक–समाज कल्याण को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 9 संस्थानों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए जा चुके हैं।

4.6.11 गम्भीर निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थानों की स्थापना (धारा–56) :

- चंडीगढ़ प्रशासन ने 19 आवासियों (निःशक्त व्यक्तियों) के लिए म.न. 341, सैक्टर–21ए, चंडीगढ़ में चैशायर होम स्थापित किया है।

4.6.12 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त की नियुक्ति (धारा 60–62) :

- आयुक्त निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार के साथ नियुक्त किया है।

4.6.13 सामाजिक सुरक्षा (धारा 66–68) :

- राज्य संसाधन केन्द्र तथा जिला पुनर्वास केंद्र, सरकारी मेडिकल कालिज तथा अस्पताल, सैक्टर–32, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। इस केन्द्र के दूसरे समन्वयक अभिकरण है : विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र, सैक्टर–38 चंडीगढ़ (प्रयास), नेत्रहीन देखभाल संस्थान, सरकारी मानसिक मन्दता बाल संस्थान, सैक्टर–32, चंडीगढ़।

4.6.14 विविध

- चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी अधिसूचना सं. एसडब्ल्यू–2/पी.डब्ल्यू.डी. डीडीआई रूल्स/2001/2418, दिनांक 11.9.2002 द्वारा "चंडीगढ़ निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2002" अधिसूचित की है।

4.7 छत्तीसगढ़

4.7.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा–13–18) :

- राज्य समन्वय समिति गठित हो चुकी है और कार्यरत है।

4.7.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19.21) :

- राज्य कार्यपालक समिति गठित हो चुकी है और कार्यरत है।

4.7.3 रोकथाम तथा सर्वेक्षण (धारा 25) :

- राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय निःशक्तता पुनर्विकास योजना (डी.डी.आर.एस.) के अन्तर्गत 22.7.2011 को सर्वेक्षण संचालित किया गया तथा 01.02.2004 की तिथि के आधार पर निःशक्तजनों की पहचान की गई, जिन्हें पंजीकरण प्रमाण–पत्र, पहचान तथा पासबुकें दी जा रही है।

- निःशक्तता की रोकथाम के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है।
- स्वास्थ्य, डब्ल्यू सीडी तथा पीएचई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- निःशक्तता की शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों पर स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आरसीआई ने प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया तथा 234 चिकित्सक प्रशिक्षित किए गए।
- महिला या बाल विकास विभाग माता तथा बच्चे की पूर्व प्रसव और पश्च–प्रसव देखभाल के लिए कार्य कर रहा है।

4.7.4 शिक्षा (धारा 26.31) :

- निःशक्त बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध है। 6–14 वर्ष के बीच के बच्चों को पाठ्य–पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध है।
- राज्य के 11 जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 04 विशेष स्कूल स्थापित किए गए। 18 जिलों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए नार्मल स्कूल सभी सुविधाओं से सज्जित है। 04 विशेष/नार्मल स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है।
- यहाँ 19 सरकारी तथा 33 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में 1186 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- नार्मल स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्तत्व बच्चों की संख्या :

श्रेणी	नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधिता	अन्य
संख्या	9921	18461	8010	11459	2431

- मेडिकल तथा डेन्टल कालिजों सहित सभी विश्वविद्यालयों में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।
- नेत्रहीन बच्चों को लिखने के लिए माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की परीक्षाओं में डेढ़ घंटा तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में डेढ़ घंटा अतिरिक्त समय दिया जाता है। नेत्रहीन तथा कम दृष्टि छात्रों परीक्षा के दौरान लेखक उपलब्ध कराया जाता है।
- कुशा भाउ ठाकरे पत्रकारिता तथा जनसंचार कालिज, रायपुर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देश के अनुसार परीक्षा में लिखने में असमर्थ छात्रों को कम्प्यूटर प्रदान किया जा रहा है। पं. रविशंकर कालिज ने भी यू.जी.सी. के दिशा–निर्देशों को स्वीकार किया है।
- सबके लिए शिक्षा के अन्तर्गत एक समावेशी शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को कृत्रिम तथा अन्य अतिरिक्त उपकरण दिए जा रहे हैं। निःशक्त छात्र उचित ढंग से परीक्षित किए जा रहे हैं।
- रु. 50/– से रु. 240/– की राशि निःशक्त छात्रों को दी जा रही है। नेत्रहीन छात्रों को रु. 50/– से रु. 100/– तक दिए जा रहे हैं, तथा 1746 छात्रों की ब्रेल पुस्तके भी दी गई। कुल 13,099 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- छत्तीसगढ़ मिडियम माडल स्कूल ने छात्रों को गणित की बजाय संगीत विषय चुनने की अनुमति दी है। पाठ्यक्रम निःशक्त बच्चों के अनुकूल पुनर्गठित किया गया है। पाठ्यक्रम में श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प लागू है। नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों के लिए लिपिक/लेखक को अनुमति है।

- 36,750 स्कूल निःशक्त बच्चों की सुगम पहुँच के लिए बाधा मुक्त है।
- सेवानिकेतन तथा एन.ए.वी. प्रेरणा, टांढ़ी, रायपुर निःशक्त छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी प्रकार स्वैच्छिक संगठन नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड हिसापुर की रायपुर शाखा भी दुकान चलाने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं। सेवा निकेतन चेरा खेड़ी, रामपुर भी बैल्डिंग, कुर्सी बुनाई, टेलरिंग, टाइपिंग तथ कम्प्यूटर जाब का प्रशिक्षण दे रही है।
- राज्य संगठन निःशक्तजन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निःशक्तजनों के कल्याण के लिए आवासीय संगठन चल रहा है, जो निःशुल्क छात्रावास सेवाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खाद्य तथा वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। ये संगठन आपातकालीन सेवाओं के लिए टेलीफोन तथा कम्प्यूटर प्रदान करते हैं।

4.7.5 रोजगार (धारा 32–41)

- समूह–II, III तथा IV पदों के लिए निःशक्तजनों की 6 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों की संख्या नीचे दी गई है–

समूह/श्रेणी	ओएच	वीएच	एचएच	कुल
समूह 'क'	–	–	–	–
समूह 'ख'	17	06	07	30
समूह 'ग'	46	19	32	97
समूह 'ग' (अध्यापक)	1351	837	746	2934
समूह 'घ'	15	14	12	41
कुल	**1429**	**876**	**797**	**3102**

- आदेश/योजनाएँ, निःशक्तजनों के प्रशिक्षण तथा कल्याण तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय एवं कार्यस्थल पर बाधायुक्त वातावरण का सृजन हेतु चल रहे हैं।
- शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
- एस जे जीएसवाई (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना), अटल तथा वाल्मीकि अम्बडेकर आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना तथा इंदिरा आवास योजना में निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना निःशक्तजनो को 5 प्रतिशत आरक्षण है।

योजना का नाम	लाभान्वित निःशक्तजनों की सं.
एसजेजीएसवाई	135
अटल तथा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना	28
मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना	06
इंदिरा आवास योजना	324

- राज्य प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है।
- उन शिक्षित व्यक्तियों को रु. 500/– प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है।
- राज्य सारणीबद्ध अभिकरण ने 130 निःशक्तजनों को रु. 287.58 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।

4.7.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंज केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना, निःशक्त उद्यमियों के लिए फैक्टरियों की स्थापना के

लिए रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि के आवंटन की योजना है। राज्य अटल आवास योजना, तथा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों को आवास उपलब्ध करा रहा है। राज्य रियायती घर पर भूमि प्रदान करता है।

- राज्य निःशक्तजनों की राज्य तथा केन्द्र सरकार कार्यक्रमों के अन्तर्गत केलिपर्स, ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, क्लेचेज आदि प्रदान कर रहा है।
- वर्ष के दौरान रु. 2.61 करोड़ के बजट आवंटन सहित 2,202 निःशक्तजनों की कृत्रिम अंग प्रदान किए गए।
- भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपनी ओर से जनवरी, 2013 में एक शिविर लगाया और 273 निःशक्तजनों को साधन तथा उपकरण वितरित किए।

4.7.7 विभेद न किया जाना (धारा 44–47) :

- राज्य ने सभी विभागों को अपने भवनों में रैम्प लगाने के निदेश दिए। स्कूल तथा कालिजों में भी यह प्रदान किए गए। राज्य में 85 प्रतिशत भवनों में रैम्प लगे हुए हैं।
- कुछ सरकारी विभाग पूर्णतया सुगमनीय बनाए गए हैं।
- वर्ष के दौरान 71 भवनों/सार्वजनिक स्थानों में पहुँच की जांच की गई।

4.7.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55) :

- संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, महानदी खंड, डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़), टेलीफोन : 0771–2236197, 4257816, ई–मेल; dpsw.cg@nic.in को निःशक्तजनों के कल्याण संगठनों के पंजीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।
- मानसिक मंदताग्रस्त बालिका छात्रों के लिए विशेष स्कूल सरगुजा जिले में तथा श्रवणबाधित बालिका छात्रों के लिए धमतरी जिले में स्थापित किया गया है।

4.7.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65) :

- आयुक्त, निःशक्तजन स्वतंत्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।
- वर्ष के दौरान 7 संगठन मानीटर किए गए। निःशक्तजनों के लिए कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को रु. 155–48 लाख वितरित किए।
- निःशक्तजन अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत हाथ में लिए गए मामले निम्नलिखित है :–

कुल दर्ज मामले	:	84
निपटाए गए मामले	:	78
लम्बित मामले	:	06

4.7.10 सामाजिक सुरक्षा (धारा 66–68) :

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

विविध :

- राज्य सरकार कर्मचारियों को 5 प्रतिशत की दर से वाहन भत्ता दिया जा रहा है, जो कम से कम रु. 300/– और अधिक रु. 500/– है।
- राज्य नगर निगम जल प्रयोग प्रभारों में निःशक्तजनों को 50 प्रतिशत रियायत प्रदान कर रहा है।

▼ तालिका 4.13

क्र. सं.	योजनाएं	निधि आवंटित (रु. लाख में)	लाभार्थियों की रु.
1	छात्रवृत्ति : प्राथमिक : रु. 50/– प्रतिमाह मिडिल रु. 60/– प्रतिमाह उच्चतर माध्यमिक रु. 70/– प्रतिमाह स्नातक : रु. 125/– प्रतिमाह उच्च स्नातक : रु. 170/– प्रतिमाह	88.00	13099
2	सहायता : शैक्षणिक सहायता सामग्री दृष्टिबाधित छात्रों के लिए संकेत भत्ता रु. 50/– से रु. 100/–	–	–
3	आर्थिक पुनर्वास	–	–
4	वैवाहिक प्रोत्साहन	11.46	502 जोड़े
5	निःशक्तता पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन रु. 200/– प्रतिमाह की दर से दी गई।	718.81	35608
6	बेरोजगारी भत्ता शिक्षित व्यक्तियों के लिए रु. 500/– प्रतिमाह	–	81
7	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8	सहायता उपकरण	–	4088
9	स्वैच्छिक संगठन के सहायता अनुदान निःशक्त के क्षेत्र के कार्यकार रहे गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया गया	155.48	1186
10	छत्तीसगढ़ द्वारा निःशक्तों के लिए ऋण योजना	रु. 287.58 करोड़	130
11	स्वरोजगार	260.68	142

4.8 दादर तथा नगर हवेली

रिपोर्ट नहीं मिली

4.9 दमन तथा द्वीप

4.9.1 राज्य सम्न्वय समिति का गठन (धारा 13–18) :

- निःशक्तजन अधिनियम की धारा 13 (3) के अन्तर्गत संघ क्षेत्रों के लिए समन्वय समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

4.9.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21) :

- राज्य कार्यपालक समिति गठित नहीं की गई है।

4.9.3 रोकथाम तथा सर्वेक्षण (धारा 25) :

- पीएचसी/एसएचसी/जिला अस्पताल में नियमित स्क्रीनिंग की जाती है।
- जोखिम मामलों के लिए सभी बच्चों की पहचान की जा रही है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जागरूकता सृजित की जाती है।

4.9.4 शिक्षा (धारा 26–21) :

- दो जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- संघ क्षेत्र में सभी स्कूल निःशक्तजनों की सुगम पहुंच के लिए बाधा मुक्त है।

4.9.5 रोजगार (धारा 32–41) :

- भारत सरकार के अनुसार पदों की सूची चिन्हित की गई है।

4.9.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- साधन/उपकरणों की खरीद तथा फिटिंग के लिए निःशक्तजनों की सहायता की योजना के अन्तर्गत सात लाभार्थियों को साधन तथा उपकरण प्रदान किए गए।

4.9.7 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65) :

- अतिरिक्त प्रकार सहित आयुक्त नियुक्त किया गया है।

4.9.8 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68) :

निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.14** में दिया गया है।

▼ तालिका 4.14

क्र. सं.	योजनाएं	प्रति लाभार्थी प्रतिमाह राशि	आवंटित निधि (रु.)	लाभार्थियों की सं.
1	निःशक्तता पेंशन	रु. 1000/–	60,84,000	493
2	साधन तथा उपकरण	–	60,000	07

4.10 दिल्ली

4.10.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18) :

- राज्य समन्वय समिति 19.01.2012 को पुनर्गठित की गई है। पिछली बैठक 07.02.2013 को हुई।

4.10.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21) :

- राज्य कार्यपालक समिति 19.01.2012 को पुनर्गठित की गई है। पिछली बैठक 07.02.2013 को हुई।

4.10.3 रोकथाम तथा सर्वेक्षण (धारा 25) :

- महिला तथा बाल विकास विभाग ने आईसीडीएस योजनाओं के बीच निःशक्त की शीघ्र पहचान के लिए कदम उठाए हैं।
- कुछ अस्पताल निम्नलिखित उपायों द्वारा जागरूकता, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता प्रचार कर रहा है :

1. बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) तथा अन्य उपायों से साधारण जनता में परामर्श तथा जागरूकता सृजन।
2. जब और जैसे ही स्कूल प्राधिकारी निःशक्तता संबंधित किसी समस्या के लिए बच्चों को भेजते हैं, उन स्कूल बच्चों को परिचर्या देना और उन्हें रोकथाम पुनर्वास उपायों के बारे में शिक्षित करना।
3. कुछ अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से साधारण जनता के लिए रोकथाम उपायों पर सेमिनार तथा वार्ता संचालित करते हैं।

- उचित सलाह के लिए अस्पतालों में प्रसवपूर्वी क्लीनिक चल रहे हैं। अस्थिबाधित निःशक्तताओं की पहचान तथा उपचार आस्थिबाधित विभाग द्वारा किया जाता हैं। मोतियाबिंद की जांच नेत्र ओपीडी में की जाती है, तथा परीक्षण ईएनटी ओपीडी में किया जाता है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम स्वास्थ तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को विटामिन ए अनुपूरक दिया जा रहा है तथा निःशक्तता की रोकथाम के लिए सभी बच्चों को दिया जाता है तथा निःशक्तता की रोकथाम के लिए सभी बच्चों को टीबी, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, हैपेटाइटिस आदि के टीके लगाए जा रहे हैं।
- रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए आकस्मिक दिक्कतों तथा रोकथाम उपायों के कारणों का पता लगने के के बारे में छात्र नर्सो की प्रशिक्षण का एक तन्त्र है। समय समय पर अन्योन्य क्रिया संबंधी सत्रों द्वारा चिकित्सको, नर्सो, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा साधारण जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है।
- पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा पश्च प्रसव देखभाल के लिए सरकारी अस्पतालों के माध्यम से गर्भवती महिला तथा बच्चों हेतु टीकाकरण कार्यक्रम है। शुरू की अवस्था में श्रवण कमी की पहचान के लिए, नवजात बच्चों के श्रवण की नियमित जांच की जाती है। आकस्मिक दिक्कतों की पहचान तथा रोकथाम के लिए जन्मपूर्व अल्ट्रासाउंड तथा कलर डापलर परीक्षण किए जाते है।

4.10.4 शिक्षा (धारा 26–31) :

- राज्य में निःशक्ता बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के आवश्यक अनुदेश जारी किए गए है।
- 5 जिलों में 08 सरकारी तथा 13 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- 3,684 स्कूलों में निःशक्त अनिःशक्त दोनों बच्चे पढ़ रहे है।
- यहाँ विशेष स्कूलों में 2210 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं और 15,307 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्कूलों में कथा IX से XII तक की कक्षाओं में पढ़ रहे 7,290 निःशक्त बच्चे रु. 600/– प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटी, दिल्ली के अन्तर्गत सभी सरकारी स्कूलों, ने अपने भवन निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय बनाए हैं।
- निःशक्तजनों को पुस्तकों, सीखने की सामग्री, वर्दी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- पाठ्यक्रम को निःशक्तजनों के लिए लचीला बनाने का दायित्व एससीईआरटी को सौंपा गया है। नेत्रहीन छात्रों को लिपि/लेखक उपलब्ध कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों में निःशक्तजनों को तीन घंटे के लिए प्रति घंटा अतिरिक्त समय लिखित परीक्षा में दिया जाता है।
- निःशक्तजनों के लिए निःशक्त निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।
- 18 वर्ष तक की आयु के कुल 17,517 निःशक्त बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

स्कूल का प्रकार	नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधित	अन्य निःशक्तताएँ
नियमित स्कूल	551	5302	682	1535	7237
विशेष स्कूल	140	–	1102	968	–

- 2323 स्कूल वास्तुविद् की दृष्टि से बाधामुक्त है। 1868 स्कूल तथा कालिज रैम्प सहित सुगमनीय शौचालयों से सज्जित हैं।
- निःशक्त छात्रों को आवश्यकता आधारित सहायता/उपकरण तथा पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है–

सुविधाएँ	निःशक्तजनों की सं.
पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दी	7097
सहायता उपकरण	3033
ब्रेल पुस्तकें	1088

- 3 दिल्ली नगर निगमों में पढ़ रहे सभी छात्रों को, आयोजित विशेष शिविरों द्वारा एसएसए के अन्तर्गत उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सामग्री प्रदान की जा रही है।
- सीबीएसई द्वारा नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के हित के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है।
- निःशक्तजनों के लिए पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है।

- निःशक्तजनों के लिए पाठ्यक्रम को लचीली बनाने का दायित्व एससीईआरटी को सौंपा गया है। एससीईआरटी ऐलीमेंटरी प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती है, जिसमें समावेशित शिक्षा की धारणा को प्रतिबद्ध किया गया है, ताकि सामान्य अध्यापक निःशक्त बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को समझने तथा प्रेरित करने में समक्ष हो सके। पाठ्यक्रम का उद्देश्य परिवार, समाज तथा पड़ौस को शामिल करके निःशक्त बाल समाज के दृष्टिकोण की सकारात्मक बनाना है।
- सेवा में प्रशिक्षण एससीईआरटी दिल्ली ने दृष्टिबाधिता, श्रवण तथा वाक् बाधिता, मानसिक मंदता, सीखने की अक्षमताएँ, आटिज्म स्पैक्ट्रिम, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षण सेरिब्रल पाल्सी तथा अस्थिबाधित विकलांगता पर फोकस रखते हुए विविध श्रेणी निःशक्तता पर 3 जनवरी से 16 जनवरी, 2012 तक संसाधन/विशेष शिक्षा अध्यापक के लिए सेवा में प्रशिक्षण आयोजित किया है। कार्यक्रम में 242 विशेष शिक्षा अध्यापक उपस्थित हुए। एससीईआरटी दिल्ली ने प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसमें 1498 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। एससीईआरटी के सेवा में प्रशिक्षण में समावेशित शिक्षा पर पूरे दिन का सत्र चलाया गया।
- श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प है।
- नेत्रहीन/कमदृष्टि निःशक्त बच्चों को लेखक की सेवा प्रदान करने के अनुदेश दिए गए हैं।
- स्कूलों में निःशक्तजनों को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
- आईईडीएसएस के अन्तर्गत स्कूलों में निःशक्त बच्चों की सं. 13,204 (शिक्षा निदेशालय) है।
- गणितीय प्रश्नों को हटाकर समुचित दिशा–निर्देश पहले ही सभी स्कूल प्रमुखों परिचालित किए जा चुके हैं। लचीला पाठ्यक्रम बनाने का दायित्व एससीईआरटी को सौंपा गया है। कक्षा VIII तक के श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा में छूट का विकल्प लागू है।
- स्कूलों में निःशक्त बच्चों के लिए लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।

4.10.5 रोजगार (धारा 32–41) :

- निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित की जा रही हैं।
- शैक्षिक संस्थाओं में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जा रहे हैं।
- संघ क्षेत्र होने के कारण दिल्ली भारत सरकार के अनुदेशों द्वारा मार्गदर्शित है। इस कारण भारत के गजट में प्रकाशित निःशक्तजनों के लिए चिन्हित नौकरियाँ दिल्ली के संबंध में भी लागू है।
- भारत सरकार द्वारा निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के संबंध में नियम के अनुसार 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न विभागों में कार्यरत निःशक्त कर्मचारियों का विवरण नियमानुसार है–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	(31–03–2011 की तिथि को)	612
दिल्ली परिवहन निगम	(31–03–2011 की तिथि को)	94
3 दिल्ली नगर निगम	(31–03–2012 की तिथि को)	344
नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉसिल	(31–03–2012 की तिथि को)	75
दिल्ली पुलिस	(31–03–2012 की तिथि को)	21
अन्य	(31–03–2012 की तिथि को)	161
कुल	–	1307

- निःशक्तजनों के लिए 37 पद वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विभागों/स्वायत्तशाही निकायों द्वारा विशेष रोजगार केन्द्रों को अधिसूचित किए गए।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रोजगार निदेशालय ने वर्ष, 2012 में 5 निःशक्तजनों को और वर्ष, 2013 में एक निःशक्तजन को कैम्पस प्लेसमेंट दिया।
- दिल्ली सरकार में कोई केन्द्रीय कृत डाटा नहीं रखा गया है।

धारा 38 के अन्तर्गत निम्न की व्यवस्था के लिए आदेश जारी किए गए :

(क) निःशक्तजनों का प्रशिक्षण तथा कल्याण

(ख) उच्चतर आयु सीमा में छूट

(ग) कार्यस्थल पर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपाय तथा बाधा मुक्त वातावरण का सृजन।

- दिल्ली में 02 विशेष रोजगार केन्द्र हैं–(1) रोजगार केन्द्र भवन, विश्वासनगर, शाहदरा, दिल्ली–32, यह यमुनापार क्षेत्र, जैसे पूर्वी दिल्ली तथा उत्तर–पूर्व दिल्ली के उम्मीदवारों को सेवा प्रदान करता है। (2) विशेष रोजगार केन्द्र, 1 केनिंग लेन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली, यह शेष दिल्ली के निवासियों को सेवा प्रदान करता है। यहाँ प्रत्येक जिला रोजगार केन्द्रों में निःशक्तजनों के लिए पंजीकरण की सुविधा है।
- दिल्ली परिवहन निगम निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय निम्नतल सीएनजी बसें प्रदान कर रहा है।

4.10.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- समय समय पर शिविर लगाकर निःशक्तजनों को साधन तथा उपकरण निःशुल्क/रियायती दर पर प्रदान करने की योजनाएं हैं।
- वर्ष, 2012–13 के दौरान 3284 निःशक्तजनों को साधन तथा उपकरण निःशुल्क प्रदान किए गए।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 273 निःशक्तजनों को रियायती पर मकान प्रदान किए। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए निःशक्तजनों को दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नया आईएनए मार्केट, नई दिल्ली से संपर्क करना चाहिए।

4.10.7 विभेद का न किय जाना (धारा 44–47) :

- दिल्ली परिवहन निगम के पास 3,781 निम्नतल बसे उपलब्ध है, जो निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं तथा अन्य 625 निम्नतल सीएनजी बसें अगले छः महीनों के अन्दर खरीदने की संभावना है। 412 कलास्टर बसें भी निःशक्तजनों के अनुकूल है।
- निःशक्तजनों की पहुँच की दृष्टि से 8 भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई।
- आयुक्त–निःशक्तजन, दिल्ली सरकार के कार्यालय की वेबसाइट निःशक्तजनों के लिए पहुँचनीय है।

4.10.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55) :

- समक्ष प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
- अभी तक 68 संस्थानों को पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

4.10.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65) :

- आयुक्त, अतिरिक्त प्रभार सहित, नियुक्त किया गया है।
- 14 अनुमोदित पदों के समक्ष 13 पद भर लिए गए हैं।

- पिछले साल हाथ में लिए मामलों का विवरण :
  कुल मामले : 140
  निपटाए गए मामले : 72
  लम्बित मामले : 68
- आयुक्त, निःशक्तजन की पहल पर दिल्ली परिवहन निगम ने, डीटीसी में कन्डक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए चयन के संबंध में निःशक्तजनों के लिए चिकित्सीय मानक अपनाए हैं, जिसमें ओए या ओ एल या बीएलए या एचएच से युक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अनुमति दी गई है। उन्हें प्रयोग के लिए अनुकूल साधन तथा उपकरण देने की अनुमति है। इसलिए यह परिवहन विभाग के लिए अब आवश्यक है कि इस प्रकार नियमों में संशोधन किया जाए कि डीटीसी द्वारा निःशक्तजनों को उपलब्ध कराए गए अवसर कायम रह सके।
- आयुक्त, निःशक्तजन का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय, श्री सुरेन्द्र कुमार राय, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, जो चुनाव संचालन के लिए नोडल अधिकारी थे, उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया था, उन्हें मानदेय का भुगतान उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की विशेष अनुमति से कराना।
- वर्ष, 2009–10, 2010–11, 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई और राज्य विधानसभा के पटल पर रखने के लिए समाज कल्याण विभाग, जीएनसीटीडी, दिल्ली सरकार को पहले ही भेज दी गई।

4.10.10 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68) :

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.15** में दिया गया है।

▼ तालिका 4.15

क्र. सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु.)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक (टॉप–अप) छात्रवृत्ति रु. 600/– प्रतिवर्ष प्रति निःशक्त छात्र की दर से : शिक्षा निदेशालय	43,74,000/–	7290
2.	सहायता : शैक्षणिक सहायता सामग्री	–	–
3	आर्थिक पुनर्वास : स्वरोजगार (ऋण, अनुदान आदि) व्यवसाय स्थापित करने के लिए रु. 1,00,000/– आवधिक ऋण, प्रति लाभार्थी	60,00,000/–	04
4	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5 एवं 6	निःशक्तता पेंशन एवं बेरोजगार भत्ता यहाँ केवल "विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता'' नामक एक योजना, जिसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग आयु वर्ग 0–59 के लिए रु. 1500/– प्रतिमास दिए जाते हैं।	रु. 58,00,00,000/–	36809
7	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8	साधन तथा उपकरण : शिक्षा निदेशालय निःशक्तता शिविर (वर्ष 2012–13 के दौरान) समाज कल्याण विभाग द्वारा	रु. 15,78,892/– रु. 35,00,000/–	3033 3284
9	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान निःशक्तता क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान वितरित	रु. 65,13,259/–	07 (एनजीओ)

4.10.11 विविध

- 78.752 निःशक्तजनों को निःशुल्क/रियायती टीटीसी बस पास दिए गए।

4.10.12 निःशक्तजन अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए की गई पहलों तथा मुख्य उपलब्धियों का सारांश :

- आयुक्त, निःशक्तजन कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में एमसीडी तथा एनडीएमसी सहित विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में 3 प्रतिशत आरक्षण की मानीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया गया है।
- डीएसआईआई डीसी द्वारा निर्मित 8 भवनों की पहुँच की जांच की गई।
- आयुक्त (उत्पाद शुल्क तथा मनोरंजन, जीएनसीटीडी से सभी सिनेमाघरो, डीटी सिनेमा, पीवीआर आदि को निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय बनाने हेतु एक नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया है।
- सभी विकास/स्वायत्तशासी निकाय, जो सड़क, भवन, माल आदि बनाते हैं, उनसे बाधामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
- ऐसे मामले में, जब एक व्हील चेयर वाला व्यक्ति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे पर नहीं जा सकता, इसी प्रकार हवाई अड्डे पर कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अध्यक्ष–भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण तथा आयुक्त (परिवहन), मुख्य अभियंता, उत्तरी रेलवे को अपने आधिकार क्षेत्र में बाधायुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
- आयुक्त निःशक्तजन, जीएनसीटीडी के कार्यालय ने निःशक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 7 एनजीओ/संस्थाओं तथा 5 स्कूलों/संस्थानों का यह देखने के लिए निरीक्षण किया कि जो निधि उन्हें स्वीकृत हुई है, उसका उन्होंने समुचित प्रयोग किया या नहीं।
- आयुक्त–निःशक्त, जीएनसीटीडी ने निःशक्तजनों के लिए दिल्ली अनु. जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक तथा विविध रूप से सक्षम वित्तीय निगम (डीएसएफडीसी) द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की। डीएस एफडीसी को उद्योग स्थापित करने के लिए निःशक्तजनों की आर्थिक अधिकारिता बढ़ाने के निदेश दिए। डीएसएफ डीसी द्वारा किए गए कार्य की प्रगति की पुनरीक्षा एनएचएफडीसी के साथ आर्थिक पुनरीक्षण बैठक में की गई। रोजगार हेतु निःशक्तजनों के लिए एक कौशल प्रोन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्हें वेतन तथा स्व. रोजगार में दोनों में रोजगार युक्त कौशल उपलब्ध कराते हुए उत्पादक बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया।
- नेत्रहीन व्यक्ति दिल्ली के बीपीएल राशन कार्ड नही रखते हैं। आयुक्त निःशक्तता, जीएनसीटीडी, दिल्ली ने आयुक्त (खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले) को सुझाव दिया कि उनसे इस आशय का एक शपथ पत्र कि उनके तथा उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम देश में कही भी राशन कार्ड नहीं हैं, ले लिया जाए। डिप्टी कलैक्टर/डिप्टी कमीशनर/संबंधित जिलों के मजिस्ट्रेटों से इस आशय की रिपोर्ट की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाए।
- दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश का पता लगाने के लिए, समाज कल्याण विभाग, जीएनसीटीडी

द्वारा निःशक्त छात्रों के लिए एक विशेष निःशक्तता शिविर हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली में आयोजित किया गया जहाँ, दो दिनों में छात्रों को 106 निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

- आयुक्त निःशक्तजन, जीएनसीटीडी के कार्यालय के हस्तक्षेप से दिल्ली पारिवहन निगम ने डीटीसी बस का लाभ मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों तक भी बढ़ाया है।
- आयुक्त निःशक्तजन, जीएनसीटीडी के निदेश पर डीटीसी ने बस कन्डक्टर की भर्ती में निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए अपेक्षित चिकित्सा मानको में छूट प्रदान की है।
- आयुक्त निःशक्जन, जीएनसीटीडी के कार्यालय के अनुरोध पर डीटीसी को 5 प्रतिशत कर्मचारी उपलब्ध कराने वाले नियोक्ताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी बढ़ाया है।
- आयुक्त निःशक्तजन, जीएनसीटीडी के कार्यालय के निदेश पर निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने में आने वाले कठिनाइयों के आधार पर, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए एक असाधारण बोर्ड गठित करने के संबंध में इहबास ने एक संशोधित परिपत्र जारी किया है। यह बोर्ड निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रतिदिन 15 व्यक्तियों का मूल्यांकन करेगा।
- आयुक्त निःशक्तजन जीएनसीटीसी के कार्यालय के हस्तक्षेप पर दिल्ली सरकार के अधिसूचित अस्पतालों द्वारा निःशक्तता प्रमाण–पत्र सुगम रूप में जारी करने के लिए नियमों में संशोधन किया है।
- आयुक्त निःशक्तजन, जीएनसीटीडी के कार्यालय के हस्तक्षेप पर परिवहन विभाग द्वारा निःशक्तजनों के बस कंडक्टर लाइसेंस तथा ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने के मानकों में छूट दी गई है।

4.11 गोवा

4.11.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18) :

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।
- पिछली वित्तीय वर्ष इसकी एक बैठक आयोजित की गई।

4.11.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21) :

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।
- पिछली वित्तीय वर्ष में इसकी एक बैठक आयोजित की गई।

4.11.3 शिक्षा (धारा 26–31) :

- राज्य में निःशक्त बच्चें के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- राज्य के तीन जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में 2310 निःशक्त बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है।
- नियमित स्कूलों में 1696 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।

- निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए जरूरी विशेष पुस्तकें तथा उपकरण निःशुल्क दिए जा रहे हैं। निःशक्त बच्चों को निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।
- निःशक्त बच्चों की रु. 3300/– से रु. 9900/– प्रतिवर्ष की रेंज में छात्रवृत्ति उपलब्ध है। निःशक्त बच्चों को निम्नलिखित भत्ते भी उपलब्ध है :

शीर्ष	राशि
पुस्तकों	रु 500/– प्रतिवर्ष
वर्दी	रु. 800/–
वाहन भत्ता	रु. 200/– प्रतिमाह
अनुरक्षक	रु. 200/– प्रतिमाह
उपकरणों की खरीद	रु. 5000/– (तीन वर्ष में एक बार)

- निःशक्त बच्चों की आवश्यकता के अनुसार परीक्षा पद्धति तथा पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। लिपिक/अतिरिक्त समय की सुविधा उपलब्ध है।
- राज्य में सभी प्राथमिक स्कूलों में बाधा मुक्त पहुँच उपलब्ध है।

4.11.4 रोजगार (धारा 32–41) :

- भारत सरकार के अनुसार पदों की सूची चिन्हित की गई है।
- निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित है।
- शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
- निजी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की योजना के अन्तर्गत 15 निःशक्तजन नियोजित है।

4.11.5 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43) :

- जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र की योजना के अन्तर्गत 72 निःशक्तजनों को सहायता तथा उपकरण प्रदान किए गए।
- प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना केवल घर बनाने के लिए उपलब्ध है। 21 लाभान्वितों ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया।

4.11.6 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60):

- राज्य आयुक्त निःशक्तजन, अतिरिक्त प्रभार के साथ नियुक्त किया गया है।
- निधियों की मानीटरिंग के उद्देश्य से 5 संगठनों का निरीक्षण किया गया।

4.11.7 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68) :

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.16** में दिया गया है।

4.11.8 विविध

- निःशक्तजन नियमावली, अधिसूचित की गई है।

4.12 गुजरात

रिपोर्ट नहीं मिली

▼ तालिका 4.16

क्र. सं.	योजना	आवंटित निधि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	रु. 15.21 लाख	693
2	सहायता : शैक्षणिक सहायता सामग्री	रु. 1.50 करोड़	2310
3	आर्थिक पुनर्वास	रु. 0.70 लाख	05
4	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5	निःशक्तता पेंशन	रु. 23.84 करोड़	8532
6	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7	निःशक्त कर्मचारियों की बीमा योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है		
8	सहायता तथा उपकरण	रु. 10.00 लाख	72
9	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	रु. 20.00 लाख	1
10	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	रु. 129.45	109
11	वाहन अनुपूर्तियाँ	रु. 1.50 करोड़	11811
12	कोई अन्य योजना	रु. 1.51 करोड़	200

4.13 हरियाणा

4.13.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18) :

- ❒ राज्य समन्वय समिति गठित की गई है और कार्यरत है।

4.13.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21) :

- ❒ राज्य कार्यपालक समिति गठित है और कार्यरत है।

4.13.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25) :

- ❒ स्वास्थ्य विभाग निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए 2 जिलों में सर्वेक्षण/पहचान शिविर आयोजित कर रहा है।
- ❒ निःशक्तता की रोकथाम के लिए पल्स पोलिया अभियान चलाया गया।
- ❒ निःशक्तताओं की रोक थाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया गया है।

4.13.4 शिक्षा (धारा 26–31) :

- ❒ स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक के 45,744 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।

अन्य निःशक्तताएँ	नेत्रहीन/ निम्न दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण वाधिता
5158	10,737	13737	8460	7652

- ❒ राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। मुख्य धारा के स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- ❒ सभी 21 जिलों में नार्मल स्कूल निःशक्त बच्चों की निर्विध्न शिक्षा के लिए सभी सुविधाओं से पूर्ण है।
- ❒ 7950 स्कूल/कालेज/संस्थान रैम्प, शौचालय आदि सहित सुगमनीय हैं।
- ❒ वास्तुविद संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य में निःशक्तों के अनुकूल संरचना विकसित की गई है।
- ❒ निःशक्तों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 4300 छात्र लाभान्वित हुए हैं। उक्त योजना के लिए आवंटित राशि रु. 129.60 लाख है।
- ❒ राज्य में छात्रवृत्ति की सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की योजना विद्यमान है।
- ❒ निःशक्त बालिका छात्रों की माध्यमिक स्तर पर रु. 200/– प्रतिमाह की दर से वृत्तिका दी गई है।
- ❒ राज्य में 28 विशेष स्कूल चल रहे हैं।
  (क) सरकारी–2,
  (ख) सरकारी सहायता प्राप्त–6
  (ग) निजी–20
- ❒ सामान्य अध्यापक के लिए विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण हेतु आर.सी.आई. के माध्यम 4 बी.आर.सी. प्रत्येक डिवीजन में एक विकसित किए जा रहे हैं।
- ❒ छात्रवृत्ति की दरें का विवरण निम्नलिखित है–

कक्षा	दर रु.	छात्रावासी दर रु.	पाठक भत्ता
कक्षा I से IV	रु. 400/–	–	–
कक्षा V से VII	रु. 500/–	–	–
कक्षा IX से XII	रु. 600/–	रु. 600/–	रु. 300/–
बी.ए., बीएस.सी. बी.कॉम	रु. 600/–	रु. 800/–	रु. 400/–
बी.ई./बी.टेक/ एम बीबीएस/ एलएल बी/बी.एड.	रु. 800/–	रु. 1000/–	रु. 500/–
एमए., एमएससी, एमकाम/एलएलएम एम.एड, एम.टैक	रु. 1000/–	रु. 1000/–	रु. 500/–

- ❒ 119 ब्लाकों में निःशक्तजनों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
- ❒ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 34,937 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। आई.ई.डी. एस.एस. के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 10,807 बच्चे पढ़ रहे हैं।
- ❒ निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा की जरूरत के अनुसार निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों द्वारा निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क वाहन/वित्तीय सहायता की सुविधा उपलब्ध है।

- निःशक्त बच्चों के नियोजन की सुविधा प्रोन्नत की जा रही है।
- गम्भीर रूप से निःशक्त बच्चों को वाहन भत्ता रु. 3000/– प्रति वर्ष तथा अनुरक्षक भत्ता रु. 3000/– प्रति वर्ष दिया जा रहा है।
- नेत्रहीन/निम्नदृष्टि तथा अन्य निःशक्त बच्चों को लिपिक/लेखक की सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। स्कूल/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लिखने के लिए निःशक्त बच्चों को अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।

4.13.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने अपनी दिनांक 2.1.2012 की अधिसूचना के द्वारा निःशक्तजनों के लिए चिन्हित नौकरियों/पदों के सम्बन्ध में भारत सरकार की सिफारिशों को अपनाया है।
- बेस सं. 55–58, सैक्टर–2, पंचकूला, हरियाणा में एक विशेष रोजगार केन्द्र चल रहा है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत 3 प्रतिशत रिक्तियां आदेशित तथा परिचालित की गई हैं।
- बैकलाग रिक्तियों की संख्या :

ओ.एच.	वी.एच.	एच.एच.	कुल
729	296	305	1330

4.13.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना, निःशक्त उद्यमियों सहित फैक्टरियों की स्थापना के उद्देश्य के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाती है।

4.13.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- निःशक्तजनों को लाने और ले जाने के लिए 106 निम्न तल बसें लगाई गई हैं।
- हरियाणा सरकार केवल हरियाणा के सीमा क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बसों में एक परिचार सहित 100 प्रतिशत निःशक्तजनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कर रही है।
- सभी सार्वजनिक भवनों में निःशक्तजनों के लिए व्हील चेयर के लिए खुली अपेक्षित लिफ्टें, प्लिंथ रैम्प, रैलिंग सहित लिफ्टों के एलिवेटर में ब्रेल संकेत तथा श्रवण संकेत व्हील चेयर प्रयोक्ताओं के लिए शौचालय बनाये जा रहे हैं।

4.13.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- सभी उपायुक्तों को अधिसूचना सं. 11961/एस. डब्ल्यू.(4)–96, दिनांक 21.8.1996 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष के दौरान निधियों की मानीटरिंग के लिए 80 निरीक्षण किए गए।

4.13.9 गंभीर निःशक्तता युक्त व्यक्तियों के लिए संस्थान (धारा 56)

- 2 (सिरतार रोहतक, साकेत अस्पताल, चांदी मंदिर)

4.13.10 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त की नियुक्ति (धारा 60)

- स्वतंत्र प्रभार सहित आयुक्त नियुक्त किया गया है।

❒ हाथ में लिए गए मामलों का विवरण

दर्ज मामले	:	65
निपटाए गए मामले	:	45
लम्बित मामले	:	20

4.13.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.17** में दिया गया है।

4.13.12 विविध

❒ वी.आई./ओ.एच./एच.एच./मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निःशुल्क/रियायती बस पासों की अनुमति दी गई है।

▼ तालिका 4.17

क्र. सं.	योजनाएं			राशि (रु. लाख में)	लाभार्थियों की सं.
1.	छात्रावृत्ति शैक्षणिक			129.06	4300
2.	सहायता : शैक्षणिक सहायता सामग्री			–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास			–	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन			–	–
5.	निःशक्तता पेंशन			9593.75	1,34,753
	निःशक्तता	70 प्रतिशत	100 प्रतिशत		
	दरें	रु. 500/–	रु. 750/–		
6.	बेरोजगारी भत्ता शैक्षिक योग्यता/निःशक्तता	70 प्रतिशत	100 प्रतिशत	101.62	1700
	मैट्रिक/मीडिल/डिप्लोमा होल्डर	रु. 200/–	रु. 1000/–		
	स्नातक/मैट्रिक डिप्लोमा होल्डर	रु. 250/–	रु. 1500/–		
	उच्च स्नातक/स्नातक डिप्लोमा होल्डर	रु. 300/–	रु. 2000/–		
7.	निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा			सरकार ने यह योजना सं. 16/6/84–3 जी.एस.–II, दिनांक 20.8.1985 द्वारा अधिसूचित की।	
8.	सहायता तथा उपकरण			–	–
9.	स्वैच्छिक संठनों की सहायता अनुदान			330.62	22 संस्थान
10.	मानव संसाधन विकास			–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास			–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान			129.45	109
13.	वाहन अनुपूर्ति			–	–
14.	कोई अन्य योजना			–	–

4.14 हिमाचल प्रदेश

4.14.1 राज्य समन्वयक समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.14.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है, इसकी पिछली बैठक 26.6. 2012 को हुई

4.14.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान

- स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा 0–12 आयु वर्ग के 2,65,786 बच्चों की जांच की गई तथा उनमें से 2249 बच्चों की निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- जागरूकता सृजन के लिए ब्लाक तथा जिला स्तर पर संयुक्त शिविर लगाए गए। निःशक्तताओं की शीघ्र पहचान के लिए सी.एच.सी./पी.एच. सी./सी.डी. के चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचायतों के माध्यम से निःशक्तताओं के बारे में योजनाओं सम्बन्धी पम्पलेट बांटे गए।

4.14.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हैं।
- राज्य के सात जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं। विशेष स्कूलों में 604 निःशक्त बच्चे नामांकित हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) 17634 बच्चे नियमित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- निःशक्त बच्चों को उनकी कक्षाओं पर आधारित रु. 350/– से रु. 2000/– प्रतिमाह की रेंज में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई हैं
- 11496 प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी स्कूल बाधामुक्त बनाए गए हैं।
- निःशक्त छात्रों को पुस्तकें तथा सीखने की सामग्री निःशुल्क प्रदान की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरत के अनुसार ब्रेल पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं।
- निःशक्त बच्चों की आवश्यकता के अनुसार परीक्षा पद्धति संशोधित की गई हैं। दृष्टि बाधित बच्चों को गणित चुनने से छूट दी गई है। इन छात्रों को दूसरा विषय चुनने का विकल्प दिया जाता है। इन छात्रों को कक्षा 8वीं परीक्षा में बैठने तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने में छूट दी गई हैं।
- स्कूलों में निःशक्त बच्चों को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है। नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को लिपिक/लेखक उपलब्ध कराने के अनुदेश दिए गए हैं।
- राज्य ने निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई है। दृष्टि बाधित छात्रों को राज्य से बाहर भी निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

4.14.5 रोजगार (धारा 32–41)

- सभी समूहों में पद चिन्हित किए गए हैं।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों का कार्यान्वयन निर्धारित तथा परिचालित किया गया है।

❒ सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.14.6 सकारात्मक कार्यवाहीन (धारा 42–43)

❒ राज्य में रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि के आवंटन की योजना है।

4.14.7 विभेद का न किया जाना

❒ बाधामुक्त वातावरण बनाने के लिए भवन उपनियम संशोधित किए गए हैं।

4.14.8 अनुसंधान तथा जनशक्ति का विकास (धारा 48–49)

❒ सी.आर.सी., सुन्दर नगर जन शक्ति विकास के लिए अनेक पाठ्यक्रम चला रहा है। निःशक्तता के विभिन्न क्षेत्रों में 156 व्यक्तियों को शिक्षा दी गई।

4.14.9 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों को मान्यता (धारा 50–55)

❒ निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामले के संस्थानों के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

4.14.10 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

❒ राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया हैं

4.14.11 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

कुल मामले : रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
निपटाए गए मामले : रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
लम्बित मामले : रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

4.14.12 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.18** में दिया गया है।

4.14.13 विविध

❒ निःशक्तजन नियमावली अधिसूचना सं. डब्ल्यू. एल.एफ.–ए(3)–2/2000–I, दिनांक 21.2.2013 द्वारा संशोधित की गई।

▼ तालिका 4.18

क्र. सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु. लाखों में)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	65.71	1287
2	निःशक्तता पेंशन रु. 400/– प्रतिमाह की दर से	1906.00	33630
3	यात्रा में रियायत	–	67414
4	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान प्रेम आश्रम, ऊना में 30 राज्य प्रायोजित स्थानों के लिए निधि रु. 30,000/– प्रति सहवासी, प्रतिवर्ष दिया गया। वी आई, एफ आई तथा ओ ई बच्चों के लिए एच पी सी सी डब्ल्यू द्वारा संचालित 4 घरों/स्कूलों के लिए भी निधि प्रदान की गई।	62.06	120
5	आर्थिक पुनर्वास (स्वरोजगार)	266	86

4.15 जम्मू तथा कश्मीर

रिपोर्ट नहीं मिली।

4.16 झारखंड

4.16.1 राज्य समन्वयक समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है और कार्यरत है।

4.16.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है और कार्यरत है।

4.16.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए जागरूकता सृजन, पूर्व तथा पश्च प्रसव जांच, प्रतिरक्षण, पल्स पोलियो कार्यक्रम तथा आई.एफ.ए. का वितरण जैसे उपाय अपनाए गए हैं। निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित किया गया है।
- 24 जिलों तथा 260 ब्लाकों में सर्वेक्षण संचालित किया गया। आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। लगभग एक लाख तीस हजार निःशक्तजन स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए प्रभात फेरी, सोशल मैपिंग तथा संसाधन मैचिंग, ग्रामीण मैपिंग, फोकस समूह चर्चा, देखभाल कार्यों का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक तथा प्रदर्शनी/सेमिनार/कार्यशाला आदि के माध्यम से ग्रामीण संपर्क अभियान द्वारा कार्यवाही की गई।

4.16.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में निःशक्तजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- राज्य के 10 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- 24 विशेष स्कूल (सरकारी–3, सरकारी सहायता प्राप्त–14, निजी–7) राज्य में उपलब्ध है। सरकार ने 7 अंधता स्कूल तथा 12 गूंगों तथा बहरों के स्कूल एन.जी.ओ. के माध्यम से चलाने के लिए स्वीकृत किए हैं। एक अंधता स्कूल गिरिडीह में तथा 4 गूंगों तथा बहरों के स्कूल, हजारी बाग, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभम गुमला तथा धनवाद में प्रारंभ किए गए हैं। सिमडेगा, सरायकेला तथा गुमला में अंधता स्कूल बहुत जल्द शुरू किए जाने हैं।
- स्कूलों में 66,716 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 70,224 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 4 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।

- राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए ''विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति'' नाम से छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत 3684 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। छात्रवृत्ति की अनुमोदित दरें निम्नानुसार हैं–

कक्षा 1 से 8वीं	:	रु. 50/– प्रतिमाह
कक्षा 9वीं से स्नातक तक	:	रु. 250/– प्रतिमाह
स्नातक या उच्च	:	रु. 260/– प्रतिमाह
सरकारी, गैर सरकारी तथा आवासीय स्कूल	:	रु. 100/– प्रतिमाह

- नए निर्मित सरकारी स्कूल निःशक्तजनों के लिए बाधामुक्त बनाए गए हैं। 14 कालिज/व्यावसायिक संस्थान तथा 42,571 स्कूल राज्य में वास्तुविद् की दृष्टि से बाधामुक्त है। राज्य में 28,678 स्कूलों/कालिजों में रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय आदि हैं।
- निःशक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें तथा उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।
- नेत्रहीन/कमदृष्टि छात्रों को लिपिक/लेखक की सुविधा उपलब्ध है। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए 20 मिनट, प्रति घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में कुल 70,224 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।

4.16.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने समूह 'क, 'ख', 'ग' तथा 'घ' में निःशक्तजनों के लिए अनेक पद चिन्हित किए हैं।
- कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड सरकार ने अपने पत्र सं. 7281 दिनांक 7.11.2007 तथा पत्र सं. 6477, दिनांक 29.11.2008 के माध्यम से निःशक्तजन अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत 3 प्रतिशत रिक्तियां निर्धारित तथा परिचालित की हैं।
- ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार ने पत्र संख्या 3260, दिनांक 6.6.2003 द्वारा निर्धारित सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण जारी किया गया है।

4.16.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- निःशक्तजनों के लिए सहायता तथा उपकरण निःशुल्क/रियायती दर पर उपलब्ध कराने की योजना है।
- राज्य में रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना है।

4.16.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- बाधामुक्त वातावरण सृजित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4.16.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, इंजीनियर्स हास्टल–II, एच.ई.सी. सैक्टर, धुर्वा, रांची, झारखंड–834004 (फोन : 0651–2400893, फैक्स नं. 0651–2400749), ई–मेल dswjharkhand @yahoo.co.in को निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 43 संस्थानों को पंजीकरण जारी किए चुके हैं।

▼ तालिका 4.19

क्र. सं.	योजनाएं	लाभार्थियों की संख्या
1	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	3684
2	निःशक्तता पेंशन (प्रोत्साहन राशि)	112899
3	सहायता उपकरण	आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।
4	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	672

4.16.9 गंभीर निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए संस्थान (धारा 56)

- राज्य में एक अंधता स्कूल (हजारी बाग) तथा दो गूंगों तथा बहरों के स्कूल चाईबासा तथा गुमला में चल रहे हैं।

4.16.10 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन को अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.16.11 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

कुल मामले : 10496
निपटाए गए मामले : 9658
लम्बित मामले : 838

4.16.12 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.19** में दिया गया है।

4.16.13 विविध

- परिवहन विभाग, सरकारी अधिसूचना सं. 76 द्वारा निःशक्तजनों (अंधता ग्रस्त) को निःशुल्क बस पास की अनुमति दी गई है।
- निःशक्तजनों के लाभ के लिए अच्छे आचरण के चौदह मामलों की रिपोर्ट मिली है।
- सरकारी नौकरियों, इंदिरा आवास योजना में 3 प्रतिशत आरक्षण है, समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रु. 200/– से रु. 400/– तक सुनिश्चित किए गए हैं।

4.17 कर्नाटक

4.17.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति (एस.सी.सी.) गठित की गई तथा कार्यरत हैं। उसकी पिछली बैठक 24.1.2013 को हुई।

4.17.2 राज्य कार्यपालिक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति (एस.ई.सी) गठित की गई, तथा कार्यरत है।

4.17.3 निःशक्तजनों की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- राज्य में निःशक्तता को रोकने के लिए टीका, आई.सी.डी.एस. द्वारा डिब्बा बन्द खाद्य, आयरन तथा फोलिक एसिड गोलियां दिए गए।
- ''बढ़ते कदम प्रोग्राम'' के माध्यम से 8 जिलों में निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए, निःशक्तता, उनके कारण, उन्मूलन के समक्ष जागरूकता सृजन के लिए व्यापक प्रचार किया गया। अभी अन्य जिलों में निःशक्तता कल्याण अधिकारियों, एम.आर.डब्ल्यू तथा सी.आर.डब्ल्यू. के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए।

4.17.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- निःशक्तजनों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- राज्य के 28 जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- 220 विशेष स्कूलों (सरकारी–8, सरकारी सहायता प्राप्त–170, निजी–84) में 16,282 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। राज्य के 29 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- 1,43,000 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे शिक्षा विभाग से पुस्तकें तथा सीखने की सामग्री निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं।
- राज्य के 30 जिलों के नार्मल स्कूलों में निःशक्तजनों को शिक्षा की सुविधा है।
- कुल 12 विशेष/नार्मल स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं हैं।
- 35,662 स्कूलों में निःशक्तजनों के लिए बाधामुक्त पहुंच उपलब्ध है।
- विशेष स्कूलों में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 6 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं।
- नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के हित के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधन किया गया है। श्रवण बांधितों के लिए एक भाषा का विकल्प का पाठ्यक्रम लागू किया गया हैं निःशक्त बच्चों को लिपिक/लेखक के प्रयोग की अनुमति दी गई है। राज्य के स्कूल बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा में निःशक्तजनों को अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई।
- 178 स्कूल निःशक्तजनों को निःशुल्क वाहन सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अन्यों के लिए रियायती बस पास उपलब्ध है।
- 29983 निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

4.17.5 रोजगार (धारा 32–41)

- समूह 'क' के लिए 7.9.2012 से प्रभावी, समूह 'ग' तथा 'घ' के लिए 9.10.2012 से प्रभावित केन्द्रीय सूची को अपनाया गया है।
- समूह 'क' तथा 'ख' के पद अधिसूचना सं. डी.पी.ए.आर 21 एस.आर.आर. 2008, दिनांक 3.8.2009 द्वारा चिन्हित किए गए हैं।
- समूह 'ग' तथा 'घ' के पत्र 31 विभागों द्वारा अधिसूचना सं. डी.पी.आर. 52/एस.आर.आर. 1999, दिनांक 29.11.2002 द्वारा चिन्हित किए गए।
- समूह 'क' तथा 'ख' में 3 प्रतिशत रिक्तियाँ तथा समूह 'ग' तथा 'घ' में 5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित है।

- 10,603 निःशक्त व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में नियोजित हैं।
- निःशक्तजनों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र, होसर रोड, बैगालुरू, फोन नं. 080–26636109 पर स्थित है। कुल 4,441 निःशक्तजन इस केन्द्र में पंजीकृत है।
- विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 16,228 निःशक्तजन लाभान्वित हुए।

4.17.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- राज्य साधन सामग्री तथा उपकरण खरीदने के लिए निःशक्तजनों को सहायता दे रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 11,332 निःशक्तजन लाभान्वित हुए।
- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने, निःशक्त उद्यमियों द्वारा फैक्टरियो की स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध है। भवन योजनाओं में निःशक्तजनों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क हेतु विविध रूप से सक्षम तथा वरिष्ठ नागरिक विभाग के सभी जिला अधिकारी प्राधिकारी हैं।

4.17.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- राज्य सरकार ने परिपत्र जारी किया है तथा निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय सार्वजनिक वाहन तथा सार्वजनिक भवन बनाने के लिए भवन उपनियमों को संशोधित किया हैं इस सम्बन्ध में एक्सेस आडिट संपादित की गई।
- राज्य आयुक्त की वेबसाइट निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है।

4.17.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों को मान्यता (धारा 50–55)

- अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत उपनिदेशक, महिला तथा बाल कल्याण विभाग के सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।
- आयुक्त ने निधि की मानीटरिंग के उद्देश्य से 19 निरीक्षण किए।

4.17.9 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

कुल मामले	:	24
निपटाए गए मामले	:	17
लम्बित मामले	:	07

4.17.10 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निशक्त जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.20** में दिया गया है।

4.17.11 विविध

- राज्य निःशक्तजन नियमावली अधिसूचना सं. डब्ल्यू.सी.डी./172/पी.एच.पी./98, दिनांक 17.4.2001 के माध्यम से अधिसूचित की गई है। नियम 2006 में संशोधित किए गए।
- वर्ष के दौरान 158884 निःशक्तजनों को निःशुल्क/रियायती बस पासों की अनुमति है।

▼ तालिका 4.20

क्र. सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (लाख में)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	251	29,983
2	बेरोजगारी भत्ता	–	–
3	निःशक्तता पेंशन	43,290.58	5,93,712
4	निःशुल्क / रियायती यात्रा	हां	1,58,884
5	शैक्षिक आधार सामग्री के लिए सहायता	3.80	6,930
6	आर्थिक पुनर्वास	100	285
7	साधन तथा उपकरण	100	11,332
8	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	1,824.27	5,356

4.18 केरल

रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

4.19 लक्षद्वीप

4.19.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 13(3) के अन्तर्गत संघ क्षेत्र के लिए राज्य समन्वय समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

4.19.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है और कार्यरत है तथा इसकी बैठकें 2.5.2012, 8.2.2013 तथा 28.3.2013 को हुई

4.19.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- सभी प्रायद्वीपों में निःशक्तताओं के पैदा होने वाले कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में एम.आर.डब्ल्यू. द्वारा सर्वेक्षण संचालित किया गया। जोखिम मामलों की पहचान पर सभी बच्चों की जांच की जा रही है।
- एच.एम.एस. तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित जागरूकता अभियानों के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई।

- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्टाफ प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- 100 प्रतिशत प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों, सी.एच.सी. एस. तथा अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा विभाग द्वारा पूर्व प्रसव तथा पश्च प्रसव देखभाल की जा रही है।

4.19.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- 222 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं तथा 38 निःशक्त बच्चे गृह आधारित शिक्षा योजना के माध्यम से नामांकित है।
- 222 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी तथा अन्य सामग्री प्रदान की गई।
- लक्षद्वीप में सभी स्कूल निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सभी सुविधाओं से सज्जित है। वे सभी वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त है। सार्वजनिक कार्य विभाग की ओर से सभी स्कूल/कालिजों में रैम्प लगाए गए हैं।
- दिवस देखभाल केन्द्र, कावारती के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।

4.19.5 रोजगार (धारा 32–41)

- सचिव, प्रशासन सचिवालय, कावारती की अधिसूचना सं. 1/11/200–एसएस(सीसी.) दिनांक 5.3.2000 के द्वारा समूह, ख, ग और घ में संघ क्षेत्र में 117 पद चिन्हित किए गए हैं।
- सभी विभागों से निःशक्तजनों के लिए खाली पदों को भरने का अनुरोध किया गया है।
- सरकार ने समूह 'ग' तथा 'घ' में अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत आरक्षित करने के निदेश दिए हैं। करवारती में एक विशेष रोजगार केन्द्र स्थित है।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया गया है। नरेगा के अन्तर्गत 136 लाभार्थियों ने लाभ प्राप्त किया।
- निःशक्तजनों की आसान पहुंच के लिए सरकारी भवन में रैम्प निर्मित किए गए हैं।
- सभी जिलों में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किए गए हैं।

4.19.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- संघ क्षेत्र प्रशासन, उनकी आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर निःशक्तजनों को निःशुल्क सहायता तथा उपकरण प्रदान कर रहा है।

4.19.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- सभी सार्वजनिक भवनों में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा रैम्प निर्मित किए गए हैं।
- लक्ष्यद्वीप में सभी शिप निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय जल में विचरण कर रहे हैं। सभी स्कूल/कालिज/अस्पताल निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं।

4.19.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, समाज कल्याण तथा जनजातीय मामले विभाग, कावारती, फोन न. 04896–263703, ई–मेल lk_dsw@hub.nic.in को अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

▼ तालिका 4.21

क्र. सं.	योजनाएं	राशि प्रति लाभार्थी/ आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की सं.
1	सहायता तथा उपकरण	–	478
2	वैवाहिक प्रोत्साहन	1.50 लाख	–
3	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	2.15 लाख (निधि आवंटित)	–
4	निःशक्तता पेंशन	रु. 500/– प्रति माह	362
5	निःशुल्क/रियायती यात्रा	15.93 लाख (निधि आवंटित)	

4.19.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त की नियुक्ति (धारा 60–62)

- निदेशक, समाज कल्याण तथा जनजातीय मामले विभाग, करवारती निःशक्तजनों की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं।

4.19.10 सामाजिक सुरक्षा (धारा 66–68)

- राज्य में उपलब्ध योजनाओं का विवरण **तालिका 4.21** दिया गया हैं।

4.20 मध्य प्रदेश

4.20.1 राज्य समन्वयक समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित है और कार्यरत है।

4.20.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित है और कार्यरत है।

4.20.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- निःशक्तताओं के पैदा होने वाले कारणों का लगाने के 50 जिलों में सर्वेक्षण संचालित किया गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता तथा आशा कार्यकर्त्ता 50 जिलों के 313 ब्लाकों में निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं।
- जोखिम मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की गई।
- महिला तथा बाल विकास विभाग स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता पर जागरूकता सृजन के लिए, निःशक्तताओं की रोकथाम तथा अन्य मुद्दों की पहचान तथा माता–पिता के परामर्श हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण देता है।
- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है।

- माता तथा बच्चे को पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद देखभाल के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

4.20.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- स्कूलों में 1,28,251 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। कुल 59,486 निःशक्त बच्चे छात्रावृत्ति प्राप्त कर रहे हैं (**तालिका 4.22**)।
- नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं।
- 53642 निःशक्त बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 70,000 निःशक्त बच्चों की पुस्तकें, वर्दी तथा अन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
- राज्य में 20 सरकारी, 41 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 35 निजी विशेष स्कूल उपलब्ध है। 20 सरकारी तथा 76 एन.जी.ओ. स्कूल विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से परिपूर्ण हैं।
- 35 जिलों में प्रत्येक में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- 95,126 स्कूलों तथा कालिजों में निःशक्तजनों के लिए सुविधाजनक रैम्प तथा शौचालय बनाए गए हैं। कुल 95,126 स्कूल वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त हैं।
- निःशक्तजनों की शिक्षण सहायता, विशेष शिक्षण सामग्री तथा नए सहायक उपायों के विकास के लिए 08 संस्थान (सरकारी–1, सरकारी सहातया प्राप्त–5, निजी–2) कार्य कर रहे हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 313 ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों के हित के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। निःशक्तजनों को परीक्षा में लिपिक/लेखक के प्रयोग तथा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा रही है।

4.20.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य ने निम्नानुसार पद चिन्हित किए हैं:

	ओ एच	वी.एच.	एच.एच.	कुल
समूह 'क'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समूह 'ख'	447	123	234	804
समूह 'ग'	4502	2249	2179	8930
समूह 'घ'	906	534	950	2390
कुल	**5855**	**2906**	**3363**	**12124**

- मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जी.ए.डी. आदेश सं. 8–4/2001 दिनांक 30.6.2001 द्वारा निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत (वी.आई., एच.आई., एच.एच. में सामान्य रूप से विभाजित) आरक्षण अनुमोदित किया है।
- एक विशेष रोजगार केन्द्र हाथी टाल, जबलपुर में कार्य कर रहा है। सभी विभाग विशेष रोजगार केन्द्र की अधिसूचित कर रहे हैं।
- निःशक्तजनों का प्रशिक्षण तथा कल्याण निश्चित किया गया है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजना में निःशक्तों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण हैं। समूह 'ग' तथा 'घ' से सम्बन्धित पदो के लिए आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है।

▼ तालिका 4.22

श्रेणी	नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधिता	अन्य निःशक्तताएँ
संख्या	18388	50527	14840	16228	28268

4.20.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने निःशक्तजनों को सहायता तथा उपकरण प्रदान करने के लिए अलग से एक योजना चलाई है, जिसमें 36,254 निःशक्तजनों को निःशुल्क या रियायती दर पर सहायता तथा उपकरण प्रदान किए हैं।
- घर बनाने तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना तथा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध है।

4.20.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- राज्य में सुगमनीय सड़कें तथा खंडजे उपलब्ध हैं।
- राज्य ने सार्वजनिक वाहन, सार्वजनिक भवनों/स्थानों की निःशक्तजनों के लिए सुविधाजनक बनाना अनिवार्य किया है।
- 200 भवनों/सार्वजनिक भवनों की जांच की गई। पहुंच जांच के संचालन के लिए 15 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

4.20.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- प्रत्येक जिले के संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग को अपने–अपने जिलों के लिए सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है। अभी 307 संस्थानों को पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

4.20.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त की नियुक्ति (धारा 60)

- एक पूर्णकालिक आयुक्त, निःशक्तता स्वतंत्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।
- निधि के मानीटरिंग के उद्देश्य से 18 निरीक्षण किए गए।

4.20.10 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

कुल मामले	:	1914
निपटाए गए मामले	:	1695
लम्बित मामले	:	219

4.20.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.23** में दिया गया है।

4.20.12 विविध (धारा 73)

- निःशक्तजन नियमावली अधिसूचित की गई है।
- राज्य निःशक्तता नीति बनाई गई है।

4.21 महाराष्ट्र

4.21.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है। पिछली बैठक 16.1.2013 को हुई

4.21.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति पुनर्गठित की गई है।

▼ तालिका 4.23

क्र. सं.	योजनाएं	राशि	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रावृत्ति शैक्षणिक	1290.50	59486
2	वैवाहिक प्रोत्साहन	25000 / 50000	2369
3	सहायता तथा उपकरण	–	36254
4	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	1785.88	32082
5	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	2062.04	1764
6	कोई अन्य योजनाएं (कुष्ठ रोग मुक्त का पुनर्वास)	10.85	213

4.21.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- सभी 35 जिलों में निःशक्तताओं के पैदा होने वाले कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण हाथ में लिया गया है।
- नियमित आधार पर पल्स पोलियो टीकाकरण, मोतिया बिन्द तथा नेत्रहीनता सर्वेक्षण तथा जिला एवं उपजिला स्तरों पर मोतिया बिंद ऑपरेशन निःशक्तता की रोकथाम के लिए अन्य तरीकों के बीच 9 महीने से 5 वर्ष के बच्चों के लिए अनुपूरण विटामिन 'ए' की 9 खुराकें देना।
- स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए तथा निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है।
- माता तथा बच्चे की प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद देखभाल के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

4.21.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में निःशक्तजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। राज्य के 355 ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
- 33,760 निःशक्त छात्र नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। निःशक्ततावार विवरण निम्नलिखित है–

श्रेणी	नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधित	अन्य निःशक्ताएँ (विशेष)
संख्या	15757	6787	1915	6034	3267

- सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए गए हैं।
- 369 स्कूलों में सक्षम तथा निःशक्त बच्चे दोनों साथ–साथ पढ़ रहे हैं।
- 1665 विशेष स्कूल (सरकारी–21, सरकारी सहायता प्राप्त–737 तथा निजी–907) राज्य के 35 जिलों में चल रहे हैं। कुल 34.201 लाभार्थी इनमें लाभान्वित हुए।
- राज्य में 186 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी–5, सरकारी सहायता प्राप्त–83 तथा निजी–98) चल रहे हैं।
- राज्य में 67,926 स्कूल वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त हैं।

- 21,474 बच्चे **तालिका 4.24** में दिखाए गए दरों पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- यहां अध्ययन पर्यटन व्यय के लिए रु. 500/– तक प्रतिवर्ष तथा परियोजना टंकण खर्च रु. 600/– तक प्रतिवर्ष, प्रति छात्र का प्रावधन है।
- नई सहायक युक्ति, प्रशिक्षण सहायता, विशेष प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए निजी क्षेत्र में 12 संस्थान कार्य कर रहे हैं।
- 89 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- 3596 विशेष शिक्षक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध है।
- निःशक्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां तथा अन्य सामग्री निःशुल्क दी जाती हैं।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों के हित के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। श्रवण बाधित बच्चों के

▼ तालिका 4.24

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	
स्तर	**छात्रवृत्ति की दर प्रतिमाह रु. में**
प्रथम से चौथी कक्षा (केवल श्रवण बाधित के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए)	रु. 50–/ प्रतिमाह प्रति छात्र
5वीं से 7वीं कक्षा	रु. 75/– प्रतिमाह प्रति छात्र
8वीं से 10वीं कक्षा	रु. 100/– प्रतिमाह प्रति छात्र
18 वर्ष तक की आयु के मानसिक मंदताग्रस्त तथा मानसिक बीमार	रु. 75/– प्रतिमाह प्रति छात्र

पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति			
समूह	**छात्रवृत्ति की दर प्रतिमाह रु. में**		**नेत्रहीन तथा कम दृष्टि छात्रों के लिए पठन भत्ता रु.**
	छात्रावासी	**दिवस छात्र**	
समूह क– मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, वेटेरीनरी में डिग्री पाठ्यक्रम तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम	425/–	190/–	100/– प्रतिमाह
समूह ख–मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, वेटेरीनरी	290/–	190/–	100/– प्रतिमाह
समूह ग–कला, विज्ञान, वाणिज्य में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा	290/–	190/–	100/– प्रतिमाह
समूह घ–द्वितीय वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम से	230/–	120/–	75/– प्रतिमाह
समूह ङ–11वीं, 10वीं तथा डिग्री पाठ्यक्रम का पहला वर्ष	150/–	90/–	50/– प्रतिमाह

लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। निःशक्तजनों को लिपिक/लेखक की अनुमति है। राज्य स्कूल बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।

4.21.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य ने संकल्प दिनांक 17.3.2011 द्वारा भारत सरकार द्वारा निःशक्तजनों के लिए चिन्हित पदों की सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत आरक्षण का कार्यान्वयन निर्धारित किया गया है तथा संकल्प दिनांक 4.8.2011 परिचालित किया गया।
- 18,558 निःशक्त व्यक्ति राज्य सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्र में नियोजित किए गए हैं।
- प्रशिक्षण तथा निःशक्तजनों के कल्याण, उच्च आयु सीमा में छूट, रोजगार का स्थायीकरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपाय तथा कार्य स्थल पर बाधामुक्त वातावरण निश्चित करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता के लिए धारा 38 के अन्तर्गत आदेश/योजनाएं जारी किए गए हैं।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्ष, 2012–13 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 57,721 निःशक्त व्यक्ति लाभान्वित हुए।

4.21.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- वर्ष, 2012–13 के दौरान 4283 निःशक्तजनों को सहायता तथा उपकरण दिए गए।
- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला कलक्टर, निगम आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सी.आई.डी.सी.ओ., एम.एच.ए. डी.ए. सम्बन्धित प्राधिकारी हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत 2012–13 के दौरान 512 निःशक्तजनों को भूमि आवंटित की गई।

4.21.7 विभेदन का न किया जाना (धारा 44–47)

- सार्वजनिक वाहन निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है।
- वर्ष, 2012–13 के दौरान कलक्टर कार्यालय, कालेज तथा जिला परिषद के 16 भवनों की पहुंच की जांच की गई।

4.21.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता

- राज्य आयुक्त निःशक्तजन, 3 चर्च रोड, पुणे– 411001, टेलीफोन नं. 020–26122060/26126471, फैक्स नं. 020–26111590, ई–मेलः commissionerdisability@yahoo.co.in की पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.21.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त की नियुक्ति (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन स्वतंत्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।
- वर्ष, 2012–113 के दौरान निधि की मानीटरिंग के उद्देश्य से 746 निरीक्षण किए गए।
- निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ. को रु. 74,795.99 लाख का सहायता अनुदान दिया गया।

4.21.10 गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए संस्थान (धारा 56)

- बहरे, अंधे के लिए हेलन केलर संस्थान, नवी मुंबई, मानसिक मंदता के लिए सांवली संस्थान, विविध निशक्तता, भुसारी कालोनी, पुणे, विशेष शिक्षा के लिए केन्द्र, शुक्रवार पेठ पुणे, स्पास्टिक सोसायटी आफ इंडिया, अंधता विविध निःशक्तता स्कूल, एन.ए.बी., एम.आई.डी.सी., नासिक गम्भीर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं।

4.21.11 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

कुल मामले	:	130
निपटाए गए मामले	:	83
लम्बित मामले	:	47

4.21.12 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निःशक्तजनों के सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.25** में दिया गया है।

4.21.13 प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष, 1996 से 13,000 निःशक्तजनों की भर्ती।
- सरकारी संकाय दिनांक 03.06.2011 तथा 20.07.2011 के द्वारा राज्य सरकार निःशक्त कर्मचारियों को निःशुल्क सहायक तकनीकी साधन प्रदान कर रही है।
- राज्य सरकार न केवल स्कूल में पढ़ने वालों को, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं बैठने वाले उम्मीदवारों को भी लेखक प्रदान कर रही है।

▼ तालिका 4.25

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु. लाखों में)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	220.88	21474
2	निःशक्तता पेंशन	–	–
3	बेरोजगारी भत्ता	–	–
4	सहायता तथ उपकरण	17.50	584
5	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	18126.69	33114
6	सरकारी संस्थानों की सहायता अनुदान	296.29	1087
7	स्पीड केपिटल योजना–इस योजना के अन्तर्गत रु. 1.50 लाख तक की वित्तीय सहायता, इसका 80 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक से तथा 20 या 30,000/– तक की आर्थिक सहायता निःशक्तता कल्याण कमीशन रेट से। महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त विकास निगम विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।	399.32 लाख (1) रु. 10.00 लाख तक का कृषि ऋण। (2) रु. 10.00 लाख तक का वाहन ऋण। (3) मानसिक मंदता, सैरेबराल पाल्सी तथा आरिज्म के लिए रु. 10.00 लाख तक के विशेष ऋण का विशेष प्रावधान। (4) लघु सतर यूनिट स्थापित करने के लिए रु. 2.50 लाख तक का ऋण। (5) लघु स्तर व्यवसाय स्थापित करने के लिए रु. 3.00 लाख तक ऋण।	1265

- निःशक्तजनों के लिए कल्याण योजनाओं पर राज्य सरकार का औसत खर्च प्रतिवर्ष लागभग रु. 300/– करोड़ से भी अधिक है।
- व्यावसाय के उद्देश्य से स्टाल उपलब्ध कराने, सक्षम तथा निःशक्त के बीच शादी के लिए जोड़ों को प्रोत्साहन के लिए स्थानीय निकायों ने व्यक्तिगत तथा समुदाय विकास योजना के लिए 3 प्रतिशत निधि के आरक्षण की व्यवस्था की है।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी कराने के कदाचार तथा द्विगुणीकरण से बचने के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में निःशक्तता के मूल्यांकन के लिए साफ्टवेयर विकसित किया है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से निःशक्त व्यक्ति निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा सार्वभौमिक पहचान संख्या प्राप्त कर रहे हैं। यह व्यवस्था महाराष्ट्र में सभी 35 जिलों में 3.12.2012 से प्रारंभ हुई।

4.22 मणिपुर

4.22.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- रिपोर्ट नहीं मिली।

4.22.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- रिपोर्ट नहीं मिली।

4.22.3 शिक्षा (धारा 26–31)

- इम्फाल पश्चिमी जिले में दो विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- 87 निःशक्त बच्चों की विविध दरों पर छात्रवृत्ति दी गई।

4.22.4 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य समूह क, ख, ग तथा घ में 3 प्रतिशत रिक्तियां वाई.आई., एच.आई. तथा ओ.एच. के लिए प्रत्येक को 1 प्रतिशत सहित आरक्षित की है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

4.22.5 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन उपलब्ध है।

4.22.6 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, समाज कल्याण को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.22.7 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त की नियुक्ति (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.22.8 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.26** में दिया गया है।

▼ तालिका 4.26

क्र. सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु.)	प्रति लाभार्थी प्रतिमाह राशि	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्तियां	रु. 2.00 लाख	रु. 40/– से रु. 120/–	87
2	स्वरोजगार	रु. 15.00 लाख	रु. 3000/– प्रति व्यक्ति, एकमुश्त भुगतान के रूप में	500
3	बेरोजगारी भत्ता	रु. 10.00 लाख	रु. 100/– से 200/–	387
4	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	रु. 20.00 लाख	रु. 1.00 लाख से 1.5 लाख प्रति संगठन	17 संगठन

4.23 मेघालय

4.23.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.23.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई तथा कार्यरत है।

4.23.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा भीघ्र पहचान (धारा 25)

- सभी 11 जिलों में सन् 2003 से 31 मार्च, 2013 तक निःशक्तताओं के पैदा होने वाले कारणों का पता लगाने के लिए शीघ्र पहचान हेतु सर्वेक्षण अंगीकार किया गया है। रिपोर्ट से प्राप्त निःशक्तजनों की कुल संख्या 27,144 है।
- वाल पेंटिंग, बैठकें, प्रतिरक्षीकरण का महत्व, फ्लैक्स, मीडिया, परिसर पहुंच तथा प्रशिक्षण के माध्यम से निःशक्तताओं की रोकथाम के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान पर जागरूकता सृजित करने के लिए एम.आर.डब्ल्यू तथा सी.वी.आर. डब्ल्यू गांवों के प्रमुख व्यक्ति के साथ आवाधिक बैठकें कर रहे हैं।
- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित किया गया है।
- शिविरों तथा स्थानीय भाषा में पम्पलेट के वितरण द्वारा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग के समन्वय के माध्यम से तथा बच्चे की पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद देखभाल के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

4.23.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में 18 वर्ष की आयु तक के निःशक्त बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- 2603 सरकारी स्कूलों में निःशक्त तथा गैर निःशक्त दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं।

▼ तालिका 4.27

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का प्रकार	दिवस छात्रों के लिए दर प्रतिमास (रु.)	छात्रावास के लिए दर प्रतिमाह (रु.)	केवल वी.एच. के लिए पठन भत्ता प्रतिमाह (रु.)
1	पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा तीन तक प्राथमिक स्तर	100/–	180/–	–
2	मिडिल तथा हाई स्कूल कक्षा आठ तक	120/–	220/–	–
3	कक्षा नवीं तथा दसवीं तथा पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम	200/–	340/–	150/–
4	बी.ए./बी.एस.सी./ बी.कॉम आदि	300/–	440/–	300/–
5	बी.ई./बी. टैक./एम.बी.बी.एस./एल.एल.बी./ बी.एड./व्यावसायिक इंजी. अध्ययन आदि में डिप्लोमा/इनप्लांट ट्रेनिंग	420/–	580/–	300/–
6	एम.ए./एम.एम.सी./एम.कॉम./एल.एल.एम./एम. एड. आदि	420/–	580/–	300/–

- राज्य में 11 विशेष स्कूल चल रहे हैं जिनमें से 5 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 6 निजी हैं। 6 जिलों में कम से कम एक स्कूल चल रहा है।
- 506 स्कूलों में रैम्प तथा हेंड रेल्स लगे हैं।
- निम्नलिखित दरों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा 1222 निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई (**तालिका 4.27**)।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा भुगतान निःशक्त छात्रों (40 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाले) की निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है।

स्तर	दरें (रु.)
कक्षा XI, XII	2000/–
स्नातक स्तर	3000/–
उच्च स्नातक तथा अंडर ग्रेजूएट प्रोफेसनल तथा तकनीकी पाठ्यक्रम	4000/–
स्नातक स्तर व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम एम.फिल. पी–एच.डी. आदि	5000/–

- शैक्षणिक आवश्यकता वाले 238 बच्चों को आर. एम.एस.ए. के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी गई।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गमीर निःशक्तता वाले 1754 बच्चों को निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई है।
- आर.सी.आई. द्वारा नेहू के अन्तर्गत 4 अध्ययन केन्द्र अनुसीमित किए गए हैं। राज्य आई.ई. पर अध्ययन केन्द्रों में एस.एस.ए. के अन्तर्गत संसाधन केन्द्र प्रोन्नत करने के लिए आर.सी. आई. को अनुमोदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रियाधीन है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 53 संसाधन शिक्षक नियुक्त किए गए।
- सभी निःशक्तजनों की निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण, वर्दी आदि प्रदान की गई। 8074 निःशक्त बच्चे रेगुलर स्कूलों में नामांकित है। 199 नेत्रहीन बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गईं।

- निःशक्तजनों के अनुकूल पाठ्यक्रम पुनः बनाया गया है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा निकाय का पाठ्यक्रम लागू हैं। निम्न दृष्टि छात्रों के हित के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को परिवर्तित किया गया है।
- नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा हैं स्कूलों/विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा राज्य चयन बोर्ड की परीक्षाओं में निःशक्त बच्चों को प्रतिघंटा अतिरिक्त समय की अनुमति भी दी गई है।
- विशेष आवश्यकता वाले 1754 गंभीर निःशक्त बच्चों को परिवहन तथा अनुरक्षक दिया गया।

4.23.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य ने भारत सरकार की अधिसूचना सं. पी.ई. आर.(ए.आर)150/88/पी.टी./282 दिनांक 25.1.2012 द्वारा निर्धारित के अनुसार निःशक्तजनों के लिए (समूह ग तथा घ में) चिन्हित पदों की सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों का कार्यान्वयन नियत तथा परिचालित किया गया है।
- प्रशिक्षण तथा निःशक्तजनों का कल्याण, उच्चतम आयु सीमा में छूट, रोजगार का स्थायीकरण कार्य स्थल पर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपाय एवं बाधामुक्त वातावरण के सम्बन्ध में व्यवस्था के लिए धारा 38 के अन्तर्गत आदेश/योजनाएं जारी किए गए हैं।
- मेघालय औद्योगिक तथा निवेश प्रोन्नति नीति, 2012 के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को लागू लीज किराये का 50 प्रतिशत भुगतान करना होता है, यदि आवंटित भूमि/शेड/दुकान औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदा/विकास केन्द्र में हो।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों की 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान सी एण्ड आर.डी. योजनाओं के अन्तर्गत निःशक्त लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है

योजनाएं		लाभान्वित निःशक्तजनों की सं.
आई.ए.वाई	:	253
एस.जी.एस.वाई	:	15
आई.जी.एन.डी.पी.एस.	:	1470

4.23.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- राज्य सरकार ने राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से 444 निःशक्तजनों को सहायता तथा उपकरण प्रदान किए हैं।
- मेघालय औद्योगिक तथा निवेश प्रोन्नति नीति, 2012 के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकालांग व्यक्ति को लागू लीज किराए का 50 प्रतिशत भुगतान करना होता है, यदि आवंटित भूमि/शेड/दुकान औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदा/विकास केन्द्र हो।

4.23.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- बाधामुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 5 भवनों में संशोधन किया गया है। 49 सरकारी भवनों में रैम्प लगाए गए हैं।
- मेघालय शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 43 भवनों में बाधामुक्त वातावरण की व्यवस्था की गई है।

4.23.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, समाज कल्याण, बाबरी मेंसन, तृतीय तल, धनखेती, शिलोंग–793002, मेघालय, फोन न. : 0361–2229826, फैक्स : 0361–2225187, को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हैं अभी तक 8 संस्थानों का पंजीकरण जारी किया जा चुका है।

4.23.9 निःशक्तजन आयुक्तों की नियुक्ति (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन स्वतंत्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.23.10 शिकायतों का विवरण (धारा 62)

कुल मामले	:	13
निपटाए गए मामले	:	13
लम्बित मामले	:	00

4.23.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.28** में दिया गया है।

4.23.12 विविध (धारा 73)

- निःशक्तजनों को अवधि सूचना सं. टी.पी.टी. 185/83/435, दिनांक 28.11.2008 द्वारा निःशुल्क/रियायती पास दिए गए।

▼ तालिका 4.28

क्र. सं.	योजनाएं	निधि आवंटित (रु.)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रावृत्ति शैक्षणिक	33.00 लाख	1222
2	सहायता – शैक्षणिक साधन सामग्री	16.50 लाख	424 पुस्तकें अनुदान 224 वर्दी अनुदान 260 वाहन भत्ता (छात्र)
3	आर्थिक पुनर्वास	7.00 लाख (योजना) 3.00 लाख (गैर योजना)	40 18
4	निःशक्तता पेंशन	500/– प्रतिमास	6500
5	बेरोजगारी भत्ता	500/– प्रति मास	67
6	सहायता तथा उपकरण	एस.एस.आई.आर.पी.डी. के अन्तर्गत	444
7	स्वैच्छिक संगठनों की अनुदान सहायता	5.00 लाख	5 एन.जी.ओ.
8	राज्य के बाहर निःशक्तजनों को पुर्नवास उपचार	3.50 लाख	1

4.24 मिजोरम

4.24.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति पुनर्गठित की गई है तथा कार्यरत है। पिछली बैठक 30.1.2013 को हुई।

4.24.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति 14.1.2013 को पुनर्गठित की गई तथा कार्यरत हैं।

4.24.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- सर्वशिक्षा अभियान स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., एन.ई.आर.सी, एम.आई.ओ.एच., एन.जी.ओ. के साथ अभिसरण में मूल्यांकन शिविर संचालित करके जोखिम पर मामलों की पहचान के लिए 9508 बच्चों का मूल्यांकन किया गया।
- माता तथा बच्चों की पूर्व प्रसव तथा प्रसव के बाद देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में उपाय किए गए।
- पांच वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों के लिए प्रतिरक्षण कार्यान्वित किया गया तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा वर्ष में दो बार टीका लगाया गया। मोतिया बिन्द की रोकथाम के लिए नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया तथा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग, सर्वशिक्षा अभियान तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से नियमित अन्तरालों पर कार्यान्वित किया गया।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता पर रेडियो, टी.वी. तथा मुद्रित और मीडिया सामग्री के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई। निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित है।
- सभी अस्पतालों में प्रसव रोधी जांच कार्यान्वित की गई।
- सी.एच.सी., पी.एच.सी. तथा एस.सीज ने आई.एफ.ए. तथा कैल्शियम अनुपूरक वितरित किया। स्थानापन्न डिलीवरी पर विशेष जोर दिया गया। संस्थागत डिलीवरी के मामले में माता तथा नवजात बच्चे की प्रसव के बाद देखभाल की गई।

4.24.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- कुल 7797 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। राज्य में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। सभी को पुस्तकें वर्दियां तथा अन्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है। दृष्टिबाधित बच्चों को बड़े प्रिंट वाली पाठ्य पुस्तकें तथा नेत्रहीन छात्रों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं।
- 803 निःशक्त बच्चे निम्नलिखित दरों पर छात्रावृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

कक्षा 4 तक	रु. 360/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र
कक्षा 5 से 8 तक	रु. 480/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र
कक्षा 8 से 12 तक	रु. 1020/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र

- निःशक्तजनों को सामान्य स्कूलों से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 2272

सरकारी स्कूलों में निःशक्त तथा अतिरिक्त दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं।

- राज्य में 9 निजी विशेष स्कूल चल रहे हैं। विशेष शिक्षा में विशेष जागरुकतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 1 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है।
- राज्य में 2272 स्कूल/कालेज वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त हैं तथा रैम्पों और सुगमनीय शौचालयों से भी लैंस है।
- नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के हित के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को परिवर्तित किया गया है। वी.एच./निम्न दृष्टि छात्रों को लिपिक दिया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को स्कूल/कालिजों में लिखित परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
- यहां 45 विशेष शिक्षक हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विशेष शिक्षा में शिक्षकों को विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण दिलाती है।

4.24.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य ने अधिसूचना सं. ए–14011/1/97–पी एण्ड ए.आर (जी.एस.डब्ल्यू.) दिनांक 24.10.2007 के द्वारा सभी चार समूहों में 873 पद चिन्हित किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है

समूह	ओ.एच.	वी.एच.	एच.एच.	कुल
क	15	101	24	140
ख	14	103	74	191
ग	118	132	170	420
घ	29	70	23	122
कुल	**176**	**406**	**291**	**873**

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत आरक्षण के कार्यक्रम की प्रक्रिया आदेशित तथा प्रचलित की गई है। आईजोल, लुंगलेई तथा सेहा में तीन रोजगार कार्यालय विशेष रोजगार कार्यालयों के रूप में घोषित किए गए हैं।
- 3 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, जैसे कि महिला विकलांग प्रशिक्षण केन्द्र, आईजोल, पुरुष विकलाग प्रशिक्षण केन्द्र, आईजोल तथा महिला एवं पुरुष विकलांग प्रशिक्षण केन्द्र, लुंगलेई निःशक्तजनों के लिए समाज कल्याण विभाग द्व ारा चलाए जा रहे हैं।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इससे 22 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- विभिन्न राज्य विभागों द्वारा रिक्तियाँ विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अधिसूचित की जा रही है। विविध राज्य सरकार विभागों/संगठनों में 41 निःशक्त व्यक्ति नियोजित किए गए हैं। स्थापनाएं निःशक्त कर्मचारियों का रिकार्ड रख रही है।

4.24.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- राज्य ने 334 निःशक्तजनों को सहायता तथा उपकरण प्रदान किए, जो एलिमको द्वारा उपलब्ध कराए गए।
- निःशक्तजनों के लिए सिलाई तथा जूता बनाने के व्यवसाय में आईजोल तथा लुंगलेई में प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं।
- निःशक्तजनों को घर बनाने के लिए रियायती दर पर भूमि दी जाती है, बशर्ते कि वह परिवार का मुखिया हो और उसके अधिकार में कोई स्थल न हो। शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन विभाग इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है।

4.24.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- आईजोल विकास प्राधिकरण नए भवनों में बाधामुक्त वातावरण के लिए भवन नियम बनाती है।
- भिन्न भवनों में रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय निर्मित किए गए हैं।

4.24.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, चाल्टलांग–796012, मिजोरम सरकार, फोन नं. 0389–2343530, ई–मेल vanlaldini@yahoo.co.in को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य में अभी तक 9 संस्थानों को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

4.24.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- आयुक्त, निःशक्तता स्वतंत्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।
- निधि की मानीटरिंग के उद्देश्य से 1 निरीक्षण किया गया।

4.24.10 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.29** में दिया गया है।

4.24.11 विविध

- निःशक्तजन नियमावली अधिसूचित की गई है, जो मिजोरम निःशक्तजन (ई.ओ., पी.आर. एण्ड एफ.पी.) नियमावली, 1999 के नाम से है।

▼ तालिका 4.29

क्र. सं.	योजनाएं	राशि प्रति लाभार्थी प्रतिमाह	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	कक्षा 4 तक : 30/– प्रतिमाह कक्षा 5 से 7 : 40/– प्रतिमाह कक्षा 8 से 9 : 85/– प्रतिमाह	803
2	निःशक्तता पेंशन	250/– प्रतिमाह	200
3	बेरोजगारी भत्ता	250/– प्रतिमाह	25
4	सहायता तथा उपकरण	एल्मिको द्वारा प्रदत्त	334
5	वाहन भत्ता	1000/– प्रतिमाह	निःशक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए
6	स्वयं रोजगार (ऋण, अनुदान आदि)	2000/– प्रतिवर्ष छोटे व्यवसाय के लिए। 3000/– प्रतिवर्ष सूअर/मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए। सिलाई मशीन तथा मोची के औजार दिए गए।	65

4.25 नागालैंड

रिपोर्ट नहीं मिली।

4.26 ओडिसा

4.26.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है। इसकी एक बैठक 9.5.2012 को हुई।

4.26.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है। इसकी एक बैठक 21.8.2012 को हुई।

4.26.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- राज्य के सभी जिलों तथा ब्लाकों में जोखिम मामलों पर बच्चों की पहचान की जा रही है।
- निःशक्तताओं के कारण, शीघ्र पहचान तथा आधारभूत प्रबंधन तथा इसकी रोकथाम के बारे में आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।
- सामान्य स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता के बारे में सूचना का प्रचार करके एन.जी.ओ. के माध्यम से जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
- निःशक्तताओं के कारणों तथा अपनाए गए रोकथाम उपायों पर ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी स्लम बस्तियों के लोगों के बीच जागरूकता परंपरागत तथा लोक मीडिया के माध्यम ने की गई।
- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित किया गया हैं अनुपूरक पोष्टिकता कार्यक्रम में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। 6 रोकथाम योग्य बीमारियों के समक्ष बच्चों का प्रतिरक्षाकरण। बीमार तथा कुपोषित बच्चों के लिए निर्देशित सेवाएं उपलब्ध हैं।
- माता तथा बच्चों को प्रसव पूर्व तथा प्रसव के बाद देखभाल के लिए जननी सुरक्षा, शिशु सुरक्षा तथा पोषण कार्यक्रम उपलब्ध है।

4.26.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में निःशक्तजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- विशेष आवश्यकता वाले 1,14,658 निःशक्त बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) चिन्हित किए गए हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले 73,976 बच्चे नार्मल स्कूलों में पढ़ रहे है।
- 15 हजार सी.डब्ल्यूएस.एन. को बनी श्री छात्रवृत्ति दी गई।
- कुल 57,393 स्कूल वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त बनाए गए हैं तथा 16,583 स्कूलों में रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय लगे हैं।

- निःशक्तजनों को 2 घंटे की परीक्षा के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है।
- निःशक्तजनों को विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि निर्मूल्य दिए जा रहे हैं।
- नेत्रहीन/कम दृष्टि सी.डब्ल्यू.एस.एन. को लिपिक/लेखक की सेवा प्रदान करने के अनुदेश दिए गए हैं।
- सामान्य स्कूलों में निःशक्तजनों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- राज्य के 30 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। 5 विशेष स्कूलों/नार्मल स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। राज्य में विशेष स्कूलों की संख्या–

सरकारी	:	4
सरकारी सहायता प्राप्त	:	51
निजी	:	111

4.26.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने विभिन्न समूहों में नौकरियां/पद चिन्हित किए हैं–

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ
12	53	422	115

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आदेशित तथा परिचालित की गई है। सीधी भर्ती तथा सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है
- राज्य के प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत सभी एकेडमी तथा तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।

4.26.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- राज्य भीमा भोई भिन्न अक्षयम सामर्थ्य अभियान (बी.बी.एस.ए.) नामक योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों के लिए सहायता तथा अनुपकरण प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान कुल 25,328 निःशक्तजन लाभान्वित हुए हैं।
- रु. 24,000/– प्रतिवर्ष वार्षिक से कम आय वाले बेघर परिवारों के लिए वसुन्धरा योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटन की योजना सरकार द्वारा प्रारंभ की गई।

4.26.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- 4 सार्वजनिक भवनों की पहुंच जांच संचालित की गई।
- आयुक्त की वेबवाइट निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं।
- निःशक्तजनों के लिए सरकारी तथा निजी बसों दोनों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। ओडिसा राज्य परिवहन निगम ने सभी बस अड्डों में व्हील चेयर रखने और निःशक्तजनों को बाधामुक्त वातावरण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

4.26.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत संस्थानों के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए निदेशक, निःशक्तता कल्याण सक्षम प्राधिकारी है।
- अभी तक 221 संस्थान पंजीकृत किए गए हैं।

4.26.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन स्वतंत्र प्रभार ग्रहण किए हुए हैं।

▼ तालिका 4.30

क्र. सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	4.03 करोड़	14,790
2	आर्थिक पुनर्वास	12.15 करोड़	955 डी.आर.आई ऋण
3	निःशक्तता पेंशन	–	224085 (एम.बी.पी.वाई.) 110822 (आई.जी.एन.डी.पी.एस.)
4	बेरोजगारी भत्ता	–	–
5	सहायता तथा उपकरण	17.20 करोड़	155250
6	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	94.65 लाख	–
7	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	11.98 करोड़	52
8	कोई अन्य योजना (क) कुष्ठ रोग मुक्त का पुनर्वास (ख) सुधारात्मक सर्जरी	24 लाख 5 लाख	242 28

4.26.10 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

कुल मामले : 409
निपटाए गए मामले : 264
लम्बित मामले : 279

4.26.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.30** में दिया गया है।

4.26.12 विविध

- निशक्तजनों को निःशुल्क रियायती बस पासों की अनुमति है।
- राज्य निःशक्तता नीति बनाई गई है।
- 955 को ऋण स्वीकृत किया गया है।
- 75 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए 10 किलो चावल एक रुपया प्रति किलो देने की योजना है। इसके अन्तर्गत 80,000 निःशक्तजन आते हैं।
- 71,000 ए.डब्ल्यू.सी. के लिए जांच समिति में एक निशक्त व्यक्ति का समावेशन।
- निःशक्तता सम्बन्धी योजनाओं के लिए एकनिष्ट सभी जिलों में ए.डी.एस.डब्ल्यू.ओ. के 30 पद सृजित किए गए।

4.27 पुडुचेरी

4.27.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है।

4.27.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–31)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है,

परन्तु अवधि के समाप्त होने के कारण कार्यरत नहीं है।

4.27.3 निःशक्तता की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- सभी 4 जिलों में वर्ष, 2001–02 में सर्वक्षण का कार्य हाथ में लिया गया। जोखिम मामलों पर पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की जा रही है। निःशक्तताओं की रोकथम के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुडुचेरी सरकार तथा एन.आई.ई.पी.एम.ई.डी. चैन्नई के सहयोग से जागरूकता शिविरों, एन.जी.ओ. के साथ बैठकें आदि के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई, इस अभ्यास के माध्यम से 6500 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान पर जागरूकता सृजित करने के लिए संघ क्षेत्र में प्रतिवर्ष जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन जागरूकता शिविरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पराचिकित्सा स्टाफ को भी सम्मिलित किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। योजनाओं की बढ़ोतरी के लिए निःशक्ततों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तता दिवस, खेल दिवस के लिए टीवी तथा रेडियो कार्यक्रम में क्रमशः उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक उपस्थित होते हैं।
- जागरूकता शिविरों में गर्भवती तथा दुग्ध पिलाने वाली माताओं को मार्ग दर्शन दिया जा रहा है, जहां उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं/सहायकों द्वारा आवश्यक अनुदेश /दिशा–निर्देश दिए जाते हैं।

4.27.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्त बच्चों की संख्या :

नेत्रहीन/ निम्न दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधिता
348	830	267	483

- संघ क्षेत्र में सभी निःशक्त बच्चों की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिलें से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 427 सरकारी स्कूलों में सामान्य तथा निःशक्त बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। संघ क्षेत्र में 2 सरकारी, 2 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 5 निजी विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- दो जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है, जहां नार्मल स्कूल निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं से सज्जित है।
- 450 स्कूल तथा कालिजों में से 98 स्कूल वास्तु शिल्प की दृष्टि से बाधा मुक्त हैं।
- 52 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं।
- 250 निःशक्त छात्र निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं :

कक्षा 1 से कक्षा 5	–	रु. 250/– प्रति वर्ष
कक्षा 6 से कक्षा 8	–	रु. 500/– प्रति वर्ष
कक्षा 9 से कक्षा 12	–	रु. 850/– प्रति वर्ष
अण्डर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम	–	रु. 1250/– प्रति वर्ष
उच्च स्नातक/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम	–	रु. 1700/– प्रति वर्ष

- 2 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है। 139 निःशक्त बच्चों को निर्मूल्य पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। निःशक्तजनों के लिए काम दिलाने की व्यवस्था भी है।
- निःशुल्क बस पास जारी करके निःशक्तजनों को निःशुल्क परिवहन सुविधा है।

- वी.एच./कम दृष्टि वालों के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति परिवर्तित की गई है। पाठ्यक्रम पुनः निर्मित किया गया है तथा श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प है। वी.एच./निम्न दृष्टि छात्रों को लेखक दिया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को स्कूलों/कालेजों की परीक्षाओं में लिखने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।

4.27.5 रोजगार (धारा 26–31)

- संघ क्षेत्र ने चिन्हित पदों को केन्द्रीय सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आदेशित तथा परिचालित की गई है।
- संघ क्षेत्र में 388 निःशक्त व्यक्ति नियोजित है।
- शैक्षिक संस्थानों 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।
- सभी विभाग विशेष रोजगार कार्यालय, विभाग परिसर, गांधी नगर, पुडुचेरी को रिक्तियां अधिसूचित कर रहे हैं। विशेष स्वरोजगार कार्यालयों में 2493 निःशक्त व्यक्ति पंजीकृत हैं।

4.27.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- संघ क्षेत्र प्रशासन निःशक्तजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायता तथा उपकरण जारी करता है।
- केवल घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने तथा विशेष स्कूल स्थापित करने के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए निदेशक, समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए।

4.27.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- सरकार के सभी नए भवन निःशक्तजनों के लिए आसान पहुंच वाले बने हैं।
- 20 नई बसें निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है और संघ क्षेत्र में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत चलती है।
- सड़क तथा खंडजे निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है।
- वर्ष के दौरान 25 सार्वजनिक स्थानों की पहुंच जांच की गई।

4.27.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, समाज कल्याण विभाग नं. 1, सरदम बल नगर, पुडुचेरी–605005 फोन : 0413–2206812, 2205871, ई–मेल : socwel.pon@nic.in को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत 14 संस्थान पंजीकृत हुए हैं।

4.27.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–62)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

4.27.10 निकायों का निवारण (धारा 62)

प्राप्त मामले	:	04
निपटाए गए मामले	:	04
लम्बित मामले	:	शून्य

▼ तालिका 4.31

क्र.स.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु. लाखों में)	लाभार्थियों की सं. (2012–13)
1	छात्रवृत्तिः शैक्षणिक	2.00	250
2	सहायता, शैक्षणिक साधन सामग्री	2.35	194
3	वैवाहिक प्रोत्साहन	7.50	29
4	निःशक्तता पेंशन	3110.60	20952
5	स्वरोजगार (ऋण, अनुदान आदि)	3.38	474
6	वाहन अनुपूर्ति	20.05	2710
7	अनुग्रहपूर्वक (विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों के दाह संस्कार के समक्ष वित्तीय सहायता)	4.58	229
8	विविध रूप से सक्षम के कल्याण के लिए राज्य पुरस्कार	1.80	12
9	शारीरिक रूप से विकलांग की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान	0.50	300
10	विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए वार्षिक दौरा	6.00	250

4.27.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.31** में दिया गया है।

4.27.12 विविध

- निःशक्तजन नियमावली अधिसूचित की गई है।
- निःशुल्क/रियायती बस पासों की संख्या निम्नलिखित है–

दृष्टिगत बाधित	:	28
अस्थिबाधित विकलांग	:	68
श्रवणबाधित	:	45
मानसिक मंदता ग्रस्त	:	24

4.28 पंजाब

4.28.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है, इसकी पिछली बैठक 19.11.2012 को हुई।

4.28.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है, तथा कार्यरत है। पिछली बैठक 3.5.2012 को हुई।

4.28.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- राज्य के सभी जिलों में निःशक्तता के पैदा होने वाले कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण हाथ में लिया गया। निःशक्तता की रोकथाम के लिए पल्स पोलियो तथा अन्य कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए।
- निशक्तता की जांच के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनतर्गत मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल आयोडीन डेफिसिएन्सी डिस्आर्डर नियंत्रण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य से इससे 2810715 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- अपवर्तक त्रुटियों के लिए स्कूल बच्चों की जांच की गई और निःशक्त बच्चे आगे उपचार के लिए अस्पतालों को भेजे गए।
- सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता तथा अन्य रोकथाम उपायों के बारे में जनता के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए समय–समय पर विशेष चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य विज्ञान तथा पौष्टिकता के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।
- 668 पी.एच.सी. मेडिकल स्टाफ 9 निष्णात प्रशिक्षकों ने व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, लुधियाना पर निःशक्तता में प्रशिक्षण दिया।
- परिवार कल्याण विभाग, पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद माता तथा बच्चे की देखभाल करता है। सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियां दी जा रही हैं।

4.28.4 शिक्षा (धारा 26–61)

- राज्य में सभी निःशक्तजनों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। 9974 स्कूलों में सक्षम तथा निःशक्त दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। 22 जिलों में नार्मल स्कूल निःशक्त बच्चों को शिक्षा की सभी सुविधाओं से सज्जित है।
- राज्य में कुल 15 विशेष स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से सरकारी–3 तथा निजी–12 हैं। राज्य के 15 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। निःशक्तजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा वाले 3 स्कूल भी कार्य कर रहे हें।
- 19,110 स्कूल वासतु शिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त है, परन्तु 46 सरकारी कालेज, 325 गैर सहायता प्राप्त कालेज तथा 125 सहायता प्राप्त कालेज भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त हैं।
- 590 निःशक्त बच्चे कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक रु. 220/– प्रतिमाह की दरे से तथा 8वीं कक्षा से आगे वाले रु. 300/– प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- यहां अध्यापकों के लिए विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण के लिए 02 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। राज्य में निःशक्तजनों के लिए 440 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं।
- राज्य के 216 ब्लाकों में निःशक्तजनों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है। 81,761 निःशक्त बच्चों को निर्मूल्य अध्ययन सामग्री/पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। राज्य में श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम प्रभावी

है तथा वी.एच. के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति परिवर्तित की गई है। नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूलों/विश्व विद्यालय परीक्षाओं तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षाओं में निःशक्तजनों को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई हैं दूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे तथा स्कूल आने में सक्षम न होने वाले निःशक्त बच्चों की निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।

- 81,761 निःशक्त बच्चों की निर्मूल्य विशेष पुस्तकें वर्दी आदि प्रदान की गई।

4.28.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निःशक्तजनों के लिए चिन्हित नौकरियों की सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत नयूनतम 37 रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आदेशित तथा परिचालित की गई है।
- निःशक्तजनों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र, 4–सी, साउथ माडल ग्राम, ग्रीन फील्ड, लुधियाना पर कार्यरत हैं, टेलीफोन नं. 0161–2403066 है। कार्यालय के पास पंजीकृत है। वर्ष के दौरान समूह 'घ' में 15 रिक्तियां भरी गईं।
- निःशक्तजनों को उच्च आयु सीमा में 10 वर्षों तक छूट दी जा रही है।
- निःशक्तों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी नियोक्ताओं को 5 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- निःशक्तजनों के हित के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.28.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- ए.डी.आई.पी. योजना के अन्तर्गत राज्य सहायता तथा उपकरण प्रदान कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 693 निःशक्तजनों को उपकरण वितरित किए गए।
- घर बनाने, व्यवसाय की स्थापना, विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना तथा निःशक्तजन उद्यमियों सहित फैक्टरियों की स्थापना के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है। निःशक्तजनों को मकान/फ्लैट के 3 प्रतिशत आरक्षित कोटे के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर 5 प्रतिशत रियायत दी जा रही है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्तजनों को मुख्य प्रशासक, ग्रेटर मोहाली एरिया डवलपमेंट अथारिटी (जी.एम.ए.डी.ए.), एस.ए.एस. नगर, मोहाली से संपर्क करना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत 415 निःशक्तजनों को भूमि आवंटित की गई।

4.28.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- भवन उपनियम संशोधित किए गए हैं।
- राज्य में सभी सरकारी बसें निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है। 25 सड़कें तथा खडंगे भी निःशक्तजनों के लिए सुगनीय हैं।

4.28.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल विकास विभाग, एस.सी.ओ., 103–103, सैक्टर–34 ए, चंडीगढ़, टेलीफोन नं. 0172–2602726, फैक्स नं. 0172–2664533,

▼ तालिका 4.32

क्रम सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (लाख में)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	28.28	590
2	निःशक्तता पेंशन (रु. 250/– प्रतिमाह, उनके लिए जो कार्य करने में अयोग्य हैं)	4500	145844
3	बेरोजगारी भत्ता	–	168
4	साधन तथा उपकरण	1157.71	5 मामले
5	निःशुल्क/रियायती यात्रा	469.29	–

ई–मेल dsswed@rediffmail.com को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हैं निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अभी तक 120 संस्थान पंजीकृत हुए हैं।

4.28.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

4.28.10 शिकायतों का निवारण (धारा)

प्राप्त मामले	:	338
निपटाए गए मामले	:	338
लम्बित मामले	:	शून्य

4.28.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.32** में दिया गया है।

4.28.12 विविध (धारा 73)

- निःशक्तजन नियमावली अधिसूचित।
- चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया है।
- निःशक्तजनों को निःशुल्क/रियायती पास जारी किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत 19000 निःशक्तजन लाभान्वित हुए हैं। निःशक्तजनों के लिए सभी बस अड्डों पर व्हील चेयर तथा शौचालय उपलब्ध हैं।

4.29 राजस्थान

4.29.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित नहीं की गई है।

4.29.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित नहीं की गई है।

4.29.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- राज्य के सभी 33 जिलों तथा 249 ब्लाकों में निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्टाफ निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्रशिक्षित है।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित दो सर्वेक्षणों में, 1,49,025 बच्चों की जांच की गई जिनमें 65,722 मामले, जोखिम मामलों पर चिन्हित किए गए।
- पल्स पोलियो, अंधता नियंत्रण, माताओं की पूर्व प्रसव तथा प्रसव के बाद देखभाल जैसे विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए। निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- लोगों के बीच निःशक्तता के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए विज्ञापन, चिकित्सा शिविर, एन.जी.ओ. की भूमिका,पोलियो संशोधन शिविर आयोजित किए गए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति (बी.एच.एस.सी.) गठित की गई है।
- जननी शिशु कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व प्रसव, जांच, संस्थागत डिलीवरीज विकसित की गई तथा चिकित्सा मापदण्डों के अनुसार प्रतिरक्षण सहित माता तथा बच्चे के लिए प्रसव बाद जांच कार्यान्वित की जा रही है।
- चिकित्सकों, बहुउद्देशीय ग्रामीण कार्यकर्ताओं तथा जन प्रतिनिधियों को मानसिक रूप से बीमार तथा उनकी देखभाल आदि की पहचान के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

4.29.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। राज्य के सभी 33 जिलों में 33 विशेष स्कूल चल रहे हैं। निःशक्त बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा उपकरण दिए जा रहे हैं।
- राज्य में 7 सरकारी तथा 99 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल चल हैं।
- राज्य के 33 जिलों में कम से कम एक स्कूल चल रहा है। 73 विशेष स्कूल वर्ष के दौरान स्थापित किए गए। विशेष स्कूलों 4290 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- राज्य में 80 प्रतिशत स्कूल तथा 90 प्रतिशत कालिज/व्यावसायिक संस्थान वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त हैं।
- सभी ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा है। निःशक्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियों तथा अन्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- निःशक्तजनों के लिए स्थापन की सुविधा बढ़ाई गई है।
- रु. 40/– से रु. 330/– की रेंज में प्रतिमाह प्रतिछात्र, 3386 निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू है। नेत्रहीन/कमदृष्टि तथा निःशक्त छात्रों को परीक्षा में लिपिक/लेखक प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। स्कूल/विश्वविद्यालय तथा राज्य चयन बोर्ड की परीक्षाओं में निःशक्त छात्रों को अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।

- भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर निःशक्तजनों के लाभ के लिए कार्य कर रही है।
- राज्य के सभी ब्लाकों में निःशक्त बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा दी जा रही है।
- एन.जी.ओ. द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सरकार द्वारा ब्रेल पुस्तकें, साधन तथा उपकरण वितरित किए गए।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान, तकनीकी शिक्षा बोर्ड तथा राजस्थान तकनीकी विश्ववविद्यालय द्वारा निःशक्त छात्रों को एक घंटा अतिरिक्त समय दिया गया। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं में निःशक्तजनों को लेखक सुविधा भी दी जा रही है।
- सभी सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त कालेजों में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.29.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ–14(18)डीओपी/ए–II/96 पीटी, दिनांक 10.10.2002 द्वारा अधिसूचित निःशक्तजनों के लिए चिन्हित नौकरियों की सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आदेशित तथा परिचालित की गई है।
- तीन विशेष रोजगार कार्यालय, जयपुर, अलवर तथा अजमेर में कार्य कर रहे हैं।
- निःशक्तजनों को उच्चतम आयु सीमा में छूट बढ़ाई गई हैं।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.29.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना तथा निःशक्त उद्यमियों सहित फैक्टरियों की स्थापना के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है।
- राजस्थान नगर पालिका नियमावली, 1974 के अन्तर्गत निःशक्तजनों तथा गूंगे, बहरों के लिए शिक्षा संस्थान के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध हैं। यहां सेना के निःशक्त कर्मचारियों के लिए भी रियायती दर पर आवासीय भूमि आवंटन का प्रावधान है।
- 11173 निःशक्तजनों की निःशुल्क या रियायत दर पर साधन तथा उपकरण प्रदान किए गए।

4.29.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसें निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है। बसों में निःशक्तजनों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर में निम्न तल बसें भी चल रही हैं।
- भवनों में बाधामुक्त पहुंच सुनिश्चित करते हुए माडल भवन उपनियम अधिसूचित किए गए हैं। 557 भवन/सार्वजनिक स्थान निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है। राज्य में लालबत्तियों पर 16 श्रवण संकेत लगे हैं।
- निःशक्तजनों को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक उपयोग के भवनों की जांच संचालित की गई।

4.29.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से अपने अपने जिलों में सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सक्षम प्राधिकारी है। अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अभी तक 326 संस्थान पंजीकृत हुए हैं।

4.29.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।
- निःशक्तजनों के लिए कार्यरत एन.जी.ओ. को रु. 347.67 लाख वितरित किए।

4.29.10 शिकायतों का निवारण (धारा 60)

प्राप्त मामले	:	1545
निपटाए गए मामले	:	1492
लम्बित मामले	:	53

4.29.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 67–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.33** में दिया गया है।

▼ तालिका 4.33

क्र.सं.	योजना	आवंटित निधि (रु. लाखों में)	वर्श, 2012–13 में लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षिणक	175.00	3386
2	शैक्षणिक साधन सामग्री के लिए सहायता	1285.00	11173
3	निःशक्तता पेंशन	–	–
4	बेरोजगारी भत्ता	रु. 600/– प्रतिमाह	144
5	साधन तथा उपकरण	प्रोस्थेटिक विधमान के लिए सहायता की योजना	11173
6	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	347.67	–
7	विकलांगों या बाल कल्याण के क्षेत्र में राज्य स्तर पर पुरस्कार	3.00	6
8	निःशक्तता की पहचान	35.00	308
9	निःशक्तों के लिए खेल कार्यक्रम	42.00	160
10	निःशक्तों की शादी के लिए शिविर	190.00	397
11	पोलियो संशोधन शिविर	55.00	248
12	आस्था योजना के अन्तर्गत चिन्हित निःशक्त परिवार को रियायत	10.00	1647
13	निःशक्तों के लिए अनुपूरन योजना	7.78	14
14	स्वरोजगार के लिए निःशक्त पेंशनधारियों की सहायता	0.05	0

4.29.12 विविध (धारा 60)

- भवन उपनियम संशोधित किए गए हैं।
- निःशक्तजन नियमावली, 2011 अधिसूचित की गई है।
- निःशक्तजनों को निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।
- राज्य सरकार ने निःशक्तजनों के कल्याण के लिए राज्य निःशक्तता नीति बनाई है।

4.30 सिक्किम

4.30.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्य कर रही है।

4.30.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- कार्यपालक समिति गठित की है तथा कार्यरत है।

4.30.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- निःशक्तजनों की स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग समिति गठित की गई हैं एस.टी.एन.एस. अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक बोर्ड के प्रमुख होंगें और जिला अस्पतालों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष के रूप में होंगे।
- सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टर विशेष शिक्षा केन्द्रों, सहवासियों के स्वास्थ्य जांच के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों का निःशुल्क आवधिक निरीक्षण करेंगे। निःशक्त व्यक्तियों को विशेष देखभाल तथा प्राथमिक रूप से उपचार प्रदान किया गया।
- विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए ब्लाक स्तर पर राज्य स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाता है।

4.30.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में निःशक्तजनों को निःशुल्क तथा आवश्यक शिक्षा दी गई है। विशेष पुस्तकें, उपकरण, वर्दियां तथा वाहन सुविधा आदि निःशुल्क प्रदान की गई हैं सामान्य स्कूलों में निःशक्तजनों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- कालिमपोंग तथा दार्जिलिंग में विशेष स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को रु. 500/– प्रतिमाह की दर से वृत्तिका तथा वर्दी भत्ता रु. 500/– प्रतिवर्ष, प्रति बच्चे की दर से प्रदान किए जा रहे हैं।
- निःशक्त बच्चों को निम्नलिखित दरों पर छात्रावृत्ति दी गई–

कक्षा 1 से 6	:	रु. 300/– प्रतिमाह
कक्षा 7 से 8	:	रु. 500/– प्रतिमाह
कक्षा 9 से 12	:	रु. 700/– प्रतिमाह
उच्च शिक्षा	:	रु. 800/– प्रतिमाह
राज्य से बाहर पढ़ने वालों को	:	रु. 2000/– प्रतिमाह

- 34 छात्र छात्रवृत्ति तथा वृत्ति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा कल्याण विभाग श्रवण बाधितों के लिए सिचे बुस्ती, गंगटोक एक आवासीय स्कूल चला रहा है, जिसमें शिक्षा तथा गैर शिक्षण स्टाफ की संख्या

10 है। इस स्कूल में वर्तमान में 18 निःशक्तजन नामांकित हैं।

- स्पास्टिक सोसायटी ऑफ सिक्किम (एन.जी.ओ.) स्पास्टिक बच्चों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्र टी.एन.एस.एस. स्कूल, गंगटोक में चला रहा है। स्कूल में कुल 72 निःशक्तजन नामांकित हैं।
- नेशनल ऐसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, सिक्किम वी. एच. के लिए जवाहर लाल नेहरू संस्थान के नाम से एक संस्थान नामची, बूमटेर में चला रहा है। इस संस्थान में कुल 40 निःशक्तजन नामांकित हैं। राज्य सरकार भी नेत्रहीन छात्रों के मार्गदर्शन के लिए ब्रैल पुस्तकें, ब्रैल प्रिंटिंग सहित कम्प्यूटर, दृष्टि सम्बन्धी अथारिटी रीडर्स तथा राइटर्स प्रदान कर रही है।

4.30.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने भारत सरकार की अधिनियम सूचना सं. 107/जीईएन/डीओपी, दिनांक 4.2. 2005 द्वारा अधिसूचित के अनुसार चिन्हित नौकरियों की सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 37, रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आदेशित तथा संचालित की गई है। समूह ग तथा घ पदों में सभी सीधी भर्ती में निःशक्तजनों के लिए सपाट आरक्षण है।
- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क में निःशक्तजनों को छूट दी गई है। भर्ती अभियानों में निःशक्तजनों को आयु में 10 वर्ष की छूट है। आरक्षित पदों के लिए प्रतियोगी निःशक्तजनों को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

4.30.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- एस.टी.एन.एम. काम्पलैक्स, गंगटोक में कार्यरत जिला निःशक्तता पुर्नवास केन्द्र निःशक्तजनों को साधन तथा उपकरण उपलब्ध करा रहा है।
- एस.ए.जी.सी.पी.ओ., स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम निशक्तजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत कर रहे हैं। ऋण की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार ने एस.ए.बी.सी.सी.ओ की और रु. 20/– लाख तक की ब्लाक गारंटी एन.एच.एफ.डी.सी. के साथ निष्पादित की है।
- निःशक्तजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु जोरथांग, दक्षिण सिकिक्म में परिरक्षित कार्यशाला संचालित की है। हस्तशिल्प तथा हथकरघा विभाग निःशक्तजनों को मास्क कारविंग कारपेट बुनाई, बेंत बुनाई का प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान कर रहा है, ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें।

4.30.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- राज्य के व्यापक क्षेत्र में निःशक्तजनों की पहुंच बनाने के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा कल्याण विभाग ने दो मोबाइल पुनर्वास यूनिटें उपलब्ध कराई हैं।
- सभी जिला अस्पतालों में बाधामुक्त वातावरण उपलब्ध है तथा रैम्प जैसी सुविधाएं हैं। सिक्किम मनीपाल अस्पताल में लिफ्ट तथा एलीवेटर लगे हैं।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ स्कूल/कालिज की बाधामुक्त बनाए हैं।
- निःशक्तजनों की सेवा के सम्बन्ध में सभी सरकारी विभाग सुगमनीय हैं।
- सभी राज्य परिवहन की बसों में स्थान आरक्षित हैं तथा निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- पदोन्नति के मामले निःशक्तजनों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सिक्किम सरकार अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन कर रही है।

4.30.8 अनुसंधान तथा जनशक्ति विकास (धारा 48–49)

- निःशक्तजनों के लाभ के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान करने हेतु अलीयावरजंग एन.आई.एच.एच. द्वारा निधिकृत निःशक्तता सूचना लाइन (डी. आई.एल.) एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक के परिसर में दिसम्बर, 2011 को प्रारंभ की गई। डी.आई.एल. के हेल्प लाइन नं. : 03592–201181, 204081 तथा ई–मेल dilnihh.sikkim@gmail.com है।

4.30.9 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से आयुक्त एवं सचिव, सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा कल्याण विभाग, लोवर सचिवालय भवन, गंगटोक–737101 सक्षम प्राधिकारी है।

4.30.10 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रसार के साथ नियुक्त किया गया है।

4.30.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 67–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.34** में दिया गया है।

4.30.12 विविध

- सिक्किम निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियमावली अधिसूचित की गई है।
- निःशुल्क वाहन सुविधा की अनुमति है।

▼ तालिका 4.34

क्र.सं.	योजना	प्रति लाभार्थी राशि	लाभर्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	कक्षा 1 से 6ठी : 300/– प्रति लाभार्थी कक्षा 7 से 8वीं : 500/– प्रति लाभार्थी कक्षा 9 से 12वीं : 700/– प्रति लाभार्थी उच्च अध्ययन : 2000/– प्रति वर्ष राज्य से बाहर : पहली से आठवीं 800/– प्रति लाभार्थी वर्दी भत्ते के रूप में : 500/– प्रति वर्ष	34
2	निःशक्तता पेंशन (राज्य निःशक्तता पेंशन)	रु. 600/– प्रतिमाह, आई.जी.एन.डी.पी.एस. के अन्तर्गत	586
3	बेरोजगारी भत्ता	निर्वाह भत्ता रु. 600/– प्रतिमाह की दर से	3344

4.31 तमिलनाडु

4.31.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति पुनर्गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.31.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति पुनर्गठित की गई है, तथा कार्यरत है।

4.31.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- निःशक्तताओं के पैदा होने वाले कारणों का पता लगाने के लिए पी.एच.सी. स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य नर्स द्वारा तथा म्यूनिसिपल स्तर पर ए.एन.एम. द्वारा सर्वेक्षण हाथ में लिया गया, जिससे राज्य के 32 जिले शामिल हुए। निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचाने के लिए जागरूकता सृजन हेतु सभी जिलों में जागरूकता शिविर लगाए गए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नियमित प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। निःशक्तताओं की शीघ्र रोकथाम के लिए 10,040 ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू, पर्यवेक्षक तथा वी.एच.एन., 4650 सी.आर. डब्ल्यूज, 150 एम.आर.डब्ल्यूज. तथा 10683 स्वयं सेवी ग्रामीण प्रशिक्षित किए गए।
- वजी कट्टुमथट्टिम के अन्तर्गत विविध रूप से सक्षम के लिए, सर्वेक्षण हेतु कल्याण कार्यकर्त्ता निःयुक्त किए तथा 32 जिले इस योजना में शामिल किए गए।
- तीन फिल्में (बहरापन बाधा नहीं है, निःशक्तों के लिए राज्य आयुक्त द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं तथा सरकारी संस्थानों में मानसिक मंदता के लिए अर्पित सेवाएं) बनाई गईं।
- तमिलनाडु में निःशक्तताओं की रोकथाम तथा जागरूकता सृजन के लिए 69.58 लाख बच्चों के मौखिक पोलियों वेक्सीन का प्रबंध किया गया।
- 10 जिलों में निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए समग्र बाल विकास सेवा विभाग कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता पर तमिलनाडु सरकार ने जागरूकता सृजन के लिए व्यय किया है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता कार्यों के प्रोत्साहन के लिए, आई.सी.डी.एस. क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं का सुग्राहीकरण विशेष शिविर लगाए गए। राज्य संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (एस.आर.टी.सी.) द्वारा निःशक्तताओं की रोकथाम पर प्रशिक्षण संचालित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 जिले शामिल हुए। पूर्व प्रसव महिलाओं को पोष्टिकतायुक्त आहार दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तीन दिन के लिए एक दिन में तीन बार आहार प्रदार किया गया तथा गर्भवती माताओं को 7 दिन के लिए एक परिचर दिया गया।

4.31.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हैं। निःशक्त बच्चों को नार्मल स्कूलों में

दाखिला दिया जाता है। नियमित स्कूलों में सक्षम तथा निःशक्त दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं।

- राज्य में 23 सरकारी, 54 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 345 निजी विशेष स्कूल चल रहे हैं। राज्य में विविध रूप से सक्षम बच्चों के लिए 2 कालेज भी चल रहे हैं। सभी सरकारी विशेष स्कूलों में छात्रावास की सुविधा है।
- गंभीर रूप से निःशक्त बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों में 368 दिवस देखभाल केन्द्र चल रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से 7215 गंभीर निःशक्त बच्चे लाभान्वित हुए। निःशुल्क वाहन सुविधा, पोष्टिकता युक्त आहार, खेल सामग्री की आपूर्ति तथा वर्दी निशुल्क देने का प्रावधान है।
- 17 जिलों मे 125 एस.आर.बी. केन्द्र चल रहे हैं, अभी 979 एम.आर. बच्चे इन केन्द्रों में नामांकित हैं, जो एन.जी.ओ. के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले 23,660 निःशक्त बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई।
- राज्य के 32 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा हैं सभी जिलों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए नार्मल स्कूल सुविधाओं से सज्जित है। एन.जी.ओ. द्वारा चलाए जा रहे स्कूल सहित 55 विशेष स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित हैं।
- 34,750 स्कूलों में रैम्प लगे हैं तथा 5,900 स्कूल संशोधित शौचालयों से सज्जित हैं। सभी विशेष स्कूलों में निःशक्त बच्चों के लिए बाधामुक्त वातावरण है।
- 23,573 निःशक्त बच्चे निम्नलिखित दरों पर छात्रावृत्ति तथा पठन भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

कक्षा/पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष (रु.)	वी.एच के लिए पठन भत्ता प्रतिवर्ष
पहली से 5वीं कक्षा	500/–	–
6ठी से आठवीं कक्षा	1500/–	–
9वीं से 12वीं कक्षा	2000/–	1500/–
स्नातक	3000/–	2500/–
उच्च स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम	3500/–	3000/–

- राज्य में निःशक्तजनों के प्रबंध में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 3 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं तथा 36 संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुमोदन से बी.एड. (विशेष शिक्षा), विशेष शिक्षा में डिप्लोमा चला रहे हैं।
- राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए कुल 931 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। प्रतिवर्ष विशेष शिक्षक विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। राज्य के 385 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है। कुल 1889 निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सम्बन्धित उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 1740 निःशक्त राज्य सरकार से निःशुल्क वर्दी प्राप्त कर रहे हैं।
- नेत्रहीन/कमदृष्टि तथा गम्भीर रूप से निःशक्त छात्रों को लिपिक/लेखक प्रदान किया गया। कक्षा ग्यारह से आगे के नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों को गणित में छूट दी गई। निःशक्त छात्रों को उनकी परीक्षा के दौरान एक घंटा अतिरिक्त समय दिया गया। श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा से छूट दी गई। निःशक्त बच्चों को स्कूलों के लिए निःशुल्क वाहन दिया गया।

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 95,901 निःशक्त बच्चे तथा आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत 5340 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 23,660 निःशक्त बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई।

4.32.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने केवल समूह 'क' तथा 'ख' में निःशक्तजनों के लिए भारत सरकार द्वारा चिन्हित नौकरियों की सूची को अपनाया है।
- राज्य ने विभिन्न समूहों में निःशक्तजनों के लिए नौकरियों/पदों को चिन्हित किया है, जो निम्न हैं–

समूह 'क'	–	117,
समूह 'ख	–	170,
समूह 'ग' तथा 'घ'	–	सभी पद

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया सभी विभागध्यक्षों, जिला कलैक्टरों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के पंजीयकों को आदेशित तथा परिचालित की गई है।
- वर्ष, 2006–2012 की अवधि में 4232 निःशक्तजनों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से और 1385 निःशक्तजनों को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के माध्यम से रोजगार दिया गया।
- राज्य में 14 विशेष रोजगार कार्यालय चल रहे हैं। सभी विभाग विशेष रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित कर रहे हैं।
- सभी जिला कलैक्टर, एस.जी.एस.वाई., मनरेगा तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से निःशक्तजनों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण भवन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। अभी तक 1452 मकान विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों को आवंटित किए गए।

4.32.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 43)

- वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 18877 निःशक्तजनों की निःशुल्क साधन तथा उपकरण प्रदान किए गए।
- विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध हैं अभी तक 5 मामलों में भूमि प्रदान की गई।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए निःशक्तजनों को प्रधान सचिव/राज्य आयुक्त निःशक्तजन, चैन्नई तथा सम्बन्धित जिलों के जिला विविध रूप से सक्षम कल्याण अधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए।
- गम्भीर रूप से अस्थिबाधित विकलांगों के लिए एक सरकारी विशेष स्कूल मदुराई में चल रहा है।

4.31.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- महानगर परिवहन ने व्हील चेयर व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए 07 निम्नतल बसों को पुनः डिजाइन किया है। इसके साथ–साथ 100 निम्नतल बसें राज्य परिवहन निगम द्वारा चालू की गई हैं।
- 12 यातायात प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर श्रवण संकेत लगाए गए हैं। राज्य में सड़क तथा खडंजे निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं। निःशक्तजनों की सभी श्रेणियों के लिए बाधामुक्त वातावरण प्रदान करने में स्टाफ को सार्वजनिक भवनों में पहुंच जांच संचालित करने तथा उचित सुझाव देने के लिए प्रशिक्षित किया गया हैं। वर्ष में एक पहुंच जांच की गई।

4.31.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50)

- संस्थानों को पंजीकरण जारी करने के लिए प्रधान सचिव/राज्य आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 322 संस्थान पंजीकृत तथा आबाधित रूप से नवीनीकृत किए गए हैं।

4.31.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन स्वतंत्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.31.10 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

प्राप्त मामले	:	09
निपटाए गए मामले	:	08
लम्बित मामले	:	01

4.31.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य मामले (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.35** में दिया गया है।

4.31.12 विविध

- राज्य सरकार ने जी.ओ. (एम.एस.) नं. 21, विविध रूप से सक्षम कल्याण विभाग, दिनांक 17.6. 2011 द्वारा राज्य निःशक्तजन नियमावली को संशोधित किया है।
- सरकार ने सभी बहुमंजिला भवनों में विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए ''तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय (बहुमंजिला तथा सार्वजनिक भवनों में विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान) नियमावली, 2013 जारी की है।
- निःशक्तजनों की निःशुल्क तथा रियायती बस पास जारी किए गए हैं। इसके 24,304 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

4.32 त्रिपुरा

4.32.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित है तथा कार्यरत है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी दो बैठकें हुई।

4.32.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित तथा कार्यरत हैं पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी दो बैठकें हुई।

4.32.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- सभी 4 जिलों में सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिया गया है।
- सरकार ने निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए जागरूकता का सृजन, निःशक्तताओं की शीघ्र पकड़ तथा पहचान तथा उसके इलाज के लिए शीघ्र हस्तक्षेप जैसे कई उपाय अपनाए हैं।
- डी.डी.आर.सी. ने निःशक्तताओं का शीघ्र पता लगाने तथा इस की रोकथाम के लिए ब्लाक तथा स्कूल स्तर पर जागरूकता शिविर संचालित किए हैं।

▼ तालिका 4.35

क्र. सं.	योजनाएं	राशि प्रतिलाभार्थी/ आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2012–13
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	1 से 5वीं कथा = 500/= प्रतिवर्ष 6 से 8वीं कक्षा–1500/= प्रतिवर्ष 9 से 12 वीं कक्षा = रु. 2000/= प्रतिवर्ष स्नातक रु. 3000/= प्रतिवर्ष उच्च स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम रु. 3500/= प्रतिवर्ष	23,453
2.	शैक्षिणिक सहायता सामग्री के लिए सहायता	91.37 लाख	2567
3.	आर्थिक पुनर्वास	स्वरोजगार एन.एच.एफ.डी.सी. –14.76करोड़	4276
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	3.07 करोड़	754
5.	मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों के लिए निःशक्तता पेंशन तथा अनुरक्षण भत्ता	127.77 लाख	11,829
6.	बेरोजगारी भत्ता	11.08 करोड़	25,303
7.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	यह तमिलनाडु सरकार की नई बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	5.69 करोड़	18.877
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान 1. 32 जिलों में एच.आई. के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र 2. 30 जिलों में एम.आर. के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र 3. एम.आर. के लिए कार्यरत विशेष शिक्षकों का वेतन 4. एम.आर. के लिए एन.जी. ओ. द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को वित्तीय सहायता 5. 14 वर्ष की आयु से ऊपर के एम.आर. व्यक्तियों के लिए 27 आवास 6. 28 जिलों में ईआईसी 7. ई.आई.सी./दिवस देखभाल केन्द्रों में कार्यरत विशेष शिक्षकों को मानदेय रु. 10,000/–	 78.69 लाख 154.88 लाख 4.80 करोड़ रु. 1.98 करोड़ रु. 236.51 लाख रु. 60.20 लाख रु. 52.24 लाख	 0–2 वर्ष के आयु वर्ग के 960 बच्चे 0–6 आयु वर्ग के 1600 बच्चे 400 विशेष शिक्षक, 200 थेरोपिस्ट 96 संस्थान 1080 व्यक्ति 360 व्यक्ति 286 विशेष शिक्षक

क्र. सं.	योजनाएं	राशि प्रतिलाभार्थी/ आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2012–13
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	भारत सरकार द्वारा एस.आई.पी.डी.ए. के अन्तर्गत आवंटित रु. 4.38 करोड़	नि:शक्तजनों द्वारा प्रयुक्त सभी जिला कलक्टोरेट, जिला पुनर्वास केन्द्रों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों में बाधायुक्त वातावरण सृजित किया गया है। पहियेदार कुर्सीबद्ध व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए 7 निम्न तल बसें हैं।
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	रु. 14.05 करोड़	सरकारी संस्थानों को पूर्ण समर्थन दिया गया है।
13.	वाहन उपादान	रु. 17.47 करोड़	11,26,795 फेरे
14.	अन्य योजनाएं पाठक भत्ता	40.30 लाख	2673

4.32.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- राज्य में नि:शक्तजनों के लिए नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध है। विशेष आवश्यकता वाले 3575 बच्चे नियमित स्कूलों में तथा 140 नि:शक्त बच्चे विशेष स्कूलों में नामांकित किए गए हैं। नि:शक्त बच्चों को नार्मल स्कूलों में दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- 2 जिलों (पश्चिम तथा उनाकोटी) में विशेष स्कूल हैं।
- राज्य में 2376 स्कूल वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त हैं।
- स्कूल स्तर पर रु. 250/– प्रति माह, प्रति निशक्त बच्चे की दर से तथा कालिज स्तर पर रु. 350/– प्रतिमाह प्रति नि:शक्त बच्चे की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है। नि:शक्त बच्चों को नि:शुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि प्रदान की जाती है।
- नि:शक्त बच्चों के लिए किराए में रियायत उपलब्ध है।

4.32.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए समूह 'ग' तथा 'घ' में पद चिन्हित किए हैं।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आदेशित तथा परिचालित की गई है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में भी 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।

- अगरतला में एक विशेष रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है।

4.32.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- ए.डी.आई.पी. के अन्तर्गत 5855 निःशक्त बच्चों की साधन तथा उपकरण प्रदान किए।
- रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना केवल एन.जी.ओ. द्वारा विशेष स्कूल स्थापित के उद्देश्य के लिए विद्यमान है।

4.32.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- राज्य सरकार ने सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थान/ भवन निःशक्तजनों के लिए बनाने की अधिसूचना जारी की है।
- आवास भवन नियमावली, 2004 के माध्यम से भवन नियम संशोधित किए गए हैं।

4.32.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- उपायुक्त, निःशक्तजन, त्रिपुरा सरकार को संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.32.9 गंभीर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थान (धारा 56)

- आई.एस.आर. अगरतला गम्भीर निःशक्तग्रस्त व्यक्तियों के लिए चल रहा है।

4.32.10 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.32.11 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

प्राप्त मामले	:	33
निपटाए गए मामले	:	30
लम्बित मामले	:	03

4.32.12 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.36** में दिया गया है।

4.32.13 विविध (धारा 73)

- निःशक्तजन नियमावली अधिसूचित की गई है।

4.33 उत्तर प्रदेश

4.33.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.33.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई तथा कार्यरत है।

4.33.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- निःशक्तताओं के पैदा होने वाले कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण हाथ में लिया

▼ तालिका 4.36

क्र. सं.	योजना	प्रति लाभार्थी राशि (रु.)	आवंटित निधि (रु.)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	स्कूल स्तर पर रु. 250/– कालिज स्तर पर रु. 350/–	–	–
2	सहायता : शैक्षणिक साधन सामग्री	पठन सामग्री तथा वर्दी वर्ष में एक बार	–	3575
3	आर्थिक पुनर्वास	–	–	–
4	वैवाहिक प्रोत्साहन	5000/– (शादी के समय पर)	–	–
5	नि:शक्तता पेंशन'	रु. 400/–	–	1565
6	बेरोजगारी भत्ता	रु. 1000/–	–	33
7	साधन तथा उपकरण	–	13.46 लाख	299
8	स्वरोजगार	–	एन.एच.एफ.डी.सी. योजना के अन्तर्गत 56 लाख	–
9	सरकारी संस्थानों की सहायता अनुदान	–	21.95 लाख	3 संस्थान

*पूर्व रिपोर्ट के आधार पर।

गया। 75 जिलों में ऐसे 747 मामलों का पता लगाया गया।

- नि:शक्तताओं के समाहार के लिए ट्रामा सेन्टर में उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी नि:शक्तजनों को नरम जूते प्रदान किए जा रहे हैं तथा प्राथमिक जांच के बाद नि:शक्तों के उचित उपचार तथा पुनर्वास की सुविधाएं हैं
- गर्भवती माता तथा बच्चों को कैल्शियम के कैप्सूल तथा विटामिन डी दिया जा रहा हैं बच्चे में नि:शक्तता का पता लगाने के बाद एम.टी.पी. के प्रावधान किए जा रहे हैं।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जोखिम पर पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की गई हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजन के लिए 7 एस.एच.जी. द्वारा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- नि:शक्तताओं की शीघ्र पहचान तथा रोकथाम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4.33.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- नि:शक्त कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों में पढ़ रहे 18 वर्ष की आयु तक के नि:शक्त बच्चों की संख्या–

नेत्रहीन/ निम्न दृष्टि	चलन नि:शक्तता	मानसिक मंदता	वाक तथा श्रवण बाधित
499	87	65	503

- राज्य में निःशक्त बच्चों की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। नार्मल बच्चों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के सख्त अनुदेश जारी किए गए है।
- राज्य में 21 सरकारी तथा 105 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल चल रहे हैं। राज्य के 34 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। विशेष स्कूलों में 1338 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। 582 विशेष/नार्मल स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
- 2948 स्कूलों में निःशक्त बच्चे नार्मल बच्चों सहित पढ़ रहे हैं।
- विकलांग कल्याण विभाग के अनतर्गत 21 स्कूल तथा 9 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं।
- समाज कल्याण विभाग निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है।
- विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए राज्य में एन.जी.ओ. के अन्तर्गत 2 सरकारी तथा 7 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।
- 75 जिलों में सभी प्राथमिक विद्यालय तथा 380 कालेज बाधामुक्त हैं। 2980 स्कूलों में बाधामुक्त पहुंच हैं डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय निःशक्तता कल्याण विभाग द्वारा वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त बनाई गई है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य के 582 ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी विशेष स्कूल जरूरतमंद बच्चों को विशेष पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान कर रहे हैं।
- नेत्रहीन/निम्नदृष्टि बच्चों के लाभ के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति को परिवर्तित किया गया है। निःशक्तों के अनुकूल पाठ्यक्रम पुनः निर्मित किया गया है। नेत्रहीन/कमदृष्टि तथा अन्य निःशक्त बच्चों को परीक्षा में लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर परीक्षा में लिखने के लिए निःशक्त बच्चों की प्रति घंटा दस मिनट अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में कुल 3,70,413 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।

4.33.5 रोजगार (धारा 32–41)

- राज्य ने आदेश सं. 35/65–03–78/99 दिनांक 13.1.2011 द्वारा निःशक्तजनों के लिए सभी समूहों में 585 पद चिन्हित किए हैं।
- निःशक्तजनों के लिए चिन्हित पदों में आरक्षण हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की गई।
- राज्य में 16 विशेष रोजगार कार्यालय चल रहे हैं।
- उच्चतम आयु सीमा में छूट लागू है।

4.33.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- उत्तर प्रदेश सरकार के निःशक्तता कल्याण विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 6726 निःशक्तजनों को साधन तथा उपकरण प्रदान किए ।
- धर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजकन केन्द्रों की स्थापना, विशेष स्कूल तथा अनुसंधान केन्द्रों तथा निःशक्तताग्रस्त उद्यमियों को फैक्टरी लगाने के लिए, निःशक्तजनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना है।

4.33.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- राज्य परिवहन विभाग निम्नतल बसें चला रहा है।

4.33.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- निदेशक, विकलाग कल्याण, उत्तर प्रदेश, 9वां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ, फोन : 0522–2287089 को संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 2092 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं।

4.33.9 गम्भीर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थान (धारा 56)

- गम्भीर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए गौरखपुर, बरेली तथा मेरठ में 3 संस्थान, निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, 9वां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ फोन : 0522–2287267 के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत चल रहे हैं।

4.33.10 निशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60–63 तथा 65)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार संहित नियुक्त किया गया है।
- वर्ष के दौरान एन.जी.ओ. को राज्य द्वारा रु. 2700 लाख का सहायता अनुदान वितरित किया गया।

4.33.11 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

प्राप्त मामले	:	3151
निपटाए गए मामले	:	3139
लम्बित मामले	:	12

4.33.12 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.37** में दिया गया है।

▼ तालिका 4.37

क्र.सं.	योजना	प्रति लाभार्थी राशि (रु.)	आवंटित निधि (रु.)	लाभार्थियों की सं.
1	वैवाहिक प्रोत्साहन	15,000/– या 20,000/– प्रति जोड़ा	–	1,591
2	निःशक्तता पेंशन	300/– प्रतिमाह	–	8,02,270
3	साधन तथा उपकरण	6,000/–	–	6,726
4	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान	–	0.27 करोड़	07
5	वाहन उपदान	–	4.50 करोड़	–
6	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	10.72 करोड़	1410
7	कोई अन्य योजना	–	78.40 करोड़	–

4.33.13 विविध

- ब्रेल प्रेस स्थापित की गई है।
- स्वरोजगार/उच्च शिक्षा के लिए ऋण सुविधा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, जो एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
- उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन बसों में यात्रा के लिए नियम सरल किए गए हैं। वर्ष के दौरान 37.54 लाख निःशक्त व्यक्ति लाभान्वित हुए।

4.34 उत्तराखंड

4.34.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–18)

- राज्य समन्वय समिति 5.7.2011 को पुनर्गठित की गई है, तथा कार्यरत है।

4.34.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति एक बार गठित की गई, परन्तु अब कार्यरत नहीं है। इसके सदस्यों के पुनः नामांकन के लिए कार्यवाही प्रक्रिया में है।

4.34.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- राज्य में स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय करके सभी 13 जिलों में सर्वेक्षण संचालित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों, बाल विकास कार्यक्रम अधिकारियों तथा जिला आशा संसाधन केन्द्रों को जिला स्तर पर निष्णात प्रशिक्षण दिया गया।
- जोखिम मामले पर सभी बच्चों की पहचान की जा रही है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा 0 से 6 वर्ष समूह के बच्चों की जांच की गई तथा आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा 6 से 18 तथा 18 सं 60 वर्ष आयु समूह वालों की जांच की गई।
- निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए पल्स पोलिया कार्यक्रम संचालित किया गया।

4.34.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- स्कूलों में पढ़ रहे 18 वर्ष की आयु तक के निःशक्त बच्चों की संख्या :

नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्त	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधिता	अन्य निःशक्तताएं	कुल
7944	5210	2613	2343	2893	21003

- निःशक्त बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- विशेष स्कूलों की संख्या हैः सरकारी–1, निजी–15।
- बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, उपकरण, वर्दी तथा अन्य सामग्री प्रदान की गई।
- 3767 निःशक्त बच्चों ने नीचे दी गई दरों पर छात्रवृत्ति प्राप्त की–

कक्षा	राशि (रु.)
कक्षा 1 से 5	50/– प्रतिमाह
कक्षा 6 से 8	80/– प्रतिमाह
कक्षा 9 से 10	170/– प्रतिमाह
कक्षा 11 से 12	85/– प्रतिमाह
स्नातक	125/– प्रतिमाह
स्नातकोत्तर पाठ्य क्रम	170/– प्रतिमाह
उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम	170/– प्रतिमाह

- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों के हित के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्य क्रम लागू किया गया है। नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों के लिए लिपिक/लेखक की सेवा उपलब्ध है। स्कूल/विश्वविद्यालय परीक्षाओं तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षाओं में निःशक्त बच्चों के लिए 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई।

4.34.5 रोजगार (धारा 32–41)

- उत्तराखंड सरकार ने आदेश सं. 196/XVIII–2/2011–29(एस.ए.)/2003, दिनांक 25.3.2011 द्वारा 63 विभागों में पद चिन्हित किए गए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

समूह 'क' तथा 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'	समूह 'ग' तथा 'घ'
281	237	34	26

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण के लिए प्रक्रिया आदेशित तथा परिचालित की गई है। अभी तक राज्य के विभिन्न विभागों में 941 निःशक्तजन नियुक्त किए जा चुके हैं।
- देहरादून में एक विशेष रोजगार कार्यालय चल रहा हैं
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

4.34.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- निःशक्तजनों को रु. 600/– प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन दी जाती है।
- अस्थि बाधित विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए मूल्यों के अनुसार अधिक रु. 3500/– की सहायता देने का प्रावधान है। कुल 644 निःशक्त लाभान्वित हुए, जिस पर रु. 23.51 लाख व्यय हुए।
- घर बनाने तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

4.34.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- परिवहन विभाग, उत्तराखंड ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सभी बस अड्डों पर रैम्प की व्यवस्था करने तथा निःशक्तजनों के अनुकूल शौचालय बनाये जाने के निदेश दिए हैं। निःशक्तजन राज्य परिवहन की बसों में भी रियायती यात्रा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- इस वर्ष में दो स्थानों की पहुंच की जांच की गई।
- सचिवालय भवन में निःशक्तजनों के लिए लिफ्टें लगाई गई हैं।

4.34.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- स्थापना तथा निःशक्तजनों के लिए संस्थानों के अनुरक्षण हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने

▼ तालिका 4.38

क्र. सं.	योजना	निधि आवंटित लाख में (रु.)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	35.32	37.67
2	निःशक्तता पेंशन	3823.01	52,417
3	वैवाहिक प्रोत्साहन	12.3	97
4	साधन तथा उपकरण	23.51	644
5	वाहन उपदान	127.75	2,34,272

के उद्देश्य से निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखंड को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 51 संस्थानों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए।

निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखंड दुर्गा भवन, कालाढुंगी रोड, हल्दवानी, जिला नैनीताल टेलीफोन नं. 05746–282233, 282813

4.34.9 निशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- राज्य आयुक्त, निःशक्तजनों के लिए अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।
- वर्ष के दौरान निधि की मानीटरिंग के लिए एक निरीक्षण किया गया।

4.34.10 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

मामले/शिकायत प्राप्त : 63
मामले/शिकायतें निपटाई गईं : 62
मामले/शिकायतें लम्बित : 1

4.34.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.38** में दिया गया है।

4.35. पश्चिम बंगाल

4.35.1 राज्य समन्वय समिति का गठन (धारा 13–21)

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.35.2 राज्य कार्यपालक समिति का गठन (धारा 19–21)

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई तथा कार्यरत है।

4.35.3 निःशक्ततों की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25)

- प्रतिरक्षण, पूर्व प्रसव तथा प्रसव के बाद स्वास्थ्य जांच ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू द्वारा गर्भवती तथा नर्सिंग जननियों के साथ नियमित मासिक बैठकें, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, आई.ई.सी. के माध्यम से स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर सामान्य जागरूकता, स्कूल तथा कालिज छात्रों में

▼ तालिका 4.39

नेत्रहीन/ कम दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधिता	अन्य निःशक्तताएँ	कुल
36,418	47,538	36,177	43,476	15,970	1,79,579

जागरूकता तथा निःशक्तता की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

- निःशक्तता के विभिन्न पहलुओं टी.वी., रेडियो, एफ.एम. तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।

4.35.4 शिक्षा (धारा 26–31)

- नियमित स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्त बच्चों की संख्या **तालिका 4.39** में दर्शाया गया है।
- 24215 निःशक्त बच्चों की गृह आधारित शिक्षा उपलब्ध है।
- राज्य के सभी 19 जिलों में विशेष स्कूल उपलब्ध है।
- राज्य में पहुंच के लिए 52,000 स्कूल बाधा मुक्त हैं।
- कक्षा 8 तक पढ़ रहे निःशक्त छात्र रु. 300/– प्रतिमास की दास से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। वी.एच. छात्र रु. 100/– प्रतिमास की दर से पाठक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। एल.एच. तथा एम.आर. को रु. 150/– प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता दिया गया तथा शिक्षण सामग्री के समक्ष रु. 500/– प्रतिवर्ष भी दिए गए।
- नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों के हित के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया गया है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है।

4.35.5 रोजगार (धारा 32–41)

- सभी समूहों के लिए पदों की पहचान की गई।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आदेशित तथा संचालित की गई है।
- शिक्षण संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जा रहे हैं।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- निःशक्तजनों के लिए एक जाब मेला लगाया गया जिसमें कारपोरेट क्षेत्र में 110 निःशक्तजनों को रोजगार मिला।

4.35.6 सकारात्मक कार्यवाही (धारा 42–43)

- प्रोस्थेटिक सहायता योजना के अन्तर्गत 1236 लाभार्थियों को साधन तथा उपकरण प्रदान किए गए।
- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्र खोलने के लिए, विशेष स्कूल, अनुसंधान केन्द्र, खोलने तथा निःशक्त उद्यमियों द्वारा फैक्टरियां लगाने के लिए रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

4.35.7 विभेद का न किया जाना (धारा 44–47)

- कोलकाता नगर निगम ने भवन उपनियमों को संशोधित किया है।

▼ तालिका 4.40

क्र.सं.	योजना	आवंटित निधि (रु.)	लाभार्थियों की सं.
1	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक (कक्षा 9 से नीचे के लिए) • रु. 300/– प्रतिमास • रु. 100/– प्रतिमाह पाठक भत्ता, वी.एच. के लिए • रु. 150/– प्रतिमाह, व हन भत्ता एल.एच. तथा एम.आर के लिए • रु. 500/– प्रतिवर्ष, शिक्षण तथा पठन सामग्री के लिए (कक्षा 9 से ऊपर) • रु. 120/– से रु. 170/– (एस.एस.ए. के अन्तर्गत सी.डब्ल्यू.एस.एन. की छात्रवृत्ति) • रु. 400/– प्रति वर्ष • रु. 400/– प्रति वर्ष वर्दी भत्ता • अनुरक्षक भत्ता रु. 750/– प्रति वर्ष की दर से, एस.डी. के लिए तथा रु. 4000/– प्रतिवर्ष, वी.आई. तथा एम.डी. के लिए • पाठक भत्ता रु. 500/– प्रति वर्ष, वी.आई. के लिए	3.00 करोड 30.00 लाख 3.00 करोड़ (अनुमानतः)	5,000 2500 21417
2	आर्थिक पुनर्वास रु. 10,000/– तक (एक बार सहायता)	41.00 लाख	410
3	सहायक : शैक्षणिक सहायता सामग्री • एस.एस.ए. के अन्तर्गत पुस्तकें, वर्दी आदि प्रदान की गई। • रु. 500/– प्रति वर्ष सीखने व शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए सहायता।		5000
4	स्वरोजगार	रु. 50,000/– तक का ऋण तथा रु. 12,500/– का न्यूनतम अनुदान प्रति लाभार्थी	–
5	नि:शक्तता पेंशन रु. 750/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी	3.63 करोड	40,276
6	सहायता अनुदान : • एन.जी.ओ. • विशेष स्कूल	 15.00 लाख 5.00 करोड़	 25 72
7	साधन तथा उपकरण	30.00 लाख	1236
8	सरकारी संस्थानों की सहायता अनुदान दो विशेष स्कूल रु. 1250/– (शिक्षा) + रु. 2200/– चिकित्सा तथा भोजन के लिए	46.78 लाख	113
9	नि:शक्त कर्मचारियों का बीमा	जी.आई.एस.एस. के अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं।	–

- ❒ महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजित किया गया है।
- ❒ समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत 8071 स्कूलों में बाधामुक्त शौचालय बनाए गए हैं।

4.35.8 निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की मान्यता (धारा 50–55)

- ❒ निःशक्तजनों के लिए स्थापना तथा संस्थानों के अनुरक्षण हेतु पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी है।

4.35.9 निःशक्तजनों के लिए आयुक्त (धारा 60)

- ❒ राज्य आयुक्त, निःशक्तजन स्वतंत्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।
- ❒ वर्ष के दौरान निधि की मानीटरिंग के लिए 68 निरीक्षण किए गए।

4.35.10 शिकायतों का निवारण (धारा 62)

प्राप्त मामले/शिकायतें	:	511
निपटाएं गए मामले/शिकायतें	:	500
लम्बित मामले/शिकायतें	:	46

(बैकलाग सहित)

4.35.11 सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 66–68)

निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं का विवरण **तालिका 4.40** में दिया गया है।

4.35.13 विविध

- ❒ पश्चिम बंगाल निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1999 अधिसूचना सं. 2101–एम. डब्ल्यू./1ए–14/97 दिनांक 8.7.1999 के माध्यम से अधिसूचित की गई और इसे अधिसूचना सं. 9835–एम.डब्ल्यू./1ए–14/97 भाग–1, दिनांक 27.12.2011 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

अध्याय

V

शिकायतों का निवारण

5.1.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन को निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 58 तथा 59 के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे निःशक्तजनों के अधिकारों तथा सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएं तथा निःशक्तजनों के कल्याण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए गए कानूनों, नियमों, उपनियमों आदि के कार्यान्वित नहीं किए जाने तथा उनके अधिकारों के ह्रास से संबंधित शिकायतों का निवारण करें।

5.1.2 मुख्य आयुक्त के इस कार्यालय में रोजगार/शिक्षा में आरक्षण को लागू न किए जाने या गलत ढंग से कार्यान्वित करने, अनुचित चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा संबंधी लाभ देने से इंकार करने तथा अन्य सेवा सबंधी मामले, शिक्षा हेतु मूलभूत सुविधाएं न देने, दाखिले से मना करने, परीक्षा में लिखने, हतोत्साहित करने, दिवानी/फौजदारी विवाद, सुगम्यता संबंधी मामले, बैकिंग सुविधाओं को नकारने, प्राथमिकता के आधार पर भूमि, पैट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों आदि का आवंटन न करने जैसे कई मुद्दों से संबंधित शिकायतें/अन्य आवेदन प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में संगठन तथा निःशक्त व्यक्ति भी निःशक्तता से संबंधित विविध मामलों में स्पष्टीकरण मांगते हैं। निःशक्तता अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा निःशक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के किसी कानून, नियम और विनियम आदि के उल्लंघन मामले में मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय ऐसे मामले को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है और या तो बातचीत/सलाह द्वारा समाधान करता है या अर्ध–न्यायिक कार्रवाई की जाती है, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश/सलाह के साथ आदेश पारित करके संपन्न किया जाता है।

5.1.3 इस कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस का विस्तृत प्रारूप तैयार किया है, जो संक्षेप में शिकायतों के तथ्यों की जानकारी, कानून की स्थिति, किए गए उल्लंघन और प्रतिवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली उपचारात्मक कार्रवाई के तरीके की जानकारी भी प्रदान करता है। इससे निःशक्तजनों के अधिकारों के संबंध में शिकायतों के निवारण कें लिए मुख्य आयुक्त में निहित अर्ध–न्यायिक अधिकारों के प्रयोग में सहायता मिली है। मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन ने स्वयं अपनी ओर से पहल करके उन स्थापनाओं के विरुद्ध शिकायतें/मामले दर्ज किए हैं जिनके कार्यों से निःशक्तजनों के लिए किए गए वैधानिक प्रावधानों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है।

5.1.4 इस प्रकार के हस्तक्षेप के फलस्वरूप कानून के विविध प्रावधानों, निःशक्तजनों के प्रति स्थापनाओं की जिम्मेदारियों तथा उनके निःशक्तजनों के प्रति

अभिवृत्तिक तथा व्यवहारगत परिवर्तन एवं शिकायत निवारण के तंत्र के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ी है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान मुख्य आयुक्त की समुक्तियां तथा निदेश भी नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने में कारगर सिद्ध हुए हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा के संचालन के लिए दिशा निर्देश, आई.बी.पी.एस. इत्यादि द्वारा भेदभावपूर्ण स्थितियों में परिवर्तन आई.यू.ए.सी. द्वारा भवन आवंटन नियमों में संशोधन।

5.1.5 मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने अक्टूबर, 1998 में अपनी स्थापना के समय से 31.03.2013 तक 15309 मामले (मोबाईल कोर्ट में उठाए गए मामलों के अतिरिक्त) स्वयं अपनी पहल पर या कार्यालय से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों के आधार पर हाथ में लिए। वर्ष 2012–13 में 1190 मामले दर्ज किए गए। वर्ष, 2012–13 में पंजीकृत नए मामलों के अतिरिक्त, 980 (मोबाइल अदालतों के 5 मामलों सहित) पिछले वर्ष के लंबित मामलों की उचित कार्रवाई के लिए जांच भी की गई।

5.1.6 वर्ष, 2011–12 की तुलना में मुख्य आयुक्त के कार्यालय में दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि (लगभग 11.74 प्रतिशत तक) हुई।

5.1.7 कुल मामले 1023 (वर्ष 2011–12 के दौरान 714 के समक्ष) निपटाए गए, 31 मार्च, 2013 की तिथि को 1142 शिकायतें प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल कोर्ट के दौरान उठाए गए 5 लम्बित मामलों में से 01 मामला निपटाया गया और 04 मामले प्रक्रिया में हैं। इस प्रकार 31.3.2013 की तिथि को 1146 मामले लम्बित रहे।

5.1.8 मुख्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा इसके प्रारंभ में पंजीकृत तथा निपटाए गए मामलों की वर्षवार संख्या **तालिका 5.1** में दी गई है।

5.2 वर्ष, 2012–13 के दौरान प्राप्त हुई। निपटाई गई गंभीर शिकायतों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

5.2.1 शिक्षा/परीक्षा के आचरण से सम्बन्धित मामले

(i) मामला सं. 15/1043/12–13

डॉ. अनिल अनेजा, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय नेत्रहीन परिसंघ ने दृष्टिबाधित उम्मीदावार के विरुद्ध बैंक कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस.) द्वारा भेदभाव के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिनांक 17.1.2013 दर्ज किया। उसने बताया कि आई.बी.पी.एस. ने दिनांक 17.6.2012 को परीवीक्षा अधिकारी के पद के लिए लिखित परीक्षा संचालित की। नेत्रहीन/निम्नदृष्टि उम्मीदवार ने दिशा निर्देशों के अनुसरण में एक लेखक का घोषणा परिपत्र/लेखक का फोटोग्राफ तथा अपने योग्यता प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की। उसने आगे आरोप लगाया कि कई दृष्टिबाधित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की, और उन्हें 14.1.2013 से प्रारंभ अधिसूचित साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। आई.बी.पी.एस. ने तब दो नई शर्तें लाद दीं, जो भेदभावपूर्ण हैं तथा निःशक्तजन अधिनियम, 1995 का उल्लंघन करती हैं। उनमें से पहली थी, आई.बी.पी.एस. द्वारा उपलब्ध कराए गए परिपत्र में निःशक्तता प्रमाण प्रस्तुत करना तथा दूसरी थी लेखक के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। यह मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत इस न्यायालय के पत्र दिनांक 10.01.2013 द्वारा निदेशक आई.बी.पी.एस. के समक्ष उठाया गया।

▼ तालिका 5.1

वर्ष	कार्यालय में प्राप्त मामले तथा स्वविवेक से उठाए गए मामलों सहित	मोबाइल कोर्ट में दर्ज शिकायतें	वर्ष के दौरान कुल दर्ज मामले	पूर्व वर्षों का बैकलाग	कुल मामले	निपटाए गए मामले (कार्यालय)	निपटाए गए मामले (मोबाइल कोर्ट)	कुल निपटाए गए	आगे ले जाए गए
1998–99	65	शून्य	65	0	65	12	शून्य	12	53
1999–00	476	शून्य	476	53	529	355	शून्य	355	174
2000–01	944	शून्य	944	174	1118	803	शून्य	803	315
2001–02	2386	2200	4580	315	4901	1331	2200	3531	1370
2002–03	427	शून्य	427	1370	1797	1409	शून्य	1409	388
2003–04	534	शून्य	534	388	922	718	शून्य	718	204
2004–05	970	शून्य	970	204	1174	977	शून्य	977	197
2005–06	1413	144	1557	197	1754	1333	144	1477	277
2006–07	1576	366	1942	277	2219	1401	366	1767	452
2007–08	1178	3941	5119	452	5571	680	3941	4621	950
2008–09	1161	3591	4752	950	5702	1103	3580	4683	1019
2009–10	931	शून्य	931	1019	1950	1070	1	1071	879
2010–11	993	शून्य	993	879	1872	1238	2	1240	632
2011–12	1065	05	1070	632	1702	714	8	722	980
2012–013	1190	शून्य	1190	980	21070	1023	1	1024	1146

निदेशक, आई.बी.पी.एस. ने अपने पत्र सं. 10829 दिनांक 10.1.2013 द्वारा सूचित किया कि उन्होंने ये उपर्युक्त दोनों शर्तें हटा दी है। निःशक्त उम्मीदवार अपने पास उपलब्ध निःशक्तता प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं और लेखक के मूल प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार के केवल वचनबंध से ही यह उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा।

(ii) मामला सं. 44/1031/12–13

एक दृष्टि बाधित व्यक्ति, सुश्री के. उषा ने विदेशी भाषा कार्यक्रम में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को दाखिले से मना करने के सम्बन्ध में दिनांक 26.4.2012 को एक शिकायत दर्ज की, क्योंकि विदेशी भाषा विभाग उनके लिए लेखक की व्यवस्था करना मुश्किल समझ रहा था। इस न्यायालय ने यह मामला अपने पत्र दिनांक 4.6.2012 द्वारा

उपकुलपति, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के साथ उठाया। कुल सचिव, प्रभारी, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय ने अपने पत्र सं. एफ.ई. एल.यू./एम.ए.(एफ.एल.)/एफ–45/2012, दिनांक 18.7.012 द्वारा सूचित किया, जैसा कि सुश्री के. उषा ने उन्हें लिखित में सूचित किया कि वह लेखक की व्यवस्था कर सकती है, उसे आवेदन की अनुमति दी गई। सुश्री के. उषा ने निःशक्तजन श्रेणी के अन्तर्गत एम.ए. स्पेनिश के लिए आवेदन किया और उसे निःशक्तजनों के लिए कोटे के अधीन विधि के प्रावधान के अनुसार एक स्थान प्रदान किया गया।

(iii) श्री रवीन्द्र कुमार जैन, एक निम्न दृष्टि व्यक्ति ने बैंक कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस.) द्वारा संचालित विशेषज्ञ अधिकारी परीक्षा में निम्न दृष्टि उपकरण प्रयोग करने के लिए 8.5.2012 को एक शिकायत दर्ज। उसके अनुसार परीक्षा के संचालकों ने उसे प्रारंभ में इलैक्ट्रॉनिक मैगनी फायर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी, जबकि लिखने तथा पढ़ने के लिए उसे निम्नदृष्टि उपकरण के प्रयोग की आवश्यकता है। उसने अनुरोध किया कि उम्मीदवारों को निम्नदृष्टि उपकरण, अतिरिक्त समय तथा लेखाचित्र आधारित प्रश्नों से छूट मिलनी चाहिए। यह मामला पत्र दिनांक 22.8. 2012 द्वारा अधिनियम, 1995 की धारा 59 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी के अन्तर्गत निदेशक, आई.बी.पी.एस. के साथ उठाया गया। निदेशक, आई.बी.पी.एस. ने अपने पत्र 6.9.2012 द्वारा सुनिश्चित किया कि सरकारी दिशा–निर्देशों का बिना विचलन के पालन किया जाएगा। उन्होंने शिकायतकर्त्ता को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की।

(iv) मामला सं. 49/1031/12–12

श्री नौमेन अंसारी, 82 प्रतिशत निःशक्तताग्रस्त एक व्यक्ति ने आई.आई.टी. में प्रवेश के सम्बन्ध में 21.6.2012 को एक शिकायत दर्ज की। शिकायत कर्त्ता ने आरोप लगाया कि उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 39 के अन्तर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिले के लिए कम से कम 3 प्रतिशत स्थान निःशक्तजनों के लिए उपलब्ध है। शिकायतकर्त्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे भी नीचे के रैंक पाने वाले उम्मीदवारों को स्थान आवंटित किए जा रहे हैं। शिकायतकर्त्ता का रैंक 165 था। यह मामला पत्र दिनांक 21.6.2012 द्वारा अध्यक्ष आई.आई.टी. जे.ई.ई. के साथ उठाया गया। शिकायतकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.8.2012 द्वारा सूचित किया कि उसे आई.आई.टी. हैदराबाद में एक स्थान आवंटित कर दिया गया है और शिकायत को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

(v) मामला सं. 129/1032/12–13

श्री विकास गुप्ता ने शिकायत दर्ज की कि श्री विकास कुमार विकी, जो 50 प्रतिशत चलन निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति है, उसने महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में समाज कार्य में तथा शांति एवं अहिंसा और जनजाति तथा दलित अध्ययन में भी एम.फिल. में प्रवेश के लिए आवेदन किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि इन पाठ्यक्रमों में किसी निःशक्त व्यक्ति का चयन नहीं किया गया। मामला निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के उपकुलपति के समक्ष उठाया गया और यह भी सूचित किया कि एम.फिल. जैसे पाठ्यक्रमों में जहां सीटों की संख्या बहुत कम होती है, वहीं

निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 39 के अनुसार 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण आवश्यक है, यदि आवश्यक हो तो विभिन्न विषयों में सभी उपलब्ध सीटों की पूलिंग करके आदेश का पालन किया जाए। रजिस्ट्रार–महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि प्रतीक्षा सूची के परिणाम की घोषणा के बाद श्री विकास कुमार विकी को एम.फिल. में अहिंसा तथा शांति अध्ययन में प्रवेश दे दिया गया।

5.2.2 रोजगार से सम्बन्धित मामले

(i) मामला सं. 83/1015/11–12

50 प्रतिशत चलन निःशक्तता से ग्रस्त एक व्यक्ति जितेन्द्र सिंह ने सिविल सर्विस परीक्षा 2010 के आधार पर सेवा के आवंटन न करने के सम्बन्ध में 18.12.2011 को एक शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि यद्यपि उसने 838 रैंक प्राप्त किया और आई.आर.एस. के लिए विचारित होने पर कुछ चिकित्सीय रूप से अयोग्य उम्मीदवार के रूप में उसे सेवा आवंटित नहीं की। यह मामला निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत 22.12.2011 के पत्र द्वारा कार्मिक तथा प्रशिक्षाण विभाग के साथ उठाया गया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने श्री जितेन्द्र को भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) आवंटित की।

(ii) मामला सं. 83/1041/12–13

श्री अब्दुल कलाम अंसारी, एक 80 प्रतिशत चलन तथा श्रवण बाधिता ग्रस्त व्यक्ति ने लिपिक के बिना सभी आई.बी.पी.एस. परीक्षाओं में अतिरिक्त समय के प्रावधान के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज की। उसके अनुसार उसका दाया हिस्सा पूरी तरह से अकार्यशील है परन्तु वह परीक्षा में स्वयं लिखते हैं। निःशक्तता के कारण उसकी निःशक्ता की गति प्रभावित हुई है। यह मामला पत्र दिनांक 20.11.2012 द्वारा निःशःक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत निदेशक, आई.बी.पी.एस. के साथ उठाया गय। निदेशक आई.बी.पी.एस. ने अपने पत्र सं. 9510, दिनांक 29.11.2012 द्वारा स्पष्टीकरण दिए कि कौन से मामले में लेखक का इस्तेमाल न करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकते हैं। निदेशक, आई.बी.पी.एस. को, बैंकिंग परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 13018/11/2004–ए.आई.एस.;प्द्ध दिनांक 16.4.2008 में किए गए प्रावधानों को विस्तार देने की सलाह दी गई। निदेशक आई.बी.पी.एस. ने अपने पत्र सं. 10012, दिनांक 12.12.2012 द्वारा सूचित किया कि उन्होंने श्री अब्दुल कलाम अंसारी को प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया है और उन्होंने सभी केन्द्र प्रभारियों को सूचित किया कि यदि कोई उम्मीदवार चलन निःशक्तता तथा सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त है, तो उसे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दे दिया जाए।

(iii) मामला सं. 67/1015/11–12

श्री नीतेश कुमार त्रिपाठी, 65 प्रतिशत चलन निःशक्तता से ग्रस्त एक व्यक्ति ने, निःशक्तजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक में परीवीक्षा अधिकारी के पद के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति/

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास प्रदान कर रहा है, परन्तु निःशक्तजनों को नहीं। यह मामला पत्र दिनांक 12.8.2011 द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ उठाया गया। वित्तीय सेवाएं विभाग ने न्यायालय के पत्र की प्रति अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को अग्रेषित कर दी। इस मामले में कुछ राष्ट्रीय कृत बैंकों से उत्तर प्राप्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का उत्तर संतोषजनक नहीं था तथा मामला 20.6.2012 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया। उप प्रबंध निदेशक तथा कार्पोरेट विकास अधिकारी एस.बी.आई. ने अपने पत्र सं. एच.आर./सी.एम./6/एस.पी.एल./1048 दिनांक 25.9.2012 में सूचित किया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार भविष्य में सामान्य श्रेणी में निःशक्तजनों के लिए परिवीक्षा अधिकारी के लिए सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में भविष्य में प्रयासों की संख्या 7 कर दी गई है।

(iv) श्री सोमेश जैन, नेत्रहीन एक व्यक्ति ने दिनांक 20.10.2011 को लिपिक वर्गीय कैडर में दृष्टि बाधित उम्मीदवार के चयन न करने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि उसने लिपिक वर्गीय कैडर पद के लिए लिखित परीक्षा पास कर ली है और 22.7.2011 को साक्षात्कार में उपस्थित हुए। उसे इस आधार पर कि दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए इस पद पर विचार करना उचित नहीं है, अन्त में प्रथम दृष्टया ही उसका चयन नहीं किया गया। बैंक लिपिक का पद नेत्रहीन तथा कम दृष्टि व्यक्ति के लिए चिन्हित उपयुक्त है, यह सूचना देते हुए यह मामला निःशक्तजन (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत बैंक आफ बड़ौदा के साथ उठाया गया। उप महाप्रबंधक (एच.आर.एम. तथा प्रशासन) बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने पत्र सं. बी.सी.सी.एच.आर.एम. : एच.आर–ए : 104/सी–27/4912, दिनांक 28.5.2012 द्वारा सूचित किया कि श्री सोमेश जैन को 21.3.2012 से नियुक्त कर लिया गया है और उसे रेलवे परिसर शाखा, अजमेर क्षेत्र तैनात कर दिया गया है।

(v) मामला सं. 60/1013/11–12

सुश्री प्रियंका कुमारी, 100 प्रतिशत श्रवण बाधा ग्रस्त शिकायतकर्त्ता ने 09.05.2011 को शिकायत दर्ज की कि वह देरी से पत्र प्राप्त होने के कारण अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती। उसने बताया कि उसे उनके कानपुर मुख्यालय पर 29.01.2010 को आयोजित लिपिक परीक्षा के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा के लिए एयर फोर्स स्टेशन, कानपुर का 28.02.2011 का पत्र दिनांक 07.04.2011 को मिला। यह मामला पत्र दिनांक 31.5.2012 द्वारा निःशक्तजन (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत विंग कमांडर, एयर फोर्स स्टेशन, चकेरी, कानुपर के साथ उठाया गया। प्रतिवादी से उत्तर प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रतिवादी ने शिकायत कर्त्ता, सुश्री प्रियंका कुमारी से दिनांक 28.02.2011 का पत्र भेजने/बांटने का प्रमाण प्रस्तुत करने का अनुरोध इस न्यायालय से किया। पत्र बांटने के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद यह मामला पत्र दिनांक 5.1.2011 के द्वारा पोस्ट मास्टर, चकेरी पोस्ट आफिस, कानपुर के साथ उठाया गया और इस न्यायालय को डिलीवरी प्रमाण पत्र के साथ सुश्री प्रियंका कुमारी को पत्र की डिलीवरी की सूचना दी गई। डाकघरों के

वरिष्ठ अधीक्षक, कानुपर सिटी ने अपने 15.11.2011 के पत्र द्वारा सूचित किया कि साधारण पत्र/यू.पी.सी. पत्र की पोस्टिंग तथा डिलीवरी के बारे में डाकघरों में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता, इसलिए पत्र की डिलीवरी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी, एयर फोर्स स्टेशन, चकेरी, कानपुर को दिनांक 23.12.2011 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस मामले की सुनवाई 26.6.2012 को निर्धारित की गई। दिनांक 9.7.2012 के आदेश के अनुपालन में विंग कमांडर, वरि. प्रशसनिक अधिकारी, एयर फोर्स चकेरी, कानपुर ने अपने पत्र सं. 4 बी.आर. डी/00665/पी.सी., दिनांक 16.8.2012 द्वारा सूचित किया कि सुश्री प्रियंका कुमारी की प्रायोगिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए 3.9.2012 को बुलाया गया है।

5.2.3 सेवा मामले

(क) पदोन्नति

(i) मामला सं. 259/1021/12–12

श्री चरणजीत अरोड़ा 100 प्रतिशत अंधताग्रस्त व्यक्ति हैं, जो सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय में लिपिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसने शिकायत की कि उसे 23.11.2011 तथा 27.12.2011 के प्रतिवेदन देने के बावजूद ए.सी.पी. तथा ग्रेड पे नहीं दिए, जो 2008 से देय थे। यह मामला निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत संयुक्त सचिव (स्था.) सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाया गया। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने अपने का. ज्ञा. सं. सी–18013/1/2012–ई–I, दिनांक 19.11.2012 द्वारा सूचित किया कि श्री चरणजीत अरोड़ा की 20 वर्श की सेवा पूरी करने पर 01.09.2008 से ग्रेड पे रु. 2000/– सहित रु. 5200–20200 के पे बैंड में द्वितीय वित्तीय अपग्रेडेशन स्वीकृत किया गया है।

(ख) स्थानान्तरण

(i) मामला सं. 279/1028/12–13

डाक विभाग में कार्यरत 80 प्रतिशत चलन निःशक्तता से ग्रस्त शिकायत कर्त्ता श्रीमती मनीशा बंसल ने मार्च, 2013 तक अम्बाला में अपनी अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में 24.04.012 को एक शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि वह 23.11.2007 से डाक विभाग में निदेशक, डाक सेवाएं (मुख्यालय), अम्बाला, हरियाणा, पोस्टल सर्कल के रूप में कार्य कर रही थी। उसके पति डी.जी.एम., बी.एस.एन.एल., अम्बाला के रूप में कार्य कर रहे थे और देश प्रत्यावर्तन के मुद्दे के कारण स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते। यह मामला निःशक्तजन अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत इस कोर्ट के पत्र दिनांक 14.05.2012 द्वारा सचिव, डाक विभाग, नई दिल्ली के साथ उठाया गया। श्रीमती मनीशा बंसल ने अपनी 03.07.2012 की ई–मेल द्वारा सूचित किया कि उसे एक वर्ष का विस्तार दे दिया गया है।

(ii) मामला सं. 193/1022/11–12

श्री के.एम. सूर्यनारायण, 68 प्रतिशत श्रवण बाधा से ग्रस्त एक व्यक्ति ने दिनांक 11.07.2011 की शिकायत दर्ज की, जो मलेसवरम, के वी.एस. से ए.एफ.एस. साम्बरा के वी.एस. में उसके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है। यह मामला निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत इस कोर्ट के पत्र दिनाक 30.08.2011 के द्वारा आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के साथ उठाया गया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने पत्र सं. एफ–11029/एम.आई.एस.सी./के.वी.एस./(एच.क्यू)/ई–द्वितीय/मोडी/1022–1023, दिनांक 23/2604.2012 द्वारा इस कोर्ट को सूचित किया कि श्री सूर्यनारायण की स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया है।

अन्य सेवा मामले

(i) मामला सं. 157/1023/11–12

सुश्री वीना मेहता, 100 प्रतिशत दृष्टि–बाधा ग्रस्त, सुश्री निरूपमा जे. 80 प्रतिशत चलन निःशक्तता ग्रस्त (व्हील चेयर प्रयोक्ता) तथा श्री दीपक पुरी, 85 प्रतिशत, दृष्टि बाधाग्रस्त तथा श्री प्रशांत रंजन वर्मा, 90 प्रतिशत दृष्टि बाधाग्रस्त आदि ने निःशक्त कर्मचारियों की वाहन खर्च की प्रतिपूर्ति न करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिया। उनके अनुसार कार्यालय उद्देश्य के लिए स्थानीय यात्रा हेतु खर्च की योजना में केवल पेट्रोल खर्च की पूर्ति की जाती है, यदि कर्मचारी के पास उसके नाम में पंजीकृत वाहन हो और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। यह मामला पत्र दिनांक 04.10.2011 के द्वारा एन.टी.पी.सी. लि. के साथ उठाया गया। एन.टी.पी.सी. ने सूचित किया कि एन.टी.पी.सी. में कर्मचारियों की वर्तमान वेतन संरचना तथा भत्ते सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों पर आधारित रहे और वे दिशा–निर्देश निःशक्त कर्मचारियों को, परिवहन भत्ते के विशेष भुगतान की अनुमति नहीं देती। यह मामला 27.02.2012 को सुना गया और प्रतिवादी को विद्यमान तथा तर्क संगत दिशा–निर्देश/नार्मस/पोलिसियां संशोधित करने का निर्देश दिया गया है, कार्यालय उद्देश्य के लिए, स्थानीय यात्रा हेतु खर्च की प्रतिपूर्ति की योजना के पैरा 3 में पात्रता कसौटी सम्मिलित है। इस कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. लि. ने अपने पत्र दिनांक 20.04.2012 द्वारा सूचित किया कि कार्यालय उद्देश्य के लिए सथानीय यात्रा हेतु प्रतिपूर्ति की योजना से सम्बन्धित विद्यमान नीति में आवश्यक संशोधन समाविष्ट कर लिए गए हैं।

(ii) मामला सं. 280/1028/12–13

श्री सत्यवीर सिंह डागर, जो 40 प्रतिशत चलन निःशक्तता से ग्रस्त है, उसने 6 सी.पी.सी. संस्तुति के अनुसार वाहन भत्ते का भुगतान न करने के सम्बन्ध में है। उसने बताया कि अनेक प्रतिवेदनों के बावजूद उसे वाहन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। यह मामला निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत इस कोर्ट के पत्र दिनांक 9.7.2012 के द्वारा निर्देशक पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़ के समक्ष उठाया गया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वरि., प्रशासन अधिकारी (एच.), पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़ के पत्र सं. ईवी(9)पी.जी.आई./12/एफ–2289, दिनांक 7.9.2012 द्वारा सूचित किया कि श्री डागर के अनुरोध पर 6 सी.पी.सी. की संस्तुति के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो कि 24.01.2007 है, से उसे वाहन भत्ता स्वीकृत करने के लिए विचार किया गया।

5.2.4 विविध तथा अन्य शिकायतें

(i) मामला सं. 373/1141/12–13

100 प्रतिशत अंधताग्रस्त एक व्यक्ति श्री मुकेश रामजीभाई सोलंकी ने डाक जीवन बीमा जारी न करने के सम्बन्ध में दिनांक 31.8.2012 को शिकायत दर्ज की। श्री सोलंकी दाहोद, गुजरात में केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिक अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं, वे डाक जीवन बीमा द्वारा अपने परिवार

को सुरक्षित करना चाहते थे जिसके लिए वे दाहोद में फ्रीलेन्ड गंज डाकघर गए। डाक जीवन बीमा अधिकारी ने सूचित किया कि उसे एक लाख से अधिक की बीमा व्याप्ति नहीं दे सकते और इसके लिए 5 वर्ष की भारी किस्त देनी होगी। यह मामला निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत पत्र दिनांक 7.1.2013 द्वारा सचिव डाक विभाग के साथ उठाया गया। अति. महाप्रबंधक (पी.एल.आई.) डाक जीवन बीमा निदेशालय ने अपने पत्र सं. 12–399/2013–एलआई, दिनांक 14.3.2013 द्वारा सूचित किया कि बीमा की सीमा बढ़ा दी गई है तथा किस्त बिना शारीरिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के बराबर रखी गई। उन्होंने आगे सूचित किया कि श्री सोलंकी को 7 लाख की डाक जीवन बीमा पालिसी दे दी गई है और वह निःशक्तजनों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा बढ़ाने से वह संतुष्ट हैं।

(ii) मामला सं. 29/1102/12–13

श्री कन्नन एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, तमिलनाडु, विद्युत बोर्ड ने दिनांक 17.02.2012 को एक प्रतिवेदन दिया, जो एक निःशक्तजन की फिक्स जमा की राशि मनीआर्डर द्वारा ब्याज की प्रतिमूर्ति के सम्बन्ध में है। यह मामला इस कोर्ट के पत्र दिनांक 12.09.2012 द्वारा सचिव, डाक विभाग के समक्ष उठाया गया, और ऐसी किसी योजना का विवरण सूचित करने का अनुरोध किया गया और यदि कोई ऐसी योजना विद्यमान नहीं है तो निःशक्तजनों के लिए ऐसी योजना बनाने को कहा गया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डाक विभाग (एफ.एस. डिविजन) ने अपने पत्र सं. 110301/2012–एस.वी., दिनांक 16.11.2012 द्वारा सूचित किया कि उसके कार्यालय ने मनीआर्डर की कमीशन और मनीआर्डर की लागत काटकर मनीआर्डर द्वारा घर–घर ब्याज के भुगतान की अतिरिक्त सुविधा देने का निर्णय लिया है। सभी डाक घरों को यह सुविधा देने के आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं, जैसे और जब कोई ग्राहक इसके लिए अनुरोध करता है। डाक विभाग इस पत्र की प्रतिलिपि निःशक्तता मामले विभाग, अध्यक्ष, नेशनल ट्रस्ट और आयुक्तगण निःशक्तजन को अग्रेषित की गई है, ताकि वे अपने राज्य/संघ क्षेत्र में सभी स्टॉक होल्डर्स के बीच व्यापक प्रचार कर सके।

(iii) मामला सं. 48/1121/12–13

सुश्री निधि गुप्ता ने दिनांक 08.08.2012 को एक शिकायत दर्ज की, जो निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में है। उसके पास दो निःशक्तता प्रमाण पत्र है, एक 25 प्रतिशत चलन निःशक्तता के लिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर हास्पिटल द्वारा जारी किया हुआ है, तथा दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैन बिहेवियर एण्ड एप्लाइड साइंस द्वारा जारी 81 प्रतिशत चलन न्यूरोलोजिकल निःशक्तता के बारे में है। उसने बी.एस.ए.एच. तथा आई.एच. वी.ए.एस. से संयुक्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया, परन्तु किसी ने उसे निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, क्योंकि शायद इहबास के पास विविध निःशक्तता बोर्ड नहीं है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने उसे अनुबंध–1 में निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का पत्र भेजा, अन्यथा वे पद से उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर देंगे। इससे पहले दो बैंक उसे अपने फारमेट में निःशक्तता प्रमाण पत्र के बिना साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति देने से मना कर चुके थे। यह मामला निर्धारित फारमेट में सुश्री निधि गुप्ता को निःशक्तता प्रमाण पत्र

जारी करने के लिए पत्र दिनांक 13.08.2012 द्वारा निदेशक इहबास के साथ उठाया गया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुश्री निधि गुप्ता को इहबास ने निःशक्तता प्रमाण पत्र सं. 110, दिनांक 05.09. 2012 जारी किया।

(iv) मामला सं. 47/1121/12–13

श्री रामप्रसाद ने अपने पुत्र श्री प्रकाशचन्द को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिनांक 27.07.2012 की शिकायत दर्ज की, उनके पुत्र ने ब्रेन हेमरेज के कारण निःशक्तता अर्जित की थी। उसके लिम्ब्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे और शरीर अधरंग से ग्रस्त था। उसका उपचार गुरुतेग बहादुर हास्पिटल तथा गोविन्द वल्लभ पंत हास्पिटल में पूरा हो चुका था। जी.टी.वी.एच. ने निःशक्तता प्रमाण जारी करने का मामला इहबास को निर्देशित कर दिया। इहबास ने जी.टी.वी.एच. से पुराना रिकार्ड मांगा। अनेक प्रयासों के बाद भी वह पुराना रिकार्ड प्राप्त नहीं कर सके और अपने पुत्र के निःशक्ता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस कोर्ट से अनुरोध किया। यह मामला पत्र सं. 27.07.012 द्वारा निदेशक इहबास के साथ उठाया गया, इस पत्र की प्रति चिकित्सा अधीक्षक, गुरुतेग बहादुर अस्पताल को भी भेजी गई। इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद श्री प्रकाश चन्द को इहबास ने निःशक्तता प्रमाण पत्र सं. 111, दिनांक 06.09. 2012 जारी किया।

(v) मामला सं. 419/1141/12–13

कु. अंजु शर्मा 65 प्रतिशत चलन निःशक्तता से ग्रस्त एक व्यक्ति है। उसने सुझाव दिया कि परीक्षा संचालन प्राधिकारियों को उसके लिए निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित करने सलाह दी जाए। मामला निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 56 के अन्तर्गत भर्ती एजेंसियों–जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड, डी.एस.एस.एस.बी., आर.बी.आई. तथा आई. बी.पी.एस. के साथ उठाया गया। आई.बी.पी.एस. ने अपने पत्र दिनांक 12.10.2012 द्वारा सूचित किया कि निःशक्त को सुविधानुकुल परीक्षा केन्द्र जहां भी उपलब्ध होगा, आवंटित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

अध्याय

6

निधि के उपयोग की मानीटरिंग

6.1 निःशक्त जनों के लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा संवितरित निधि के उपयोग की मानीटरिंग करना–निःशक्तजन अधिनियम की धारा 58 (ख) के अंतर्गत आयुक्त–निःशक्त जन के महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एम.एच. तथा यू.पी.ए.), आदि के अपने बजटों में भी प्रचुर संघटक होता है। इसमें शामिल राशि कई हजार करोड़ रुपए होती है।

6.2 वर्ष, 2012–13 के दौरान डी.डी.आर.एस. योजना के अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान पाने वाले रोहतक, हरियाणा में एक संगठन के लाभार्थियों का मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय द्वारा गठित मानीटरिंग टीम ने निरीक्षण किया। मानीटरिंग टीम ने योजना के लाभार्थियों के नमूने जांच कर कार्यान्वित किया। मानीटरिंग टीम के अवलोकन सहित विस्तृत रिपोर्ट आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित की गई।

अध्याय

7

संस्तुतियाँ

1. सभी राज्यों को आकार का विचार किए बिना राज्य सरकार के सचिव/प्रधान सचिव के स्तर का पूर्णकालिक आयुक्त नियुक्त करना चाहिए और यह पर्याप्त व्यक्ति, अधिकार तथा अवसंरचना सहित ऐसे पद के सम्बद्ध वेतन मान में हो। जो स्टाफ संरचना पहले ही मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय द्वारा सुझाई गई है, उसे आयुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित राज्य की विशेष आवश्यकता के अनुसार उचित संशोधन किया जा सकता है। राज्य आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय के लिए सहयोगी स्टाफ को निःशक्तता मुद्दों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और सततता निश्चित करने के लिए समुचित अवधि के लिए उन्हें कार्यालय में बनाए रखना चाहिए।

कार्यवाही : राज्य सरकारें, राज्य आयुक्त, निःशक्तजन

2. राज्य आयुक्त को कार्यान्वयन योजनाओं की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। विधिक तथा कार्यपालक कार्य अलग रखे जाने चाहिए, यदि दोनों कार्य संयुक्त हैं, तो उसमें द्वन्द्व की स्थिति की संभावना होती है।

कार्यवाही : राज्य सरकारें

3. भारतीय संविधान में क्रमशः अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन सहित उचित संशोधन किए जाने चाहिए ताकि अन्य बातों के साथ–साथ समाविष्ट निःशक्तता भेदभाव के आधार पर निषिद्ध हो सके। भारत सरकार इस उद्देश्य के लिए उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी गठित करे।

कार्यवाही : निःशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय

4. क्रमशः भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में पुनरीक्षण/संशोधन तथा मुख्य धारा विधान में भी उचित पुनरीक्षण/संशोधन प्रक्रिया चले, ताकि उन्हें यथाशीघ्र यू.एन.सी.आर.पी.डी. के अनुरूप बनाया जा सके।

कार्यवाही : निःशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय

5. निःशक्तता मामले विभाग, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 52 के अन्तर्गत संगठनों के पंजीकरण के लिए मानक पद्धति तथा नियम विकसित करें तथा आयुक्त, निःशक्तजन को एक प्रति सहित सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को परिचालित करें, ताकि सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा एकरूपता अपनाई जा सके।

कार्यवाही : निःशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारें

6. जैसा कि संशोधित निःशक्तजन नियमावली, 2009 में दिया गया है, विभिन्न निःशक्तजनों के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र का फॉरमेट राज्यों के आर–पार समान रूप से अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार सन् 2001 में सामाजिक न्याय तथा अधिकार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित के अनुसार निःशक्ता के मूल्यांकन तथा निःशक्ताओं के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया दृष्टि बाधिता/चलन निःशक्तता/आर्थोपेडिक निःशक्तताएं, वाक् तथा श्रवण निःशक्तता, मानसिक मंदता तथा विविध निःशक्तताएं, मानसिक मंदता के सम्बन्ध में 2002 में सभी राज्यों द्वारा समान रूप से अपनाई जानी चाहिए। निःशक्तता मामले विभाग के संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग, आई.बी.पी.एस. तथा अन्य सभी भर्ती एजेंसियों को सलाह देनी चाहिए कि वे किसी भी राज्य/संघ योजना के एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र को स्वीकार करें। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को निःशक्तजन नियमावली, 2009 में, निःशक्तता प्रमाण पत्र के फॉरमेट की लाइन में अपने का.ज्ञा. सं. 36035/3/2004–स्था. (आर.ई. एस.) दिनांक 29.12.2005 के अनुबंध को संशोधित करना चाहिए, जिसकी भर्ती एजेंसियों द्वारा मांग की जाती है। मुख्य आयुक्त निःशक्तजन का कार्यालय इस सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से पहले ही अनुरोध कर चुका है।

कार्यवाही : निःशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

7. आटिज्म के मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए प्रक्रिया डी.ओ.डी.ए. द्वारा अधिसूचित की जानी चाहिए, जिसे प्रत्येक राज्य द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

कार्यवाही : निःशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय

8. जहां कहीं ऑन लाईन प्रमाण पत्र जारी करने की पहल होती है, वहां इसे शुरू करना चाहिए, स्थायी निःशक्तता वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और जो पहले प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, उसे उस व्यक्ति के घर पर प्राधिकारी के स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

कार्यवाही : राज्य सरकारें

9. मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के आदेश, उनकी अपनी वेबसाइटों पर पोस्ट किए जाने चाहिए, जो निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय होने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आयुक्त निःशक्तता मामले विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एस.आई.पी.डी.ए. के अन्तर्गत एक समुचित तथा सुगमनीय वेबसाइट विकसित करने के अन्तर्गत एक समुचित तथा सुगमनीय वेबसाइट विकसित करने के लिए निःशक्तता मामले विभाग से निधि प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यवाही : मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन, राज्य आयुक्त–निःशक्तजन

10. योजनाओं के परिणामों के नियमित मूल्यांकन तथा मानीटरिंग के लिए एक समान तन्त्र होना चाहिए और कार्यक्रम स्थान में रूपांतरित करना चाहिए और उसे सभी राज्यों द्वारा अपनाया जाए।

कार्यवाही : निःशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन

11. प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र मे निःशक्तजनों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की मानीटरिंग के लिए आयुक्त, निःशक्तजन नोडल प्राधिकारी होना चाहिए।

कार्यवाही : राज्य सरकारें, राज्य आयुक्त, निःशक्तजन

12. सार्वजनिक भवनों, अवसंरचना आदि के संबंध में भवन योजना के साथ प्राधिकृत वास्तुविद द्वारा इस आशय का एक प्रमाण लगा होना चाहिए कि भवन योजना में निर्धारित बाधामुक्त तथा सुगमनीय आकार समाविष्ट किए गए हैं। कोई भी भवन योजना तब तक निष्पादित नहीं की जानी चाहिए, जब तक राज्य आयुक्त निःशक्तजन उसे देख न लें और उस पर अपनी सहमति न दे दे।

कार्यवाही : शहरी विकास मंत्रालय, राज्य सरकारें

13. निःशक्तजनों के 3 प्रतिशत निधियां सुरक्षित करने का अच्छा कार्य, जो न्यू मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोशन ने किया है, उसे अन्य राज्यों में दोहराने के लिए परिचालित किया जाए। आयुक्त निःशक्तजन, महाराष्ट्र सरकार अच्छे कार्य का विवरण मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय को एक प्रति सहित सभी आयुक्तों को परिचालित करेंगे, जो अपने राज्य में दोहराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाएंगे।

कार्यवाही : राज्य आयुक्त, निःशक्तजन, महाराष्ट्र सरकार, अन्य राज्य आयुक्त, निःशक्तजन

14. सभी राज्य सरकारें 6 महीने के भीतर निःशक्तजनों के लिए एक राज्य नीति विकसित करें और अपनाएं तथा इसे कार्यान्वित करें।

कार्यवाही : राज्य सरकारें

15. जनगणना/एन.एस.एस.ओ. सर्वे के बावजूद प्रत्येक पांच वर्ष में निःशक्तजनों का घर–घर सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। निःशक्त महिलाओं तथा निःशक्त बच्चों पर विशेष जोर सहित निःशक्तजनों की सभी श्रेणियों का विपृथक्कृत डाटा तैयार किया जाना चाहिए और जैसे कि वे बिल्कुल हाशिये पर आघात योग्य श्रेणियों में हैं, उनकी देखभाल की जाए। समाकलित बाल संरक्षण योजना के प्लेटफार्म का प्रयोग निःशक्त बच्चों सम्बन्धी मुद्दों का पता लगाने में किया जाना चाहिए तथा उन्हें कठिन परिस्थितियों तथा आघात योग्य बच्चों के अन्तर्गत बच्चों की सूचीबद्ध श्रेणियों में समाहित किया जाना चाहिए।

कार्यवाही : निःशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय
मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन
राज्य आयुक्त–निःशक्तजन

परिशिष्ट

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति

यह सूचना मुख्य आयुक्त नि:शक्तजन के कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। कुछ राज्यों/संघ राज्यों दोनों के अनुच्छेदों के संबंध में सूचना 31.03.2013 तक की नहीं हो सकती है, क्योंकि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों से सभी अनुच्छेदों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

▼ तालिका 1 धारा 13 से धारा 31 तक

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
1.	आंध्र प्रदेश	गठित और कार्यरत	गठित और कार्यरत	• 1,81.661 नि:शक्त छात्र विशेष स्कूलों में पढ़ रहे हैं। • नि:शक्त बच्चों के लिए विशेष स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध है। • नार्मल स्कूलों में नि:शक्त बच्चों को प्रवेश से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • प्रवेश के लिए शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण है। • 27,485 सरकारी स्कूलों में नि:शक्त और अनि:शक्त दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। • सभी जिलों में सरकार के अन्तर्गत या केन्द्रीय सहायता प्राप्त एन.जी.ओ. द्वारा संचालित विशेष स्कूल कार्य कर रहे हैं। • 22 जिलों में सभी स्कूल नि:शक्त बच्चों की सुविधा से सज्जित है। राज्य के सभी 115 स्कूलों में समेकित शिक्षा है। • सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त 76.,224 स्कूलों में से 39,917 स्कूल वास्तुकला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। • 39 विश्वविद्यालयों में से 26 विश्वविद्यालय नि:शक्त छात्रों को आसान सुगमनीयता की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। • उन छात्रों को, जिनकी सीट कन्वीनर कोटे के अन्तर्गत सुरक्षित है, उन्हें सरकार द्वारा ट्यूशन शुल्क तथा विशेष शुल्क की पूर्णतया 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• 12,723 निःशक्त बच्चों पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई, जिसकी राशि रु. 148.46 लाख है। • 2800 निशक्त बच्चे पश्च–मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभान्वित हुए, जिस पर रु. 360.83 लाख व्यय हुए। • दृष्टि वाधित बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र एन.आई.वी.एच., देहरादून तथा राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। • 11 आवासीय स्कूलों में 160 विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 1495 विशेष शिक्षक राजीव गांधी मिशन (एसएसए) के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। • निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • निःशक्त बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। • एच.आई. छात्रों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। इन्टरमीडिएट परीक्षाओं में 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठित	गठित	• जिला पापुमेयर में 02 विशेष स्कूल, 01 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 01 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। • निःशक्त बच्चों की शिक्षा से मना नहीं करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण, वर्दी आदि दी जा रही है। • श्रवण शक्ति के ह्रास वाले बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। • नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों को लिपिक/लेखक की सेवा प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
3.	आसाम	गठित	गठित	• स्कूलों में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की संख्या 50,071 हो। • 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। • निःशक्त बच्चों की प्रवेश से मना करने के समक्ष कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। • 05 सरकारी, 05 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल चल रहे हैं। • 12027 एल.पी. स्कूल तथा 2054 यू.पी. स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• एस.एस.ए. रिपोर्ट के अनुसार, 32,421 स्कूलों में रैम्प लगे हैं तथा 6712 स्कूल सुगमनीय शौचालयों से युक्त है। • निःशक्त बच्चों को रु. 2400/= प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति का प्रावधान है। • कुल 2,463 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। • विशेष शिक्षा के लिए चार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। • निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा सभी खण्डों में उपलब्ध है। • निःशक्त बच्चों की निर्मूल्य विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि दी जा रही हैं। • परीक्षा के लिए श्रवण बाधित बच्चों को एक भाषा विकल्प तथा 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया। • 03 स्कूल निःशक्त बच्चों को मुफ्त परिवहन सुविधा दे रहे हैं। • नेत्रहीन/कमदृष्टि बच्चों को लिपिक/लेखक दिया गया। नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों को रेखागणित से छूट है। एच.आई. छात्रों को एक भाषा का विकल्प है।
4.	बिहार	गठित	गठित	• राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 24,662 बच्चे निःशुल्क पुस्तकें, उपकरण आदि प्राप्त कर रहे हैं। • मुख्य धारा स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिलें से मना करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। • राज्य में 8 सरकारी, 3 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 25 प्राइवेट विशेष स्कूल चल रहे हैं। • 33,000 संस्थान स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधा मुक्त है। • 22,000 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। • एक सरकारी तथा नौ निजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान निःशक्तों के प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण के लिए चल रहे हैं। • निःशक्तों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
5.	छत्तीसगढ़	गठित	गठित	• निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना करने के विरु अनुदेश जारी है। • विशेष स्कूलों की संख्या–52 (सरकारी 19 तथा सरकारी सहायता प्राप्त 33) • निःशक्त बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना विद्यमान है। 13,099 निःशक्त बच्चों की छात्रवृत्ति दी गई।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण के लिए चार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। • नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को परीक्षा में लिपिक/लेखक की अनुमति है। • नियमित स्कूलों में 50,282 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • 36,750 स्कूल बाधामुक्त पहुंच वाले हैं।
6.	गोवा	गठित	गठित	• राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। • राज्य के तीन जिलों में चल रहे विशेष स्कूलों में 2,310 निःशक्त बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। • निःशक्त बच्चों की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। • नियमित स्कूलों में 1696 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा उपकरण दिए जा रहे हैं। • परीक्षा व्यवस्था तथा पाठ्य चर्या निःशक्त बच्चों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है। • सभी प्राथमिक विद्यालय बाधा मुक्त पहुंच वाले हैं।
7.	गुजरात*	गठित	गठित	• स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्त बच्चों की संख्या 1,13,723 है। • आई.ई.डी. सेल द्वारा 25,951 निःशक्त बच्चों को शिक्षा सहायता दी गई। • निःशक्तता पर 577 विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्त की गई, ताकि सामान्य धारा के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु निःशक्त छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सके। • सर्वशिक्षा अभियान के अधीन रु. 30.66 लाख व्यय किए गए। 8,110 बच्चों को श्रवण सहायता केलिपर्स, ट्राई साइकिल आदि प्रदान किए गए हैं। 18,841 निःशक्त बच्चों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। • 33,193 स्कूलों में रैम्प एवं रेलिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। • बी.आर.सी.–सी.आर.सी. कोर्डिनेटर के रूप में 30,496 प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण दिया गया, इस समय स्कूल स्तर के 26,435 प्रशिक्षु हैं। (इस वर्ष प्राप्त 2011–12 की रिपोर्ट से)
8.	हरियाणा	गठित	गठित	• राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। निःशुल्क बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी। • 45,744 निःशक्त बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। • राज्य में 02 सरकारी, 06 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 20 निजी विशेष स्कूल चल रहे हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• 7,950 स्कूल/कालेज रैम्प, शौचालयों सहित सुगमनीय हैं। • निःशक्त बच्चों के लिए छत्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 4,300 बच्चे लाभान्वित हुए। कुल आवंटित राशि रु. 129.06 लाख है। • विशेष शिक्षा में विशेषतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 04 ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) चल रहे हैं। • 119 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। • निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों द्वारा निःशुल्क वाहन/वित्तीय सहायता भी दी गई है। • निःशक्त बच्चों को संस्थापन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। • परीक्षा में लिखने के लिए निःशक्त बच्चों को लिपिक/लेखक की सेवा तथा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
9.	हिमाचल प्रदेश	गठित	गठित	• निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। • 7 जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं। 604 निःशक्त बच्चे लाभांवित हैं। • स्कूलों में विशेष शिक्षा सहित कुल 17,634 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। • रु. 350/= से रु. 2000/= प्रति माह की रेंज में छात्रवृत्ति। • 11,496 प्राथमिक स्कूल बाधामुक्त हैं। • 8वीं के सतर तक सभी निःशक्त बच्चों को पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं। • हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मिडिल तथा मेट्रिकुलेशन परीक्षा में निःशक्त बच्चों के लिए उनकी जरूरत के अनुसार संशोधन किया है। नेत्रहीन, बहरे तथा गूंगे परीक्षार्थियों को 8वीं की परीक्षा देने से छूट दी गई है और परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। नेत्रहीन छात्रों को परीक्षा के लिए आधा घंटा अतिरिक्त समय दिया जाता है। • नेत्रहीन/अस्थिबाधित विकलांगों को लेखक की सुविधा प्रदान की गई है। • राज्य में निःशक्तजनों को मुफ्त परिवहन सुविधा है और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए राज्य से बाहर भी है।
10.	जम्मू तथा कश्मीर	गठित	गठित	• निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। • अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम विद्यमान है।
11.	झारखंड	गठित	गठित	• निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। • राज्य में 24 विशेष स्कूल उपलब्ध है। • स्कूलों में 66,716 बच्चे पढ़ रहे हैं। एस.एस.ए. के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 70,224 बच्चे पढ़ रहे हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 04 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। • ''विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना'' के अन्तर्गत 3,684 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। 50/= प्रतिमास (कक्षा 1 से 8वीं) रु. 250/= प्रतिमास, (कक्षा 9 से स्नातक), रु. 260/= प्रतिमास (स्नातक से उच्च स्नातक) तथा रु. 100/= प्रतिमास सरकारी तथा गैर सरकारी आवासीय स्कूलों में। • नवनिर्मित प्राथमिक स्कूल निःशक्त बच्चों के लिए बाधामुक्त हैं। कालेज/व्यावसायिक संस्थान तथा 42,571 स्कूल वास्तुकला की दृष्टि से बाधा मुक्त हें। 28,678 स्कूलों/कालेजों में रैम्प लगे हैं तथा शौचालय आदि सुगमनीय हैं। • नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक/लेखक की सुविधा उपलब्ध है। दृष्टिगत निःशक्त बच्चों को 20 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
12.	कर्नाटक	गठित	गठित	• राज्य के 28 जिलों में 220 विशेष स्कूल चल रहे हैं। • 220 विशेष स्कूलों में 16,282 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • 1,43,000 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री दी जा रही है। • 12 विशेष/नार्मल स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा है। • निःशक्त बच्चों के लिए 35,662 स्कूल बाधामुक्त पहुंच से युक्त हैं। • नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। श्रवण शक्ति ह्रास बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम है। निःशक्त बच्चों को लेखक की सुविधा है। • 7 वीं कक्षा से नीचे पढ़ने वाले तथा दृष्टिबाधित 178 निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा है। • 29,983 निःशक्तजनों को परिवर्तनीय छात्रवृत्ति दी जाती है।
13.	केरल	गठित	गठित	• मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को 900/= रुपये की राशि 2009–10 के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के रूप में। • स्कूल, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे निःशक्त विद्यार्थी एवं वह विद्यार्थी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 36,000/= से कम होनी चाहिए और पिछले वर्ष की परीक्षा में उनके अंक कम से कम 40 प्रतिशत होने चाहिए।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• तिवन्नततपुरम और कोझिकोड स्थित राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में निःशक्त युवाओं को पुस्तक जिल्साजी, सिलाई और कढ़ाई, कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क रखरखाव, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, चमड़े का काम आदि का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। • ऐसे नेत्रहीन एवं अस्थि विकलांग अधिवक्ताओं को किताबों अनंतिम स्यूट्स की खरीद के लिए 2,500/= रुपये और नेत्रहीन अधिवक्ताओं को पठन भत्ते के रूप में 1,000/=रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहयाता दी जाती है जिनके परिवार की वार्षिक आय 18,000/= रुपए से अधिक नहीं हो। • शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए शेल्टर चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।
14.	मध्य प्रदेश	गठित	गठित	• राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। • स्कूलों में 1,28,251 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं तथा 59,486 छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। • सामान्य स्कूलों में दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • 53,642 निःशक्त बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। • 20 सरकारी, 41 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 35 निजी विशेष स्कूल हैं। 20 सरकारी तथा 76 एन.जी.ओ. स्कूल विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित है। • 35 जिलों के प्रत्येक में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। • 95,126 स्कूल वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त है। • निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षण सहायता हेतु आठ संस्थान कार्यरत हैं। विशेष प्रशिक्षण सामग्री तथा नए सहायक उपाय विकसित हैं। • नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। निःशक्तजनों को परीक्षा में लिपिक/लेखक तथा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
15.	महाराष्ट्र	गठित	गठित	• राज्य में 18 वर्ष तक के निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। राज्य के 355 ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा भी उपलब्ध है। • 369 स्कूलों में सक्षम तथा असक्षम बच्चे दोनों साथ–साथ पढ़ रहे हैं। • सभी 35 जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं। राज्य में 21 सरकारी, 737 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 907 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• राज्य में 5 सरकारी, 83 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 98 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। • 1,08,329 स्कूलों तथा कालेजों में से 67,926 स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधा मुक्त है • 21,474 निःशक्त छात्र कक्षा तथा अनुशासन के आधार पर पूर्व मैट्रिक तथा पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। • निःशक्त छात्रों को रु. 500/= प्रतिवर्ष स्टडी ट्यूर खर्च तथा परियोजना टंकण खर्च रु. 600/= प्रतिवर्ष दिया जाता है। • नए सहायक उपायों तथा प्रौद्योगिकी के लिए 12 निजी संस्थान हैं। • विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण 89 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान प्रदान कर रहे हैं। • वी.आई. के लिए 373, एच.आई. के लिए 1,900 तथा मानसिक मंदता के लिए 1,323 विशेष शिक्षक उपलब्ध है। • 7,741 निःशक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दी आदि निःशुल्क प्रदान की जाती है। • डाईस्लेक्सिया से पीड़ित छात्र को लिपिक/लेखक भी दिया जाता है; स्कूलों/विश्वविद्यालयों तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षा में लिखित परीक्षा में 20 मिनट प्रतिघंटा अतिरिक्त समय दिया जाता है। • 33,760 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
16.	मणिपुर	रिपोर्ट नहीं मिली	रिपोर्ट नहीं मिली	• राज्य में दो विशेष स्कूल चल रहे हैं। • 89 निःशक्त बच्चों को विभिन्न दरों पर छात्रावृत्ति दी गई है।
17.	मेघालय	गठित	गठित	• 18 वर्ष की आयु तक के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तथा निःशक्त बच्चों को नार्मल स्कूलों में दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • 2,603 स्कूलों में सक्षम तथा असक्षम दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। • निःशक्त छात्रों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी प्रदान की जाती हैं। • राज्य में 11 विशेष स्कूल चल रहे हैं, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त 5 तथा प्राईवेट 6 हैं। 6 जिलों में एक विशेष स्कूल चल रहा है। • 506 स्कूल तथा कालेजों में रैम्प, रेल्स सुगमनीय शौचालय हैं। • निःशक्त बच्चों को रु. 100/= से रु. 580/= तक की रेंज में छात्रवृत्ति कक्षा तथा शिक्षा के आधार पर दी जाती हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• नेहू के अन्तर्गत 04 अध्ययन केन्द्र आर.सी.आई. द्वारा अनुमोदित हैं। एस.एस.ए. के अन्तर्गत संसाधन केन्द्रों को उन्नत करने के लिए आर.सी.आई. के अनुमोदन की प्रस्तुति के लिए प्रक्रियाधीन हैं। • श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्य चर्या में एक भाषा का विकल्प है। नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों को लिपिक/लेखक उपलब्ध कराया जाता है। • 1,754 गम्भीर रूप से सी.डब्ल्यू.एस.एन. को वाहन तथा सहायक भत्ता दिया गया।
18.	मिजोरम	गठित	गठित	• निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। पुस्तकें, वर्दी आदि निःशुल्क दी जाती है। • 7,767 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 803 निःशक्त बच्चे रु. 360/= से रु. 1,020/= के बीच छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। • नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं। • 2,272 स्कूल कालेज वास्तुविद की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। • नेत्रहीन/कमदृष्टि छात्रों के लाभ के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। वी.एच./कम दृष्टि छात्रों को लिपिक दिया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाता है। • 45 विशेष शिक्षक हैं। एस.सी.ई.आर.टी. विशेष शिक्षा में अध्यापकों को विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करती है।
19.	नागालैंड*	गठित	गठित	• विशेष आवश्यकता वाले 9,468 बच्चों के लिए रु. 3000/– प्रति बच्चा, प्रतिवर्ष की राशि स्वीकृत की गई है। • 399 गम्भीर निःशक्त बच्चों को 46 ई.बी.आर.सी. के अन्तर्गत गृह आधारित शिक्षा दी गई। 6 मास की अवधि के लिए उनके ट्यूशन अध्यापक को रु. 300/– प्रतिमास, प्रति बच्चा दिए गए। • दीमापुर तथा कोहिमा जिलों में विशेष स्कूल कार्य कर रहे हैं। • निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। • 500 गम्भीर चलन निःशक्त बच्चों के लिए 6 माह के लिए रु. 500/– प्रतिमाह अनुरक्षक भत्ता दिया गया। • राज्य गम्भीर तथा इसी प्रकार के निःशक्त बच्चों के लिए फिजियोथरेपिस्ट तथा प्रशिक्षित संसाधन व्यक्ति नियुक्त करके संसाधन कक्ष तथा दिवस देखभाल केन्द्र चला रहा है। • 40 शिक्षक शिशो सोरोथी, गुवाहाटी में विशेष शिक्षा पर आधार पाठ्यक्रम के अनुभव वाले लिए गए हैं। (पिछली रिपोर्ट)

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
20.	उड़ीसा	गठित	गठित	• निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। पुस्तकें, उपकरण, वर्दी आदि भी मुफ्त दी जाती हैं। • नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं। • स्कूलों में 73,976 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • 15,000 बच्चों की बर्नाश्री छात्रवृत्ति दी गई। • वास्तु शिल्प की दृष्टि से 57,393 स्कूल बाधामुक्त हैं। • राज्य में 4 सरकारी, 51 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 111 निजी स्कूल चल रहे हैं। • नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों को लेखक तथा अतिरिक्त समय की अनुमति है।
21.	पंजाब	गठित	गठित	• निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी दी जाती है। • 19,110 स्कूल तथा कालेजों में से 496 स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। • 590 निःशक्त बच्चे रु. 200/= से रु. 300/= के बीच छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। • राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए 02 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान तथा 440 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। • राज्य के 216 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा है। • श्रवण ह्रास से ग्रस्त बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू है तथा वी.एच. के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। • नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। • स्कूल/कालेजों तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षाओं में निःशक्त बच्चों को लिखित परीक्षा में प्रति घंटा अतिरिक्त समय की भी अनुमति है।
22.	राजस्थान	गठित नहीं	गठित नहीं	• राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • राज्य में 7 सरकारी तथा 99 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल हैं। इन स्कूलों में 2,290 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • 3,386 निःशक्त बच्चों को रु. 40 से रु. 330/= की रेंज में छात्रवृत्ति दी जा रही हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति विकलांगों के लाभ के लिए कार्य कर रही हैं। सामान्य अध्यापकों को विशेष शिक्षा में 90 दिनों का फाउण्डेशन कोर्स 4 संस्थान करा रहे हैं। • नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को लिपिक भी प्रदान किया जाता है। • राज्य के सभी ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एन.जी.ओ. के द्वारा एस.एस.ए. के अन्तर्गत सरकार द्वारा ब्रेल पुस्तकें, उपकरण तथा अन्य सामग्री वितरित की जा रही हैं। • निःशक्तजनों के लिए स्थापना सुविधा है। • पाठ्यक्रम में दृष्टि बाधितों के लिए एक भाषा का विकल्प है। वी.एच. के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को लिपिक दिया जाता है। स्कूल/कालेजों तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षा में निःशक्तजनों को अतिरिक्त समय दिया जाता है। • निःशक्त बच्चों को सरकारी तथा निजि कालेजों में 3 प्रतिशत आरक्षण है।
23.	सिक्किम	गठित	गठित	• सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। • निःशुल्क विशेष पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दी दी जा रही है। • नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं। • राज्य के दो जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। शिक्षा सहायता, विशेष शिक्षण सामग्री आदि देने के लिए सिक्किम विकलांग सहायता समिति चल रही है। • अध्यापकों के लिए डाइट आधार पाठ्यक्रम के संचालन के लिए एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है। • राज्य में 27 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। • 34 निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, जो रु. 300/– से रु. 2,000/– की रेंज में है। इसके अलावा कालिंपोंग तथा दार्जिलिंग ने विशेष स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को वृत्तिका और वर्दी भत्ता भी दिया जा रहा है। • सिचे बस्ती, गंगटोक में अवासीय स्कूल तथा वी.एच. के लिए जवाहर लाल नेहरू नाम का संस्थान नामची, बूमाटेर में चल रहा हैं। • गंगटोक में स्पास्टिक बच्चों के पुनर्वास का एक केन्द्र है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
24.	तमिलनाडु	गठित	गठित	• राज्य में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। • नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिला दिया जाता है। • नियमित स्कूलों सक्षम तथा अक्षम दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। • राज्य में 23 सरकारी, 54 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 345 निजी विशेष स्कूल चल रहे हैं। राज्य में विविध रूप से सक्षम के लिए दो कालेज चल रहे हैं। • गम्भीर निःशक्त बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों में 368 दिवस देखभाल केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से 7,215 गम्भीर निःशक्त श्रेणी के बच्चे लाभान्वित हुए। निःशुल्क वाहन सुविधा, पौष्टिक आहार, क्रीड़ा सामग्री की आपूर्ति तथा वर्दी के लिए प्रावधान किया गया। • राज्य के 17 जिलों में 25 विशेष आवासीय ब्रिज कोर्स चल रहे हैं, जिनमें 979 एम.आर. नामांकित है। • राज्य के 32 जिलों में प्रत्येक में एक विशेष स्कूल चल रहा है। एन.जी.ओ. द्वारा संचालित स्कूलों सहित 55 विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित हैं। • यहां 34,750 स्कूलों में रैम्प लगे हैं तथा 5,900 स्कूल आशोधित शौचालय से सज्जित हैं। एक विशेष निःशक्त बच्चों के लिए बाधामुक्त है। • 23,453 निःशक्त बच्चे रु. 500/– से रु. 3,500/– प्रतिवर्ष की रेंज में छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं तथा वी.एच. को रु. 1,500/– से – 3,000/– प्रतिवर्ष की रेंज में पठन भत्ता दिया जा रहा है। • राज्य में निःशक्तता के प्रबंधन में विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण के लिए 03 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आर.सी.आई. के अनुमोदन से, बी.एड. विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा के डिप्लोमा के 36 संस्थान चल रहे हैं। • कुल 1,889 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य संबंधित लेखन सामग्री प्रदान की गई। इसके साथ–साथ 1,740 निःशक्त बच्चे राज्य सरकार से निर्मूल्य वर्दी भी प्राप्त कर रहे हैं। • नेत्रहीन/कमदृष्टि तथा गम्भीर रूप से निःशक्त छात्रों को परीक्षा में लिखने के लिए लिपिक/लेखक दिया जाता है। कक्षा XI तथा आगे के नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को गणित नहीं दिया जाता। परीक्षा के दौरान निःशक्त बच्चों को एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा रही है। नार्मल बच्चों के बराबर लाने के लिए विषय को सीखने के लिए बच्चों को हर संभव सहायता दी जा रही है। श्रवण बाधित बच्चों को एक भाषा से छूट प्राप्त है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• एस.एस.ए. के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 95,901 निःशक्त बच्चे तथा आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत 5,340 बच्चे पढ़ रहे हैं। • 23,660 सी डब्ल्यू.एस.एन. को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई।
25.	त्रिपुरा	गठित	गठित	• राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। • विशेष आवश्यकता वाले 3575 बच्चे नियमित स्कूलों में तथा 40 निःशक्त बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। • नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना करने के अनुदेश दिए गए हैं। • राज्य में 2,396 स्कूल वास्तुशिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। • स्कूल स्तर के निःशक्त बच्चों को रु. 250/= प्रतिमाह की दर से और कालेज स्तर के निःशक्त बच्चों को रु. 350/= प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी गई। • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वाहन किराए में रियायत दी गई।
26.	उत्तर प्रदेश	गठित	गठित	• स्कूलों में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की कुल सं. 3,30,413 है, जबकि निःशक्त कल्याण विभाग के अनतर्गत चल रहे स्कूलों में 1154 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • यहां 21 सरकारी तथा 105 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल हैं। राज्य के 34 जिलों में प्रत्येक में एक विशेष स्कूल चल रहा है। 1,338 निःशक्त बच्चे विशेष स्कूलों में पढ़ रहे हैं। • 582 विशेष/नार्मल सकूलों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए व्यावसायिक सुविधा उपलब्ध है। • विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत 21 स्कूल तथा 09 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। • सामाजिक कल्याण, पिछड़ा तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। • विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 02 सरकारी तथा एन.जी.ओ. के अन्तर्गत 07 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। • 380 कालेज, 2,980 स्कूल तथा डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय वस्तु शिल्प की दृष्टि से बाधामुक्त बनाया गया है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• एस.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य के 582 ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। • नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों के लाभ के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। पाठ्यक्रम भी संशोधित किया गया है, जो निःशक्त बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल हैं। नेत्रहीन/कम दृष्टि तथा अन्य निःशक्त बच्चों को परीक्षा में लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। निःशक्त बच्चों को परीक्षा में लिखने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है।
27.	उत्तराखंड	गठित	गठित	• राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए कक्षा XII तक शिक्षा मुफ्त हैं • राज्य के विभिन्न स्कूलों में 21,003 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। एक साथ स्कूलों में सक्षम तथा असक्षम बच्चे पढ़ रहे हैं। • राज्य में एक सरकारी तथा 15 गैर सरकारी विशेष स्कूल भी चल रहे हैं। • वी.एच./कम दृष्टि वालों के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यचर्या में एक भाषा का विकल्प दिया गया है। वी.एच. तथा कम दृष्टि बचचों को लेखक तथा निःशक्त बच्चों को अतिरिक्त समय दिया गया है। • रु. 50/– प्रतिमाह से रु. 170/– प्रति माह की रेंज में निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। 3,767 निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई।
28.	पश्चिम बंगाल	गठित	गठित	• राज्य के सभी 19 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। • 24,215 निःशक्त बच्चों को गृह आधारित शिक्षा भी उपलब्ध है। • 1,79,579 निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए नार्मल स्कूल सुविधाओं से सज्जित है। • 52,000 स्कूल बाधा मुक्त वातावरण के हैं। • एस.एस.ए., महिला तथा बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री दी जा रही है। • कक्षा VIII तक के निःशक्त बच्चों को रु. 300/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति, रु. 100/– प्रतिमाह की दर से अध्ययन भत्ता वी.एच. के लिए, रु. 150/– प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता, एच.एच. तथा वी.एच. के लिए तथा निःशक्त बच्चों के सीखने के लिए शिक्षण सामग्री के समक्ष रु. 500/– प्रतिवर्ष दिए गए।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया जा रहा है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा की छूट दी गई है।
29.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	–	–	• विभिन्न स्कूलों में 733 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। नार्मल स्कूलों में दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। • 152 सरकारी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें निःशक्त तथा सामान्य दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। • निःशक्त बच्चों के प्रवेश के लिए सभी तकनीकी तथा गैरतकनीकी संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। • 520 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए। • निःशक्त बच्चों के अनुकूल पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है। • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वाहन भत्ता/अनुरक्षण भत्ता तथा निशुल्क बस पास उपलब्ध कराए गए। • नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को परीक्षा में लिखने के लिए लिपिक/लेखक दिया गया।
30.	चंडीगढ़	–	गठित	• सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं। • लड़कियों के लिए 10+2 स्तर तक तथा लड़कों के लिए 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा है। • निःशक्तों के नामांकन के बाद उनकी उचित प्रगति, विकास तथा वृद्धि का दायित्व स्कूल प्रमुख का है। • अनेक संस्थान निःशक्तों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। • रु. 50/– से रु. 500/– तक छात्रवृत्ति दी जाती है। • 4 कालेजों तथा 61 स्कूलों में रैम्प लगे हैं।
31.	दादर तथा नगर हवेली	आवश्यकता नहीं	कोई सूचना नहीं	• उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा। पुस्तकें, साधन सामग्री, मध्याहन भोजन आदि भी दिए जाते हैं। • कम संख्या होने तथा निःशक्त बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए जनशक्ति के उपलब्ध न होने के कारण अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हुआ।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
32.	दमन एवं द्वीप	आवश्यकता नहीं	कोई सूचना नहीं	• 2 जिलों में विशेष सकूल हैं। • सभी स्कूलों में बाधामुक्त पहुंच है।
33.	दिल्ली	गठित	गठित	• निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। • विशेष स्कूलों में 2,210 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • नियमित स्कूलों में 17,517 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • सभी सरकारी स्कूलों ने अपने भवन निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय बनाए हैं। • निःशक्त बच्चों को निःशुल्क उपकरण, पुस्तकें, शिक्षा सामग्री, वर्दियां, सहायता, साधन सामग्री प्रदान की जा रही हैं। • निःशक्तजनों के लिए लचीला पाठ्यक्रम है। • नेत्रहीन छात्रों को लिपिक/लेखक दिया गया है। स्कूलों में निःशक्तजनों को लिखित परीक्षा में प्रति घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है। • एच.आई. के लिए पाठ्यक्रम में एक भाषा का विकास विकल्प उपलब्ध है। • निःशक्त बच्चों की निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है। • स्कूलों में पढ़ रहे 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को कुल सं. 17,517 है। • निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं। • निःशक्त बच्चों को रु 600/– प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है, निःशक्त बालिकाओं को रु. 200/–प्रति मास अतिरिक्त दिए जाते हैं। • 2,684 स्कूलों में सक्षम तथा अक्षम बच्चे पढ़ रहे हैं। 8 सरकारी तथा 13 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल चल रहे हैं। • 2,323 स्कूल वास्तुविद् की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। 1868 स्कूल तथा कालेज रैम्प तथा सुगमनीय शौचालयों से सज्जित हैं। • नेत्रहीन तथा कम दृष्टि छात्रों के लाभ के लिए आई.सी.टी. संसाधनों के अतिरिक्त, दो स्कूलों, नामतः शहीद हेमू कलोनी, एस.बी.वी., लाजपत नगर तथा एस.बी.वी., झांसी रोड में जाब्स तथा खुली पुस्तकें रखी गई हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• दिल्ली विश्वविद्यालय के समान अवसर प्रकोष्ठ ने विश्वविद्यालय स्तर पर निःशक्त छात्रों के संस्थापन के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं। • वी.आई., एच.आई. एम.आर., ओ.एच. पर विशेष ध्यान देते हुए संसाधन व्यक्तियों/विशेष शिक्षकों के लिए एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। • निःशक्त बच्चों के लिए गणितीय प्रश्न हटाए गए हैं। निःशक्त बच्चों के लिए लचीला पाठ्यक्रम बनाने का दायित्व एस.सी.ई.आर.टी. को सौपा गया है। कक्षा VIII तक के श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक भाषा की छूट लागू हैं।
34.	लक्षद्वीप	–	गठित	• 222 निःशक्त बच्चे विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और 38 निःशक्त बच्चे गृह आधारित शिक्षा में नामांकित हैं। • निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा विशेष पुस्तकें, वर्दी आदि निःशुल्क दी जाती हैं। • स्कूल निःशक्त बच्चों के लिए सुविधाओं से सज्जित है और वास्तुविद की दृष्टि से बाधामुक्त है। • दिवस देखभाल केन्द्र, कावारत्ती में निःशुल्क वाहन सुविधा है।
35.	पुडुचेरी	आवश्यकता नहीं	गठित अवधि समाप्त होने के कारण कार्यरत नहीं।	• स्कूलों में 1928 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। • निःशुल्क बस पास जारी करके निःशक्त बच्चों निःशुल्क वाहन सुविधा दी गई है। • नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं। • 427 सरकारी स्कूलों में नार्मल तथा निःशक्त बच्चे साथ–साथ पढ़ रहे हैं। • 2 सरकारी, 2 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 5 निजी विशेष स्कूल चल रहे हैं। • 2 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल तथा नार्मल स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित है। • 450 स्कूल तथा कालेजों में से 98 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। • 250/– प्रति माह से रु. 1,700/– तक की रेंज में छात्रवृत्ति दी जा रही है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	धारा 26, 31 शिक्षा
				• संघ क्षेत्र में निःशक्त बच्चों के लिए 52 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। • 2 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। • 139 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। • निःशक्त बच्चों के लिए स्थापना सुविधा है। • वी.एच./कम दृष्टि बच्चों के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम प्रतिबंधित तथा एक भाषा विकल्प भी प्रभावी किया गया है। वी.एच./निम्न दृष्टि छात्रों को लिपिक प्रदान किया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को स्कूलों/कालेजों में लिखित परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है।

▼ तालिका 2 धारा 32 से धारा 41 तक

क्र. सं.	राज्य	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में 3 प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
1.	आंध्र प्रदेश	वर्ग 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' में 766 पद चिन्हित	विद्यमान तथा सख्ती से पालन किया रहा है	विद्यमान	–
2	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय सूची को अपनाया है।	विद्यमान	–	समाजिक पुनर्वास के लिए रु. 10,000/= की एक मुश्त सहायता जीवन में एक बार।
3	असम	वर्ग 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में 506 पद चिन्हित किए गए हैं।	विद्यमान	विद्यमान	–
4	बिहार	वर्ग 'सी' तथा 'डी' में 62 पद चिन्हित किए गए हैं।	विद्यमान	विद्यमान	–
5	छत्तीसगढ़	वर्ग 'बी', 'सी' और 'डी' में पद 3102 पद चिन्हित किए गए हैं।	विद्यमान	विद्यमान	–
6	गोवा	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	विद्यमान	विद्यमान	निजी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की योजना के अन्तर्गत 15 निःशक्तजनों को नियुक्त किया गया।
7	गुजरात	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	विद्यमान	3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। विद्यमान	–
8	हरियाणा	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	आरक्षण नीति कार्यान्वित की जा रही है।	–	संस्थापन पुरस्कार योजना मौजूद है।
9	हिमाचल प्रदेश	वर्ग 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में पद चिन्हित किए गए।	विद्यमान	विद्यमान	–
10	जम्मू–कश्मीर	97 राजपत्रित और 715 अराजपत्रित पद चिन्हित।	विद्यमान	3 प्रतिशत आरक्षण के लिए निर्देश जारी।	–

क्र. सं.	राज्य	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में 3 प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
11	झारखण्ड	वर्ग ए, बी, सी और डी में पद चिन्हित किए गए।	सरकारी संस्थान में प्रवेश में आरक्षण दिया जा रहा है।	विद्यमान	निःशक्तजनों को दक्षता के लिए तथा बड़ी संख्या में निःशक्तजनों को रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं तथा संस्थानों को स्टेट अवार्ड।
12	कर्नाटक	वर्ग ए, बी में पद चिन्हित किए गए।	उपलब्ध नहीं।	विद्यमान	–
14	केरल	वर्ग I और II में III और IV में पद निःशक्तजनों के लिए चिन्हित किए गए।	शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। तकनीकी हाई स्कूलों में, 5 प्रतिशत स्थान ओ.एच. विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए आवंटित कुल बजट का 3 प्रतिशत विकलांगजनों के लिए सुरक्षित किया गया है।	कुशल विकलांग कर्मचारियों को तथा बड़ी संख्या में विकलांगजनों को रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं और संस्थानों के लिए राज्य सरकार पुरस्कार।
14	मध्य प्रदेश	वर्ग बी, सी और डी 12,124 पद चिन्हित।	राज्य में सभी संस्थानों में।	विद्यमान	–
15	महाराष्ट्र	केन्द्रीय सूची अपनाई गई है।	विद्यमान	विद्यमान	पुरस्कार योजना मौजूद है।
16	मणिपुर	वर्ग ए, बी, सी और डी में नौकरियां चिन्हित।	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण।	विद्यमान	–
17	मेघालय	केवल वर्ग सी तथा डी में पद चिन्हित।	विद्यमान	विद्यमान	–
18	मिजोरम	वर्ग ए, बी, सी तथा डी 873 पद चिन्हित हैं।	सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे पॉलीटैक्नीक सहित स्कूलों और कॉलेजों में 3 प्रतिशत आरक्षण अधिसूचित।	विद्यमान	–
19	नागालैंड*	वर्ग ए, बी, सी और डी में पद चिन्हित।	विद्यमान	विद्यमान	–
20	उड़ीसा	ए, बी, सी तथा डी वर्ग में चिन्हित पदों की संख्या 602 है।	राज्य शिक्षा संस्थानों में विद्यमान है।	विद्यमान	–

क्र. सं.	राज्य	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में 3 प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
21	पंजाब	केन्द्रीय सूची बनाई गई है।	विद्यमान	विद्यमान	नि:शक्तजनों को रोजगार देने के लिए निजी नियोक्ताओं को 5 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
22	राजस्थान	केन्द्रीय सूची अपनाई गई है।	विद्यमान	विद्यमान	–
23	सिक्किम	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	विद्यमान	उपलब्ध नहीं।	–
24	तमिलनाडु	287 पद ग्रुप ए एवं बी में चिन्हित तथा सी और डी में सभी पद।	विद्यमान	सभी जिला कलैक्टरों द्वारा एस.जी.एस.वाई. तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत नि:शक्तजनों को सहायता प्रदान की गई।	निजी उद्यमियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय नि:शक्तों को श्रमबल में कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में परिच्छेद को शामिल किया जाना चाहिए।
25	त्रिपुरा	वर्ग सी तथा डी में पद चिन्हित।	विद्यमान	विद्यमान	विद्यमान
26	उत्तर प्रदेश	सभी वर्गों में 585 पद चिन्हित।	विद्यमान	अनुदेश जारी किए गए।	विद्यमान
27	उत्तराखंड	पद चिन्हित सभी वर्गों में।	–	विद्यमान	–
28	पश्चिम बंगाल	सभी वर्गों में पद चिन्हित।	विद्यमान	विद्यमान	–

संघ क्षेत्र

क्र. सं.	संघ क्षेत्र	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा में 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन योजना में 3 प्रतिशत	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
1	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	विद्यमान	विद्यमान	–

क्र. सं.	संघ क्षेत्र	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा में 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन योजना में 3 प्रतिशत	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
2	चंडीगढ़	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण।	–
3	दादरा एवं नगर हवेली	15 रिक्तियां चिन्हित की गईं।	शिक्षा विभाग द्वारा उचित आरक्षण प्रदान किया जाता है।	ऋण स्वीकृत किए गए हैं।	कोई प्रोत्साहन योजना मौजूद नहीं है।
4	दमन एवं दीव	केन्द्रीय सूची अपनाई गई है।	विद्यमान	अनुदेश जारी	–
5	दिल्ली	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	विद्यमान	–	कम से कम 5 प्रतिशत निःशक्त कमर्चारी नियुक्त करने के लिए सार्वजनिक/निजी नियोक्ता को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की योजना।
6	लक्षद्वीप	वर्ग बी., सी. और डी. में चिन्हित।	उपलब्ध नहीं	अनुदेश जारी।	–
7	पुडुचेरी	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	विद्यमान	विद्यमान	–

▼ तालिका 3 धारा 43 से धारा 60 तक

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45–46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	केवल भवनों के लिए।	भवन उपनियम संशोधित किए गए। निम्न तल बसें आरंभ की गई।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
2	अरुणाचल प्रदेश	सभी लक्ष्यों के लिए योजना विद्यमान है।	भवन उपनियम संशोधित किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)।
3	असम	निःशक्तजनों को प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिए परिपत्र दिनांक 4.1.2010 जारी किया गया।	नए सार्वजनिक भवनों को बाधामुक्त रूपक के अनिवार्य प्रावधान करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए गए। निम्न तल बसें चलाई गईं।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)।
4	बिहार	योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित/ दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)।
5	छत्तीसगढ़	योजना मौजूद है।	बाधामुक्त वातावरण के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
6	गोवा	केवल भवनों के लिए योजना विद्यमान।	परिवहन के आकार सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थान बाधामुक्त हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
7	गुजरात	प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है और वित्तीय सहायता दी जाती है।	उपनियम संशोधित/ दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
8	हरियाणा	योजना मौजूद है।	निःशक्तजनों को बाधामुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
9	हिमाचल प्रदेश	योजना विद्यमान।	उपनियम संशोधित दिशा–निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
10	जम्मू और कश्मीर	–	प्रक्रियाधीन	–	–

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45–46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
11	झारखण्ड	योजना मौजूद है।	बधामुक्त वातावरण के लिए कदम उठाए गए।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
12	कर्नाटक	योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित निशा–निर्देश जारी। 5 भवनों में एक्सेस आडिट परिचालित किया। राज्य आयुक्त निःशक्तजन की वेबसाइट सुगमनीय।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
13	केरल	आवास में 1 प्रतिशत, सभी स्थानीय स्वायत सरकारी निकायों को निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के निर्देश देते हुए परिपत्र जारी किया गया है।	मौजूदा ढांचों और नए सरकारी भवनों में आवश्यक परिवर्तन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
14	मध्य प्रदेश	केवल व्यवसाय स्थापित करने के लिए योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित दिशा–निर्देश जारी। 200 भवनों में एक्सेस आडिट परिचालित किया।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
15	महाराष्ट्र	योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित/ दिशा–निर्देश जारी। सार्वजनिक वाहन सुगमनीय।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
16	मणिपुर	योजना मौजूद	–	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
17	मेघालय	रियायती दर पर भूमि उपलब्ध	उपनियम संशोधित/ दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
18	मिजोरम	केवल भवनों के लिए योजना मौजूद है।	नए भवनों में बाधामुक्त वातावरण के लिए दिशा–निर्देश जारी। पुराने भवनों में कुछ रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय निर्मित किए गए हैं।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45–46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
19	नागालैंड	–	भवन निर्माण उपनियम संशोधित किए जा रहे हैं। लगभग सभी सरकारी भवन, विश्राम गृह बाधा रहित हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
20	उड़ीसा	योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित दिशा–निर्देश जारी 4 भवनों में एक्सेस आडिट संचालित। राज्य आयुक्त निःशक्तजन की वेबसाइट सुगमनीय।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
21	पंजाब	योजना मौजूद हैं	भवन उपनियम संशोधित/राज्य में सड़कें तथा खरंजे सुगमनीय।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
22	राजस्थान	योजना मौजूद है।	भवन उपनियम संशोधित/आर.एस.आर. टी.एस. बसें निशक्तजनों के लिए सुगमनीय। लाल बत्तियों पर 16 श्रवण संकेत।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
23	सिक्किम	निःशक्तजनों के लिए भवनों के आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण।	सरकारी भवनों में निःशक्तजनों के लिए बाधारहित सुगमनीयता निश्चित की गई।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
24	तमिलनाडु	केवल विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए योजना मौजूद है।	बधा मुक्त वातावरण के लिए दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
25	त्रिपुरा	विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है।	उपनियम संशोधित/दिशा निर्देश जारी। बाधामुक्त वामावरण के लिए अधिसूचना जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45–46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
26	उत्तर प्रदेश	योजना विद्यमान है।	निम्न तल बसें आरंभ। भवन उपनियम संशोधित।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
27	उत्तराखण्ड	घर बनाने तथा व्यवसाय खड़ा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।	दिशा–निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
28	पश्चिम बंगाल	प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि के आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण	सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजित।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)

संघ क्षेत्र

क्र. सं.	संघ क्षेत्र	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू-आवंटन	धारा 45–46 बाधामुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	सार्वजनिक वाहन सुगमनीय।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
2	चंडीगढ़	''निशक्त जन योजना, 2009 के लिए सादा बूथ स्थल/बूथ बनाने की अनुज्ञप्ति'' नामक एक विशेष योजना विद्यमान।	भवन उपनियम संशोधित बाधामुक्त वातावरण बनाने के लिए नए भवन का डिजाइन किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
3	दादरा एवं नगर हवेली	योजना विद्यमान है।	उपनियम संशोधित/ दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)

क्र. सं.	संघ क्षेत्र	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू–आवंटन	धारा 45–46 बाधामुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
4	दमन एवं दीव	प्रक्रियाधीन	उपनियम संशोधित/ दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
5	दिल्ली	योजना विद्यमान	विभिन्न सार्वजनिक स्थानों की परिवहन के मोड़ सहित बाधामुक्त बनाया गया।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
6	लक्षद्वीप	भू क्षेत्र बहुत छोटा है।	अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैंप आदि की व्यवस्था की गई है। निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय जल में सभी शिप आते–जाते हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
7	पुडुचेरी	योजना मौजूद है।	नए सरकारी भवनों में, सड़कें तथा खडंजें सुगमनीय हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)

▼ तालिका 4 धारा 67 से धारा 73 तक

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 नि:शक्तता पेंशन
1	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	–	आयु का विचार किए बिना दिनांक 1.11.2008 से नि:शक्तता पेंशन बढ़ाकर 500/– रु. प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कर दी गई है। इससे 8,84.246 लाभार्थियों पर रु. 530 करोढ़ खर्च हुए।
2	अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	–	वर्ष, 2013 से कार्यान्वित मुख्यमंत्री नि:शक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत नि:शक्ताग्रस्त व्यक्तियों के लिए रु. 1,000/– प्रतिमाह।
3	असम	–	5,460 लाभार्थियों को रु. 500/– प्रतिमास दिया गया।	कोई योजना नहीं।
4	बिहार	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	–	आवंटित निधि रु. 5278 लाख लाभार्थी 4,92,000
5	छत्तीसगढ़	–	रु. 500/– प्रतिमाह शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए।	रु. 200/– प्रतिमाह निधि आबंटित रु. 718.81 लाख
6	गोवा	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नि:शक्त व्यक्तियों सहित।	–	रु. 2000/– से रु. 3,500/– प्रतिमाह तथा लाभार्थी 8,532
7	गुजरात	एक लाख रुपये से कम आय वाले नि:शक्तजनों को राज्य द्वारा प्रीमियम भुगतान करके शामिल किया जा रहा है।	संत सूरदास योजना बेरोजगारी भत्ते का विकल्प है। चूंकि ऐसी योजना अस्तित्व में नहीं और न ही निकट भविष्य में प्रारंभ किये जाने की संभावना है।	संत सूरदास योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता वाले नि:शक्तजनों को 45 वर्ष की आयु तक रु. 200/– और 45 वर्ष की आयु के बाद रु. 400/–।
8	हरियाणा	सरकार ने योजना अधिसूचना संख्या 16/6/84–3 जी.एस. II दिनांक 20.08.1985 के द्वारा अधिसूचित की है।	शिक्षा के आधार पर 70 प्रतिशत नि:शक्तता वाले नि:शक्तजनों को रु. 200/–, 250/– तथा रु. 300/– प्रतिमाह तथा 100 प्रतिशत निशक्तता वालें नि:शक्ती रु. 1,000/–, रु. 1,500/– तथा रु. 2000/– प्रतिमाह	70 प्रतिशत नि:शक्तता वाले नि:शक्तजनों को रु. 500/– प्रतिमाह तथा 100 प्रतिशत निशक्तताता वाले निशक्तजनों को रु. 750/– प्रतिमाह।

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 नि:शक्तता पेंशन
9	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए	–	नि:शक्तता पुनर्वास भत्ता योजना के अन्तर्गत रु. 400/– प्रतिमाह।
10	जम्मू और कश्मीर	–	–	रु. 300 मनी आर्डर द्वारा।
11	झारखण्ड	–	–	स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रु. 400/– प्रतिमाह का प्रोत्साहन भत्ता।
12	कर्नाटक	कर्नाटक सरकार के बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल। मानसिक मंदता ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों के लिए बीमा सुरक्षा मौजूद है।	–	40–74 प्रतिशत तक नि:शक्तता वाले व्यक्तियों वाले व्यक्तियों को 400/– रु. और आर्थिक रूप से पिछड़े 75 प्रतिशत तथा अधिक नि:शक्तता वाले व्यक्तियों को 1000/– रु. प्रतिमाह।
13	केरल	विकलांगजनों के लिए अलग से कोई योजना नहीं।	रु. 1000/– प्रति माह	रु. 250/– प्रतिमाह
14	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	–	रु. 200/– प्रतिमाह
15	महाराष्ट्र	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	–	बैंकों के माध्यम से संजय गांधी निराधार योजना के अंतर्गत 500/– रु. की पेशन दी जाती हैं (एक परिवार में एक से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होने पर परिवार के दो विकलांगजनों के लिए) और दो से अधिक विकलांगजनों के लिए 750/– की दर से पेंशन प्रदान की जाती है।
16	मणिपुर	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	भत्ते की दर 100 से 200 रु. प्रतिमाह के बीच है।	3,000/– रु. की प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता। एक बार भुगतान।
17	मेघालय	ऐसी कोई योजना नहीं है।	रु. 500/– प्रतिमाह	मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता योजना के अन्तर्गत नि:शक्ततों को रु. 500/– प्रतिमाह।

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 नि:शक्तता पेंशन
18	मिजोरम	–	250/– रु. प्रतिमाह, लाभार्थी–25	रु. 250/– प्रतिमाह
19	नागालैंड	–	–	रु. 200/– प्रतिमाह
20	उड़ीसा	–	–	300/– रु. प्रतिमाह की पेंशन/ आजीविका भत्ता। लाभार्थी 3,34,907
21	पंजाब	नि:शक्तजनों के लिए ऐसी कोई बीमा योजना नहीं है।	40 प्रतिशत नि:शक्तता वाले नेत्रहीन, बधिर तथा मूक व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर – मैट्रिक तथा स्नातक से नीचे रु. 450/– प्रतिमाह, स्नातक तथा उच्च स्नातक रु. 600/– प्रतिमाह शारीरिक रूप से विकलांग – मैट्रिक तथा स्नातक से कम रु. 225/– प्रतिमाह, स्नातक तथा स्नातकोत्तर रु. 300/– प्रतिमाह।	250/– रु. प्रतिमाह
22	राजस्थान	नि:शक्तजनों सहित सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	144 लाभार्थियों को रु. 600/– प्रतिमाह	रु. 500/– प्रतिमाह की दर से
23	सिक्किम	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	निर्वाह भत्ता रु. 600/– प्रतिमाह, 3,344 लाभार्भियों को	रु. 600/– प्रतिमाह की दर से। लाभार्थी–586
24	तमिलनाडु	नि:शक्तजन तमिलनाडु सरकार की नई योजना के अन्तर्गत शामिल हैं।	विविध रूप से सक्षम के लिए बेरोजगारी भत्ता कक्षा दसवीं तक रु. 300/– प्रतिमाह स्नातक से कम तथा एच.एस.सी./ पी.यू.सी. रु. 375/– प्रतिमाह स्नातक तथा उच्च स्नातक रु. 450/– प्रतिमाह लाभार्थी 25,303 आवंटित निधि : रु. 11.08 करोड़	1,11,829 लाभार्थियों को रु. 1,000/– प्रतिमास आवंटित निधि : 135.77 करोड़ लाख
25	त्रिपुरा	वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लागू नहीं।	रु. 1000/– प्रतिमाह लाभार्थी : 33	रु. 400/– प्रतिमाह आवंटित निधि रु. 409.64 लाख
26	उत्तर प्रदेश	सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना मौजूद है।	बेरोजगारी भत्ता उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।	रु. 300/– प्रतिमाह आवंटित राशि : 279.64 करोड़ लाभार्थी : 8,02,270

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 नि:शक्तता पेंशन
27	उत्तराखण्ड	सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना मौजूद है।	–	रु. 600/– प्रतिमाह (आई.जी.एन.डी.पी.सी. के अन्तर्गत मानक पूरा करना आवश्यक नहीं) लाभार्थी : 52,417 निधि आवंटित : रु. 3,826.01 लाख रु. 700/– प्रतिमाह (आई.जी.एन.डी.पी.एस. योजना के अन्तर्गत मानक पूर्ति)
28	पश्चिम बंगाल	जी.आई.एस.एस. के अन्तर्गत नि:शक्त व्यक्तियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	कोई योजना नहीं।	रु. 750/– प्रतिमाह। 01.04.2009 से प्रभावी। लाभार्थी : 40,276 आवंटित निधि : रु. 36.25 करोड़

संघ क्षेत्र

क्र. सं.	संघ क्षेत्र	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 नि:शक्तता पेंशन
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	रु. 400 प्रतिमाह और स्वरोजगार उद्यम के लिए एकमुश्त अनुदान रु. 3000/– की दर से (3 वर्ष में एक बार)	रु. 200/– प्रतिमाह (माता–पिता की आय रु. 2.5 लाख प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए।)
2	चंडीगढ़	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन।	नि:शक्तजनों को बेरोजगारी भत्ता। योग्यता के आधार पर रु. 150 से 400/– तक दिया जाता है।	रु. 500/– प्रतिमाह लाभार्थी : 3045
3	दादरा और नगर हवेली	–	–	रु. 60/– प्रतिमाह
4	दमन और दीव	प्रक्रियाधीन	–	रु. 1000/– प्रतिमाह लाभार्थी 493
5	दिल्ली	नि:शक्तजनों सहित राज्य सरकार के कर्मचारी।	''विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना'' के अन्तर्गत रु. 1500/– प्रतिमास आवंटित निधि : रु. 5800.00 लाख लाभार्थी : 36,809	

क्र. सं.	संघ क्षेत्र	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 नि:शक्तता पेंशन
6	लक्षद्वीप	द्वीप सुरक्षा सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। राज्य सरकार के कर्मचारी सी.जी.ई.आई.एस. के अन्तर्गत आते हैं।	बेरोजगारी भत्ते की कोई योजना नहीं है।	रु. 500/– प्रतिमाह
7	पुडुचेरी	45–74 वर्ष के बीच की आयु वालों के लिए उपलब्ध योजना।	उच्चतर माध्यमिक–रु.200/– रु., स्नातक से नीचे–रु.. 300/– स्नातकोत्तर –500/–	40–65 प्रतिशत निशक्ता वाले रु. 1100/– 66–85 प्रतिशत निशक्ता वाले रु. 1400/– 86–100 प्रतिशत निशक्ता वाले रु. 1750/–

परिशिष्ट

II

राज्यों/संघ क्षेत्रों से नि:शक्तता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	जनगणना 2001 के अनुसार नि:शक्तजनों की कुल आबादी	जारी किए गए नि:शक्तता प्रमाण–पत्र		जारी नहीं किए गए निशक्तता प्रमाण–पत्र	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	1364981	935810	68.56	429171	31.44
2	अरुणाचल प्रदेश	33315	1,994	5.99	31.321	94.01
3	असम	530300	160220	30.21	370080	69.79
4	बिहार	1887611	803000	42.54	1084611	57.46
5	छत्तीसगढ़	419887	202,543	48.24	217344	51.76
6	गोवा	15749	16181	102.74	–432	–2.74
7	गुजरात	1045465	265279	25.37	780186	74.63
8	हरियाणा	455040	308016	67.69	147024	32.31
9	हिमाचल प्रदेश	155950	67414	43.23	88536	56.77
10	जम्मू और कश्मीर	302670	117676	38.88	184994	61.12
11	झारखंड	448377	332822	74.23	115555	25.77
12	कर्नाटक	940643	641805	68.23	298838	31.77
13	केरल	860794	188451	21.89	672343	78.11
14	मध्य प्रदेश	1408528	646898	45.93	761630	54.07
15	महाराष्ट्र	1569582	706920	45.04	862662	54.96
16	मणिपुर	28376	18069	63.68	10307	36.32
17	मिजोरम	16011	7894	49.30	8117	50.70
18	मेघालय	28803	23735	82.40	5068	17.60

क्र. सं.	राज्य	जनगणना 2001 के अनुसार नि:शक्तजनों की कुल आबादी	जारी किए गए नि:शक्तता प्रमाण–पत्र		जारी नहीं किए गए निशक्तता प्रमाण–पत्र	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
19	नागालैंड	26499	1532	5.78	24967	94.22
20	उड़ीसा	1021335	690679	67.63	330656	32.37
21	पंजाब	424523	319064	75.16	105459	24.84
22	राजस्थान	1411979	374536	26.53	1037443	73.47
23	सिक्किम	20367	8.052	39.53	12315	60.47
24	तमिलनाडु	1642497	852555	51.91	789942	48.09
25	त्रिपुरा	58940	62881	106.69	–3941	–6.69
26	उत्तर प्रदेश	3453369	1634566	47.33	1818803	52.67
27	उत्तराखंड	194769	73148	37.56	121621	62.44
28	पश्चिम बंगाल	1847174	827138	44.78	1020036	55.22
29	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7057	6426	91.06	631	8.94
30	चंडीगढ़	15538	15977	102.83	–439	–2.83
31	दमन और दीव	3171	328	10.34	2843	89.66
32	दादरा और नगर हवेली	4048	537	13.27	3511	86.73
33	दिल्ली	235886	51083	21.66	184803	78.34
34	लक्षद्वीप	1678	1302	77.59	376	22.41
35	पुड्डुचेरी	25857	23275	90.01	2582	9.99
योग		**21906769**	**10387806**	**4742**	**11518963**	**52.58**

परिशिष्ट

III

राज्य/संघ क्षेत्रों में निःशक्तता पेंशन योजनाएं

क्र सं	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
1	आंध्र प्रदेश	हाँ	रु. 500/– प्रतिमास 884246 निःशक्तजनों को रु. 530/– करोड़	बी.पी.एल. श्रेणी	–
2	अरुणाचल प्रदेश	हाँ	रु. 1000/– प्रतिमाह	–	–
3	असम	नहीं	–	–	–
4	बिहार	हाँ	4.92 लाख निःशक्तजनों को रु. 5278.00 लाख	गरीबी रेखा से नीचे वाले निःशक्तजन	–
5	छत्तीसगढ़	हाँ	रु. 200/–प्रतिमाह 35608 निःशक्तजनों को रु. 718.81 लाख	–	
6	गोवा	हाँ	रु. 2000/– से रु. 3500/– प्रतिमाह 8532 लाभार्थी रु. 23.84 करोड़	1. चलन निःशक्तता 2. वाक/श्रवण बाधित 3. दृष्टिबाधित 4. मानसिक मंदन ग्रस्त, 5. मानसिक रोगी	–
7	गुजरात	हाँ	रु. 200/– प्रति माह 45 वर्ष तक की उम्र वाले व्यक्ति को एवं रु. 400/– प्रतिमाह 45 वर्ष अधिक वाले व्यक्ति को।	–	–
8	हरियाणा	हाँ	रु. 500/– प्रतिमास रु. 750/– प्रतिमास	निशक्तता 70 प्रतिशत निःशक्तता 100 प्रतिशत	लाभार्थी 1,34,753 राशि : 9593.75 लाख

क्र सं	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
9	हिमाचल प्रदेश	हाँ	रु. 400/– प्रतिमाह निःशक्तता पुनर्वास भत्ता' योजना के अन्तर्गत। लाभार्थियों की संख्या 33,630	निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक। स्वयं की आय रु. 6,000/– प्रतिवर्ष, परिवार की आय रु. 11,000/– से अधिक न हो।	–
10	जम्मू और कश्मीर	हाँ	रु. 300/– प्रतिमाह	केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्ति ही पेंशन के लिए विचारणीय	–
11	झारखंड	हाँ	रु. 400/– प्रतिमाह निधि : रु. 57.00 करोड़ लाभार्थी : 112899	–	–
12	कर्नाटक	हाँ	रु. 500/– प्रतिमाह, रु. 1,000/– प्रतिमाह	40 से 74 प्रतिशत निःशक्त, 75 प्रतिशत से अधिक निःशक्त	–
13	केरल	हाँ	रु. 250/– प्रति माह लाभार्थी : 162314	40 प्रतिशत या उससे ऊपर निःशक्तता	–
14	मध्य प्रदेश	हाँ	रु. 200/– प्रतिमाह	–	–
15	महाराष्ट्र	हाँ	रु. 500/– प्रतिमाह रु. 750/– प्रतिमाह	एक परिवार में एक से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को, रु. 500/– की दर से, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए रु. 750/– पेंशन दी जाती है।	बैंकों द्वारा संजय गांधी निराधार योजना के अन्तर्गत पेंशन।
16	मणिपुर	हाँ	–	–	–
17	मिजोरम	हाँ	रु. 250/– प्रतिमाह लाभार्थी : 200	–	निःशक्तजन अधिनियम के अनुसार (40 प्रतिशत तथा अधिक)

क्र सं	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
18	मेघालय	नहीं	रु. 500/– प्रतिमाह	–	मुख्यमंत्री निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत
19	नागालैंड	हाँ	रु. 200/– प्रतिमाह,	40 प्रतिशत एवं उससे अधिक सभी वर्ग के निःशक्त व्यक्ति	–
20	ओडिसा	हाँ	रु. 300/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी लाभार्थियों की सं. 3,34,907	5 वर्ष से अधिक समय से ओ.एच./एम.आर./ सेरिब्रल पाल्सी से त्रस्त व्यक्ति, जिसकी आय रु. 12000/– प्रतिवर्ष से अधिक न हो या एड्स रोगी, जिसकी पहचान ओडिसा एड्स कंट्रोल सोसायटी (आय आधार पर विचार किए बिना) द्वारा कर ली गई हो।	इस समय उड़ीसा निःशक्तता पेंशन योजना 1985 का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार द्वारा नई प्रस्तुत मधु बाबू पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में निःशक्तता पेंशन दिनांक 01.01.08 से दी गई है।
21	पंजाब	हाँ	रु. 250/– प्रति माह 145844 निःशक्तजनों को रु. 3476 लाख दिए गए।	–	–
22	राजस्थान	नहीं	–	–	–
23	सिक्किम	हाँ	रु. 600/– प्रतिमाह लाभार्थी : 586	–	–
24	तमिलनाडु	हाँ	रु. 1000/–प्रतिमाह 111829 लाभार्थियों को रु. 135.77 करोड़ दिए गए।	–	–

क्र सं	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
25	त्रिपुरा	हाँ	रु. 400/– प्रति माह	निःशक्तजन 60 प्रतिशत बी.पी.एल. रु. 130.65 लाख, निःशक्तजन 100/– बी.पी.एल. रु. 66.00 लाख, निःशक्तजन 80 प्रतिशत ए.पी.एल. रु. 82.5 लाख, निःशक्तजन 100 प्रतिशत ए.पी.एल. रु. 30.00 लाख, निःशक्त 100 प्रतिशत वी.आई. रु. 100.04 लाख।	–
26	उत्तर प्रदेश	हाँ	रु. 300/– प्रति माह 8,02,270 निःशक्तजन लाभार्थियों को रु. 279.64 करोड़	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता अपेक्षित है।	–
27	उत्तराखंड	हाँ	रु. 700/– प्रतिमाह, आई.जी. एन.डी.पी.एस. योजना के अन्तगत मानक पूरे होने पर। आई.जी.एन.डी.वी.एस. योजना के मानक पूने न होने पर। रु. 600/– प्रति माह राशि रु. 3823.01 लाख लाभार्थी : 52417	–	–
28	पश्चिम बंगाल	हाँ	बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति को रु. 750/– प्रतिमाह राशि रु. 3.63 करोड़ लाभार्थी : 40276 निःशक्तजन	–	–
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	हाँ	रु. 1,000/– प्रति माह प्रति लाभार्थी	माता–पिता की आय/ 2.5 लाख प्रतिवर्ष से कम हो।	–

क्र सं	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
30	चंडीगढ़	हाँ	रु. 250/– प्रति माह, कुल लाभार्थियों की संख्या 3045	सभी वर्ग अर्थात् नेत्रहीन, मूक बधिर या अस्थि विकलांग जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है।	–
31	दमन और दीव	हाँ	रु. 1000/– प्रति माह लाभार्थियों की सं. 493	–	–
32	दिल्ली	हाँ	विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत रु. 1500/– प्रतिमाह निधि : रु. 58.00 करोड़	0–59 आयु वर्ग के निःशक्तजनों के लिए	निःशक्तता पेंशन तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए अकेली योजना।
33	दादरा और नगर हवेली	हाँ	रु. 60/– प्रति माह	–	–
34	लक्षद्वीप	हाँ	रु. 500/– प्रति माह लाभार्थी : 362	–	''लक्ष्यद्वीप पेंशन रूल्स (डेस्टिट्यूट, ओल्ड इनवैलिड) पेंशन (संशोधन) नियम 1988''
35	पुडुचेरी	हाँ	रु. 1100/– रु. 1400/– रु. 1750/– लाभार्थी : 20,952	40 प्रतिशत से 65 प्रतिशत निःशक्तता 66 प्रतिशत से 85 प्रतिशत निःशक्तता 86 से 100 प्रतिशत निःशक्तता	–

परिशिष्ट
IV

राज्य/संघ क्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता योजना

क्र. सं.	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?	दर प्रति माह/ प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
1	आंध्र प्रदेश	नहीं	–	–	आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है।
2	अरुणाचल प्रदेश	नहीं	–	–	–
3	असम	हाँ	रु. 500/– प्रतिमाह	लाभार्थियों की सं. : 5460	–
4	बिहार	हाँ	रु. 200/– प्रतिमाह बीपीएल के लिए	ऐसे व्यक्ति, जो विकलांग है तथा श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।	–
6	छत्तीसगढ़	हां	रु. 500/– प्रतिमाह	शिक्षित बरोजगारों के लिए	–
7	गोवा	नहीं	–	–	–
8	गुजरात	नहीं	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना तथा सूरदास योजना बेरोजगारी भत्ता योजना का विकल्प है।	–	–
9	हरियाणा	हाँ	रु. 1000/– प्रतिमाह शिक्षित रु. 1500/– प्रतिमाह रु. 2000/– प्रतिमाह	मैट्रिक/मिडिल पास डिप्लोमा धारक स्नातक डिप्लोमा धारक उच्च स्नातक डिप्लोमा धारक	व्यय रु. 101.62 लाख लाभार्थी 1700
10	हिमाचल प्रदेश	नहीं	–	–	–

क्र. सं.	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?	दर प्रति माह/ प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
11	जम्मू और कश्मीर	नहीं	–	–	–
12	झारखंड	नहीं	–	–	
13	कर्नाटक	नहीं	–	–	–
14	केरल	नहीं	–	–	–
15	मध्य प्रदेश	नहीं	–	–	–
16	महाराष्ट्र	नहीं	–	–	–
17	मणिपुर	हाँ	रु. 100 से 200/– प्रति माह लाभार्थी : 387	इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता अगस्त, 2006 से दिया जा रहा है और भत्ते की दर रु 100/–, रु. 200/– प्रतिमाह के बीच है।	–
18	मिजोरम	हाँ	रु. 250/– प्रति माह	रु. 250/– प्रतिमाह की दर से 25 निःशक्तजनों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।	–
19	मेघालय	हाँ	रु. 500/– प्रति माह	रु. 500/– प्रतिमाह की दर से 67 निःशक्तजनों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।	–
20	नागालैंड	नहीं	–	–	–
21	उड़ीसा	नहीं	–	–	–
22	पंजाब	हाँ	नेत्रहीन, बहरे तथा मूक व्यक्तियों के लिए रु. 450/– प्रतिमाह रु. 600/– प्रतिमाह रु. 225/– प्रतिमाह रु. 300/– प्रतिमाह सभी अन्य श्रेणियों के लिए मैट्रिक तथा स्नातक से नीचे रु. 150/– प्रतिमास। स्नातक तथा उच्च स्नातक रु. 200/– प्रतिमास।	 मैट्रिक/स्नातक से नीचे स्नातक से ऊपर (अस्थिबाधित विकलांग के लिए) मैट्रिक/स्नातक से नीचे स्नातक तथा ऊपर	–

क्र. सं.	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?	दर प्रति माह/ प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
23	राजस्थान	हाँ	रु. 600/– प्रतिमाह	–	
24	सिक्किम	नहीं	–	–	–
25	तमिलनाडु	हाँ	स्नातक/उच्च स्नातक रु. 450/– स्नातक से नीचे तथा एच.एस.सी./पी.यू.सी. रु. 375/– दसवीं के स्तर तक रु. 300/–	–	–
26	त्रिपुरा	हाँ	रु. 1000/–	18 वर्ष या अधिक की आयु वाले, जो पिछले दो साल से पंजीकृत हैं। आठवीं कक्षा पास हैं, सरकार या सरकार के उपक्रम से कोई उत्पादक कार्य नहीं कर सकते, ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए पूर्णतया स्वीकृत।	33 लाभार्थी
27	उत्तर प्रदेश	–	–	योजना संशोधन के अन्तर्गत हैं	–
28	उत्तराखंड	नहीं	–	–	–
29	पश्चिम बंगाल	नहीं	–	–	–
30	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	हाँ	रु. 400/– प्रति माह	–	–
31	चंडीगढ़	हाँ	मैट्रिक तथा स्नातक से नीचे के वी.एच. तथा एच.एच. निःशक्तजन आवेदक को रु. 300/– तथा अन्य श्रेणी वाले निःशक्तजनों को रु. 150/– स्नातक तथा उच्च स्नातक आवेदकों को रु. 400/– तथा रु. 200/–	–	–
32	दमन और दीव	नहीं	–	–	–

क्र. सं.	राज्य/ संघ क्षेत्र	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?	दर प्रति माह/ प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
33	दिल्ली	हाँ	रु. 1500/– प्रतिमास	–	–
34	दादरा एण्ड नागर हवेली	नहीं	–	–	–
35	लक्षद्वीप	नहीं	–	–	–
36	पुडुचेरी	हाँ	रु. 200–500/–	एच.एस.सी. : रु. 200/– स्नातक से नीचे : रु. 300/– उच्च स्नातक : रु. 500/–	–

परिशिष्ट

V

विश्वविद्यालयों में विक्लांगता अध्ययन के लिए अलग केन्द्र

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थिति
1	जामिया मिलिया इस्लामिया, विश्वविद्यालय, दिल्ली	विश्वविद्यालय में विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों के अलग से केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं, जहां निःशक्तजन आसानी से अध्ययन करते हैं।
2	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचलापल्ली	विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए एक केन्द्र वर्ष, 2011 से चल रहा है। यह वर्तमान बाजार मांग को पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए, उनकी क्षमता तथा कौशल बढ़ाने हेतु नए तकनीकी अनुप्रयोग तथा पूर्ण सहभागिता, समग्र पैठ, आर्थिक सामाजिक एकीकरण प्रदान कर रहा है।
3	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, चैन्नई	निःशक्तता पुनर्वास विभाग/भौतिक औषधि पुनर्वास विभाग/निःशक्तता अध्ययन विभाग इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी फिजिपोथेरेपी कालेजों में उपलब्ध है।
4	गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी	विश्वविद्यालय में निःशक्तता अध्ययन का एक पृथक विभाग है, जो निःशक्त अध्ययन में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम चला रहा है।
5	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	विश्वविद्यालय वर्ष, 2006 से पृथक रूप से निःशक्तता अध्ययन के लिए केन्द्र चला रहा है, जो निःशक्तजनों के विभिन्न कार्य करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।
6	नलसर विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	विश्वविद्यालय में निःशक्तता अध्ययन के लिए केन्द्र चल रहा है, जो कार्यक्रमों, बैठकों आदि में निःशक्त छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसका पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष भी निःशक्त छात्रों के लिए सुगमनीय बनाए गए हैं।

परिशिष्ट

VI

विक्लांगता के क्षेत्र में नि:शक्तता कार्य विभाग के कार्यरत संगठन/संस्थान

(क) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

❒ राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) की स्थापना 24 जनवरी, 1997 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। इस निगम को कंपनी अधिनिमय, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाभ नहीं कमाने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसकी प्राधिकृत पूंजी 400 करोड़ रु. (रु. चार सौ करोड़ केवल) है। इस कंपनी को भारत सरकार द्वारा नामित किए गए निदेशकों के बोर्ड द्वारा चलाया जाता है।

1. अभिप्राय तथा लक्ष्य

❒ नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक विकास गतिविधियों और स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।

❒ स्वरोजगार उपकक्रमों के उपयुक्त तथा कुशल प्रबन्धन हेतु नि:शक्त व्यक्तियों की उद्यमीय कुशलताओं के लिए ऋण प्रदान करना।

❒ व्यावसायिक पुनर्वास/स्वरोजगार के उद्देश्य से संव्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा करने के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को ऋण देना।

❒ स्व–रोजगार में सलंग्न नि:शक्त व्यक्ति को उसके द्वारा उत्पादित सामान को बेचने में उसकी सहायता करना।

2. पात्रता

❒ कोई भी नि:शक्त व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तों पूरी करता हो, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन का पात्र है–

(क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता हो–

(ख) 18 से 60 के बीच की आयु हो

(ग) वार्षिक आय 5,00,000 रु. से कम शहरी क्षेत्रों के लिए और 3,00,000 रु. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।

(घ) संगत शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं/अनुभव तथा पृष्ठभूमि।

3. ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)

क्र. सं.	परियोजना लागत	एस.सी.एज. द्वारा एन.एच. एफ.डी.सी. को दी जाने वाली दर	लाभार्थियों द्वारा एस.सी.एज. को दी जाने वाली दर
1.	50,000/– रु. तक	2 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2.	50,000/– रु. से अधिक 5,00 लाख रु. तक	3 प्रतिशत	6 प्रतिशत
3.	5,00 लाख रु. से अधिक	5 प्रतिशत	8 प्रतिशत

टिप्पणी :

(i) सभी ऋण 10 वर्षों के भीतर वापस किए जाने होंगे। शिक्षा ऋण 7 वर्ष के भीतर तथा माइक्रो क्रेडिट ऋण 3 वर्ष में लौटाने होंगे।

(ii) निःशक्त महिलाओं को ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस छूट का खर्च एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा वहन किया जाएगा।

4. प्रोत्साहक (प्रोमोटर) का अंशदान

क्र. सं.	परियोजना लागत	एन.एच.एफ. डी.सी. का हिस्सा	एस.सी.ए. हिस्सा	प्रोमोटर का अंशदान
1.	50,000/– रु. तक	100 प्रतिशत	शून्य	शून्य
2.	(i) 50,000/– रु. से अधिक 1.00 लाख रु. तक	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत	शून्य
	(ii) 1.00 लाख रु. से अधिक और 5.0 लाख रु. तक	90 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत

5. निगम के पास वित्त पोषण की निम्नलिखित योजनाएं हैं :–

(i) सेवा/व्यापार क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने के लिए योजना।

- विक्रय/व्यापार गतिविधि के लिए 1.0 लाख रु. तक का ऋण और सेवा क्षेत्र गतिविधि के लिए 3.00 लाख तक का ऋण
- छोटे व्यापार, परियोजना या गतिविधि, जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, को निःशक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं चलाया जाना होगा और अपने उद्यम में कम से कम 15 निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देना होगा।

(ii) व्यापारिक गतिविधि के लिए वाहन की खरीद हेतु:

- 5.00 लाख रु. तक का ऋण।
- व्यापारिक गतिविधि के लिए ऑटो रिक्शा सहित वाहन की खरीद।

(iii) छोटा औद्योगिक यूनिट लगाने के लिए

- 5 लाख रु. तक का ऋण
- विनिर्माण, फैब्रीकेशन और उत्पादन के लिए निःशक्त व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है। निःशक्त व्यक्ति कंपनी का स्वामी/मुख्य कार्यपालक होगा और कम से कम 15 निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देगा।

(iv) कृषि कार्यों के लिए योजना

- 5.00 लाख तक ऋण।
- निःशक्त व्यक्तियों को कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवाणी सेरीकल्चर, कृषि संबंधी मशीनों/कृषि सेवाओं के लिए उपकरणों की खरीद, कृषि उत्पादों के विपणन आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

(v) मानसिक मंदता, सेरिब्रल पाल्सी और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए।

- 3.00 लाख तक ऋण।
- इस प्रकार के मामलों में, आश्रित मानसिक मंदत्ता ग्रस्त निःशक्त व्यक्ति के माता–पिता या कानूनी अभिभावक या पति/पत्नी के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है।

(vi) निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए ऋणः

- भारत में अध्ययन के लिए 7.50 लाख रु. तक और विदेश में अध्ययन के लिए 15.00 लाख रु. तक का ऋण।

(vii) कौशलों और उद्यमशीलता के विकास के लिए वित्तीय सहायता।

(viii) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली माइक्रो वित्त पोषण योजना :

- 5.00 रु. लाख तक ऋण।

(ix) राज्य सरणीबद्ध अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली माइक्रो वित्त पोषण योजना।

(x) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली महिला समृद्धि योजना।

- गैर सरकारी संगठनों के लिए रु. 5.00 लाख तक ऋण, रु. 25,000/– तक प्रति महिला लाभार्थी।

(xi) मानसिक मंदत्ता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभिभावक संघ को रु. 5 लाख तक ऋण।

6. ऋण की अदायगी

- शिक्षा ऋण के अलावा जहां ऋण की अदायगी की अवधि 7 वर्ष है, सभी 10 वर्षों की अवधि (ऋण–स्थगन की अवधि सहित) में अदा करने होंगे।

7. रियायत

- निःशक्त महिलाओं के लिए ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट।

8. ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया :

- एन.एच.एफ.डी.सी. के राज्य सरणीबद्ध अभिकरणों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन जमा करने होंगे। 1 लाख तक की परियोजनाएं राज्य सरणीबद्ध अभिकरणों द्वारा संस्वीकृत की जाती है और 1 लाख से अधिक के आवेदन एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा संस्वीकृत किए जाते हैं।
- और अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित राज्य/संघ क्षेत्र के राज्य सरणीबद्ध अभिकरण या एन.एच.एफ.डी.सी. से सम्पर्क करें।

मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्तियों के अभिभावक संघ के लिए योजनाएं

लक्ष्य

- इस योजना का लक्ष्य मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभिभावकों के संघों को मानसिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए आय अर्जित करने वाले कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। आय पैदा करने वाले कार्य की प्रकृति ऐसी होगी कि इसमें मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति सीधे तौर पर शामिल हो सकें और आय को मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों में बांटा जा सकें। आय पैदा करने वाली गतिविधि अभिभावक संघ द्वारा चलायी जाएगी, जिनसे अपनी सेवाएं स्वैच्छिक तौर पर दिया जाना प्रत्याशित है।

पात्रता

(क) अभिभावक संघ कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) इसमें कम से कम 10 अभिभावक सदस्य होने चाहिए।

(ग) यह संघ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र में किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि का वित्तीय बकायादार नहीं हो।

ऋण की मात्रा

- प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा की सीमा 5 लाख रु. है। गैर सरकारी संगठन का हिस्सा परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत होगा। इस ऋण का उपयोग गैर सरकारी संगठन द्वारा एकल या बहु गतिविधि परियोजना के कार्यान्वयन में किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों का अधिक से अधिक भाग लेना सुनिश्चित किया जाए।

ब्याज की दर

ऋण की राशि पर लिया जाने वाला ब्याज निम्न तालिका के अनुसार होगा–

(i) 50,000/– रु. तक–5 प्रतिशत प्रति वर्ष

(ii) 50,000/– रु. से अधिक और 5.0 लाख रु. से कम–6 प्रतिशत प्रति वर्ष

भुगतान अवधि

- ब्याज सहित ऋण की राशि बराबर तिमाही किस्तों में 10 वर्षों के भीतर वापस की जाएगी।

बीमा सुरक्षा

- एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा दिए गए ऋण में से गैर सरकारी संगठन द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए पर्याप्त बीमा सुरक्षा ली जाए। इस बीमे का प्रीमियम उस गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाएगा।

परियोजना का प्रबंधन

- आय पैदा करने की यह गतिविधि, जिसके लिए एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण दिया जाता है, अभिभावक संघ के उन कार्यालय धारकों द्वारा चलाई जाएगी जो स्वयं मानसिक मंदन से ग्रसित बच्चों के माता–पिता होंगे। यह संघ एक तिमाही में कम से कम एक बैठक इस परियोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए करेगा। एन.एच.एफ.डी.सी. का एक प्रतिनिधि उस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक में उपस्थित रहेगा।

ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया

- इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन गैर सरकारी संगठन द्वारा सीधे एन.एच.एफ.डी.सी. को दिया जाएगा। तथापि गैर सरकारी संगठन को अपनी प्रबंधन समिति/न्यासी बोर्ड से इस बारे में आशय का एक संकल्प पास करवा लेना चाहिए। इसका प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

संपर्क विवरण

राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम लि.
(सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय)
रेड क्रास भवन, सैक्टर–12, फरीदाबाद–121007
दूरभाष सं. 0129–2287512, 2287513, 2226910
फैक्स सं. 0129–2284371
ई–मेल : nhfdc97@gmail.com

एन.एच.एफ.डी.सी. की राज्य सरणीबद्ध एजेंसियां

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम विकास भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 180, पोर्ट ब्लेयर, भारत दूरभाष : 03192–232098, 234108, 233659 फैक्स : 03192–235098; E-mail: annidco@VSNL.com
आंध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश विकलांगता को–आपरेटिव निगम बी.आर.के.आर. भवन, हैदराबाद–500063, भारत दूरभाष : 040–23222703, फैक्स : 040–23261650 E.mail: apvcc1@yahoo.co.in
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश स्टेट को–आपरेटिव, एपेक्स बैंक लिमिटेड पी.ओ. एण्ड टी: नहर लगुन, 'डी' सैक्टर, जिला–सुबान सिरि, नहरलगुन–791110, दूरभाष : (0360)–2212672, 2211763, फैक्स : (0360)–2211786
असम	असम को–आपरेटिव एपेक्स बैंक, पान बाजार, गोहाटी–781001 दूरभाष : (0361)- 2546413, 2515013, E-mail acabgha@yahoo.com

बिहार	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम चौथा तल, सोने भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना–800001, भारत दूरभाष : (0612)- 2226099; E-mail:Bsbcfdcpatna@rediffmail.com
चंडीगढ़	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लि. टाउन हाल बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर–17 सी, चंडीगढ़, 160022 दूरभाष : 0172–2700372, 2700609 फैक्स : 0172–2700105 E-mail : dswsec17_chd@nic.in
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम समाज कल्याण विभाग का एक उपक्रम पुराना डी.आर.डी.ए. भवन, कलैक्ट्रेट परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001 दूरभाष : 0771–4047295, फैक्स : 0771–2236197 E-mail : rajeshorth.tist@yahoo com
दमन और दीव/ दादर और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव अनु.जा./अनु.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, दूसरा तल, दायां स्कंध, पी.डब्ल्यू.डी. काम्पलैक्स, दादरा और नगर हवेली, सिलवासा–396230, भारत दूरभाष : 0260–2642043, फैक्स : (0260)–2643141 E. mail: dddnh scst@rediffmail.com,dddnh scst@yahoo.com
दिल्ली	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन वित्तीय एवं विकास निगम लि., अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–16, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, दूरभाष : (011)–27570627, 27570502, फैक्स : (011)–27572630 E-mail : sunilsach dew 15309@gmail.com mddsdc@yahoo.co.in
गोवा	गोवा राज्य अनुसूचित जाति और ओ.बी.सी. वित्त विकास निगम लि. चौथा तल, पाट्टो सेन्टर कदम्बा बस स्टैंड के पास, पणजी, गोवा, भारत, दूरभाष : 0832–2438179/80, फैक्स : 0832–2438178 E-mail : gscbcfdc@goatelegram.com
गुजरात	गुजरात अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम उद्योग भवन, ब्लाक नं. 11, द्वितीय तल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर–382010, भारत, दूरभाष : 079–23254152, फैक्स : (079)–23253843 Email: gmfdc1@gujrat.gov.in

हरियाणा	पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग कल्याण निगम, एस.सी.ओ. न. 813–14, सैक्टर–22ए, चंडीगढ़, भारत दूरभाष : (0172) 2701074, 2707539, फैक्स : (0172) 2726826, E-mail : hbc22@rediffmail.com, hbckn@glide.net.in
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एस.डी.ए. काम्पलैक्स ब्लाक नं. 38, प्रथम तल, कुसुमपति, शिमला–171009, भारत दूरभाष : 0177–2622164, 2621669 फैक्स : 0177–2622164 E-mail : corporationminority@yahoo.com
जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू और कश्मीर अनु. जा./जन. जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि., जम्मू कार्यालय, रोमेश मार्किट, शास्त्री नगर, जम्मू–180004, भारत दूरभाष : 0191–2433229, 2452009, फैक्स : 0191–2433229, 2. जम्मू एवं कश्मीर अनु. जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि. एक्सचेंज रोड, नियर रेडक्रास, धर्मनाथ ट्रस्ट, कांसिल, श्रीनगर, टेलीफैक्स : (0194)–2481988 3. जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम श्रीनगर कार्यालय, होटल रिगादून डेलीगेट के पीछे, ब्लाक ए, पुराना सचिवालय, श्रीनगर, कश्मीर–190001 भारत, दूरभाष : 0194–2450432 फैक्स : 0194–2458013, E-mail : jkwdc@rediffmail.com 4. जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम, जम्मू कार्यालय, 615–ए, गांधी नगर, जम्मू, भारत, दूरभाष : 0191–2430321
झारखंड	झारखंड जन जातीय विकास निगम, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची–834004 दूरभाष : 0651–2252398, फैक्स : 0651–2551686 Email : tedc.jharkhand@gmail.com.
कर्नाटक	कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम लि. छठा तल, जया नगर शापिंग काम्पलैक्स, जया नगर, बंगलौर–560011, भारत दूरभाष : 080–26632792, 26542307, फैक्स : 080–26542308 Email : kswdc@Bgl.VSNL. net.in

केरल	1. केरल राज्य विकलांग कल्याण निगम, टी.सी. 17/230 (1), जुवेनाइल होम कंपाउंड, पुजापुरा, तिरुअनन्तपुरम : 695–012, भारत, दूरभाष : 0471–2380090, 2347768, फैक्स : 0471–2340568 Email : ks kshpwc@yahoo.com 2. केरल राज्य महिला विकास निगम लि. बसन्त टी.सी. 20/2170, मनमोहन बंगलो के सामने, कावडियर पी.ओ. तिरूअनन्तपुरम–695003 भारत दूरभाष : 0471–2316002, 2727668, फैक्स : 0471–2316006
लक्षदीप	लक्षदीप खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड संघ क्षेत्र लक्षदीप, कावारती–682555 दूरभाष : 04896–262396/94, टैलीफैक्स : 0496–262034 Email : 1Ku board@yahoo.co.in
मध्यप्रदेश	1. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल–462002 दूरभाष : 0755–2738699, 2661181; फैक्स : 0755–2738699, Email : tribal corporation@yahoo.co.in 2. मध्य प्रदेश विकलांग कल्याण और विकास सोसाइटी, तुलसी नगर, 1250 क्वार्टर, भोपाल–462003, भारत दूरभाष : 0755–2576325, फैक्स : 0755–2552665, Email : dspwbp1@mpnic.in 3. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, पहला तल, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल–462002 दूरभाष : 0755–2660207/209 फैक्स : 2755–2660175, E-mail : mpbcandmfdc@rediffmail.com 4. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल–662002, भारत दूरभाष :0755–2661844/1744 फैक्स : 0755–2661612 Email : mdmpscfdc@sancharnet,in
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त एवं विकास निगम कमरा सं. 74, भू–तल, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, बिल्डिंग, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400051 दूरभाष : 022–26591620/22, टैलीफैक्स : 022–26591621 E-mail : mshfdc@rediffmail.com

मणिपुर	समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार निदेशालय परिसर ए.टी. लाईन, दूसरा एम.आर. गेट, इम्फाल–795001, दूरभाष : 0385–2220033, 2320407/8/9, 2448532 फैक्स : 0385–2220033
मेघालय	मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक महात्मा गांधी रोड, शिलांग–793002, भारत दूरभाष : 0364–2224160, फैक्स : 0385–2222026 Email : abexbank@sancharnet.in
मिजोरम	मिजोरम ग्रामीण बैंक, मुख्यालय बी–5ए बाबू तिला, जटकावत, आईजाल, मिजोरम–796001 दूरभाष : 0389–2346380, फैक्स : 0389–2346387 Email : mizobank@yahoo.com
नागालैंड	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग नागालैंड सिविल सचिवालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा–797001 दूरभाष : 0370–2270284, फैक्स : 0370–2245762
उड़ीसा	महिला विकास समाबाया निगम, ब्लाक ए–1, प्रथम तल, तोशाली प्लाजा, सत्यनगर, भुवनेश्वर–751007 भारत दूरभाष : 0674–2573023, फैक्स : 0674–2573024, E-mail : mvsnbbsr@yahoo.com
पुडुचेरी	पांडिचेरी महिला एवं विकलांगजन विकास निगम लि. नं. 14, गोविन्दासामी स्ट्रीट, कामराज नगर, पुडुचेरी–605011 भारत दूरभाष : 0413–2211830, फैक्स : 0413–2244964
पंजाब	पंजाब अनुसूचित जाति भूमि वित्त एवं विकास निगम एस.सी.ओ. नं. 101/103, सैक्टर–17–सी, चंडीगढ़–160017 दूरभाष : 0172–5062905/07, फैक्स : 0172–5005907 Email : edpscfc@yahoo.co.in
राजस्थान	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, नेहरू सहकार भवन, सेंट्रल ब्लाक, तृतीय तल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, भारत दूरभाष : 0141–2740745, 2740544, 2740833, फैक्स : 0141–2740880 Email : gmscdc@yahoo.com

सिक्किम	सिक्किम अनु. जा. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि. सोनम शेरिंग पथ, गैंग्टोक–737101 दूरभाष : 03592–229670, फैक्स : 03592–205318 Email : mdsabcco@rediffmail com
तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य एपेक्स सहकारी बैंक लि. सं. 4 (पुरानी सं. 233), नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड, चैन्नई–600001 दूरभाष : 044–25340301 / 304, फैक्स : 044–25340508 Email : tnsc Bank@vsnl.com
त्रिपुरा	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लि., पी.ओ. लेक, चौमुहानी अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा–799001 भारत दूरभाष : 0381–2226543, फैक्स : 0381–2326512
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, 14 / 88, सिविल लाइन्स, कानपुर–208001 दूरभाष : 0512–2530868, ई.पी.ए.बी.एक्स.–2530541–44, फैक्स : 0512–2531201
उत्तरांचल	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, भवन सं. 161, नेहरू नगर (पुरानी नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड), देहरादून–248001 दूरभाष : 0135–2675226, फैक्स : 0135–2675226 / 2671635, E-mail : vikasnigam12@gmail.com
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल महिला विकास उपक्रम, एल.ए. ब्लाक, बी–7, सैक्टर–3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700091 दूरभाष : 033–23353150

ख. राष्ट्रीय न्यास

- राष्ट्रीय न्यास, "ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुनिःशक्तता अधिनियम (1999 का अधिनियम 44) के अन्तर्गत, स्थापित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एवं सांविधिक निकाय है।

संपर्क विवरण :

राष्ट्रीय न्यास
10–बी, बड़ा बाजार, ओल्ड राजेन्द्र नगर
नई दिल्ली–110016 फोन नं.: 011–43187878, 4318787
ई–मेल : contactus@thenationaltrust, in
वेबसाइट : www.thenationaltrust.co.in

ग. भारतीय पुनर्वास परिषद्

❒ भारतीय पुनर्वास परिषद् निःशक्तता के क्षेत्र में व्यवसायों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण, नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए रिहेबिलिटेशन काउन्सिल ऑल इंडिया अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है। यह सभी संव्यवसायिकों/कार्मिकों के लिए एक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सी.आर.आर.) का रख–रखाव करता है और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में शोध को बढ़ावा देता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

भारतीय पुनर्वास परिषद
बी–22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26532816, 26534287, 26532384, 26532408, 26532381
फैक्स : 011–26534291
ई–मेल : rehabstd@nde.vsnl.net. in
वेबसाइट : www.rehabcouncil.nic.in

घ. आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

❒ आर्टीफिशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) की स्थापना कृत्रिम अंगों, सहायक उपकरणों और उनके घटकों के निर्माण की सुविधाएं मजबूत करने और निःशक्त व्यक्तियों, अस्पतालों और अन्य पुनर्वास संस्थानों को उचित दामों पर उनकी उपलब्धता, आपूर्ति और विवरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से की गई थी।

संपर्क विवरण :

आर्टीफिशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग आफ इंडिया
जी.टी. रोड, कानपुर–208016
दूरभाष : 0512–2770172, 2770897, 2770817
फैक्स : 0512–2770617, 2770870, 2770172
ई–मेल : alimcohq@vsnl.net
वेबसाइट : www.artlimbs.com

राष्ट्रीय संस्थान

❒ राष्ट्रीय संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये, निःशक्तता के संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से प्रबंधित तथा विशेषज्ञता से युक्त संस्थान हैं और पुनर्वास संबंधी सुविधाओं से भली भांति सुसज्जित हैं। राष्ट्रीय संस्थानों/शीर्ष स्तर के संस्थानों के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं–

(क) मानव संसाधन विकास
(ख) पुनर्वास सेवाएं
(ग) शोध संबंधी गतिविधियां।

❒ पूरे देश में अधिक से अधिक निःशक्त व्यक्तियों तक पहुंच पाने की दृष्टि से राष्ट्रीय संस्थान के साथ जुड़े अपने क्षेत्रीय केन्द्रों, समग्र पुनर्वास केन्द्रों (सीआर. सीज) और जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों (डी.डी. आर. सीज) के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में निःशक्तताओं को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से संपर्क और विस्तार सेवाओं में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय संस्थान निःशक्तता के विभिन्न पक्षों जैसे कि बचाव, जल्द पता लगाना, हस्तक्षेप, निःशक्तों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं, उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं व

कार्यक्रमों के बारे में समुदाय में जागरुकता भी पैदा करते हैं। वे समुदाय पर आधारित पुनर्वास सेवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं जैसे कि बीमारी का पता लगाना, विभिन्न संस्थानों पर कैंपों का आयोजन करके सहायता उपकरणों और उपयंत्रों को लगाना और वितरित करना।

निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान/संगठन है:

1. **राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आर.टी.आर.)**
   संपर्क विवरण
   ओलटपुर, पी.ओ. बाइरोई, जिला कटक, उड़ीसा,
   दूरभाष : 0671–2805552
   फैक्स : 0671–2805862
   ई–मेल : nirtar@ori.nic.in,dinirtar@ori,nic.in
2. **राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एन.आई.ओ.एच.)**
   संपर्क विवरण
   बी.टी. रोड, बॉन हुगली, कोलकाता
   दूरभाष : 033–25310279/0789,/0610,
   टेलीफैक्स : 033–25318379
   ई–मेल : mail@nioh.in
   वेबसाइट : www.nioh.in
3. **राष्ट्रीय मानसिक विकलाग संस्थान (एन.आई.एम.एच.)**
   संपर्क विवरण
   मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
   दूरभाष : 91–40–27751741–45
   फैक्स : 91–40–27750198
   ई–मेल : dir@nimhindia.govt.in
   वेबसाइट : www.nimhindia.org
4. **अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (एन.आई.एच.एच.)**
   संपर्क विवरण
   के.सी. मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), रिक्लेमेशन, मुम्बई–400050
   दूरभाष : 022–26400215/26409176/26400263,
   फैक्स : 022–26404170
   ई–मेल : ayjnihhmum@gmail.com
   वेबसाइट : http://ayjnhh.nic.in
5. **राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान (एन.आई.वी.एच.)**
   116, राजपुर रोड, उत्तराखंड
   दूरभाष : 0135–2744491, 2748147, 2744578, 2735341, 2744979
   फैक्स : 0135–2748147
   ई–मेल : nivh@sancharnet.in
   वेबसाइट : www.nivh.in
6. **नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमैंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलीटीज (एन.आई.ई.पी.एम.डी.)**
   संपर्क विवरण
   ई.सी. रोड, मुत्तूकोडु, कोवलम पोस्ट, चैन्नई–603112 (तमिलनाडु)
   दूरभाष : 044–27472113, 27472046
   फैक्स : 044–27472389
   ई–मेल : niepmd@gmail.com
   वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in
7. **पं. दीनदयाल उपाध्याय, शारीरिक विकलांग संस्थान (आई.पी.एच.)**
   संपर्क विवरण
   4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली–110002
   दूरभाष : 011–23232403 (का.)
   फैक्स : 011–23239690
   ई–मेल : director@iphnewdelhi.in
   वेबसाइट : www.iphnewdelhi.in

परिशिष्ट

VII

राज्यों/संघ क्षेत्रों में निःशक्तजन आयुक्तों की सूची

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	श्री एम.एन. मुरली, आयुक्त–निःशक्तता एवं निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान, निकोबार प्रशासन, गोलधर, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान–744101,	फोन : (03192) 233356 (का.), फैक्स : (03192) 243817
2	आंध्र प्रदेश	श्री चौलटी प्रभाकर, आयुक्त निःशक्तता, एवं निदेशक निःशक्तता तथा वरि. नागरिक कल्याण, आंध्र प्रदेश, सरकार विकलांगुल्य सक्शेमा भवन, नियर लुइस ब्रेल फ्लाई ओवर, नलगोण्डा ष्ष् रोड, मलकपेट, हैदराबाद	फोन : (040) 24559048, 24554873, 24619048, 24559047 फैक्स : (040) 24734873, 24619048, 24554873
3	अरुणाचल प्रदेश	श्री हेग बट्ट, आयुक्त निःशक्तता एवं सचिव, समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, बैकट हाल, रूम नं. 11 ईटानगर–791111 अरुणाचल प्रदेश	टेली. सं. : (0360) 2006216 फैक्स : (0360) 2247208 E-mail : welfaresocial71@yahoo.in, ajantadotc@yahoo.in
4	असम	श्रीमती बिजोय लक्ष्मी बरूआ गोगाई, आयुक्त निःशक्तता असम सरकार, लाटाकाटा, वसिष्ठा गुवाहाटी, असम–29	टेलीफैक्सः (0361) 2300724, 2541169 (का.) E-mail : comm.disability assam@gmail.com
5	बिहार	आयुक्त, निःशक्तता एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार निकट सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना–800015	टेलीफैक्स : (का.) 0612–2215041 फैक्स : 0612–2215152 E-mail: socwel-bihar@hotmail.com. statecommissionerdisability@yahoo.com E-mail : sedisability2008@gmail.com

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
6	चंडीगढ़	श्री अनिल कुमार, आयुक्त, निःशक्तता चंडीगढ़ प्रशासन, कमरा नं. 410, चतुर्थ तल, डीलक्स बिल्डिंग, सैक्टर–9 चंडीगढ़–160019	फोन : (0172) 2740216 (O) 2740008 फैक्स : (0172) 2740337 E-mail.dswchandigarh@hotmail.com
7	छत्तीसगढ़	श्री इन्दर चौपड़ा, आयुक्त, निःशक्तता छत्तीसगढ़ सरकार जिला पंचायत परिसर, जी, रोड, दुर्ग–491001, छत्तीसगढ़	टैलीफैक्स : (0788) 2325470 (O) E-mail : info@cgdisablities.org
8	दादरा एवं नागर हवेली	श्रीमती अलका दिवान, आयुक्त–निःशक्तता दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन, सचिवालय, सिलवासा (पीओ) दादरा एवं नागर हवेली–396230	फोन नं. (0260) 2633110 (O) फैक्स : 2230049, 2642787, 2642043 E-mail: mdoidc@yahoo.com
9	दमन और दीव	श्रीमती अलका दिवान, आयुक्त, निःशक्तता दमन व दीव संघ क्षेत्र, प्रशासन समाज कल्याण विभाग कलैक्टोरेट, धोलार, मोती दमन, दमन–396220	फोन : (0260) 2231453 (O) फैक्स : (0260) 2230739, 2230049 E-mail: mdoidc@yahoo.com
10	दिल्ली	श्री के.एस. मेहरा, आयुक्त, निःशक्तता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 25, डी, माता सुन्दरी रोड, निकट–गुरुनानक नेत्र केन्द्र,	फोन : 23216001–4 फैक्स : 23216005 E-mail : comdisdelhi@yahoo.co.in , mehraks@yahoo.com
11	गोवा	श्री पी. कृष्णमूर्ति, आयुक्त, निःशक्तता एवं सचिव समाज कल्याण विभाग, गोवा सरकार सचिवालय, पोरवोरिम, वर्देज, गोवा–403521	फोन : (0832) 2419407 (O) फैक्स : (0832) 2419608, 2228172 टेलीफैक्स (0832) 2419406, 2419410 (O) E-mail : pkrishanmurthy@nic.in. , socialwelfaregoa@rediffmail.com
12	गुजरात	श्री संजय नंदन अग्रवाल, आयुक्त, निःशक्तता गुजरात सरकार, डॉ. जीवराज मेहता भवन, ब्लॉक नं.–16 भूतल, गांधी नगर, गुजरात–382010	फोन : (079) 23256746–49 (O) टेलीफैक्स : फोन : (079) 26403060, 26424902 (R) (079) 23259378, 23256746 E-mail : commipwd@gujarat.gov.in
13	हरियाणा	श्री शशि भारत भूषण आयुक्त, निःशक्तता समाज कल्याण तथा अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार, एस.सी.ओ.सं. 66–77, सैक्टर–17ए, चंडीगढ़	फोन : (0172) 2547517 टैलीफैक्स : (0172) 2714614 E-mail : sje@hry.nic.in, shashibharathushanadvocate@gmail.com

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
14	हिमाचल प्रदेश	श्री वी.सी. फारका, आयुक्त, निःशक्तता तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण तथा अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय, शिमला–17002 हिमाचल प्रदेश	टेलीफैक्स : (0177) 2622269 फैक्स : (0177) 2880782, फोन : 0177–2880671, 2622287 E-mail : ysssecy-hp@nic.in, socialjesecy-hp@nic.in, sjesecy_hp @nic.in
15	जम्मू–कश्मीर	श्री गज्जनफर हुसैन, आयुक्त निःशक्तता समाज कल्याण, जम्मू एवं कश्मीर सरकार सिविल सचिवालय जम्मू	(नवंबर–अप्रैल : जम्मू) फोन : (0161) 2579126 (0) फैक्स : (0191) 2542759 (मई–अक्टूबर : श्रीनगर) टैलीफैक्स : (0194) 2482568 (0) फैक्स : (0194) 2452271 E-mail: Gezzanser,h@gamil.com
16	झारखंड	श्रीमती मृदुला सिन्हा, आयुक्त, निःशक्तता एवं प्रधान सविच समाज कल्याण महिला तथा बाल विकास, झारखंड सरकार, भूतल, इंजीनियर्स–हास्टल बिल्डिग, सैक्टर–3, धुर्वा, रांची, झारखंड–834004	फोन : (0651) 2401825 (0) फैक्स : (0651) 2401886 E-mail : sdcjharkhand@gmail.com, E-mail : dsw jharkhand 15@yahoo.com
17	कर्नाटक	श्री के.वी. राजन्ना आयुक्त, निःशक्तता, कर्नाटक सरकार कर्नाटक स्लम विकास बोर्ड बिल्डिंग, दूसरा तल, अभय संकीर्ना, 55, रिसालदार स्ट्रीट (प्लेटफार्म रोड), बंगलौर–560005	फोन (080) 25482639, 40, 41, 59, फैक्स : (080) 25482641, E-mail : kvrcomdis@gmail.com बेवसाईट : www.scd.kar.nic.in E-mail : disscom@vsnl.net; www.disabilityact india.org
18	केरल	प्रो. डॉ. एन. अहमद पिल्लई, आयुक्त, निःशक्तता तथा पदेन सचिव केरल सरकार, प्रथम तल, सरकार वी.टी.सी. बिल्डिंग, समाज कल्याण संस्थान परिसर, पूजनपुरा, तिरूवनंतपुर–695012	टेलीफैक्स : (0471) 2347704, फोन : (0471) 2444777 (आर.) E-mail : scpwdkerela@gamil.com
19	लक्षद्वीप	श्री प्रांजल जे हजारिका, आयुक्त, निःशक्तता, समाज कल्याण एवं जन जातीय मामले विभाग लक्षद्वीप संघ क्षेत्र कावारती–682555	फोन : (04896) 263703, 262314, फैक्स : (04896) 262547, 263657 Email : lkdsw@hub.nic.in

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
20	मध्य प्रदेश	श्री दीपांकर बनर्जी आयुक्त, निःशक्तता, मध्य प्रदेश सरकार, समुदाय भवन, न्यू मार्किट टीटी नगर भोपाल–462003, मध्य प्रदेश	फोन : (0755) 2773008, फैक्स : (0755) 2552665 E mail : comdismp@rediffmail.com , Baldeeb 7000@yahoo.com
21	महाराष्ट्र	श्री बाजीराव जाधव, आयुक्त, निःशक्तता महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र सरकार, 3 चर्च रोड, पुणे–411001	फोन : (020) 26122061, 2612647 फैक्स : 26111590, 26126698 E mail : commissionerdisability@yahoo. co.in
22	मणिपुर	श्री एल. होकिप, आयुक्त निःशक्तता तथा सचिव, समाज कल्याण तथा कृषि विभाग, मणिपुर सरकार, पुराना सचिवालय, इम्फाल–795001	फोन : (0385) 2451183 फैक्स : (0385) 2452629 E-mail : L4letkhogin.haokib@gmail.com
23	मेघालय	सुश्री कारामाई खरकोंगर आयुक्त, निःशक्तता मेघालय सरकार, समाज कल्याण विभाग टैम्पल रोड, लोवर लाचुमियर, शिलोंग, मेघालय–793001	फोन : (0364) 2506521, फैक्स : 2225978 Email : socwfare@yahoo.co.in, cpwdmeg@gmail.com
24	मिजोरम	श्रीमती बी.सैरंग पुई, आयुक्त, निःशक्तता, मिजोरम सरकार म.न.एम/सी–3ए, चोल्टलांग, बेंगलाई, आई ज्वाल–796001	फोन : (0389) 2348134 (0) 2349213 टैलीफैक्स : (0389) 2348134 E-mial : sairengiswd@rediffmail.com , ocfwd@gamil.com
25	नागालैंड	डा. आथा विजोल आयुक्त, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, नागालैंड सिविल सचिवालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा–797001, नागालैंड	फोन : (0370) 2270284, 2270279, टेलीफैक्स (0370) 2270284 (0) फोन : (0370) 2291482 (R) E- mail : dratharizol@gamil.com
26	उड़ीसा	श्रीमती कस्तूरी महापात्र, आयुक्त, निःशक्तता, एस आर, बिल्डिंग, केपिटल हास्पिटल परिसर, यूनिट–6 उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर–751001	फोन : (0674) 2390006, Email : kastrrim@hotmail.com. , scpdorissa@gmail.com

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
27	पुड्डुचेरी	श्री जी. देवा नीथिदास, आयुक्त निःशक्तता, महिला तथा बाल कल्याण विभाग, मुख्य सचिवालय, पड्डुचेरी, पुड्डुचेरी सरकार, पुड्डुचेरी	टेलीफैक्स : (0413) 2220884 E-mail : vivekias@gamil.2013.com scpdorissa@hotmail.com
28	पंजाब	श्री समीर कुमार, आयुक्त निःशक्तता पंजाब सरकार, कमरा नं. 9, सांतवां तल, पंजाब सिविल सचिवालय–1, चंडीगढ़	टेलीफैक्स : (0172) 2740811 फैक्स : (0172) 2741723 ई–मेल : samir,kumar777@yahoo.co.in
29	राजस्थान	डॉ. मंजीत सिंह, आयुक्त, निःशक्तता तथा मुख्य सचिव समाज कल्याण तथा अधिकारिता, सामाजिक सुरक्षा, राजस्थान सरकार, जी–3/1ए, विशेष योजन भवन, होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया जयपुर–302015	फोन : (0141) 2222937, 2226503 फैक्स : (0141) 2222249 E-mail : commdisraj@yahoo.co.in., ps-sje@ratasthan.gov.in,
30	सिक्किम	श्री आर.के. पुरकायस्थ, आयुक्त, निःशक्तता सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा कल्याण विभाग, लोअर सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिक्किम सरकार, गंगटोक–737101	फोन : (03592) 202461(0), फैक्स : (03592) 202309, 203676
31	तमिलनाडु	श्री वी.के. जेयाकोडी, राज्य आयुक्त, विविध रूप से सक्षम, तमिलनाडु सरकार, स्टेट रिसोर्स कम ट्रेनिंग सैन्टर कैम्पस, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग रोड, के.के. नगर, चैन्नई–600078	फोन : (044) 24719945 (0) फैक्स : (044) 24719946 E-mail : scd@tn.nic.in
32	त्रिपुरा	श्री नेपाल चन्द्र सिन्हा, आयुक्त निःशक्तता, समाज कल्याण तथा समाज शिक्षा विभाग, त्रिपुरा सरकार, सिविल सचिवालय भवन, अगरतला, त्रिपुरा वैस्ट–799001	फोन : (0381) 2226033 टेलीफैक्स : (0381) 2414045 E-mail : ncsinha@hotmial.com., dswe-agt@yahoo.com

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
33	उत्तर प्रदेश	श्री मनोज कुमार आयुक्त, निःशक्तता उत्तर प्रदेश सरकार, 21, कृष्णा कालोनी, फैजाबाद रोड, निकट फातिमा अस्पताल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	फोन : (0522) 2236392, 2288196, टेलीफैक्स : (0522) 2237965, 2228004, 2236392 Emil : Ayuktviklangian@rediffmail.com, website: www.commissioer disablity up in
34	उत्तराखंड	श्री बी.आर. टमटा, आयुक्त, निःशक्तता समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार, म.न. 107, ब्लाक–1, धर्मपुर देहरादून–248001	टैलीफैक्स : (0135) 2669981, 2712451, 2711103 (SW) फोन : 2711103, 2711226 A.S. E-mail : commissionerdisafility uk@gamil.com
35	पश्चिम बंगाल	श्रीमती मीता बनर्जी, आयुक्त, निःशक्तता पश्चिम बंगाल सरकार आयुक्त निःशक्तजन का कार्यालय, 45, गणेश चंद्र, एवेन्यू, कोलकाता–700013	फोन : (033) 22374731, 22375379 टैलीफैक्स : (033) 22375379 E-mail : com.disabilitywb@gmail.com

परिशिष्ट

VIII

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य–सचिवों की सूची

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ई–मेल	एस.टी.डी. कोड
1.	श्री एस. रवि कुमार, सदस्य सचिव– विधिक सेवाएं प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश राज्य न्याय सेवा सदन, पुरानी हवेली, हैदराबाद–500002	09440621437	फोन नं. 23446702, टेलीफैक्स 23446700, 23446701 E-mail: apslsauthority@yahoo.com apslsautharity@rediff.com	040
2.	श्री बुडी हेलंग सदस्य सचिव– अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, विधि एवं न्याय विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–79111	09402478111	2284913 2284935 (फैक्स) E-mail: aplsa 2013@rediffmail.com	0360
3.	श्री मीर अल्फाज अली सदस्य सचिव– असम राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, द्वितीय तल, डिस्ट्रक्ट जज न्यू कोर्ट बिल्डिंग, गुवाहाटी–781001	09435094903	2601843 (टेलीफैक्स) aslsa@gmail.com, assamslsa@gmail.com	0361
4.	श्री राधा कृष्ण, सदस्य सचिव– बिहार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बुद्व मार्ग, पटना म्यूजियम के सामने, पटना–800001	09431261007	2230943, 2201390 (फैक्स) Bslsa87@yahoo.in	0612
5.	श्री आनंद कुमार सिंघल, सदस्य सचिव– छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, "वेयर हाउस विधिक सेवा मार्ग, विलासपुर, (छत्तीसगढ़)	09425538211	417625, 410210, 410530 (फैक्स) cgslsa.cg@nic.in)	07752

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ई–मेल	एस.टी.डी. कोड
6.	श्री बी.पी. देशपाण्डे सदस्य सचिव– गोवा राज्य विधिक सेवाएं, गोवा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, न्यू हाई कोर्ट कांप्लैक्स, एल्टिन्हो, पणजी, गोवा–403001	09850471189	2421169, 2431910, 2224126, 2420531 (फैक्स) reg-high.goa@nic.in, www.slsagoa.nic.in	0832
7.	श्री ए.पी. ठाकर सदस्य सचिव– गुजरात राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, तृतीय तल, शार्ट विंग, हाईकोर्ट कांप्लैक्स, सोला, अहमदाबाद–380060 (गुजरात)	09978406325	27665400, 27664963, 27665296 (फैक्स) msguj.lsa@nic.in	079
8.	श्री दीपक गुप्ता सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, एस.सी.ओ.–142–43, प्रथम तल, सैक्टर–34–ए, सिटी सैन्टर, चंडीगढ	07837541900	2660064, 2622875, 2604055 (फैक्स) hlsa-haryana@gmail.com	0172
9.	श्री वीरेन्द्र सिंह सदस्य सचिव, हि.प्र. राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, ब्लॉक नं. 22, एस.डी.ए. काम्प्लैक्स, कसुमपति, शिमला–171009 (हि.प्र.)	09418494801	2623862, 2626962 (फैक्स) mslegal-hp@nic.in	0177
10.	श्री मुहम्मद अशरफ मीर, सदस्य सचिव– जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधिक सेवाएं, प्राधिकरण जे.डी.ए. काम्पलैक्स, जानीपुरा, जम्मू–180007	09419066240	2564764 (जे) 2450644 (एस) 2546753 (जे) (फैक्स) 2452267 (एस) (फैक्स) 2539962 (जम्मू)	0191 (जे) 0194 (एस)
11.	श्री एस.के. दुबे सदस्य सचिव, झारखंड राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, "न्याय सदन", ए.जी. ऑफिस के पास, डोरंडा, रांची–834002	08986601912	2482392, 2481520, 2482397 (टेलीफैक्स) jhalsaranchi@gmail.com. jhalsaranchi@yahoo.co.in	0651
12.	श्री अशोक जी. निजागन्नवार सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, न्याय देगुला, प्रथम तल, एच. सिद्धाय रोड, बंगलोर–560027	09448068444	22111875, 22111714, 22112935 (फैक्स) karslsa@gmail.com	080

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ई–मेल	एस.टी.डी. कोड
13.	श्री पी. मोहनदास, सदस्य सचिव केरल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नियामा सहाय भवन, हाई कोर्ट, कम्पाउंड, एर्नाकुलम, कोची–682031	09447387151, 09447032528	2395717, 2396717 (फैक्स) kelsa@ker.nic.in www. kselsa. gov.in	0484
14.	श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव सदस्य सचिव– मध्य प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)	09425015986	2678352, 2624131, 2678537 (फैक्स) mplsajab@nic.in	0761
15.	श्रीमती सपना एस.जोशी सदस्य सचिव– महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण 105, हाईकोर्ट, पी.डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग फोर्ट मुम्बई–400032	09869088444	22691395, 22691358, 22665866, 22674295 (फैक्स) mslsa_bhc@nic.in legalserviees@maharashtra.gov.in	022
16.	श्री ए. गुनेश्वर शर्मा, सदस्य सचिव मणिपुर राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्ट काम्पलैक्स मणिपुर (ईस्ट), यूरीपोक, इम्फाल–795001	09436204458, 09810089840	2410786, 2413552, 2410786, 2411461 (फैक्स) aguneshwar@yahoo.com maslsainbhal@gmail.con	0385
17.	श्री डब्ल्यू. डियोंग दोह, सदस्य सचिव– मेघालय राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कमरा नं.–120, माटी बिल्डिंग एडिशनल, सेक्रेटेरिएट शिलांग–793001 (मेघालय)	09436103497	2501051, 2336619, 2336618, 2500064 (फैक्स) megshillong@gmail.com	0364
18.	श्री थांग लियानमंग गुटे सदस्य सचिव– मिजोरम राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जूनियर जज क्वाटर्स बिल्डिंग, न्यू कैम्पिटल काम्लैक्स, खटला, आइजॉल,, मिजोरम	09436140907	2336621, 2336619 (फैक्स) mizoramslsa@gmail.com	0389
19.	श्री मयंग लिमा, सदस्य सचिव नागालैंड राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड लॉ, कोहिमा–797004 (नागालैंड)	09346002482, 08974069744	2244963, 2292144 (फैक्स) mayanglima@gmail.com.in	0370

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ई–मेल	एस.टी.डी. कोड
20.	श्री शशिकांत मिश्रा सदस्य सचिव उड़ीसा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, एस.ओ. क्वार्टर न. 20, कैंटोनमेंट रोड, कटक–753002 (उड़ीसा)	09437027678	2307678, 2307071, 2304389, 2305702 (फैक्स) Oslsa@nic.in	0671
21.	श्री मुनीश सिंघल, सदस्य सचिव पंजाब प्रदेश विधिव सेवाएं प्राधिकरण, एस.सी.ओ. नं. 3001, सैक्टर–22–डी, चंडीगढ़–160022	08558887007	फोन : 2715800, 4652568 टे. (फैक्स) ms@pulsa.gov.in	0172
22.	श्री अभय चतुर्वेदी सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं, प्राधिकरण, राजस्थान हाईकोर्ट बिल्डिंग, जयपुर–302005 (राजस्थान)	09414913793	2227555, 2227481, 2227602 (फैक्स) rslsajp@gmail.com	0141
23.	श्रीमती के. डब्ल्यू. भुटिया सदस्य सचिव सिक्किम राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, निकट पावर सब स्टेशन सिचे, गंगटोक–737101, सिक्किम	2228209 (नि.) 09434006704	284753 Sikkim-slsa@live.com k.w.bhutia@nic.in	03592
24.	डा. के. अरुल सदस्य सचिव तमिलनाडु राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, हाईकोर्ट बिल्डिंग, चैन्नई–600014 (तमिलनाडु)	09443370519	25235767, 25342834, 25342268 (फैक्स) tnslsa@dataone.in tnslsa@gmail.com	044
25.	श्री सत्यगोपाल, सदस्य सचिव त्रिपुरा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ईस्ट बैंक ऑफ मालरमथ दिघी अगरतला–799001 (त्रिपुरा)	09436450652	2223365, 2222481 2416269 (फैक्स) salsatripura@gmail.com	0381
26.	श्री राघवेन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं, प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ–266001 (उ.प्र.)	09415349101	2286395, 2286265, 2286260, 2286260 (फैक्स) upslsa@up.in.in www.upslasa.up.nic.in	0532

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ई–मेल	एस.टी.डी. कोड
27.	श्री कंवर अमनिंदर सिंह सदस्य सचिव उत्तराखंड राज्य विधिक सेवाएं, प्राधिकरण, हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड कम्पाउन्ड, नैनीताल, उत्तराखंड–263001	07351881122 09411108402	236762, 236552 टे. (फैक्स) highcourt-ua@nic.in	05942
28.	श्री सुभासीस दास गुप्ता सदस्य सचिव पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवाएं, प्राधिकरण, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट बिल्डिंग, प्रथम तल 2–3, किरन शंकर राय रोड, कोलकाता–700001 (पं.बं.)	09433401160	22484234 22484235 (फैक्स) W.B. state legal@gmail.com	033
29.	श्री सुगातो मजूमदार सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंडमान एंड निकोबार आईलैंड राज्य, सेक्रेटेरिएट, ए एंड एन प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर–744101	09434267880	236616 (फैक्स)	03192
30.	श्री लालचन्द्र सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, संघ क्षेत्र, चंडीगढ़, एडिशनल डीलक्स बिल्डिंग, चतुर्थ तल, सैक्टर–9, चंडीगढ़–160009	2544644 (नि.) 09988523522	2742999, 2742888 (फैक्स) Slsa-utchd@yahoo.com	0172
31.	श्री आर.आर. देशमुख सदस्य सचिव एवं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा–396230	08511767576	2644452, 2641334 (फैक्स)	0260
32.	श्री आर.आर. देशमुख सदस्य सचिव एवं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दमन एंड दीव विधिक सेवाएं प्राधिकरण, मोती दमन–396220		2230887, 2230221 damanourt@gmail.com	0260
33.	श्री दिलबाग सिंह पूनिया सदस्य सचिव दिल्ली प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, प्री.–फेब बिल्डिंग, पटियाला हाउस नई दिल्ली–110001	9970384618	23384781, 23383014, 23387267 (फैक्स) dlsathebest@rediffmail.com dlsathbest@yahoo.com	011

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ई–मेल	एस.टी.डी. कोड
34.	श्री वी. भास्करन सदस्य सचिव लक्षयद्वीप राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण डिस्ट्रीक्ट एंड सेशन जज, लक्षद्वीप, कावारती इजलैंड–68555	09447418444	262323 263138 262184 (फैक्स) veebhaskar@mail.com lslsa-lk@nic.in	04896
35.	थिरू पी. नलथम्बी सदस्य सचिव, संघ क्षेत्र, पुडुचेरी विधिक सेवाएं प्राधिकरण, हाउस ऑफ लीगल एड नं. 46, गउबर्ट एवेन्यू (बीच रोड) पुडुचेरी–605001		2224658, 2238831, 2224658 (फैक्स) msutplsa@gmail.com	0413
36.	सुश्री निशा सक्सेना उच्चतम न्यायालय, भारत, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, 109, लायर्स चैम्बर, पोस्ट ऑफिस विंग, उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली–110001		23073970, 23381257, 23288313, 23388597 (फैक्स) sclsc@nic.in	011

परिशिष्ट

IX

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की सूची

1. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय आजमाबाद, हैदराबाद–500020 आन्ध्र प्रदेश
2. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कंबाइंड बिल्डिंग, लेबर बेली रोड, पटना–800001 बिहार
3. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 1282, सैक्शन 13–सी. चंडीगढ़–160018 (स.क्षे.)
4. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, स्टाक पेलेस, शिमला–171002, हिमाचल प्रदेश
5. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नं. 5, क्रीसेंट रोड, हाई ग्राउंड, पश्चिम बंगलौर–560020, कर्नाटक
6. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, रांची, झारखंड
7. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जमशेदपुर, झारखंड
8. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड
9. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, एर्नाकुलम, केरल
10. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कोल्लम, केरल
11. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कोट्टायम, केरल
12. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कोझीकोड, केरल
13. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नेय्या थिंकारा, केरल
14. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नन्दावनम रोड, पालयम, त्रिवेन्द्रम, केरल
15. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 965, राइट टाउन, जबलपुर–482001 मध्य प्रदेश
16. विशेष रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मर्केन्टाइल चैम्बर्स, तीसरा तल, ग्राहम रोड, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई–400001, महाराष्ट्र
17. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, इम्फाल, मणिपुर
18. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, फ्लैट नं. 367, साहिद नगर, भुवनेश्वर–751007, उड़ीसा
19. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जयपुर–302001, राजस्थान
20. सहायक निदेशक, रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय,

33, माउंट रोड, नन्दनम, चेन्नई–600035, तमिलनाडु

21. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा
22. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश
23. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
24. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
25. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
26. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश
27. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
28. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
29. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
30. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
31. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश
32. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जी.टी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश
33. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, ललितपुर, उत्तर प्रदेश
34. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
35. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश
36. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश
37. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
38. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
39. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
40. विशेष रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, देहरादून, उत्तराखंड
41. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए रोजगार कार्यालय, 67, बेंटिक्ट स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
42. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए रोजगार कार्यालय, बैरक नं. 1/ई–5, ब्लॉक ए, कर्जन रोड, नई दिल्ली–110001

परिशिष्ट

X

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सूची

1. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ए.टी.आई. कैम्पस, विद्या नगर, हैदराबाद–500007,
फोन : 040–27427381 फैक्स : 040–27427381
ई–मेल : vrchyd@hub.nic.in

2. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ओल्ड आई.टी.आई. कैम्पस, रेहबारी, गुवाहाटी–781008
फोन : 0361–2607858
ई–मेल : vrcguwhati@hub.nic.in

3. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ए/84, प्लॉट नं. 1, गांधी विहार पुलिस कॉलोनी,
अनीसाबाद, पटना–800002
फोन : 0612–2250213,
ई–मेल : vrcpatan@hub.nic.in

4. विकलांगजनों (महिला) के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र आफ्टर केयर होस्टल बिल्डिंग, पेंशनपुरा,
बडोदरा–390002
फोन : 0265–2782857,
फैक्स 0265–2430510/2430362
ई–मेल : vrcvadodara@hub.nic.in

5. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
आई.टी.आई. कैम्पस कुबेर नगर,
अहमदाबाद–382340,
फोन : 079–22811629
फैक्स : 22822486
ई–मेल : vrcvahmd@hub.nic.in

6. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
मोहल्ला बागा माताजी, रोटरी चौक के नजदीक,
उना–174303
फोन : 01975–202222

7. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
गोगजी बाग, जवाहर नगर, के.जी. पोलीटेक्निक,
कैम्पस, श्रीनगर–190008
फोन : 0194–2310658

8. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
22, होसर रोड, बंगलोर–560029
फोन : 080–26564995
ई–मेल : vrcblore@hub.nic.in

9. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ए.टी.आई. कैम्पस, वी.एन. पूरब मार्ग, सियॉन,
मुम्बई–400022,
फोन : 022–24052707,
फैक्स : 25221560
ई–मेल : vrcmumbai@hub.nic.in

10. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
प्लॉट नं. 9, 10, 11 कड़कड़डूमा, विकास मार्ग,
दिल्ली–110092
फोन : 011–22372704
ई–मेल : vrcdelhi@hub.nic.in

11. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
एस.आई.आर.डी. कैम्पस यूनिट–8,
भुवनेश्वर–751012
फोन : 0674–2560375,
फैक्स : 2560375 / 2550800,
ई–मेल : vrcbbnr@hub.nic.in

12. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
बोट हाउस के सामने, अरियनकुप्पम,
पुडुचेरी–605007,
फोन : 0413–2602024

13. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ए.टी.आई. कैम्पस, गिल रोड, अरोड़ा टाकीज के नजदीक, लुधियाना–141003
फोन : 0161–2490883
फैक्स : 0161–2491871
ई–मेल : vrcludhiana@hub.nic.in

14. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
5–ए / 23, जवाहर नगर, जयपुर–302004
फोन : 0141–2652232
फैक्स : 2200072
ई–मेल : vrcjaipur@hub.nic.in

15. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द
सी.टी.आई. कैम्पस गिंडी, चैन्नई–600032
फोन : 044–22501534
फैक्स : 044–22501211
ई–मेल : vrcchennai@hub.nic.in

16. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
अभय नगर, अगरतला–799005,
फोन : 0381–2325632
ई–मेल : vrcagartala@hub.nic.in

17. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
नलनचीरा, एम.सी. रोड, नलन चीरा,
तिरुअनंतपुरम–695015
फोन : 0471–2531175, 2530371
ई–मेल : vrctvm@hub.nic.in

18. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
नोपियर टाउन, बस स्टैंड के नजदीक,
जबलपुर–842001
फोन : 0761–2405581
फैक्स : 2390169
ई–मेल : vrcjabal@hub.nic.in

19. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ए.टी.आई. कैम्पस, गोविन्द नगर, कानपुर–208022,
फोन : 0512–2296005,
फैक्स : 0512–2296273
ई–मेल : vrckanpur@hub.nic.in

20. विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
38, बदनराय लेन, बेलीघाटा, कोलकाता–700010
फोन : 033–23508146
फैक्स : 033–23378358
ई–मेल : vrckolkata@hub.nic.in

परिशिष्ट

XI

संगठन का चार्ट

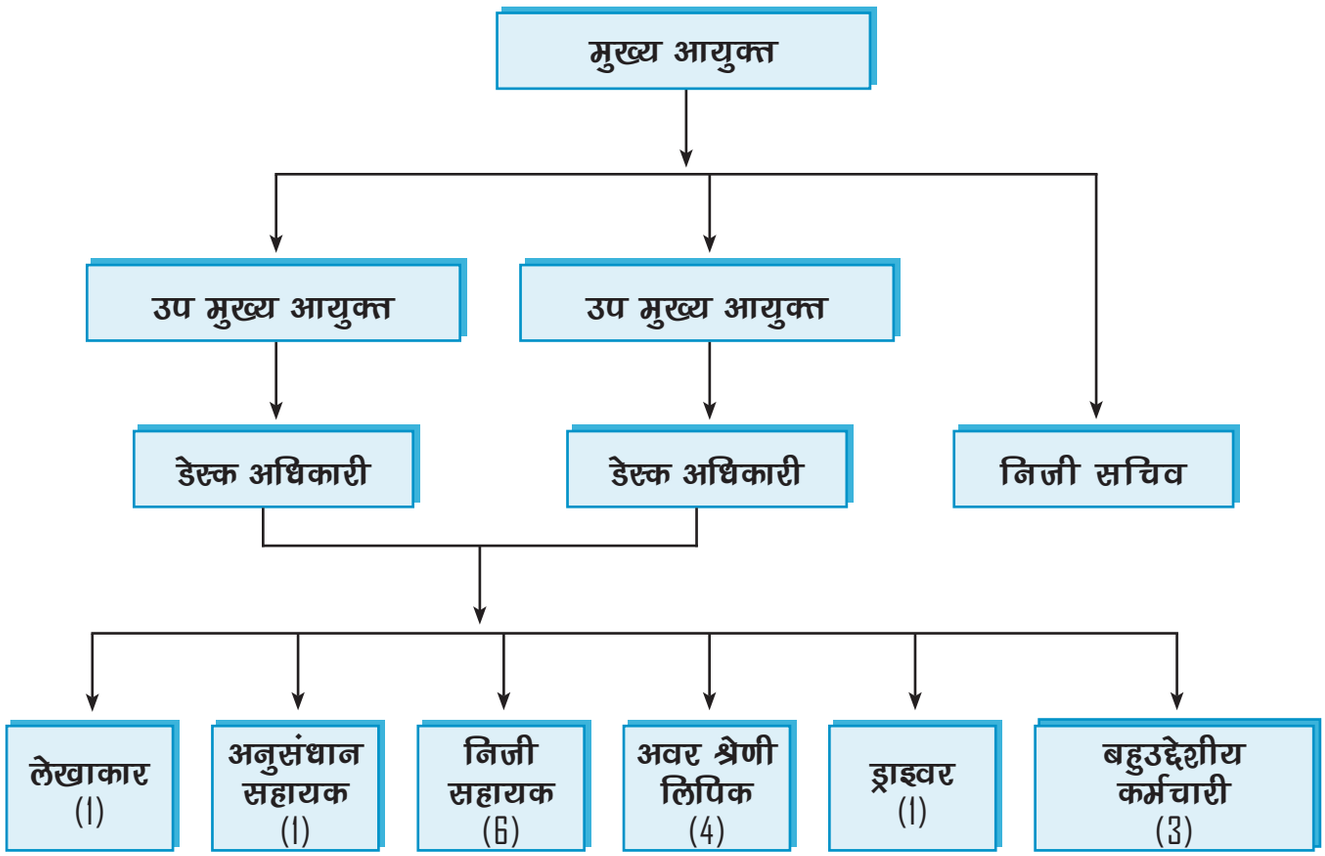

निःशक्त व्यक्ति के साथ बेहतर संप्रेषण के लिए निर्देश

जब आप अचानक निःशक्त व्यक्ति से मिलते है, तो आपके मन मे क्या आता है? क्या आपको पहेली जैसा लगता है क्योकि वह व्यक्ति जो कर सकता है, कर नही पाता है। क्या एक निःशक्त व्यक्ति किसी दूसरे भगवान की औलाद है? तब क्यों हम उसके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार करते है?

अगली बार जब आप निःशक्त व्यक्ति से मिलते है, जो हमारे ही जैसे है, उसके साथ समानता का व्यवहार करे। यहाँ कुछ उपयोगी बाते दी गयी है:

- यदि आप नही जानते कि बर्फ कैसे तोड़ी जाती है अर्थात निःशक्तों से कैसा व्यवहार करें तथा बातचीत शुरू करने से पहले थोडा विश्राम लें तथा तब निःशक्त से व्यक्ति से संवाद करें।
- निःशक्त व्यक्ति के बारे में सकारात्मक रहें। अपने आपसी हितों की पहचान करें। आप निश्चित रूप से एक आनन्ददायक व्यक्तित्व को खोजने में समर्थ होगें।
- यदि जरूरी हो तो सहायता करें, परन्तु अति उत्साही होने से बचें। व्यक्ति का सम्मान करें और जिस प्रकार की सहायता के लिए वह कहें, वही करें।
- व्हील चेयर को किस तरह से चलाना है, अधिवासी से उसके पूछे बिना नही धकेले।
- प्रयोक्ता की सहमति के बिना व्हील चेयर या क्रेचेज या अन्य उपकरण न चलाए।
- निःशक्तता के विषय में बात करने से बचें, परन्तु यदि स्वाभाविक रूप से विषय सामने आता है, तो उस पर विचार–विमर्श करें।
- सामंजस्य करने वाले बने। एक निःशक्त व्यक्ति से बातचीत करने के लिए अधिक स्थान और समय की आवश्यकता पडती है।
- जो व्यक्ति कर सकता है, उसकी प्रशंसा करें। याद रखें कि ऐसे व्यक्ति मुसीबतों का जो मुकाबला कर रहें है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसे रोकना चाहिए तथा यह सच है कि निःशक्तता स्वयं में ही एक बाधा है।
- निःशक्त व्यक्ति से सीधे बात करें। बातचीत करने के लिए किसी सहयोगी को बीच में न लें।
- बातचीत करते समय निःशक्त व्यक्ति पर पूरा ध्यान केन्द्रित करें। उसके विचारों की इज्जत करें। ऐसे व्यक्ति से बात करते समय आपका दृष्टिकोण संशोधन की बजाय प्रोत्साहन का होना चाहिए।
- जब आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहें है, जो बोलने में कठिनाई महसूस करता है, प्रश्न पूछें और संक्षेप में उत्तर प्राप्त करें या इशारों से भी उत्तर प्राप्त किए जा सकते है।
- श्रवण बाधा वाले व्यक्ति से शान्तिपूर्वक, धीरे से तथा स्पष्ट रूप से बात करें।
- जब आप निःशक्त व्यक्ति के साथ भोजन कर रहें हों, यदि जरूरी हो या वह इसके लिए कहे, जो भोजन के कर्तन में उसकी सहायता करें। यह पूछना अधिक सुविधाजनक होगा, कि क्या वह व्यक्ति रसोईघर में अपना भोजन कर्तन के लिए प्राथमिकता देता है। यदि आप दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ है, तब मेज पर व्यंजन, बर्तन तथा अन्य सामान कहॉ रखें है, उसे बताएं।

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

सत्यमेव जयते

कार्यालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

निःशक्तता कार्य विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

सरोजिनी हाउस, 6 भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001

दूरभाषः 011–23386054, 23386154, फैक्सः 011–23386006

ई–मेलः ccpd@nic.in

वेबसाइटः www.ccdisabilities.nic.in